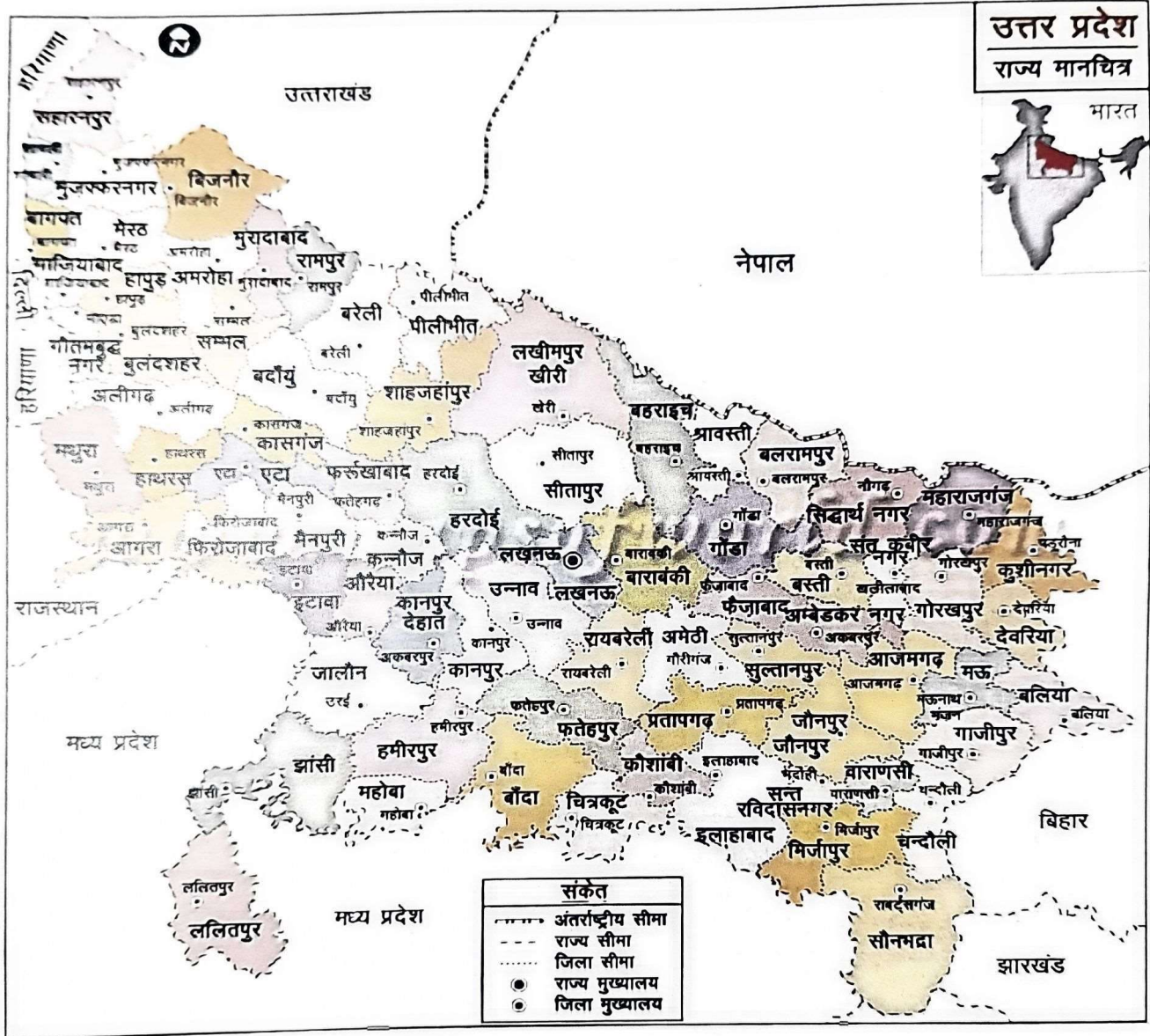


निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।



**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2020-2021
भाग-8**

प्रारूप-04

जनपद का नाम- बागपत

मण्डल का नाम- मेरठ

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियां

प्रस्तर संख्या-1- ग्राम पंचायत आनंदपुर उर्फ बंदपुर विकास खंड खेकड़ा वर्ष 2020-21 के आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रुपये 2148414.00 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष चतुर्थ राज्य वित्त, 14वां वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से संबंधित मूल अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, कार्यों से संबंधित चरणबद्ध फोटो, टेंडर पत्रावली, प्राक्कलन मानचित्र एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जिससे स्पष्ट है कि किए गए कार्यों हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के मापजोख के कोई भी भुगतान नहीं होगा। कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर तथा वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कि जाए अन्यथा की दशा में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या - 01)

प्रस्तर संख्या-2- ग्राम पंचायत सुन्हैड़ा विकास खंड खेकड़ा वर्ष 2020-21 के आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रुपये 5781447.00 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष चतुर्थ राज्य वित्त, 14वां वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से संबंधित मूल अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, कार्यों से संबंधित चरणबद्ध फोटो, टेंडर पत्रावली, प्राक्कलन मानचित्र एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जिससे स्पष्ट है कि किए गए कार्यों हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के मापजोख के कोई भी भुगतान नहीं होगा। कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर तथा वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कि जाए अन्यथा की दशा में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या - 01)

प्रस्तर संख्या-3- ग्राम पंचायत बसी विकास खंड खेकड़ा वर्ष 2020-21 के आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रुपये 7189388.00 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष चतुर्थ राज्य वित्त, 14वां वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से संबंधित मूल अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, कार्यों से संबंधित चरणबद्ध फोटो, टेंडर पत्रावली, प्राक्कलन मानचित्र एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जिससे स्पष्ट है कि किए गए कार्यों हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के मापजोख के कोई भी भुगतान नहीं होगा। कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर तथा वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कि जाए अन्यथा की

(मूल आपति संख्या - 01)

प्रस्तर संख्या-4- ग्राम पंचायत गोठरा विकास खंड खेकडा वर्ष 2020-21 के आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रुपये 3627101.00 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष चतुर्थ राज्य वित्त, 14वां वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से संबंधित मूल अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, कार्यों से संबंधित चरणबद्ध फोटो, टेंडर पत्रावली, प्राक्कलन मानचित्र एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जिससे स्पष्ट है कि किए गए कार्यों हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के मापजोख के कोई भी भुगतान नहीं होगा। कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर तथा वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कि जाए अन्यथा की दशा में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 01)

प्रस्तर संख्या-6- ग्राम पंचायत लहचौडा विकास खंड खेकडा वर्ष 2020-21 के आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रुपये 2186791.00 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष चतुर्थ राज्य वित्त, 14वां वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से संबंधित मूल अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, कार्यो से संबंधित चरणबद्ध फोटो, टैंडर पत्रावली, प्राक्कलन मानचित्र एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जिससे स्पष्ट है कि किए गए कार्यो हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के मापजोख के कोई भी भुगतान नहीं होगा। कार्यपूति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर तथा वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कि जाए अन्यथा की दशा में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 01)

प्रस्तर संख्या-7- ग्राम पंचायत मंसूरपुर विकास खंड खेकड़ा वर्ष 2020-21 के आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रुपये 2438850.10 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष चतुर्थ राज्य वित्त, 14वां वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से संबंधित मूल अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, कार्यों से संबंधित चरणबद्ध फोटो, टेंडर पत्रावली, प्राक्कलन मानचित्र एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जिससे स्पष्ट है कि किए गए कार्यों हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के मापजोख के कोई भी भुगतान नहीं होगा। कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर तथा वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कि जाए अन्यथा की दशा में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 01)

प्रस्तर संख्या-8- ग्राम पंचायत कान्हड तालबपुर विकास खंड बिनौली वर्ष 2020-21 के आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रुपये 947848.00 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष चतुर्थ राज्य वित्त, 14वां वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से संबंधित मूल अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, कार्यों से संबंधित चरणबद्ध फोटो, टेंडर पत्रावली, प्राक्कलन मानचित्र एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जिससे स्पष्ट है कि किए गए कार्यों हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के मापजोख के कोई भी भुगतान नहीं होगा। कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर तथा वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कि जाए अन्यथा की दशा में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 01)

प्रस्तर संख्या-9- ग्राम पंचायत फतेहपुर चक विकास खंड बडौत, वर्ष 2020-21 के आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत कोषबही अनुसार हैंडपम्प मरम्मत हेतु दिनांक 21.09.2020 को रु० 17346.00 तथा रु० 19667.00 सामग्री क्रय का तथा दिनांक 25.12.2020 को रु० 19526.00 हैंडपम्प रिपेयर का भुगतान दर्शित है परन्तु व्यय से संबंधित कोई बिल/वाउचर स्टॉक लेखा आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये बल्कि फर्जी व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि 56529.00 का अपहरण/गबन कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर तथा वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8क के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कि जाए अन्यथा की दशा में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 04)

प्रस्तर संख्या-10- ग्राम पंचायत सुल्तानपुर हटाना विकास खंड बागपत वर्ष 2020-21 के आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रुपये 2595752.00 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष चतुर्थ राज्य वित्त, 14वां वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से संबंधित समस्त मूल अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, कार्यों से संबंधित चरणबद्ध फोटो, टेंडर पत्रावली, प्राक्कलन मानचित्र एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जिससे स्पष्ट है कि किए गए कार्यों हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी

अन्यथा की दशा में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 04)

प्रस्तर संख्या-17- ग्राम पंचायत राजपुर खामपुर विकास खंड बागपत वर्ष 2020-21 के आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रुपये 4021803.00 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष चतुर्थ राज्य वित्त, 14वां वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से संबंधित समस्त मूल अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, कार्यो से संबंधित चरणबद्ध फोटो, टैंडर पत्रावली, प्राक्कलन मानचित्र एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जिससे स्पष्ट है कि किए गए कार्यो हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जानी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के मापजोख के कोई भी भुगतान नहीं होगा। कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर तथा वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8क के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कि जाए अन्यथा की दशा में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 04)

प्रस्तर संख्या-18- ग्राम पंचायत बुढ़पुर विकास खंड बडौत वर्ष 2020-21 के आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत हेतु सामान क्रय पर व्यय दर्शित है जोकि केन्द्रिय वित्त से किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

1- दिनांक 24-10-2020 -	8500.00
2- दिनांक 24-10-2020 -	19559.00
3- दिनांक 24-10-2020 -	19534.00
4- दिनांक 25-10-2020 -	19277.00
कुल अंकन रुपये	- 66870.00

व्यय से संबंधित कोई भी बिल/वाउचर/हैंडपम्प खराब होने की सूचना संबंधी पत्रावली, कार्य की विभागीय स्वीकृति तथा उक्त से संबंधित स्टॉक लेखे का विवरण/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे दर्शित व्यय की धनराशि अपुष्ट रही। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर तथा वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8क के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कि जाए अन्यथा की दशा में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 04)

प्रारूप -4

जनपद - बुलंदशहर

मंडल - मेरठ

वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत की गंभीर आपतियां का सारांश

प्रस्तर संख्या -1 >आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अहमदानगर, विकासखंड बी0वी0नगर के विभिन्न मार्गों पर इंटरलॉकिंग व नाली तथा खड़जा निर्माण पर कुल रुपए 979987.00का व्यय दर्शाया गया है परंतु इन कार्य हेतु विधिस्वरूप न तो प्रस्ताव पारित कराए गए और ना ही वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति प्राप्ति के संबंध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान सचिव श्री कुलदीप शर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त स्वीकृत मानचित्र, माप पुस्तिका, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रत्येक कार्य का कार्य होने से पहले वह कार्यपूर्ण होने के उपरांत के फोटोग्राफस, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक/ मस्टररोल व निर्धारित मानक के अनुरूप सामग्री क्रय हेतु कोटेशनस/ निविदाएं आदि भी जांच व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत

में इंटरलॉकिंग व नाली तथा खड़जा निर्माण पर दर्शित व्यय फर्जी है। अतः ग्राम प्रधान मोहम्मद हामिद व ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा से कुल दर्शित व्यय रुपये 979987.00 (रुपये नौ लाख उनासी हजार नौ सौ सतासी मात्र) की वसूली दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है :-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	44750977	श्रीपाल के घर से परमवीर के घर तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण	146775.00
2	44751241	अमरपाल के घर से विजेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण	93924.00
3	44751079	फकीरा के घर से मीर सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण	148272.00
4	44751006	मनन के घर से जावल के घर तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण	146793.00
5	44751161	श्रीशपाल के घर से पुष्पेंद्र के घर तक और सुंदर के घर से भूपचंद के घर तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण	23823.00
6	44751044	काफील के घर से इमामुद्दीन के घर तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण कार्य	134462.00
7	44751105	मीर सिंह के घर से सोरन के घर तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण	99873.00
8	42325922	हरपाल के घर से डॉक्टर लाला के घर तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण	60460.00
9	42326157	तारा के घर से विनोद के घर तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण	62335.00
10	44751206	मतलूब के घर से हबीबके घर तक न्यू खड़जा और नाली निर्माण	63256.00
		योग	979987.00

प्रस्तर संख्या -2 > आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत अहमदानगर के द्वारा विभिन्न मार्गों पर इंटरलॉकिंग व नाली खड़जा निर्माण तथा टायलीकरण के कार्यों पर केवल जीएसटी वा टीडीएस के भुगतान पर कुल रुपए 1346009.00 का व्यय दर्शाया गया है, जो की सरकारी खजाने में जमा न कर जय शिव शंकर ठेकेदार के खाते में भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान ऐसा कोई भी अभिलेख या प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त ठेकेदार के अतिरिक्त अन्य किसी ठेकेदार की निविदा आमंत्रण की जांच व पुष्टि की जा सके। जबकि शासनादेश संख्या 5-2016/253/18.02.2016 (एस०पी०) 2010 दिनांक 01.04.2016 के अनुसार कोई भी निविदा आमंत्रित करने के पूर्व प्रशासनिक अनुमति, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, परंतु उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन की पुष्टि नहीं कराई गई। निविदा आमंत्रण से पूर्व उसका स्थानीय (लोकल) समाचार पत्रों में प्रकाशन कराए जाने का प्राविधान है परंतु इस संबंध में आलोच्य वर्ष में किसी भी समाचार पत्र को कोई भी भुगतान दर्शित नहीं किया गया है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि अपने पसंदीदा जय शिव शंकर ठेकेदार को कार्य आवंटित किया गया है तथा पी०एफ०एम०एस० द्वारा उक्त ठेकेदार के बैंक खाते में मात्र जीएसटी और टीडीएस का भुगतान कर उपरोक्त दर्शित कार्य कराया ही नहीं गया हो। उपरोक्त कार्य से संबंधित स्वीकृत प्राक्कलन, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाणों आदि लेखा परीक्षा में अवलोकन तथा पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में ग्राम पंचायत को कोई निविदा शुल्क प्राप्त होने की पुष्टि भी ई० ग्राम स्वराज से नहीं होती है और ना ही ठेकेदार से कोई जमानत राशि प्राप्त होने की पुष्टि होती है। अतः ठेके पर कराए गए विभिन्न कार्यों में नियमों का अनुपालन न कर फर्जी भुगतान दर्शाया गया है। ग्राम प्रधान मोहम्मद हामिद व ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा से कुल दर्शित व्यय रुपये 1346009.00 (रुपये तेरह लाख छियालीस हजार नौ मात्र) मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	42347374	मंगल के मकान से ब्रजराज के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	48112.00
2	42347685	हरिराज के मकान से हरवीर के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	27327.00

3	42327591	गुरु वचन के घर से करतार के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	23926.00
4	42329163	नानक चंद के घर से ओमकार के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	180324.00
5	42329342	विक्रम के घर से शीशपाल के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	98119.00
6	42328944	पूरन के घर से मोहम्मद के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	40772.00
7	42329525	विनोद ठेकेदार के घर से देवेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	125147.00
8	42346836	डॉ० सुंदर के मकान से धारा के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	174611.00
9	42347519	देवेंद्र के मकान से सुंदर के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	34149.00
10	42328691	राजू के घर से धन्नी के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	22630.00
11	42346726	राम मंदिर से मतलूब के घर तक न्यू खड़जा व नाली निर्माण	198983.00
12	42318611	प्राइमरी स्कूल के क्लास रूम में टाइलीकरण	177485.00
13	42320181	प्राइमरी स्कूल 2 में टाइलीकरण	194379.00
		योग	1346009.00

प्रस्तर 3—आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत अहमदानगर के द्वारा सीएससी सेंटर के निर्माण कार्य पर रुपए 492000.00का भुगतान दर्शाया गया है। यह कार्य ठेके पर कराया गया है। शासनादेश संख्या 5-2016/253/18.02.2016(एस0पी0) 2010 दिनांक 01.04.2016 के अनुसार कोई भी निविदा आमंत्रित करने के पूर्व प्रशासनिक अनुमति, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, परंतु उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन की पुष्टि नहीं कराई गई। निविदा आमंत्रण हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन करने का प्राविधान है इस संबंध में कोई भी समाचार पत्र को आलोच्य वर्ष में भुगतान करना नहीं दर्शाया गया है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि उक्त कार्य का ठेका अपने पसंदीदा ठेकेदार को आवंटित किया गया है अथवा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किसी अन्य खाते में भुगतान कर उपरोक्त कार्य कराया ही नहीं गया है उपरोक्त कार्यों से संबंधित स्वीकृत प्राक्कलन, अन्य प्रमाणकें व कार्य से पूर्व तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत के फोटोग्राफ, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। निविदा शुल्क प्राप्त होने की पुष्टि भी ई-ग्राम स्वराज से नहीं होती है और नहीं ठेकेदार से प्राप्त कोई जमानत राशि की पुष्टि भी नहीं होती है। उक्त कार्य ठेके पर कराये जाने में विभागीय अनुदेशों व अन्य मानकों का अनुपालन न कर फर्जीवाड़ा किया गया है। ग्राम प्रधान मोहम्मद हामिद व ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा से कुल दर्शित व्यय 492,000.00 (चार लाख बयानवे हजार मात्र) मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम सं०	कार्य आई0डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	49873824	सी0एस0सी0 सेंटर के निर्माण कार्य का अवशेष भुगतान	100000.00
2	44751287	सी0एस0सी0 सेंटर का निर्माण	392000.00
		योग	492000.00

प्रस्तर 4—आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत अहमदानगर के द्वारा पंचायत घर में रिपेयरिंग, फिनिशिंग और टायलीकरण के कार्य पर कुल रु० 244,848.00का व्यय दर्शित है। परंतु इनसे संबंधित विधिवत् पारित प्रस्ताव, एस्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्वीकृत बजट तथा सामग्री क्रय हेतु कोटेशन, व्यय प्रमाणकें, उपभोग प्रमाण पत्र, मजदूरी भुगतान प्राप्त स्वीकृति रसीद/ मास्टर रोल आदि प्रस्तुत न किए जाने से दर्शित कार्य के सापेक्ष दर्शित व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान मोहम्मद हामिद व ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा से कुल दर्शित व्यय रु० 244,848.00(दो लाख चवालीस हजार आठ सौ अड़तालीस मात्र) मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं०	कार्य आई0डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	49874006	पंचायत घर में रिपेयरिंग, फिनिशिंग और टायलीकरण का भुगतान	244,848.00
		योग	244,848.00

प्रस्तर 5 – ग्राम पंचायत अहमदानगर व स्कूल में वॉल पेंटिंग व नारा लेखन, मल्टीपल हैंडवॉश व समरसेबल का कार्य बिना स्वीकृत एस्टीमेट, बजट व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, एम0बी0, सामग्री क्रय हेतु कोटेशनस, उपभोग प्रमाण पत्र, मजदूरी भुगतान स्वीकृति प्राप्ति रसीद/ मास्टर रोल आदि प्रस्तुत न किए जाने से इन पर दर्शित व्ययों का व्ययहरण किया गया है। ऐसे में भुगतान की गई समस्त धनराशि रुपए 141,951.00 फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्राम प्रधान मोहम्मद हामिद व ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा से कुल दर्शित व्यय रुपए 141,951.00 (रुपये एक लाख इकतालीस हजार नौ सौ एक्यावन मात्र) की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न अनुसार है-

क्रम सं0	कार्य आई0डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	42322065	प्राइमरी स्कूल एक और दो में रंगाई और पुताई व स्वच्छता संबंधित नारा लेखन कार्य का भुगतान	72128.00
2	42319939	प्राइमरी स्कूल एक और दो में मल्टीपल हैंडवॉश का कार्य कराया	22581.00
3	42319644	प्राइमरी स्कूल दो में समरसेबल का कार्य कराया	47242.00
		योग	141951.00

प्रस्तर 6– आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत अहमदानगर के मैन प्लेसों पर स्ट्रीट लाइट क्रय व स्थापना पर कुल रुपया 180006.00 का व्यय दर्शित है। पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.06.2018 में दी गयी व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु पूर्व में संबंधित विद्युत वितरण निगम से वेद्य रुप में विद्युत संयोजन लेगी। साथ ही स्ट्रीट लाइट के वाट तथा उसके सापेक्ष क्रय हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुशंसा का पालन करेगी। परंतु उपरोक्त अंकित शासनादेश के अनुपालन की पुष्टि लेखा परीक्षा के दौरान नहीं कराई गई। साथ ही उक्त लाइट के क्रय से संबंधित व्यय प्रमाणक व मजदूरी भुगतान से संबंधित अन्य पत्रावलियाँ व अन्य कोई साक्ष्य/ प्रपत्र लेखा परीक्षा में जाच हेतु सुलभ न कराये जाने से दर्शित समस्त भुगतान की गई धनराशि रुपए 180006.00 (एक लाख अस्सी हजार छः मात्र) अपुष्ट रहा। दर्शित समस्त फर्जी भुगतान रुपए 180006.00 (रुपये एक लाख अस्सी हजार छः मात्र) की वसूली ग्राम प्रधान मोहम्मद हामिद व ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा से मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं0	कार्य आई0डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	44751328	ग्राम पंचायत में मैन प्लेसों पर स्ट्रीट लाइट का भुगतान	180006.00
		योग	180006.00

प्रस्तर 7– आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत अहमदानगर के द्वारा सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर भुगतान पर कुल रुपए 390000.00 का व्यय का भुगतान ठेके पर करना दर्शाया गया है। जबकि शासनादेश संख्या 5/2016/253/18.02.2016 (एस0पी0)2010 दिनांक 01.04.2016 के अनुसार किसी भी निविदा आमंत्रित करने के पूर्व प्रशासनिक अनुमति, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, परंतु उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन की पुष्टि नहीं कराई गई। निविदा आमंत्रण से पूर्व उसका स्थानीय (लोकल) समाचार पत्रों में प्रकाशन कराए जाने का प्राविधान है परंतु इस संबंध में आलोच्य वर्ष में किसी भी समाचार पत्र को कोई भी भुगतान दर्शित नहीं किया गया है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि अपने पसंदीदा श्री बालाजी इंटरप्राइजेज ठेकेदार को कार्य आवंटित किया गया है तथा पी0एफ0एम0एस0 द्वारा उक्त ठेकेदार को भुगतान कर उपरोक्त दर्शित कार्य कराया ही नहीं गया हो। उपरोक्त कार्यों से संबंधित स्वीकृत प्राक्कलन, कार्यपूति प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाणकें आदि लेखा परीक्षा में अवलोकन तथा पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में ग्राम पंचायत को कोई निविदा शुल्क प्राप्त होने की पुष्टि भी ई-ग्राम स्वराज से नहीं होती है और नहीं ठेकेदार से कोई जमानत राशि प्राप्त होने की पुष्टि होती है। अतः ठेके पर कराए गए विभिन्न कार्यों में नियमों का अनुपालन न कर फर्जी भुगतान दर्शाया गया है ग्राम प्रधान मौ0 हामिद व ग्राम विकास अधिकारी श्री

कुलदीप शर्मा से कुल दर्शित व्यय रुपए ₹ 390,000.00(रुपये तीन लाख नब्बे हजार मात्र) मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं0	कार्य आई0डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	44751365	सामुदायिक शौचालय का निर्माण	280000.00
2	42322699	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	110000.00
		योग	390000.00

प्रस्तर 8- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत अहमदानगर के द्वारा विभिन्न स्थानों पर वॉल पेंटिंग,सोकपिट तथा सफाई आदि कार्य पर कुल रुपया 68200.00का व्यय दर्शित किया गया है। परंतु बिना कुटेशन,एम0बी0,व्यय प्रमाणकें, मजदूरी भुगतान के मास्टररोल/ प्राप्ति रसीदें, कार्यपूर्ति व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पंजिका के फर्जी व्यय दर्शाकर रुपए 68200.00 (रुपये अड़सठ हजार दो सौ मात्र) का अपहरण किया गया है। जिसकी मय ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान मोहम्मद हामिद व ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा से जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	कार्य आई0डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	42322875	ग्राम पंचायत में वॉल पेंटिंग का कार्य कराना	9800.00
2	42323086	जल संरक्षण के अंतर्गत सोकपिटइत्यादि का कार्य कराना	13400.00
3	42321149	ग्राम पंचायत में सफाई का कार्य	6000.00
4	44751394	ग्राम पंचायत में प्रशासनिक मद में व्यय	39000.00
		योग	68200.00

प्रस्तर संख्या 9- ग्राम पंचायत केशोपुर सठला वि0ख0, बी0बी0नगर की आलोच्य वर्ष 2020-21 में ₹0 84870.00 हैण्ड पम्प मरम्मत व रिबोर पर व्यय दर्शाया गया है। पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर के सन्दर्भ में दी गई गाइडलाइन के अनुपालन की ना तो पुष्टि करायी गयी और ना ही हैण्डपम्प रिबोर व मरम्मत के कार्यस्थलों के संबंध में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोई सूचना उपलब्ध है। हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर से संबंधित ग्राम सदस्यों के कोई आवेदन स्वीकृत पत्र,विधिवत् पारित प्रस्ताव, सामग्री क्रय से संबंधित कोटेशनस्,व्यय प्रमाणकें/मजदूरी भुगतान प्राप्ति की स्वीकृति रसीदें आदि भी पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रही। अतः दर्शित समस्त व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्रीमती ममता रानी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से समस्त दर्शित व्यय ₹0 84870.00 (रुपये चैरासी हजार आठ सौ सत्तर मात्र) की मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रम सं0	कार्य आई0डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	41312681	हैण्ड पम्प मरम्मत	12000.00
2	45347523	हैण्ड पम्प रिबोर	72870.00
		योग	84870.00

प्रस्तर संख्या 10-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत केशोपुर सठला के विभिन्न मार्गों पर इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण तथा खडंजा मरम्मत पर कुल ₹0 433771.00 का व्यय दर्शाया गया है परन्तु इन कार्यों हेतु न तो विधिस्वरूप प्रस्ताव पारित कराये गये और न ही वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति प्राप्ति के संबंध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त स्वीकृत मानचित्र,माप पुस्तिका,स्वीकृत प्राक्कलन,प्रत्येक कार्य का कार्य होने से पहले व कार्यपूर्ण होने के उपरान्त के फोटोग्राफ्स,कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, व्यय प्रमाणकें/मास्टर रोल्स, व निर्धारित मानक के अनुरूप सामग्री क्रय हेतु कोटेशनस्/निविदायें आदि भी जांच व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे प्रमाणित होताहै कि ग्राम पंचायत में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण तथा खडंजा मरम्मत पर दर्शित व्यय फर्जी है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती ममता रानी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री

अजय मलिक से कुल दर्शित व्यय रु0 433,771.00 (चार लाख तैतीस हजार सात सौ इकहतर रुपये) की वसूली दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रम सं0	कार्य आई0डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	45387053	बड़ी मस्जिद से होशियार के घर तक इण्टर लाकिंग निर्माण	87309.00
2	41472957	जूनियर स्कूल में खड़जा मरम्मत	62395.00
3	4147093	जूनियर स्कूल में इण्टर लाकिंग	284067.00
		योग	433771.00

प्रस्तर संख्या 11-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत केशोपुर सठलाके पंचायत भवन निर्माण के कार्य पर कुल रु0 1420000.00का व्यय दर्शित है। परन्तु इनसे संबंधित विधिवत् पारित प्रस्ताव,एस्टीमेट,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्वीकृत बजट तथा सामग्री क्रय हेतु कोटेशनस्,व्यय प्रमाणकें,उपभोग प्रमाण-पत्र,मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीद/मस्टररोलआदि प्रस्तुत न किये जाने से दर्शित कार्य के सापेक्ष दर्शित व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्रीमती ममता रानी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल दर्शित व्यय रुपये 1420000.00 रुपये (चोदह लाख बीस हजार मात्र) मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं0	कार्य आई0डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	41476578	पंचायत घर का निर्माण का भुगतान	400000.00
2	45344384	पंचायत घर का निर्माण का भुगतान	1020000.00
		योग	1420000.00

प्रस्तर संख्या12- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत केशोपुर सठलामें प्राथमिक व जूनियर स्कूल तथा आंगनबाड़ी में वाल पेंटिंग पर रु0 305904.00 का व्यय दर्शित है। कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत न किये जाने से इस हेतु विधिवत् पारित प्रस्ताव की पुष्टि न हो सकी। साथ ही इससे संबंधित व्यय प्रमाणक,मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीद,कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि भी अनुपलब्ध रहे। जिससे दर्शित समस्त व्यय अपुष्ट रहा। ग्राम प्रधान श्रीमती ममता रानी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल दर्शित व्यय रु0 305904.00 (रुपये तीन लाख पांच हजार नौ सौ चार मात्र) मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रम सं0	कार्य आई0डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	45344400		58800.00
2	45347960		85208.00
		योग	305904.00

प्रस्तर संख्या 13- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत केशोपुर सठला में विभिन्न स्थानों पर चैनर,पुलिया,स्लेप निर्माण तथा कुलावे से संबंधित कार्यों पर रु0 39966.00का व्यय दर्शित है। इस हेतु न तो विधिवत् प्रस्ताव पारित किये जाने की पुष्टि करायी गयी और न ही कार्यस्थलों के नामों को कहीं अंकित किया गया है। पुष्टि हेतु न तो कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध है और न ही मजदूरी भुगतान से संबंधित प्राप्ति स्वीकृति रसीदें प्रस्तुत की गयी। अतः समस्त भुगतान फर्जी है। ग्राम प्रधान श्रीमती ममता रानी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से समस्त दर्शित भुगतान रु0 39966.00 (रुपया उनतालिस हजार नौ सौ छियासठ मात्र) मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रम सं0	कार्य आई0डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	41472575	चैनर,पुलिया,कुलाबे और स्लेप इत्यादि	39966.00
		योग	39966.00

प्रस्तर संख्या 14- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत केशोपुर सठला के जूनियर व प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी में रंगाई,पुताई,समर सेबिल तथा हैण्डवाश व मूत्रालय निर्माण के कार्यों में अंकन रुपये 297826.00 (रुपये दो लाख

सतानवें हजार आठ सौ छब्बीस मात्र) का व्यय दर्शाया गया है। कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत न किये जाने से विधिवत् पारित प्रस्ताव की जांच व पुष्टि न हो सकी तथा उक्त कार्यों से संबंधित व्यय प्रमाणक, कुटेशन, कार्य का स्वीकृति आदेश, मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीद, कार्यपूति प्रमाण-पत्र आदि भी अनुपलब्ध रहे। जिससे दर्शित समस्त व्यय अपुष्ट रहा। अतः व्यय की गई समस्त धनराशि का ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा मिलीभगत कर व्यपहरण किया गया है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती ममता रानी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल दर्शित व्यय ₹0 297826.00 (रुपये दो लाख सतानवें हजार आठ सौ छब्बीस मात्र) मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	कार्य आईडी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	41313665	प्राथमिक स्कूल में समर सेबल पम्प टैंक फिटिंग का कार्य	15000.00
2	41475259	सामू०शौ० में मूत्रालय/टंकी फिटिंग विकलांग शौ० का निर्माण	96615.00
3	41316151	जूनियर स्कूल में मल्टीपल हैण्डवाश का भुगतान	49357.00
4	41465404	स्कूल बाउन्ड्री और मल्टीपल हैण्डवाश का भुगतान	136854.00
		योग	297826.00

प्रस्तर संख्या 15 - आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत केशोपुर सठला के प्राइमरी स्कूल के लिए फर्नीचर क्रय पर ₹0 195,776.00 का व्यय दर्शित है। इस हेतु पारित प्रस्ताव, क्रय हेतु आदेश, कम से कम तीन कुटेशन, व्यय प्रमाणक, डैड स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही पंजिका आदि सुलभ न कराये जाने से दर्शित व्यय के अपहरण होने की पुष्टि होती है। जिसका ग्राम प्रधान श्रीमती ममता रानी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से समस्त दर्शित व्यय रुपये 195,776.00 (रुपया एक लाख पितानवें हजार सात सौ छिहत्तर मात्र) मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रम सं०	कार्य आईडी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	41313970	प्राइमरी स्कूल में फर्नीचर क्रय	195776.00
		योग	195776.00

प्रस्तर संख्या 16 - आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत केशोपुर सठला में सफाई कार्य पर रुपया 31630.00 (रुपया इक्तीस हजार छः सौ तीस मात्र) व्यय दर्शित है। बिना सफाई कार्य स्थलों के नामों का उल्लेख किये, विधिवत् पारित प्रस्ताव की पुष्टि कराये बिना तथा व्यय प्रमाणकों, भुगतान प्राप्ति स्वीकृत रसीदों आदि के बगैर फर्जी व्यय दर्शाकर व्यपहरण किये जाने की परिपुष्टि होती है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती ममता रानी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल रुपया 31630.00 (रुपये इक्तीस हजार छः सौ तीस मात्र) की वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रम सं०	कार्य आईडी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	45386976	ग्राम पंचायत में सफाई	31630.00
		योग	31630.00

प्रस्तर संख्या 17- ग्राम पंचायत सलावत नगर गंगावली, वि०ख०- बी०बी०नगर की आलोच्य वर्ष 2020-21 में ₹0 19992.00 हैण्ड पम्प मरम्मत व रिबोर पर व्यय दर्शाया गया है। पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर के सन्दर्भ में दी गई गाइडलाइन के अनुपालन की ना तो पुष्टि करायी गयी और ना ही हैण्डपम्प रिबोर व मरम्मत के कार्यस्थलों के संबंध में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोई सूचना उपलब्ध है। हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर से संबंधित ग्राम सदस्यों के कोई आवेदन स्वीकृति पत्र विधिवत् पारित प्रस्ताव, सामग्री क्रय से संबंधित कोटेशन, व्यय प्रमाणक/मजदूरी भुगतान प्राप्ति की स्वीकृति रसीदें आदि भी पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रही। अतः दर्शित समस्त व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्रीमती रुकैया व ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा से समस्त दर्शित व्यय ₹0 19992.00 (रुपये उन्नीस हजार नौ सौ बानवे मात्र) की मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रम सं०	कार्य आईडी	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	42101772	हैण्ड पम्प मरम्मत	8679.00
2	38407618	हैण्ड पम्प मरम्मत	11313.00
		योग	19992.00

प्रस्तर संख्या 18 -आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत सलावत नगर गंगावली में विभिन्न स्थानों पर सफाई कार्य में बिना स्वीकृत एस्टीमेट, बजट, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, सामग्री क्रय हेतु कोटेशनस, उपभोग प्रमाण पत्र, मजदूरी भुगतान प्राप्त स्वीकृति रसीद/मस्टररोल आदि प्रस्तुत ना किये जान से इन पर दर्शित कुल व्ययों का व्यपहरण किया गया है। ऐसे में भुगतान की गई समस्त धनराशि रु0 36500.00 फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती रूकैया व ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा से कुल दर्शित व्यय रुपये 36500.00 (छत्तीस हजार पांच सौ मात्र) की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं०	कार्य आईडी	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	44939856	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सफाई कार्य का भुगतान	15900.00
2	42099971	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सफाई कार्य का भुगतान	20600.00
		योग	36500.00

प्रस्तर संख्या 19 -आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत सलावत नगर गंगावलीके द्वारा सामूदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर भुगतान पर कुल रूपया 180000.00 का व्यय का भुगतान ठेके पर करना दर्शाया गया है। जबकि शासनादेश संख्या 5-2016/253/18.02.2016 (एस0पी0) 2010 दिनांक 01.04.2016 के अनुसार किसी भी निविदा आमंत्रित करने के पूर्व प्रशासनिक अनुमति, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। परन्तु उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन की पुष्टि नहीं करायी गई। निविदा आमंत्रण से पूर्व उसका स्थानीय (लोकल) समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जाने का प्राविधान है, परन्तु इस संबंध में आलोच्य वर्ष में किसी भी समाचार पत्र को कोई भी भुगतान दर्शित नहीं किया गया है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि अपने पसंदीदा श्री बाला जी एन्टरप्राइजेज ठेकेदार को कार्य आवंटित किया गया है तथा पी0एफ0एम0एस0 द्वारा उक्त ठेकेदार को भुगतान कर उपरोक्त दर्शित कार्य कराया ही नहीं गया हो। उपरोक्त कार्यों से संबंधित स्वीकृत प्राक्कलन, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र तथा अन्य प्रमाणकें आदि लेखा परीक्षा में अवलोकन तथा पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में ग्राम पंचायत को कोई निविदा शुल्क प्राप्त होने की पुष्टि भी ई0ग्राम स्वराज से नहीं होती है और न ही ठेकेदार से कोई जमानत राशि प्राप्त होने की पुष्टि होती है। अतः ठेके पर कराये गये विभिन्न कार्यों में नियमों का अनुपालन न कर फर्जी भुगतान दर्शाया गया है। ग्राम प्रधान श्रीमती रूकैया व ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा से कुल दर्शित व्यय रु0 180000.00 (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र) मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	कार्य आईडी	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	42103051	ग्राम पंचायत में सामूदायिक शौचालय का निर्माण	180000.00
		योग	180000.00

प्रस्तर संख्या 20- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत सलावत नगर गंगावली के विभिन्न मार्गों पर इण्टरलाकिंग व नाली तथा खडंजा निर्माण पर कुल रु0 427662.00 का व्यय दर्शाया गया है परन्तु इन कार्यों हेतु न तो विधिस्वरूपप्रस्ताव पारित कराये गये और न ही वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति प्राप्ति के संबंध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान सचिव श्री कुलदीप शर्मा द्वारा प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त स्वीकृत मानचित्र, माप पुस्तिका, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रत्येक कार्य का कार्य होने से पहले व कार्यपूर्ण होने के उपरान्त के फोटोग्राफस, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, व्यय प्रमाणकें/मस्टररोल्स व निर्धारित मानक के अनुरूप सामग्री क्रय हेतु कोटेशनस/ निविदायें आदि भी जांच व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत में इण्टर लाकिंग व नाली तथा खडंजा निर्माण पर दर्शित व्यय फर्जी है। अतः ग्राम प्रधान रूकैया व ग्राम विकास अधिकारी

श्री कुलदीप शर्मा से कुल दर्शित व्यय रु0 427662.00 (रु0 चार लाख सताईस हजार छः सौ बासठ मात्र) की वसूली दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रम सं0	कार्य आई0डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	44939805	जाहिद के घर से तालाब तक नाली निर्माण	133155.00
2	44939815	कामिल के घर से जूनियर हाईस्कूल तक नाली निर्माण	76404.00
3	44939829	जाहिद के घर से जब्बार के घर तक खडंजा निर्माण	77610.00
4	44939823	जूनियर के सामने खडंजा निर्माण	32000.00
5	42102652	पिका के मकान से माजिद के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण	108493.00
		योग	427662.00

प्रस्तर संख्या 21- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत सलावत नगर गंगावली के प्राईमरी स्कूल में सोकपिट के कार्य पर अंकन रु0 61665.00 (रुपये इकसठ हजार छः सौ पैसठ मात्र) का व्यय दर्शाया गया है, परन्तु इससे संबंधित पारित प्रस्ताव,कुटेशन,व्यय प्रमाणक, मजदूरी के मस्टरोल,कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा के दौरान जांच व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिससे सोकपिट के कार्य पर दर्शाया गया समस्त व्यय रु0 61665.00 (रुपये इकसठ हजार छः सौ पैसठ मात्र) का फर्जीवाड़ा करके व्यपहरण ग्राम प्रधान रुकैया तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा के द्वारा मिलीभगत कर किया गया है। अतः उक्त भुगतान की गई धनराशि रु0 61665.00 (रुपये इकसठ हजार छः सौ पैसठ मात्र) की ग्राम प्रधान रुकैया तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं0	कार्य आई0डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	42099408	प्राईमरी स्कूल में सोकपिट के कार्य का भुगतान	61665.00
		योग	61665.00

प्रस्तर संख्या 22-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत सलावत नगर गंगावली के प्राईमरी और जूनियर स्कूलों में रंगाई,पुताई व दीवार पर लेखन के कार्य पर अंकन रु0 107452.00 का भुगतान करना दर्शित है। कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत न किये जाने से इस हेतु विधिवत् पारित प्रस्ताव की पुष्टि न हो सकी। साथ ही इससे संबंधित व्यय प्रमाणकें,मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृत रसीद,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि भी अनुपलब्ध रहे। जिससे दर्शित समस्त व्यय अपुष्ट रहा। ग्राम प्रधान रुकैया व ग्राम विकास अधिकारी कुलदीप शर्मा से कुल दर्शित व्यय रु0 107452.00 (रुपया एक लाख सात हजार चार सौ बावन मात्र) मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रम सं0	कार्य आई0डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	42100101	प्राईमरी और जूनियर स्कूल में रंगाई पुताई का कार्य	56100.00
2	42100234	प्राईमरी और जूनियर स्कूल में दीवार लेखन और वॉल पेंटिंग	51352.00
		योग	107452.00

प्रस्तर संख्या 23- वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कुचेसर विकासखंड बीवी नगर के विभिन्न मार्गों पर इंटरलॉकिंग व नाली तथा खडंजा वनाली निर्माण पर कुल रुपए 1579909.00 का व्यय दर्शाया गया है, परंतु इन कार्यों हेतु विधिस्वरूप न तो प्रस्ताव पारित कराये गए और ना ही वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति प्राप्ति के संबंध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान सचिव श्री कुलदीप शर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त स्वीकृत मानचित्र, माप पुस्तिका, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रत्येक कार्य का कार्य होने से पहले व कार्य पूर्ण होने के उपरांत के फोटोग्राफ्स, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणकें/मस्टरोल्स व निर्धारित मानक के अनुरूप सामग्री क्रय हेतु कोटेशन्स/निविदायें आदि भी जांच व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग व नाली तथा खडंजा व नाली निर्माण पर दर्शित व्यय फर्जी है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती माया

देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल दर्शित व्यय रुपये 1579909.00 (रुपये पन्द्रह लाख उनासी हजार नौ सौ नौ मात्र) की वसूली दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	44926706	लद्यपुरा में मंदिर से राजेंद्र के घर तक खड़जा मरम्मत और नाली	243000.00
2	41399309	पवन के मकान से तारा के मकान तक खड़जा और नाली मरम्मत	191372.00
3	41397944	पोटा आम रास्ते से कव्वरजीततक खड़जा और नाली चन्दपुरा में	165552.00
4	41372636	रंजीतपुरा में सतवीर के घर से महेंद्र के घर तक इंटरलॉक और नाली	231379.00
5	41397202	लद्यपुरा में आम रास्ते से हरकेश के घर तक खड़जा और नाली	129872.00
6	41396654	कटक में आम रास्ते से सीताराम के मकान तक खड़जा और नाली	44029.00
7	41398665	सुनील के मकान से कूड़े के मकान तक खड़जा मरम्मत और नाली उग्रसेन में	195817.00
8	41398419	मंदिर से काली के मकान तक खड़जा मरम्मत उग्रसेन में	174896.00
9	41397498	जयभगवान के सामने चांदपुरा में नया खड़जा और नाली	90556.00
10	41371779	सुबोध के घर से विनीत के घर तक इंटरलॉक और नाली	113436.00
		योग	1579909.00

प्रस्तर संख्या 24 -आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत कुचेसर के पंचायत भवन निर्माण के कार्य पर कुल रुपये 2103000.00 काव्यय दर्शित है। यह कार्य ठेके पर कराया गया है। जबकि शासनादेश संख्या 5-2016/253/18.02.2016(एस०पी०) 2010 दिनांक 01.04.2016 के अनुसार किसी भी निविदा आमंत्रित करने से पूर्व प्रशासनिक अनुमति, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, परंतु उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन की पुष्टि नहीं करायी गई। निविदा आमंत्रण से पूर्व उसका स्थानीय (लोकल) समाचार पत्रों में प्रकाशन कराए जाने का प्राविधान है परंतु इस संबंध में आलोच्य वर्ष में किसी भी समाचार पत्र को कोई भी भुगतान दर्शित नहीं किया गया है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि या तो अपने पसंदीदा ठेकेदार को कार्य आवंटित किया गया है अथवा पी०एफ०एम०एस० द्वारा किसी अन्य के खाते में भुगतान कर उपरोक्त दर्शित कार्य कराया ही नहीं गया है। उपरोक्त कार्य से संबंधित स्वीकृत प्राक्कलन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाणों के आदि लेखा परीक्षा में अवलोकन तथा पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में ग्राम पंचायत को कोई निविदा शुल्क प्राप्त होने की पुष्टि भी ई-ग्राम स्वराज से नहीं होती है और ना ही ठेकेदार से कोई जमानत राशि प्राप्त होने की पुष्टि होती है। परंतु इनसे संबंधित विधिवत् पारित प्रस्ताव, एस्टीमेट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, स्वीकृत प्राक्कलन अन्य प्रमाणों के लेखा परीक्षा में अवलोकन व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः दर्शित कार्य के सापेक्ष दर्शित व्यय फर्जी है। ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल दर्शित व्यय रुपये 2103000.00 (रुपये इक्कीस लाख तीन हजार मात्र) मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	44926667	पंचायत भवन निर्माण कार्य	1273000.00
2	41328410	मूत्रालय बालक और बालिका (पंचा० घर के मेटेरियल और लेबर का भुगतान)	230000.00
3	37135803	प्रशासनिक मद(पंचा० घर में इंटरलॉकिंग और बाउंड्री निर्माण)	600000.00
		योग	2103000.00

प्रस्तर संख्या 25-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत कुचेसर में रुपए 184610.00के हैंडपंप मरम्मत व रिबोर पर व्यय दर्शाया गया है। पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर के संदर्भ में दी गई गाइडलाइन के अनुपालन की ना तो पुष्टि कराई गई और न ही हैंडपंप रिबोर व मरम्मत के कार्यस्थलों के संबंध में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोई सूचना उपलब्ध है। हैंडपंप मरम्मत व रिबोर से संबंधित ग्राम सदस्यों के कोई आवेदन स्वीकृति पत्र विधिवत् पारित प्रस्ताव,

सामग्री क्रय से संबंधित कोटेशनस, व्यय प्रमाणकें/भुगतान प्राप्त की स्वीकृति रसीदें आदि भी पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रही। अतः दर्शित समस्त व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से समस्त दर्शित व्यय रूप 184610.00 (रुपये एक लाख चौरासी हजार छः सौ दस मात्र)की मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	45385469	हैंडपंप रिबोर	129610.00
2	41328410	हैंडपंप मरम्मत व रिबोर	55000.00
		योग	184610.00

प्रस्तर संख्या 26- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत कुचेसर में साफ सफाई कार्य पर कुल 68900.00 व्यय दर्शित है। बिना सफाईस्थलों के नाम का उल्लेख किये, विधिवत् पारित प्रस्ताव की पुष्टि कराए बिना तथा व्यय प्रमाणको, भुगतान प्राप्त स्वीकृति रसीदों आदि के बगैर फर्जी व्यय दर्शाकर व्यपहरण किए जाने की परिपुष्टि होती है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती मायादेवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल धनराशि रूप 68900.00 (रुपये अड़सठ हजार नौ सौ मात्र)की वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	45377186	ग्राम पंचायत में साफ सफाई कार्य	45000.00
2	41327382	सफाई कार्य सम्बन्धित अतिरिक्त कर्मचारी	23900.00
		योग	68900.00

प्रस्तर संख्या 27- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत कुचेसर के द्वारा शौचालय निर्माण कार्य के भुगतान पर कुल रुपये 857358.00 का व्यय का भुगतान ठेके पर करना दर्शाया गया है। जबकि शासनादेश संख्या 5-2016/253/18.02.2016 (एस०पी०) 2010 दिनांक 01.04.2016 के अनुसार किसी भी निविदा आमंत्रित करने से पूर्व प्रशासनिक अनुमति, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, परंतु उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन की पुष्टि नहीं करायी गई। निविदा आमंत्रण से पूर्व उसका स्थानीय (लोकल) समाचार पत्रों में प्रकाशन कराए जाने का प्राविधान है परंतु इस संबंध में आलोच्य वर्ष में किसी भी समाचार पत्र को कोई भी भुगतान दर्शित नहीं किया गया है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि या तो अपने पसंदीदा ठेकेदार को कार्य आवंटित किया गया है अथवा पी०एफ०एम०एस० द्वारा किसी अन्य के खाते में भुगतान कर उपरोक्त दर्शित कार्य कराया ही नहीं गया है। उपरोक्त कार्य से संबंधित स्वीकृत प्राक्कलन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाणकें आदि लेखा परीक्षा में अवलोकन तथा पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में ग्राम पंचायत को कोई निविदा शुल्क प्राप्त होने की पुष्टि भी ई-ग्राम स्वराज से नहीं होती है और ना ही ठेकेदार से कोई जमानत राशि प्राप्त होने की पुष्टि होती है। अतः ठेके पर कराए गए कार्य में नियमों का अनुपालन न कर फर्जी भुगतान करना दर्शाया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी दोनों जिम्मेदार हैं। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुलदर्शित हुए रुपये 8,57,358.00 (रुपये आठ लाख सत्तावन हजार तीन सौ अठ्ठावन मात्र)की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	41328547	शौचालय में टंकी फिटिंग समरसेबल का कार्य	119358.00
2	41328261	कुचेसर में शौचालय निर्माण बालक और बालिका	738000.00
		योग	857358.00

प्रस्तर संख्या 28- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत कुचेसर के सभी प्राथमिक और जूनियर स्कूल में बालक और बालिका हेतु पानी की सुविधा मल्टीपल हैंडवॉश टाइल्स के कार्यों में अंकन रूप 174493.00 का व्यय दर्शाया गया है। कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत न किये जाने से विधिवत् पारित प्रस्ताव की जांच व पुष्टि न हो सकी तथा

उक्त कार्यों से संबंधित व्यय प्रमाणक, कोटेशनस, कार्य का स्वीकृति आदेश, मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीद, कार्यपूति प्रमाण पत्र, आदि भी अनुपलब्ध रहे। जिससे दर्शित समस्त व्यय अपुष्ट रहा। अतः व्यय की गई समस्त धनराशि का ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा मिलीभगत कर व्यपहरण किया गया है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल दर्शित व्यय रुपये 174493.00 (रुपये एक लाख चैहत्तर हजार चार सौ तिरानवे मात्र) की वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	41350222	सभी प्राथमिक और जूनियर स्कूल में बालक और बालिका हेतु पानी की सुविधा मल्टीपल हैंडवॉश टाइल्स	174493.00
		योग	174493.00

प्रस्तर संख्या 29-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत कुचेसर के प्राइमरी स्कूलों के लिए फर्नीचर क्रय पर रुपये 194040.00 का व्यय दर्शित है। इस हेतु पारित प्रस्ताव क्रय हेतु आदेश, कम से कम तीन कोटेशनस, व्यय प्रमाणक, डैड स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही पंजिका आदि सुलभ न कराए जाने से दर्शित व्यय के अपहरण होने की पुष्टि होती है। जिसका ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से समस्त दर्शित व्यय रुपये 194040.00 मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	41329309	प्राइमरी स्कूल कुचेसर कटक रंजीतपुर चाँदपुर, उग्रसेन, लाडपुरा के लिए फर्नीचर	194040.00
		योग	194040.00

प्रस्तर संख्या 30-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत कुचेसर में कुलावे से संबंधित रुपये 30000.00 का व्यय दर्शित है। परंतु यह कुलावे क्रय से संबंधित है अथवा कुलवा लगाई से, इस संबंधित कोई जानकारी प्राप्त न हो सकी क्योंकि इस हेतु न तो विधिवत् प्रस्ताव पारित किए जाने की पुष्टि कराई गई और न ही कार्यस्थलों के नाम को कहीं अंकित किया गया है। पुष्टि हेतु न तो कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध है और न ही मजदूरी भुगतान से संबंधित भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीदें प्रस्तुत की गईं। अतः भुगतान फर्जी है। ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से समस्त दर्शित भुगतान रुपये 30000.00 (रुपये तीस हजार मात्र) मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	41400243	ग्राम पंचायत में कुलावे आदि	30000.00
		योग	30000.00

प्रस्तर संख्या 31- ग्राम पंचायत पोटा कबूलपुर विकास खंड बीवी नगर में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत में सफाई कार्य पर रुपए 82570.00 (रु० बयासी हजार पांच सौ सत्तर) व्यय दर्शित है। बिना सफाई कार्य स्थलों के नामों का उल्लेख किये विधिवत् पारित प्रस्ताव की पुष्टि कराये बिना तथा व्यय प्रमाणकों, भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीदों आदि के बगैर फर्जी व्यय दर्शाकर व्यपहरण किए जाने की परिपुष्टि होती है। अतः ग्राम प्रधान श्री सतीश तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल रुपए 82570.00 (रु० बयासी हजार पांच सौ सत्तर) की वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	45511317	ग्राम पंचायत में सफाई	35000.00
2	41587838	ग्राम पंचायत में सफाई	47570.00
		योग	82570.00

प्रस्तर संख्या32- आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत पोटा कबूलपुर में बल्ब लाइट तथा मरम्मत पर कुल रुपया 40500.00 का व्यय दर्शित है। पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.06.2018 में दी गई व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत के स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु पूर्व में संबंधित विद्युत वितरण निगम से वेद्य रूप में विद्युत संयोजन लेगी। परंतु उपरोक्त अंकित शासनादेश के अनुपालन की पुष्टि लेखा परीक्षा के दौरान नहीं कराई गई। साथ ही उक्त लाइट के क्रय से संबंधित व्यय प्रमाणक व मरम्मत की मजदूरी भुगतान से संबंधित अन्य पत्रावलियां व अन्य कोई साक्ष्य/ प्रपत्र लेखा परीक्षा में जांच हेतु सुलभ न कराये जाने से दर्शित समस्त भुगतान की गई धनराशि रुपये 40500.00 अपुष्ट रहा। दर्शित समस्त फर्जी भुगतान रुपया 40500.00 (रुपये चालीस हजार पाँच सौ मात्र) की वसूली ग्राम प्रधान सतीश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से की जानी अपेक्षित है विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं०	कार्य आईडी	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	45192409	ग्राम पंचायत में बल्ब लाइट मरम्मत पर व्यय	40500.00
		योग	40500.00

प्रस्तर संख्या33- आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत पोटा कबूलपुर में जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत सोकपिट तथा वृक्षारोपण के कार्यों पर रुपए 20329.00 व्यय दर्शित है, परंतु वृक्ष (पौध) क्रय प्रमाणक, ढुलाई भाड़ा, पौध लगाई मजदूरी व स्थल का विवरण तथा सोकपिट के कार्य से संबंधित अभिलेख/ प्रपत्र आदि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत न किए जाने से समस्त दर्शित व्यय फर्जी दर्शाये जाने की पुष्टि होती है। अतः ग्राम प्रधान श्री सतीश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से समस्त दर्शित व्ययरुपये 20329.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नलिखित है -

क्रम सं०	कार्य आईडी	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	41590209	जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत सोकपिट, वृक्षारोपण आदि	20329.00
		योग	20329.00

प्रस्तर संख्या34- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पोटा कबूलपुर में खडंजा, नाली, यू टाइप नाली व अंडरग्राउंड नाली निर्माण व खडंजा मरम्मत पर कुल रुपए 450669.00 व्यय दर्शित है। परंतु लेखा परीक्षा में कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत मानचित्र, माप-पुस्तिका, एस्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय हेतु आवश्यकतानुसार तीन प्रतियों में कोटेशन/सील्ड कवर में निविदा तथा व्यय प्रमाणक, मास्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं की गई। साथ ही संबंधित कार्य हेतु न तो विधिवत् पारित प्रस्ताव और ना ही वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किए जाने की पुष्टि कराई गई। कार्य वास्तव में किए जाने की पुष्टि में कार्यस्थल का कार्यपूर्व व कार्यपरान्त फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः दर्शित कार्य पूर्णतया फर्जी प्रतीत होता है। ग्राम प्रधान श्री सतीश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल दर्शित व्यय रुपए 450669.00 (चार लाख पचास हजार छः सौ उनहत्तर मात्र) की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है-

क्रम सं०	कार्य आईडी	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	41591374	कलुआ के घर से विनोद के घर तक खडंजा और नाली निर्माण	76681.00
2	41586793	राजेंद्र शर्मा की समाधि से तालाब तक अंडरग्राउंड नाली निर्माण	121000.00
3	45192067	गोपाल के घर से संजय शर्मा के की ओर खडंजा और नाली निर्माण	92472.00
4	45192292	राजेंद्र शर्मा की समाधि से कंकरवाली जोड़ तक यू टाइप नाली निर्माण	15000.00
5	45192002	गीता के घर से मास्टर चंद्रभान के मकान तक खडंजा मरम्मत	54827.00
6	41591457	मुकेश के घर से राजकुमार के घर तक खडंजा मरम्मत	90689.00
		योग	450669.00

प्रस्तर संख्या35- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पोटा कबूलपुर में रुपये 68934.00 हैंडपम्प मरम्मत व रिबोर पर व्यय दर्शाया गया है। पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडियामार्क हैंडपंप रिबोर के संदर्भ में दी गई गाइडलाइन के अनुपालन की न तो पुष्टि कराई गई

और न ही हैंडपंप रिबोर व मरम्मत के कार्य स्थलों के संबंध में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोई सूचना उपलब्ध है। हैंडपंप मरम्मत व रिबोर से संबंधित ग्राम सदस्यों के कोई आवेदन स्वीकृति पत्र, विधिवत् पारित प्रस्ताव, सामग्री क्रय से सम्बंधित कोटेशनस, व्यय प्रमाणकें/मजदूरी भुगतान प्राप्ति की स्वीकृति रसीदें आदि भी पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रही। अतः दर्शित समस्त व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्री सतीश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से समस्त दर्शित व्यय रुपये 68934.00 (रुपये अड़सठ हजार नौ सौ चौंतीस मात्र)की मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है-

क्रम सं०	कार्य आईडी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	41590287	हैंडपंप मरम्मत	32450.00
2	41590365	हैंडपंप रिबोर	36484.00
		योग	68934.00

प्रस्तर संख्या36-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पोटा कबूलपुरके प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम के लिए फर्नीचर क्रय पर रुपये 146637.00 काव्यय दर्शित है। इस हेतु पारित प्रस्ताव, क्रय हेतु आदेश कम से कम तीन कोटेशनस, व्यय प्रमाणकें, डैड स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही पंजीका आदि सुलभ न कराए जाने से दर्शितव्यय के अपहरण होने की पुष्टि होती है। जिसका ग्राम प्रधान श्री सतीश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से समस्त दर्शित व्यय रुपये 146637.00 (रुपये एक लाख छियालीस हजार छः सौ सैंतीस मात्र)मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है-

क्रम सं०	कार्य आईडी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय(रुपयों में)
1	41587273	प्राइमरी स्कूल के क्लास रूम में फर्नीचर	97,137.00
2	41591275	प्राइमरी स्कूल के लिए बेंच क्रय का भुगतान	49,500.00
		योग	146,637.00

प्रस्तर संख्या37-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पोटा कबूलपुर के प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम में टाइल्स लगाई पर कुल रुपये 97020.00का व्यय दर्शितहै, परंतु इनसे संबंधित विधिवत् पारित प्रस्ताव, एस्टीमेट, कार्यपूति प्रमाण पत्रों, स्वीकृत बजट, सामग्री हेतु कोटेशन, व्यय प्रमाणकें, उपभोग प्रमाण-पत्र, मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीद/ मस्टररोल आदि प्रस्तुत न किए जाने से दर्शित कार्यों के सापेक्ष दर्शित व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्री सतीश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल व्यय की गयी धनराशि रुपये 97020.00 (रुपये सतानवे हजार बीस मात्र) की मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

क्रम सं०	कार्य आईडी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	41587433	प्राथमिक स्कूल के क्लास रूम में टायलीकरण	97020.00
		योग	97020.00

प्रस्तर संख्या38-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पोटा कबूलपुरमें रंगाई पुताई के कार्य पर अंकन रुपए 58652 का भुगतान करना दर्शित है कार्यवाही पंजीका प्रस्तुत न किए जाने से इस हेतु विधिवत प्रस्ताव की पुष्टि न हो सकी। साथ ही इससे संबंधित व्यय प्रमाणके, मजदूरी भुगतान प्रति स्वीकृति रसीद कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि भी अनुपलब्ध रही जिससे दर्शित समस्त व्यय अपुष्ट रहा। ग्राम प्रधान सतीश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल दर्शित व्यय रुपये 58652.00 (रुपये अट्ठावन हजार छः सौ बावन मात्र)मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है विवरण निम्नांकित है-

क्रम सं०	कार्य आईडी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	41592024	ग्राम पंचायत में रंगाई और पुताई कार्य	58652.00
		योग	58652.00

प्रस्तर संख्या39- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पोटा कबूलपुरके द्वारा सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर भुगतान पर कुल रुपए 510000.00काव्यय का भुगतान ठेके पर करना दर्शाया गया है। जबकि शासनादेश संख्या 5-2016/253/18.02.2016 (एस0पी0), 2010 दिनांक 01.04.2016 के अनुसार किसी भी निविदा आमंत्रित करने से पूर्व प्रशासनिक अनुमति, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, परंतु उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन की पुष्टि नहीं कराई गई। निविदा आमंत्रण से पूर्व उसका स्थानीय (लोकल) समाचार पत्र में प्रकाशन कराए जाने का प्राविधान है, परंतु इस संबंध में आलोच्य वर्ष में किसी भी समाचार पत्र को कोई भी भुगतानदर्शित नहीं किया गया है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि या तो अपने पसंदीदा ठेकेदार को कार्य आवंटित किया गया है अथवा पी0एफ0एम0एस0 द्वारा किसी अन्य के खाते में भुगतान कर उपरोक्त दर्शित कार्य कराया ही नहीं गया है। उपरोक्त कार्यों से संबंधित स्वीकृत प्राक्कलन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाणकें आदि लेखा परीक्षा में अवलोकन तथा पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में ग्राम पंचायत को कोई निविदा शुल्क प्राप्त होने की पुष्टि भी ई-ग्राम स्वराज से नहीं होती है और ना ही ठेकेदार से कोई जमानत राशि प्राप्त होने की पुष्टि होती है। यहां यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक द्वारा उक्त कार्य जिस कार्य आईडी 41587015 पर कराया गया दर्शित किया जा रहा है वह कार्य की आई0डी0 प्राइमरी स्कूल के शौचालय में टायलीकरण के लिए जनरेट करी गई थी, जिससे उक्त कार्य के लिए इस्तेमाल न कर सामुदायिक शौचालय में फर्जी भुगतान हेतु इस्तेमाल किया गया। जिसमें ग्राम प्रधान श्री सतीश की स्पष्ट रूप से मिलीभगत है। अतः ठेके पर कराए गए कार्य में नियमों का अनुपालन न कर फर्जी भुगतान दर्शाया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी दोनों जिम्मेदार हैं। अतः ग्राम प्रधान श्री सतीश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल दर्शित व्यय रुपए 5,10,000.00(रुपये पाँच लाख दस हजार मात्र)की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं0	कार्य आई0डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	41587015	सामुदायिक शौचालय का भुगतान	510000.00
		योग	510000.00

प्रस्तर संख्या 40-वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत हिंगवाड़ा, विकासखंड बीवी नगर के पंचायत भवन निर्माण के कार्य पर कुल रुपये 1020000.00 का भुगतान दर्शाया गया है। यह कार्य ठेके पर कराया गया है। शासनादेश संख्या 5-2016/253/18.02.2016(एस0पी0)2010 दिनांक 01.04.2016 के अनुसार किसी भी निविदा आमंत्रित करने से पूर्व प्रशासनिक अनुमति, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, परंतु उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन की पुष्टि नहीं करायी गई। निविदा आमंत्रण से पूर्व उसका स्थानीय (लोकल) समाचार पत्रों में प्रकाशन कराए जाने का प्राविधान है। परंतु इस संबंध में आलोच्य वर्ष में किसी भी समाचार पत्र को कोई भी भुगतानकरना नहीं दर्शाया गया है,इससे इस बात की पुष्टि होती है कि उक्त कार्य का ठेका अपने पसंदीदा ठेकेदार को आवंटित किया गया है अथवा पी0एफ0एम0एस0के माध्यम से किसी अन्य के खाते में भुगतान कर उपरोक्त कार्य कराया ही नहीं गया है। उपरोक्त कार्य से संबंधित स्वीकृत प्राक्कलन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रप्रत्येक कार्य का कार्य होने से पहले व कार्य पूर्ण होने के उपरान्त के फोटोग्राफ्स तथा अन्य प्रमाणकें आदि लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में ग्राम पंचायत को कोई निविदा शुल्क प्राप्त होने की पुष्टि भी ई-ग्राम स्वराज से नहीं होती है और ना ही ठेकेदार से कोई जमानत राशि प्राप्त होने की पुष्टि भी नहीं होती है। उक्त कार्य ठेके पर कराये जाने में विभागीय अनुदेशों व अन्य मानकों का अनुपालन न कर फर्जीवाड़ा किया गया है। ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल दर्शित व्यय रु010,20,000.00 (रुपये दस लाख बीस हजार मात्र) की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं0	कार्य आई0डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	45344290	पंचायत घर का निर्माण का भुगतान	1020000.00
		योग	1020000.00

प्रस्तर संख्या 41-वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत हिंगवाड़ा के विभिन्न मार्गों पर इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण पर कुल रुपये 841187.00 का व्यय दर्शाया गया है, परंतु इन कार्यों हेतु विधिस्वरूप न तो प्रस्ताव पारित कराये गए और ना ही वित्तीय तकनीकी स्वीकृति प्राप्ति के संबंध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान सचिव श्री अजय मलिक द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त स्वीकृत मानचित्र, माप पुस्तिका, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रत्येक कार्य का कार्य होने से पहले व कार्य पूर्ण होने के उपरांत के फोटोग्राफ्स, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणकें/मस्टररोल्स व निर्धारित मानक के अनुरूप सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/निविदायें आदि भी जांच व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण पर दर्शित व्यय फर्जी है। अतः ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र वग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल दर्शित व्यय रुपये 8,41,187.00 (रुपये आठ लाख इक्तालीस हजार एक सौ सतासी मात्र) की वसूली दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	41178418	मेन मार्ग से लिखन तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण	271237.00
2	45511896	सामूदायिक शौचालय के सामने इंटरलॉकिंगका निर्माण	203910.00
3	41179844	सुर्ति के मकान से महिपाल के मकान तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण	155899.00
4	41163956	कब्रिस्तान से राजेन्द्र के मकान तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण	118748.00
5	41177927	मेन मार्ग से राजेन्द्र(एस सी) के घर तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण	46380.00
6	41158249	चौपाल से राजेन्द्र के मकान तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण	45013.00
		योग	841187.00

प्रस्तर संख्या 42-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत हिंगवाड़ा में रुपये 1,11,282.00 हैंडपंप रिबोर पर व्यय दर्शाया गया है। पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर के संदर्भ में दी गई गाइडलाइन के अनुपालन की ना तो पुष्टि कराई गई और न ही हैंडपंप रिबोर व मरम्मत के कार्यस्थलों के संबंध में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोई सूचना उपलब्ध है। हैंडपंप मरम्मत व रिबोर से संबंधित ग्राम सदस्यों के कोई आवेदन स्वीकृति पत्र, विधिवत् पारित प्रस्ताव, सामग्री क्रय से संबंधित कोटेशन, व्यय प्रमाणकें, मजदूरी भुगतान प्राप्ति की स्वीकृति रसीदें आदि भी पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रही। अतः दर्शित समस्त व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से समस्त दर्शित व्यय रुपये 1,11,282.00 (रुपये एक लाख ग्यारह हजार दो सौ बयासी मात्र) की मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	41166965	हैंडपंप रिबोर	111282.00
		योग	111282.00

प्रस्तर संख्या 43-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत हिंगवाड़ा में सामूदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर भुगतान पर कुल रुपये 309772.00 का व्यय का भुगतान ठेके पर करना दर्शाया गया है। जबकि शासनादेश संख्या 5-2016/253/18.02.2016(एस०पी०) 2010 दिनांक 01.04.2016 के अनुसार किसी भी निविदा आमंत्रित करने से पूर्व प्रशासनिक अनुमति, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, परंतु उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन की पुष्टि नहीं करायी गई। निविदा आमंत्रण से पूर्व उसका स्थानीय (लोकल) समाचार पत्रों में प्रकाशन कराए जाने का प्राविधान है परंतु इस संबंध में आलोच्य वर्ष में किसी भी समाचार पत्र को कोई भी भुगतान दर्शित नहीं किया गया है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि या तो अपने पसंदीदा ठेकेदार को कार्य आवंटित किया गया है अथवा पी०एफ०एम०एस० द्वारा किसी अन्य के खाते में भुगतान कर उपरोक्त दर्शित कार्य कराया ही नहीं गया है। उपरोक्त कार्य से संबंधित स्वीकृत प्राक्कलन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाणकें आदि लेखा परीक्षा में अवलोकन तथा पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस

संबंध में ग्राम पंचायत को कोई निविदा शुल्क प्राप्त होने की पुष्टि भी ई-ग्राम स्वराज से नहीं होती है और ना ही ठेकेदार से कोई जमानत राशि प्राप्त होने की पुष्टि होती है। अतः ठेके पर कराए गए विभिन्न कार्यों में नियमों का अनुपालन न कर फर्जी भुगतान दर्शाया गया है। ग्राम प्रधानश्री सुरेन्द्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुलदर्शित व्यय रुपये 309772.00 (रुपये तीन लाख नौ हजार सात सौ बहतर मात्र)की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	41155733	ग्राम पंचायत में सामूदायिक शौचालय का निर्माण	309772.00
		योग	309772.00

प्रस्तर संख्या 44-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत हिंगवाड़ा में प्राथमिक व जूनियर स्कूल तथा आंगनवाड़ी में रंगाई,पुताई व जूनियर स्कूल में पेंटिंग के कार्य पर अंकन रु० 208436.00 का व्यय दर्शित है। कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत न किये जाने से इस हेतु विधिवत् पारित प्रस्ताव की पुष्टि न हो सकी। साथ ही इससे संबंधित व्यय प्रमाणक,मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीद, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि भी अनुपलब्ध रहे। जिससे दर्शित समस्त व्यय अपुष्ट रहा। ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र व ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल दर्शित व्यय रु०208436.00 (रुपयेदो लाख आठ हजार चार सौ छत्तीस मात्र) मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपये में)
1	41154043	प्राथमिक स्कूलऔर आंगनवाड़ी में रंगाई पुताई का कार्य	95721.00
2	41154302	जूनियर स्कूल में पेंटिंग का भुगतान	112715.00
		योग	208436.00

प्रस्तर संख्या 45-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत हिंगवाड़ा में आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों पर तथा प्राथमिक स्कूल में रिपेयर (मरम्मत) से संबंधित कार्यों पर रुपये224813.00 काव्यय दर्शित है। इस हेतु न तो विधिवत् प्रस्ताव पारित किए जाने की पुष्टि कराई गई और न ही कार्य स्थलों के नामों को कहीं अंकित किया गया है। पुष्टि हेतु ना तो कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध है और ना ही मजदूरी भुगतान से संबंधित भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीदें प्रस्तुत की गईं। अतः समस्त भुगतान फर्जी है। ग्राम प्रधान श्री सुरेंद्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से समस्त दर्शित भुगतान रुपये2,24,813.00 (रुपयेदो लाख चौबीस हजार आठ सौ तेरह मात्र)मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	45344303	ग्राम पंचायत में आवश्यकतानुसार कार्य	129250.00
2	41167300	प्राथमिक स्कूल रिपेयर (मरम्मत) कार्य	95563.00
		योग	224813.00

प्रस्तर संख्या 46-वर्ष 2020-21में ग्राम पंचायत चित्सोना अलीपुर, विकासखंड बीवी नगर के पंचायत भवन निर्माण कार्य पर कुल रु० 131595.00का व्यय दर्शित है। परन्तु इनसे संबंधित विधिवत् पारित प्रस्ताव,एस्टीमेट,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्वीकृत बजट तथा सामग्री क्रय हेतु कोटेशनस्,व्यय प्रमाणकें,उपभोग प्रमाण-पत्र,मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीद/मस्टररोलआदि प्रस्तुत न किये जाने से दर्शित कार्य के सापेक्ष दर्शित व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्री भीमसेन व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल दर्शित व्यय रुपये 1,31,595.00(रु० एक लाख इक्तीस हजार पाँच सौ पिचानवे मात्र) मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	45512127	पंचायत घर का निर्माण का भुगतान	131595.00
		योग	131595.00

प्रस्तर संख्या 47-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत चित्सोना अलीपुरके विभिन्न मार्गों पर इण्टरलाकिंग व नाली तथा खड्जानिर्माण पर कुल ₹0 15,79,559.00 का व्यय दर्शाया गया है, परन्तु इन कार्यों हेतु न तो विधिस्वरूप प्रस्ताव पारित कराये गये और न ही वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति प्राप्ति के संबंध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त स्वीकृत मानचित्र, माप पुस्तिका, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रत्येक कार्य का कार्य होने से पहले व कार्यपूर्ण होने के उपरान्त के फोटोग्राफ्स, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, व्यय प्रमाणकें/मस्टररोल्स व निर्धारित मानक के अनुरूप सामग्री क्रय हेतु कोटेशनस्/निविदायें आदि भी जांच व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत में इण्टरलाकिंग व नाली तथा खड्जा निर्माण पर दर्शित व्यय फर्जी है। अतः ग्राम प्रधान श्री भीमसेन व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल दर्शित व्यय ₹0 15,79,559.00 (₹0 पन्द्रह लाख उनासी हजार पाँच सौ उनसठ मात्र) की वसूली दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय(रुपए में)
1	44811865	भोली के घर से रोहताश के घर तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	144684.00
2	44811838	जगवीर के घर से बरमो के घर तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	31673.00
3	41445677	महेश के घर से धारा के घर तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	263605.00
4	41444172	सतवीर के घर से धर्मवीर के घर तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	374218.00
5	41445549	कालीचरन के घर से लक्ष्मी के घर तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	90071.00
6	44811774	जगवीर के घर से बन्टी के घर तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	455308.00
7	41443965	राजवीर के घर से अम्बेडकर पार्क तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	220000.00
		योग	1579559.00

प्रस्तर संख्या 48-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत चित्सोना अलीपुर में रुपये 79,912.00 हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है। पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/ 2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर के संदर्भ में दी गई गाइडलाइन के अनुपालन की ना तो पुष्टि कराई गई और न ही हैंडपंप रिबोर व मरम्मत के कार्यस्थलों के संबंध में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोई सूचना उपलब्ध है। हैंडपंप मरम्मत व रिबोर से संबंधित ग्राम सदस्यों के कोई आवेदन स्वीकृति पत्र, विधिवत् पारित प्रस्ताव, सामग्री क्रय से संबंधित कोटेशनस्, व्यय प्रमाणकें, मजदूरी भुगतान प्राप्ति की स्वीकृति रसीदें, आदि भी पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रही। अतः दर्शित समस्त व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्री भीमसेन व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से समस्त दर्शित व्यय रुपये 79,912.00 (₹0 उनासी हजार नौ सौ बारह मात्र) की मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	41443760	हैंडपंप मरम्मत	79912.00
		योग	79912.00

प्रस्तर संख्या 49-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत चित्सोना अलीपुर के स्याना मार्ग पर सामूदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर भुगतान पर कुल रुपये 300,000.00 का व्यय का भुगतान ठेके पर करना दर्शाया गया है। जबकि शासनादेश संख्या 5-2016/253/18.02.2016(एस०पी०) 2010 दिनांक 01.04.2016 के अनुसार किसी भी निविदा आमंत्रित करने के पूर्व प्रशासनिक अनुमति, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, परन्तु उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन की पुष्टि नहीं करायी गई। निविदा आमंत्रण से पूर्व उसका स्थानीय (लोकल) समाचार पत्रों में प्रकाशन कराए जाने का प्राविधान है परन्तु इस संबंध में आलोच्य वर्ष में किसी भी समाचार पत्र को कोई भी भुगतान दर्शित नहीं किया गया है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि या तो अपने पसंदीदा ठेकेदार को कार्य आवंटित किया गया है अथवा पी०एफ०एम०एस० द्वारा किसी अन्य के खाते में भुगतान कर उपरोक्त दर्शित कार्य कराया ही नहीं गया है। उपरोक्त कार्य से संबंधित स्वीकृत प्राक्कलन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाणकें आदि लेखा परीक्षा में अवलोकन तथा पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां यह

भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में ग्राम पंचायत को कोई निविदा शुल्क प्राप्त होने की पुष्टि भी ई-ग्राम स्वराज से नहीं होती है और ना ही ठेकेदार से कोई जमानत राशि प्राप्त होने की पुष्टि होती है। अतः ठेके पर कराए गए विभिन्न कार्यों में नियमों का अनुपालन न कर फर्जी भुगतान दर्शाया गया है। ग्राम प्रधान श्री भीमसेन व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल दर्शित व्यय रुपये 300,000.00 (रुपये तीन लाख मात्र) की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपयों में)
1	41434051	ग्राम पंचायत के स्याना मार्ग पर सामूदायिक शौचालय का निर्माण	300000.00
		योग	300000.00

प्रस्तर संख्या 50-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत चित्सोना अलीपुरके मेन स्थानों पर कुलावे, चैनर औरस्लेब निर्माण कार्यपर रु० 44366.00 उपरोक्त कार्योंके लिये बिना कार्यस्थलों के नामों का उल्लेख किये विधिवत् पारित प्रस्ताव की पुष्टि कराये बिना तथा व्यय प्रमाणकें, कोटेशनस्, मजदूरी भुगतान प्राप्ति की स्वीकृति रसीदें, कार्य कराने से पूर्व तथा कार्यपूर्ण होने के पश्चात् के फोटोग्राफस्, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र,आदि के बगैर फर्जी व्यय दर्शाकर व्यपहरण किये जाने की परिपुष्टि होती है।अतः ग्राम प्रधान श्री भीमसेन व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल रु० 44366.00 (रु० चवालिस हजार तीन सौ छियासठ मात्र) मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	41435934	ग्राम पंचायत के मेन स्थानों पर कुलावे, चैनर औरस्लेप निर्माण कार्य	44366.00
		योग	44366.00

प्रस्तर संख्या 51- आलोच्य वर्ष मेंग्राम पंचायत चित्सोना अलीपुरके प्राइमरी स्कूल-1 के रूम में टाइल्स् लगाई तथा दीवार मरम्मत पर कुल रु० 16100.00का व्यय दर्शित है। परन्तु इनसे संबंधित विधिवत् पारित प्रस्ताव,एस्टीमेट,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्वीकृत बजट तथा सामग्री क्रय हेतु कोटेशनस्,व्यय प्रमाणकें, उपभोग प्रमाण-पत्र, मजदूरी भुगतान प्राप्ति, स्वीकृति, रसीद/मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न किये जाने से दर्शित कार्य के सापेक्ष दर्शित व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्री भीमसेन व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय मलिक से कुल दर्शित व्यय रुपये 16100.00(रु० सोलह हजार एक सौ मात्र) वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	41434441	प्राथमिक स्कूल -1 के रूम में टायलीकरण व दीवार मरम्मत	16100.00
		योग	16100.00

प्रस्तर संख्या 52-आलोच्य वर्ष 2020-21 मेंग्राम पंचायत परतापुर, विकासखंड बीवी नगर के पंचायत भवन निर्माण के कार्य पर कुल रु० 360000.00 का व्यय दर्शित है। परन्तु इनसे संबंधित विधिवत् पारित प्रस्ताव,एस्टीमेट,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्वीकृत बजट तथा सामग्री क्रय हेतु कोटेशनस्,व्यय प्रमाणकें,उपभोग प्रमाण-पत्र,मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीद/मस्टररोलआदि प्रस्तुत न किये जाने से दर्शित कार्य के सापेक्ष दर्शित व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान अफसाना व ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा से कुल दर्शित व्यय रुपये 360,000.00 (रुपये तीन लाख साठ हजार मात्र) मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	45527251	पंचायत घर का निर्माण का भुगतान	360000.00
		योग	360000.00

प्रस्तर संख्या 53-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत परतापुरके विभिन्न मार्गों पर इण्टरलाकिंग व नाली तथा खडंजानिर्माण पर कुल ₹0 1077479.00 का व्यय दर्शाया गया है परन्तु इन कार्यों हेतु न तो विधिस्वरूप प्रस्ताव पारित कराये गये और न ही वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति प्राप्ति के संबंध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान सचिव श्री कुलदीप शर्मा द्वारा प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त स्वीकृत मानचित्र, माप पुस्तिका, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रत्येक कार्य का कार्य होने से पहले व कार्यपूर्ण होने के उपरान्त के फोटोग्राफ्स, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, व्यय प्रमाणकें/मस्टररोल्स व निर्धारित मानक के अनुरूप सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/निविदायें आदि भी जांच व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत में इण्टरलाकिंग व नाली तथा खडंजा निर्माण पर दर्शित व्यय फर्जी है। अतः ग्राम प्रधान अफसाना व ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा से कुल दर्शित व्यय ₹0 1077479.00 (रुपये दस लाख सत्तर हजार चार सौ उनासी मात्र) की वसूली दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपये में)
1	42383720	मेन सड़क से गुलवीर के मकान तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	88859.00
2	45526760	हनीफ के घर से बिज्जी के घर तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	140630.00
3	45526597	जय भगवान के मकान से मंगली के मकान तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	30364.00
4	45526675	थापा जी के मकान से पप्पू के मकान तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	18000.00
5	42389319	किशोरी के घर से विनोद के घर तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	42557.00
6	42387861	देवीशरण के घर से कमल के घर तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	110488.00
7	42389576	जयपाल के घर से सुदेश के घर तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	75605.00
8	42390044	दौलत के घर से सुरेश के घर तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	28761.00
9	42391473	श्याम के घर से जीत के घर तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	31141.00
10	42391936	धर्मपाल के घर से मोनू के घर तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	20627.00
11	42383893	राजेन्द्र के घर से डालचन्द के घर तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	119395.00
12	42389807	ऋषिपाल के घर से टुक्कीके घर तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	84415.00
13	42388545	राजकुमारी के घर से राजेश के घर तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	29438.00
14	45527056	साकीर के घर से दिलशाद के घर तक इण्टर लाकिंग और नाली निर्माण	160961.00
15	45526989	अंसार के मकान से कब्रिस्तान तक पडंजा निर्माण	96238.00
		योग	1077479.00

प्रस्तर संख्या 54-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत परतापुर के द्वारा सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर भुगतान पर कुल रुपये 238000.00 का व्यय का भुगतान ठेके पर करना दर्शाया गया है। जबकि शासनादेश संख्या 5/2016/253/18.02.2016 (एस०पी०)2010 दिनांक 01.04.2016 के अनुसार किसी भी निविदा आमंत्रित करने के पूर्व प्रशासनिक अनुमति, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, परंतु उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन की पुष्टि नहीं कराई गई। निविदा आमंत्रण से पूर्व उसका स्थानीय (लोकल) समाचार पत्र में प्रकाशन कराए जाने का प्राविधान है परंतु इस संबंध में आलोच्य वर्ष में किसी भी समाचार पत्र को कोई भी भुगतान दर्शित नहीं किया गया है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि अपने पसंदीदा श्री बालाजी इंटरप्राइजेज ठेकेदार को कार्य आमंत्रित किया गया है तथा पी०एफ०एम०एस० द्वारा उक्त ठेकेदार को भुगतान कर उपरोक्त दर्शित कार्य कराए ही नहीं गया हो। उपरोक्त कार्यों से संबंधित स्वीकृत प्राक्कलन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाणकें आदि लेखा परीक्षा में अवलोकन तथा पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में ग्राम पंचायत को कोई निविदा शुल्क प्राप्त होने की पुष्टि भी ई-ग्राम स्वराज से नहीं होती है और नहीं ठेकेदार से कोई जमानत राशि प्राप्त होने की पुष्टि होती है। अतः ठेके पर कराए गए विभिन्न कार्यों में नियमों का अनुपालन न कर फर्जी भुगतान दर्शाया गया है ग्राम प्रधान अफसाना व ग्राम विकास अधिकारी श्री

कुलदीप शर्मा से कुल दर्शित व्यय रुपए ₹238000.00 (रुपये दो लाख अड़तीस हजार मात्र) मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न अनुसार है-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	42381843	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	220000.00
2	45528652	सामुदायिक शौचालय का रख-रखाव	18000.00
		योग	238000.00

प्रस्तर संख्या 55- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत परतापुर के जूनियर व प्राथमिक स्कूल और आंगनवाड़ी में रंगाई, पुताई, समर सेबल तथा हैण्डवाश व मूत्रालय निर्माण के कार्यों में अंकन रुपये 215122.00 का व्यय दर्शाया गया है। कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत न किये जाने से विधिवत् पारित प्रस्ताव की जांच व पुष्टि न हो सकी तथा उक्त कार्यों से संबंधित व्यय प्रमाणक, कुटेशन, कार्य का स्वीकृति आदेश, मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीद, कार्यपूति प्रमाण-पत्र आदि भी अनुपलब्ध रहे। जिससे दर्शित समस्त व्यय अपुष्ट रहा। अतः व्यय की गई समस्त धनराशि का ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा मिलीभगत कर व्यपहरण किया गया है। अतः ग्राम प्रधान अफसाना व ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा से कुल दर्शित व्यय ₹0 215,122.00 (रुपये दो लाख पन्द्रह हजार एक सौ बाइस मात्र) मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	42381279	जूनियर स्कूल में मल्टीपल हैण्डवाश, समर सेबल व टंकी फिटिंग का कार्य	54898.00
2	42380363	प्राथमिक स्कूल में मल्टीपल हैण्डवाश	40000.00
3	42380055	प्राथमिक स्कूल में बालक और बालिका मूत्रालय	40000.00
4	42381753	प्राथमिक स्कूल व जूनियर स्कूल और आंगनवाड़ी में रंगाई पुताई	44520.00
5	42381365	जूनियर स्कूल में समर सेबल कार्य	35704.00
		योग	215122.00

प्रस्तर संख्या 56-आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत परतापुर में ₹0 99766.00 हैण्ड पम्प मरम्मत व रिबोर पर व्यय दर्शाया गया है। पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर के सन्दर्भ में दी गई गाइडलाइन के अनुपालन की ना तो पुष्टि करायी गयी और ना ही हैण्डपम्प रिबोर व मरम्मत के कार्यस्थलों के संबंध में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोई सूचना उपलब्ध है। हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर से संबंधित ग्राम सदस्यों के कोई आवेदन स्वीकृत पत्र, विधिवत् पारित प्रस्ताव, सामग्री क्रय से संबंधित कोटेशन, व्यय प्रमाणक/मजदूरी भुगतान प्राप्ति की स्वीकृति रसीदें आदि भी पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रही। अतः दर्शित समस्त व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान अफसाना व ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा से समस्त दर्शित व्यय ₹0 99766.00 (रुपये निन्यानवे हजार सात सौ छियासठ मात्र) की मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	42384032	हैण्डपम्प मरम्मत	61066.00
2	42384154	जूनियर स्कूल में हैण्डपम्प रिबोर	38700.00
		योग	99766.00

प्रस्तर संख्या 57-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत परतापुर में विभिन्न स्थानों पर सफाई, मास्क वितरण, तथा प्रशासनिक मद के नाम पर किये गये कार्यों पर कुल ₹0 62,320.00 (बासठ हजार तीन सौ बीस रुपये मात्र) का व्यय बिना कोटेशन, मजदूरी भुगतान के मस्टररोल्स/ प्राप्ति रसीदें, एम0बी0, कार्यपूति, व्ययप्रमाणक, कार्यवाही पंजिका के दर्शाया गया है। उपरोक्त व्यय की जांच व पुष्टि न होने के कारण उक्त समस्त व्यय फर्जी हैं। अतः रुपये 62320.00 (रुपये बासठ हजार तीन सौ बीस मात्र) का अपहरण ग्राम प्रधान अफसाना व ग्राम विकास

अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा की मिलीभगत से किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान अफसाना व ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा दोनों से मय ब्याज सहित बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रुपए में)
1	42382106	ग्राम पंचायत मेंमास्क वितरण सेनेटाइजर और स्प्रे के कार्य का भुगतान	5200.00
2	42382236	ग्राम पंचायत मेंसफाई कार्य	4200.00
3	42386139	प्रशासनिक मद (स्प्रे मशीन से छिड़काव व सूचना प्रसार हेतु लाउड स्पीकर) का भुगतान	22920.00
4	42394189	ग्राम पंचायत मेंसफाई कार्य	30000.00
		योग	62320.00

प्रस्तर संख्या 58-आलोच्य वर्ष 2020-21की ग्राम पंचायत दादूपुर नीला, विकास खण्ड सिकन्दाबाद की ग्राम निधि प्रथम (केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त) की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

उक्त धनराशि 976537.00रुपए विभिन्न नए कार्योंपर परिसंपत्तियों के रखरखावग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। धनराशि 976537.00रुपए के खर्चों से संबंधित कैश बुक बैंक की स्टेटमेंट कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, एस्टीमेट वर्क आईडी वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल वाउचर,, मास्टर रोल, एमबीकार्य पूर्ति प्रमाण पत्रग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर स्टॉक पंजिका परिसंपत्ति रजिस्टरकार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7के अनुसार समप्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8की धारा 8(क) में प्रावधान हैकि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रुपया 976537.00का गवन प्रधानश्री कमलेश एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री विजेंद्र द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 59. आलोच्य वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत इस्माइलपुर, विकास खण्ड सिकन्दाबाद की ग्राम निधि प्रथम (केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त) की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

उक्त धनराशि 2644590.00 रुपए विभिन्न नए कार्योंपर परिसंपत्तियों के रखरखावग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। धनराशि 2644590.00 रुपए के खर्चों से संबंधित कैश बुक बैंक की स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, एस्टीमेट, वर्क आईडी, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल वाउचर मास्टर रोल, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्रग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका परिसंपत्ति, रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार समप्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय8की धारा 8(क) में प्रावधान हैकि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की 2644590.00 जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रुपया 2644590.00का गवन प्रधानश्री राजेन्द्र सिंह एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री विजेंद्र द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 60-आलोच्य वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत सिरोधन, विकास खण्ड सिकन्दाबादकी ग्राम निधि प्रथम (केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त) की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

उक्त धनराशि 1476245.00 रुपए विभिन्न नए कार्योंपर परिसंपत्तियों के रखरखावग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। धनराशि 1476245.00 रुपए के खर्चों से संबंधित कैशबुक बैंक की स्टेटमेंट कार्यवाही, पुस्तिका, कार्य योजना, एस्टीमेट, वर्क आईडी, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर मास्टर रोल एमबी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर स्टॉक पंजिका परिसंपत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7के अनुसार समप्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रु01476245.00का गवन प्रधान श्रीमती बाला देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री विजेंद्र द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 61-आलोच्य वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत नगला कलां, विकास खण्ड सिकन्दाबादकी ग्राम निधि प्रथम (केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त) की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

उक्त धनराशि 933070.00 रुपये विभिन्न नए कार्योंपर परिसंपत्तियों के रखरखावग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। धनराशि 933070.00 रुपये के खर्चों से संबंधित कैश बुक, बैंक की स्टेटमेंट कार्यवाही पुस्तिका कार्य योजना एस्टीमेट वर्क आईडी वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल वाउचर मास्टर रोल एमबी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्रग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर स्टॉक पंजिका परिसंपत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7के अनुसार समप्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रुपया 933070.00का गबन प्रधानश्री अनुज यादव एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री विजेंद्र द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 62- आलोच्य वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत सहपानी, विकास खण्ड सिकन्दाबाद की ग्राम निधि प्रथम (केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त) की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

उक्त धनराशि 565098.00 रुपए विभिन्न नए कार्योंपर परिसंपत्तियों के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। धनराशि 565098.00 रुपए के खर्चों से संबंधित कैश बुक बैंक की स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, एस्टीमेट, वर्क आईडी, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर, मास्टर रोल, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्य, का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार समप्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रुपये 565098.00 का गवन प्रधानश्री नेत्रपाल एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री विजेन्द्र द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 63-आलोच्य वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत गाज़ीपुर, विकास खण्ड सिकन्दाबाद की ग्राम निधि प्रथम (केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त) की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

उक्त धनराशि 832667.00 रुपये विभिन्न नए कार्यों पर परिसंपत्तियों के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। धनराशि 832667.00 रुपये के खर्चों से संबंधित कैश बुक बैंक की स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, एस्टीमेट वर्क आईडी, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल वाउचर, मास्टर रोल, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर स्टॉक पंजिका परिसंपत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार समप्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रुपये 832667.00 का गवन प्रधानश्री अनुज यादव वंसी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री विजेन्द्र द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 64-आलोच्य वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत रतनपुर विकास खण्ड जहांगीराबाद की ग्राम निधि प्रथम (केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त) की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

उक्त धनराशि 1272760.00 रुपये विभिन्न नए कार्यों पर परिसंपत्तियों के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। धनराशि 1272760.00 रुपये के खर्चों से संबंधित कैश बुक, बैंक की स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, एस्टीमेट, वर्क आईडी, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर, मास्टर रोल, एमबी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्य, का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार समप्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रुपये 1272760.00 का गवन प्रधानश्री लेखराज, एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अनिरुद्ध द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 65-आलोच्य वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत नवीनगर विकास खण्ड जहांगीराबादकी ग्राम निधि प्रथम (केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त) की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

उक्त धनराशि 2255776.00 रुपए विभिन्न नए कार्यों पर परिसंपत्तियों के रखरखावग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। धनराशि 2255776.00 रुपए के खर्चों से संबंधित कैश बुक बैंक की स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, एस्टीमेट, वर्क आईडी, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर, मास्टर रोल, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्य, का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार समप्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रुपया 2255776.00 का गवन प्रधान श्री सुभाष, एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अनिरुद्ध द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 66- आलोच्य वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत बदरखा, विकास खण्ड जहांगीराबाद की ग्राम निधि प्रथम (केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त) की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

उक्त धनराशि 948796.00 रुपए विभिन्न नए कार्यों पर परिसंपत्तियों के रखरखाव ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। धनराशि 948796.00 रुपए के खर्चों से संबंधित कैश बुक बैंक की स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, एस्टीमेट, वर्क आईडी, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर, मास्टर रोल, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर स्टॉक पंजिका परिसंपत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7के अनुसार समप्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रुपया 948796.00का गवन प्रधानश्री इकबाल, एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अनिरुद्ध द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-04

जनपद- गौतमबुद्ध नगर।

मंडल – मेरठ

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या-01 ग्राम पंचायत आनंदपुर विकास खण्ड दादरी वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में सचिव द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कोषवही में दर्शित व्यय धनराशि रु0 2095975.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के राज्य एवं केन्द्र वित्त के बैंक स्टेटमेंट भी अप्राप्त रहे। अतः समग्र व्यय की धनराशि रु0 2095975.00 की पुष्टि नहीं होती है। व्यय की पुष्टि नहीं हो पाने की दशा में व्यय

अनियमित रहा, जिसके लिए सचिव/प्रधान पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उक्त व्यय की धनराशि के लिए अभिलेख प्रस्तुत कर, पुष्टि कराई जाए अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री निशांत शर्मा व प्रधान श्री सोनपाल से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-02 ग्राम पंचायत कैमराला चक्रसैनपुर विकास खण्ड दादरी वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में सचिव द्वारा अभिलेख/व्यय प्रमाणक से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई-ग्राम स्वराज की ऑनलाईन कोषवही से ज्ञात हुआ है कि आलोच्य वर्ष में व्यय की धनराशि ₹0 4640803.00 दर्शित है, किन्तु प्रमाण/अभिलेख के अभाव में व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी, जो पूर्णतः अनियमित व्यय सिद्ध होता है। जिसके लिए सचिव पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उक्त व्यय की धनराशि के लिए अभिलेख प्रस्तुत कर, पुष्टि कराई जाए अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री इन्द्रजीत भाटी व प्रधान श्रीमती हरवती से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-03 ग्राम पंचायत बील अकबरपुर विकास खण्ड दादरी वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में सचिव द्वारा बैंक स्टेटमेंट तथा ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित कोषवही के अनुसार किए गए व्यय ₹0 5327050.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न हो सकी। जिसके लिए सचिव श्री निशान्त व प्रधान श्री ओमकार भाटी जिम्मेदार हैं। अतः व्यय की धनराशि ₹0 5327050.00 से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत कर, पुष्टि कराई जाए अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री निशांत शर्मा से प्रधान ओमकार भाटी से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-04 ग्राम पंचायत रामगढ चमरावली विकास खण्ड दादरी वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम पंचायत की कोषवही एवं स्टेटमेंट का मिलान करने पर प्रा0 वर्षान्त में व शेष में क्रमशः ₹0 3972305.07 तथा 3974206.66 का अन्तर दर्शित है अर्थात् ई-ग्राम पंचायत कोषवही के अन्तर का समाधान गत वर्ष से नहीं किया गया। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-05 ग्राम पंचायत प्यावली ताजपुर विकास खण्ड बिसरख वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में सचिव अनुपस्थित रहने के कारण ग्राम पंचायत में हुए आय-व्यय के अभिलेखों की जाँच नहीं की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में ग्राम स्वराज पोर्टल पर सचिव श्री इन्द्रजीत भाटी द्वारा अपलोड विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत को राज्य वित्त में ₹0 1986539.00 व केन्द्रीय वित्त से ₹0 3295793.00 प्राप्त हुआ है तथा प्रारम्भिक शेष धनराशि ₹0 5362032.00 कुल योग धनराशि ₹0 10644364.00 के सापेक्ष ₹0 9291171.00 व्यय किया गया है। व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि न हो सकी जिसके लिए सचिव श्री इन्द्रजीत भाटी व प्रधान श्री जयबिन्द गौतम जिम्मेदार हैं। अतः उक्त व्यय की धनराशि के लिए अभिलेख प्रस्तुत कर, पुष्टि कराई जाए अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति सचिव/प्रधान से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-06 ग्राम पंचायत जैतवारपुर विकास खण्ड बिसरख वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में सचिव अनुपस्थित रहने के कारण ग्राम पंचायत में हुए आय-व्यय के अभिलेखों की जाँच नहीं की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में ग्राम स्वराज पोर्टल पर सचिव श्री इन्द्रजीत भाटी द्वारा अपलोड विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत को राज्य वित्त में ₹0 59474.00, केन्द्रीय वित्त से ₹0 1950158.00 व ब्याज में 330351.00 प्राप्त हुआ है तथा प्रारम्भिक शेष धनराशि ₹0 2391931.00 कुल योग धनराशि ₹0 4731914.00 के सापेक्ष ₹0 4110431.00 व्यय किया गया है। व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि न हो सकी, जिसके लिए सचिव श्री इन्द्रजीत भाटी व प्रधान श्री राकेश राणा जिम्मेदार हैं। अतः उक्त व्यय की धनराशि के लिए अभिलेख प्रस्तुत कर, पुष्टि कराई जाए अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति सचिव/प्रधान से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-07 ग्राम पंचायत विसाहडा विकास खण्ड बिसरख वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में सचिव अनुपस्थित रहने के कारण ग्राम पंचायत में हुए आय-व्यय के अभिलेखों की जाँच नहीं की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में ग्राम स्वराज पोर्टल पर सचिव श्री इन्द्रजीत भाटी द्वारा अपलोड विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत को राज्य वित्त में ₹0 1606692.00, केन्द्रीय वित्त से ₹0 4525290.00 व ब्याज में 17379.00 प्राप्त हुआ है तथा प्रारम्भिक शेष धनराशि ₹0 4680869.00 कुल योग धनराशि ₹0 10830230.00 के सापेक्ष ₹0 9351155.00 व्यय किया गया है। व्यय की

गई धनराशि से सम्बन्धित मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि न हो सकी, जिसके लिए सचिव श्री इन्द्रजीत भाटी व प्रधान श्रीमती कौशल्या जिम्मेदार हैं। अतः उक्त व्यय की धनराशि की पुष्टि के लिए अभिलेख प्रस्तुत कर, पुष्टि कराई जाए अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति सचिव/प्रधान से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-08 ग्राम पंचायत दुजाना विकास खण्ड बिसरख वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में सचिव अनुपस्थित रहने के कारण ग्राम पंचायत में हुए आय-व्यय के अभिलेखों की जाँच नहीं की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में ग्राम स्वराज पोर्टल पर सचिव श्री इन्द्रजीत भाटी द्वारा अपलोड विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत को राज्य वित्त में रु0 8222819.00, केन्द्रीय वित्त से रु0 5271566.00 कुल रुपया 13493385.00 प्राप्त हुआ है। पिछला शेष सहित रु0 13916107.00 व्यय किया गया है। व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न हो सकी, जिसके लिए सचिव श्री प्रमोद भाटी व प्रधान श्री रणपाल उत्तरदायी हैं। अतः उक्त व्यय की धनराशि की पुष्टि के लिए अभिलेख प्रस्तुत कर, पुष्टि कराई जाए अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति सचिव/प्रधान से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-09 ग्राम पंचायत मण्डपा विकास खण्ड जेवर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में रु0 3327059.00 व्यय किया गया है इसकी पुष्टि में प्रमाणित कार्यपूर्ति, बिल वाउचर, मस्टरोल, व्यय प्रमाणक, इस्टीमेट, माप पुस्तिका आदि उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके अभाव में व्यय की गई धनराशि अपुष्ट रही। सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जाए अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी सचिव श्री जबर सिंह व प्रधान श्रीमती बेगत से वसूली की जाए।

प्रस्तर संख्या-10 ग्राम पंचायत सिरसामाचीपुर विकास खण्ड जेवर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में रु0 4184710.00 व्यय किया गया है इसकी पुष्टि में प्रमाणित कार्यपूर्ति, बिल वाउचर, मस्टरोल, व्यय प्रमाणक, इस्टीमेट, माप पुस्तिका आदि उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके अभाव में व्यय की गई धनराशि अपुष्ट रही। सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जाए अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी सचिव श्री विशाल बहोल व प्रधान श्रीमती हरदेई से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11 ग्राम पंचायत बड़पुरा विकास खण्ड दादरी वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में रु0 6997339.00 व्यय किया गया है इसकी पुष्टि में प्रमाणित कार्यपूर्ति, बिल वाउचर, मस्टरोल, व्यय प्रमाणक, इस्टीमेट, माप पुस्तिका आदि उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके अभाव में व्यय की गई धनराशि अपुष्ट रही। सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जाए अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी सचिव श्री इन्द्रजीत भाटी व प्रधान श्री रामे सिंह से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12 ग्राम पंचायत मेवला गोपालगढ़ विकास खण्ड जेवर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में रु0 6092929.00 व्यय किया गया है इसकी पुष्टि में प्रमाणित कार्यपूर्ति, बिल वाउचर, मस्टरोल, व्यय प्रमाणक, इस्टीमेट, माप पुस्तिका आदि उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके अभाव में व्यय की गई धनराशि अपुष्ट रही। सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जाए अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी सचिव श्री विष्णुदत्त शर्मा व प्रधान श्रीमती मिनाक्षी देवी से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13 ग्राम पंचायत कानीगढ़ी विकास खण्ड जेवर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में रु0 5309742.00 व्यय किया गया है इसकी पुष्टि में प्रमाणित कार्यपूर्ति, बिल वाउचर, मस्टरोल, व्यय प्रमाणक, इस्टीमेट, माप पुस्तिका आदि उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके अभाव में व्यय की गई धनराशि अपुष्ट रही। सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जाए अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी सचिव श्री विष्णुदत्त शर्मा व प्रधान श्री विरेन्द्र सिंह से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप -04
वर्ष 2020-21

जनपद-गाजियाबाद

मण्डल का नाम-मेरठ।

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत अबूपुर, विकास खण्ड मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि तथा बैंक स्टेटमेंट के आधार पर संपन्न की गयी है। परन्तु उक्त संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण रु0 3574026.00 की अनियमितता, गबन अपहरण सम्भाव्य है। जबकि शासनादेश संख्या- आडिट- 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के अनुसार (त्रिस्तरीय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों की आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। उक्त हेतु ग्राम विकास अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती तारावती एवं सहा0वि0अधि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-02 ग्राम पंचायत खोराजपुर विहंग, विकास खण्ड मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कतिपय भुगतान पी0एफ0एम0एस0 डोंगल के बजाय चैक द्वारा सीधे फर्मो को किये गये। रु0 1089735.00 का भुगतान चैक द्वारा किया गया। जो कि गम्भीर अनियमितता है तथा उक्त हेतु जिला पंचायती राज अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी श्री विवके शर्मा व ग्राम प्रधान श्री सरताज उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-03 ग्राम पंचायत सौदा, विकास खण्ड मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि शासनादेश संख्या- आडिट- 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के अनुसार (त्रिस्तरीय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों की आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। अतः रु0 4491658.00 की अनियमितता, गबन व अपहरण सम्भाव्य है इस हेतु ग्राम विकास अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार, वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी श्री हर्ष राघव, ग्राम प्रधान श्री सतेन्द्र कुमार व ए0डी0ओ0 श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पंचायत उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-04 ग्राम पंचायत सिखेडा हजारी, विकास खण्ड मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि शासनादेश संख्या- आडिट- 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के अनुसार (त्रिस्तरीय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों की आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। अतः रु0 1250534.24 की अनियमितता, गबन व अपहरण सम्भाव्य है इस हेतु वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी श्री हर्ष राघव, व ए0डी0ओ0 श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-05 ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कदीम, विकास खण्ड मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कतिपय हैडपम्प रिपेयर एवं मोटर रिपेयर से सम्बन्धित कार्या का भुगतान कच्चे बिलों पर किया गया। इस प्रकार रु0 141669.00 का भुगतान अनियमितता रूप से किया गया। इस हेतु ग्राम विकास अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार, ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम, जे0ई0 श्री आर.के.सागर व ए0डी0ओ0 श्री राजेन्द्र प्रसार शर्मा उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-06 ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कदीम, विकास खण्ड मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु0 183120.00 का कार्य स्तुति इन्टरप्राइजेज को निजी लाभ पहुंचाने की नियत से कार्य को तोड़ कर करवाया गया जिसके सापेक्ष सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति अनुमोदन एवं संस्तुति नहीं प्राप्त की गयी। अतः इस हेतु ग्राम विकास अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार, ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम, व ए0डी0ओ0 पंचायत श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्य-07 ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कदीम, विकास खण्ड मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अपने परिचित ठेकेदारों को निजी लाभ पहुंचाने हेतु विज्ञापन निकलवाने में अनियमितता पायी गयी। साथ ही धरोहर राशि (50प्रतिशत) एस्टीमेट फोटोग्राफी (कार्य के पूर्व व बाद की) गुणवत्ता रिपोर्ट व सेस कटौती नहीं की गयी। इस प्रकार रु0 2052700.00 की अनियमितता पायी गयी। अतः इस हेतु ग्राम विकास अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार, ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम, जे0ई0 श्री आर0के0सागर व ए0डी0ओ0 पंचायत राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उत्तरदायी है। अभियन्ता के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्य-08 ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कदीम, विकास खण्ड मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैडपम्प रिबोरिंग कार्य में प्रस्तावित जी0एल0 पाइप के सापेक्ष कम जी0एल0 पाइप लगायी गयी पूरा भुगतान कर दिया गया, इस प्रकार रु0 54393.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इस हेतु ग्राम विकास अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार, ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम, जे0ई0 श्री आर0के0सागर व ए0डी0ओ0 पंचायत राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उत्तरदायी है। अनियमित भुगतान के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्य-09 ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कदीम, विकास खण्ड मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कृत निर्माण कार्य के सापेक्ष टी0डी0एस0 एवं लेबर सेस आरोपित न करके ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया। इस प्रकार कुल रु0 66507.00 की अनियमिता पाई गई। उक्त हेतु ग्राम विकास अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार, ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम, जे0ई0 श्री आर0के0सागर व ए0डी0ओ0 पंचायत राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्य-10 ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कदीम, विकास खण्ड मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम में 21 नग एल0ई0डी0 लाइट्स का रिपेयर कार्य किया गया पर उससे सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि शासनादेश संख्या- आडिट- 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के अनुसार (त्रिस्तरीय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों की आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। तथा पूर्व में किये गये बिजली बिलों के भुगतान का भी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। इस प्रकार रु0 24780.00 का उपयोग अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम विकास अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार, ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम, जे0ई0 श्री आर0के0सागर व ए0डी0ओ0 पंचायत श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्य-11 ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कदीम, विकास खण्ड मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु0 701700.00 का भुगतान कान्ट्रेक्टर रिशु को सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु किया गया। जिससे अनेक अनियमितता पाई गई। जबकि शासनादेश संख्या- आडिट- 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के अनुसार (त्रिस्तरीय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों की आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। उक्त हेतु ग्राम विकास अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार, ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम, जे0ई0 श्री आर0के0सागर व ए0डी0ओ0 पंचायत श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्य-12 ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कदीम, विकास खण्ड मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वाउचर संख्या 33 की जांच के अनुसार 15वे वित्त के अन्तर्गत ग्राम के स्कूल में गेट निर्माण के सापेक्ष 135248.00 का भुगतान किया गया। कार्य समाप्ति से पूर्व ही कार्य समाप्त कर दिया गया तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के साथ कृत कार्य का अन्तिम बिल भी नहीं लगाया गया जो कि अनियमित रहा। जबकि शासनादेश संख्या- आडिट- 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के अनुसार (त्रिस्तरीय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों की आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। उक्त हेतु ग्राम विकास अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार, ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम, जे0ई0 श्री आर0के0सागर व ए0डी0ओ0 पंचायत श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्य-13 ग्राम पंचायत मुहीद्दीनपुर डबारसी, विकास खण्ड रजापुर, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु0 9229327.50 विभिन्न कार्यों में व्यय हुआ परन्तु खर्च धनराशि के सापेक्ष

व्यय प्रमाणक/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। जबकि शासनादेश संख्या- आडिट- 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के अनुसार (त्रिस्तरीय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों की आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। अतः ये अपहरण सम्भाव्य है। इस हेतु ग्राम विकास अधिकारी श्री धनेश कुमार, ग्राम प्रधान श्री शौकीन एवं सहा0वि0अधि0 श्री मौ0 अजीज उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित धनराशि अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्य-14 ग्राम पंचायत चितौड़ा, विकास खण्ड रजापुर, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु0 2655636.58 विभिन्न कार्यों में व्यय किया गया परन्तु खर्च की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/अभिलेख अनुपलब्ध रहे। जबकि शासनादेश संख्या- आडिट- 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के अनुसार (त्रिस्तरीय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों की आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। अतः उक्त धनराशि का अपहरण सम्भाव्य है। इस हेतु ग्राम विकास अधिकारी श्री धनेश कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती रनधीन कौर एवं सहा0वि0अधि0 श्री मौ0 अजीज उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित धनराशि अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्य-15 ग्राम पंचायत मुर्तजाबाद भूपखेड़ी, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यय की गयी धनराशि रु0 2864192.00 की पुष्टि प्रियासाफ्ट पर उपलब्ध कैशबुक से होती है परन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि शासनादेश संख्या- आडिट- 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के अनुसार (त्रिस्तरीय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों की आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। जिसके अभाव में व्यय की गयी धनराशि रु0 2864192.00 का अपहरण सम्भाव्य है। इसके लिये ग्राम प्रधान श्री मुकेश, सचिव श्री सुमित शर्मा व ए0डी0पी0आर0ओ0 श्री मनोज कुमार त्यागी उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित धनराशि अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्य-16 ग्राम पंचायत बादशाहपुर सिरौली, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यय की गयी धनराशि रु0 6570227.00 की पुष्टि प्रियासाफ्ट पर उपलब्ध कैशबुक से होती है परन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि शासनादेश संख्या- आडिट- 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के अनुसार (त्रिस्तरीय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों की आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। जिसके अभाव में व्यय की गयी धनराशि का अपहरण सम्भाव्य है। इसके लिये ग्राम प्रधान श्री उदयवीर, सचिव श्री योगेश कुमार व ए0डी0पी0आर0ओ0 श्री मनोज कुमार त्यागी उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित धनराशि अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्य-17 ग्राम पंचायत जाफराबाद गनौली, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यय की गयी धनराशि रु0 2777291.00 की पुष्टि प्रियासाफ्ट पर उपलब्ध कैशबुक से होती है परन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि शासनादेश संख्या- आडिट- 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के अनुसार (त्रिस्तरीय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों की आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। जिसके अभाव में व्यय की गयी धनराशि का अपहरण सम्भाव्य है। इसके लिये ग्राम प्रधान श्री हातम सिंह, सचिव श्री योगेश कुमार व ए0डी0पी0आर0ओ0 श्री मनोज कुमार त्यागी उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित धनराशि अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्य-18 ग्राम पंचायत सिरौरा सलेमपुर, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यय की गयी धनराशि रु0 1451335.00 की पुष्टि प्रियासाफ्ट पर उपलब्ध कैशबुक से होती है परन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि शासनादेश संख्या- आडिट- 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के अनुसार (त्रिस्तरीय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों की आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। जिसके अभाव में व्यय की गयी धनराशि का अपहरण सम्भाव्य है। इसके लिये ग्राम प्रधान श्री कर्मवीर, सचिव श्री सुमित शर्मा

व ए0डी0पी0आर0ओ0 श्री मनोज कुमार त्यागी उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित धनराशि अपेक्षित है।

प्रारूप 04

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2020-2021

जनपद- हापुड़

मण्डल- मेरठ

ग्राम पंचायत सम्बन्धित आपतियां

प्रस्तर सं0 01- ग्राम पंचायत खड़खड़ी विकासखण्ड हापुड़ वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में जांच नहीं की जा सकी ग्राम पंचायत द्वारा ₹ 2062199.70 का व्यय किया गया। जबकि ग्राम पंचायत को ₹ 19052964.31 की आय प्राप्त हुई जिसकी पुष्टि ई ग्राम स्वराज प्रिया साफ्ट से होती है। किये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय वाउचर उपलब्ध न होने पर व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए ₹ 2062199.70 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर वसूली तातारीख व्याज सहित जमा की जायें। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री विपिन ,प्रधान श्रीमती स्वेता,सचिव,श्री सचिव ढाका,सचिव है।

प्रस्तर सं0 02- ग्राम पंचायत अच्छेजा विकासखण्ड हापुड़ वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में जांच नहीं की जा सकी ग्राम पंचायत द्वारा ₹ 4066317.00 का व्यय किया गया। जबकि ग्राम पंचायत को ₹ 3763682.26 की आय प्राप्त हुई जिसकी पुष्टि ई ग्राम स्वराज प्रिया साफ्ट से होती है। किये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय वाउचर उपलब्ध न होने पर व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए ₹ 4066317.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर वसूली तातारीख व्याज सहित जमा की जायें। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री नरेन्द्र ,प्रधान व श्री आशीष शर्मा,सचिव है।

प्रस्तर सं0 03- ग्राम पंचायत सावी हिमायपुर विकासखण्ड हापुड़ वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में जांच नहीं की जा सकी ग्राम पंचायत द्वारा ₹ 2478593.68 का व्यय किया गया। जबकि ग्राम पंचायत को ₹ 2231621.26 की आय प्राप्त हुई जिसकी पुष्टि ई ग्राम स्वराज प्रिया साफ्ट से होती है। किये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय वाउचर उपलब्ध न होने पर व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए ₹ 2478593.68 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर वसूली तातारीख व्याज सहित जमा की जायें। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री चन्द्रपाल,प्रधान व श्री आशीष, सचिव है।

प्रस्तर सं0 04- ग्राम पंचायत लुखराडा विकासखण्ड हापुड़ वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में जांच नहीं की जा सकी ग्राम पंचायत द्वारा ₹ 7391544.00 का व्यय किया गया। जबकि ग्राम पंचायत को ₹ 8383828.64 की आय प्राप्त हुई जिसकी पुष्टि ई ग्राम स्वराज प्रिया साफ्ट से होती है। किये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय वाउचर उपलब्ध न होने पर व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए ₹ 7391544.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर वसूली तातारीख व्याज सहित जमा की जायें। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री रविन्द्र ,प्रधान व श्री अशोक कुमार सचिव है।

प्रस्तर सं0 05- ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर काकोड़ी विकासखण्ड हापुड़ वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में जांच नहीं की जा सकी ग्राम पंचायत द्वारा ₹ 4043693.00 का व्यय किया गया। जबकि ग्राम पंचायत को ₹ 6072075.09 की आय प्राप्त हुई जिसकी पुष्टि ई ग्राम स्वराज प्रिया साफ्ट से होती है। किये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय वाउचर उपलब्ध न होने पर व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए ₹ 4043693.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर वसूली तातारीख व्याज सहित जमा की जायें। उक्त के लिए उत्तरदायी श्री साबिर,प्रधान श्री अशोक कुमार,सचिव है।

प्रस्तर सं0 06- ग्राम पंचायत महमूदपुर विकासखण्ड हापुड़ वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में जांच नहीं की जा सकी ग्राम पंचायत द्वारा ₹ 2 284659.12

15152043.89 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर वसूली तातारीख व्याज सहित जमा की जायें। उक्त के लिए प्रधान श्री आदेश व सचिव श्री योगेन्द्र सिंह हैं।

प्रस्तर सं0 12- ग्राम पंचायत हाबिसपुर बिगास विकासखण्ड सिम्भावली जनपद हापुड़ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में जांच नहीं की जा सकी, ग्राम पंचायत द्वारा ₹ 1879279.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय आदि पर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक से होती है। किये गये व्यय के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना वर्क आई डी वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल वाउचर फाईल मस्टररोल एम0बी0 कार्यपूर्ति पंजिका आदि उपलब्ध न होने पर व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए ₹ 1879279.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर वसूली तातारीख व्याज सहित जमा की जायें। उक्त के लिए प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह व सचिव श्री योगेन्द्र सिंह हैं।

प्रस्तर सं0 13- ग्राम पंचायत मुरादपुर निजामसर विकासखण्ड सिम्भावली जनपद हापुड़ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में जांच नहीं की जा सकी, ग्राम पंचायत द्वारा ₹ 3382265.29 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय आदि पर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक से होती है। किये गये व्यय के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना वर्क आई डी वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल वाउचर फाईल मस्टररोल एम0बी0 कार्यपूर्ति पंजिका आदि उपलब्ध न होने पर व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए ₹ 3382265.29 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर वसूली तातारीख व्याज सहित जमा की जायें। उक्त के लिए प्रधान श्री सतेन्द्र सिंह व सचिव श्री योगेन्द्र सिंह हैं।

प्रस्तर सं0 14- ग्राम पंचायत भगवानपुर विकासखण्ड सिम्भावली जनपद हापुड़ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में जांच नहीं की जा सकी, ग्राम पंचायत द्वारा ₹ 1682033.47 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय आदि पर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक से होती है। किये गये व्यय के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना वर्क आई डी वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल वाउचर फाईल मस्टररोल एम0बी0 कार्यपूर्ति पंजिका आदि उपलब्ध न होने पर व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए ₹ 1682033.47 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर वसूली तातारीख व्याज सहित जमा की जायें। उक्त के लिए प्रधान श्री अमरजीत कौर व सचिव श्री विजेन्द्र सिंह हैं।

प्रस्तर सं0 15- ग्राम पंचायत आजमपुर विकासखण्ड धौलाना जनपद हापुड़ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत अभिलेख में दिनांक 28.05.2020 को ग्राम में सीमेंट बैंच लगाने के कार्य पर ₹ 147500.00 का व्यय दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में विभागीय स्वीकृति, स्वीकृति बजट प्रस्ताव, स्टीमेट कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त अपुष्ट व्यय दर्शाकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। ₹ 147500.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर तातारीख व्याज सहित जमा की जाये। उक्त के लिए उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय कुमार व ग्राम प्रधान श्री साहिल हैं।

प्रस्तर सं0 16- ग्राम पंचायत देहरा विकासखण्ड धौलाना जनपद हापुड़ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत अभिलेख में दिनांक 26.06.2020 को ग्राम में नारे लिखवाने पर ₹ 55600.00 का व्यय दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में विभागीय स्वीकृति, स्वीकृति बजट प्रस्ताव, स्टीमेट कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त अपुष्ट व्यय दर्शाकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। अतः ₹ 55600.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर तातारीख व्याज सहित जमा की जाये। उक्त के लिए उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय कुमार व ग्राम प्रधान श्री साहिल हैं।

प्रस्तर सं0 17- ग्राम पंचायत शेखपुर खिचरा विकासखण्ड धौलाना जनपद हापुड़ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत अभिलेख में दिनांक 16.09.2020 को इंटरलाकिंग व नाली कार्य पर ₹ 494265.00 का व्यय दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में विभागीय स्वीकृति, स्वीकृति बजट प्रस्ताव, स्टीमेट कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रस्ताव भौतिक सत्यापन आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त अपुष्ट व्यय दर्शाकर गम्भीर

वित्तीय अनियमितता की गयी है। अतः रु 494265.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर तातारीख व्याज सहित जमा की जाये। उक्त के लिए उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय कुमार व ग्राम प्रधान श्री साहिल है।

प्रस्तर सं0 18- ग्राम पंचायत शेखपुर खिचरा विकासखण्ड धौलाना जनपद हापुड़ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत अभिलेख में दिनांक 20.09.2020 को आर0ओ0 वाटर क्रय पर रु 283200.00 का व्यय दर्शाया गया है। कितने कूलर लगाये गये कहां कहां लगाये गये ओर कहां से किस दर पर क्रय किये गये स्थिति अस्पष्ट रही। व्यय की पुष्टि में विभागीय स्वीकृति, स्वीकृति बजट प्रस्ताव, स्टीमेट कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रस्ताव भौतिक सत्यापन आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त अपुष्ट व्यय दर्शाकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। अतः रु 283200.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर तातारीख व्याज सहित जमा की जाये।

उक्त के लिए उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय कुमार व ग्राम प्रधान श्री साहिल है।

प्रस्तर सं0 19- ग्राम पंचायत अनूपपुर डिबाई विकासखण्ड गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में जाच नहीं की जा सकी, ग्राम पंचायत द्वारा रु 2005022.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय आदि पर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक से होती है। किये गये व्यय के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना वर्क आई डी वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल वाउचर फाईल मस्टररोल एम0बी0 कार्यपूर्ति पंजिका आदि उपलब्ध न होने पर व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए रु 2005022.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर वसूली तातारीख व्याज सहित जमा की जायें। उक्त के लिए उत्तरदायी प्रधान श्री हुन्ना व सचिव श्री श्याम सुन्दर है।

प्रस्तर सं0 20- ग्राम पंचायत लोदीपुर सोभन विकासखण्ड गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में जाच नहीं की जा सकी, ग्राम पंचायत द्वारा रु 609221.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय आदि पर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक से होती है। किये गये व्यय के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना वर्क आई डी वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल वाउचर फाईल मस्टररोल एम0बी0 कार्यपूर्ति पंजिका आदि उपलब्ध न होने पर व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए रु 609221.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर वसूली तातारीख व्याज सहित जमा की जायें। उक्त के लिए उत्तरदायी प्रधान श्री मनोज कुमार व सचिव श्री श्याम सुन्दर है।

प्रस्तर सं0 21- ग्राम पंचायत पोपाई हिरनपुरा विकासखण्ड गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में जाच नहीं की जा सकी, ग्राम पंचायत द्वारा रु 1285036.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय आदि पर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक से होती है। किये गये व्यय के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना वर्क आई डी वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल वाउचर फाईल मस्टररोल एम0बी0 कार्यपूर्ति पंजिका आदि उपलब्ध न होने पर व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए रु 1285036.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर वसूली तातारीख व्याज सहित जमा की जायें। उक्त के लिए उत्तरदायी प्रधान श्री मासूम अली व सचिव श्री श्याम सुन्दर है।

प्रस्तर सं0 22- ग्राम पंचायत कल्याणपुर विकासखण्ड गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में जाच नहीं की जा सकी, ग्राम पंचायत द्वारा रु 1151795.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय आदि पर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक से होती है। किये गये व्यय के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना वर्क आई डी वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल वाउचर फाईल मस्टररोल एम0बी0 कार्यपूर्ति पंजिका आदि उपलब्ध न होने पर व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए रु

1151795.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर वसूली तातारीख व्याज सहित जमा की जायें। उक्त के लिए उत्तरदायी प्रधान श्रीमती संजयवती व सचिव श्री श्याम सुन्दर है।

प्रस्तर सं0 23- ग्राम पंचायत राजपुर मढैया विकासखण्ड सिम्भावली वर्ष 2016-17 के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जाने का बार-बार सचिव से आग्रह किया जाता रहा। परन्तु कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में ग्राम पंचायत को कुल आय व ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। जबकि ग्राम पंचायत को ₹0 5251410.00 आय तथा ₹0 3960213.00 ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि प्रिया सापट से होती है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार किये गये व्यय के संबंध में कोई भी व्यय बाउचर्स उपलब्ध न होने पर व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था/प्राविधान के क्रम में व्यय की गयी धनराशि को सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः इसकी जाच कराकर अपहरण की स्थिति में कुल व्यय की धनराशि ₹0 3960213.00 का 1/2 भाग ग्राम प्रधान व 1/2 भाग संबंधित सचिव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूल की जाये। उक्त के लिए उत्तरदायी प्रधान श्रीमती तब्बसुम व संबंधित सचिव है।

प्रस्तर सं0 24- ग्राम पंचायत नंगलाबढ़ विकास खण्ड सिम्भावली वर्ष 2016-17 के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जाने का बार-बार सचिव से आग्रह किया जाता रहा। परन्तु कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में ग्राम पंचायत को कुल आय व ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय की पुष्टि न हो

सकी। जबकि ग्राम पंचायत को ₹0 2007365.00 आय तथा ₹0 622640.88 ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि प्रिया सापट से होती है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार किये गये व्यय के संबंध में कोई भी व्यय बाउचर्स उपलब्ध न होने पर व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था/प्राविधान के क्रम में व्यय की गयी धनराशि को सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः इसकी जाँच कराकर अपहरण की स्थिति में कुल व्यय की धनराशि ₹0 622640.88 का 1/2 भाग ग्राम प्रधान व 1/2 भाग संबंधित सचिव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूल की जाये। उक्त के लिए उत्तरदायी प्रधान श्रीमती तब्बसुम व संबंधित सचिव है।

प्रस्तर सं0 25- ग्राम पंचायत खुराना जहागीराबाद विकास खण्ड सिम्भावली वर्ष 2016-17 के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जाने का बार-बार सचिव से आग्रह किया जाता रहा। परन्तु कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में ग्राम पंचायत को कुल आय व ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। जबकि ग्राम पंचायत को ₹0 1236239.07 आय तथा ₹0 431862.00 ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि प्रिया सापट से होती है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार किये गये व्यय के संबंध में कोई भी व्यय बाउचर्स उपलब्ध न होने पर व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था/प्राविधान के क्रम में व्यय की गयी धनराशि को सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः इसकी जाँच कराकर अपहरण की स्थिति में कुल व्यय की धनराशि ₹0 431862.00 का 1/2 भाग ग्राम प्रधान व 1/2 भाग संबंधित सचिव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूल की जाये। उक्त के लिए उत्तरदायी प्रधान श्रीमती गीता व संबंधित सचिव है।

प्रस्तर सं0 26- ग्राम पंचायत नेकनामपुर फुल्डी विकास खण्ड सिम्भावली वर्ष 2016-17 के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जाने का बार-बार सचिव से आग्रह किया जाता रहा। परन्तु कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में ग्राम पंचायत को कुल आय व ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। जबकि ग्राम पंचायत को ₹0 2173405.00 आय तथा ₹0 670247.60 ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि प्रिया सापट से होती है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार किये गये व्यय के संबंध में कोई भी व्यय बाउचर्स उपलब्ध न होने पर व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था/प्राविधान के क्रम में व्यय की गयी धनराशि को सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः इसकी जाच कराकर अपहरण की स्थिति में कुल व्यय की

धनराशि ₹0 670247.60 का 1/2 भाग ग्राम प्रधान व 1/2 भाग संबंधित सचिव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूल की जाये। उक्त के लिए उत्तरदायी प्रधान इमराना व संबंधित सचिव है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम-मेरठ

मण्डल का नाम-मेरठ।

ग्राम पंचायत वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित आपतियाँ

प्रस्तर-01-ग्राम पंचायत समसपुर विकास खण्ड परीक्षितगढ वर्ष 2020-21 में अंकन ₹0 1177980.00 का विभिन्न तिथियों में निर्माण एवं अन्य कार्यों पर व्यय दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपतियाँ पाई गयी हैं-

1. सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रय से सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नहीं हो सकी।
3. सामग्री का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. स्वीकृत बजट, स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
5. सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नहीं कराया गया।
6. टेण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नहीं ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी।
7. सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का कोई भाडा नहीं दर्शाया गया है। जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नहीं हो सकी।
8. निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।
9. मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरों के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नहीं हो सकी।
10. माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।
11. श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टरोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नहीं कराये गये।
12. निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशों, नियमों, निर्देशों की अवहेलना दुरभिसन्धि करके गम्भीर अनियमितता कर फर्जी व्यय दर्शाकर अंकन ₹0 1177980.00 का व्यय दर्शाया गया है। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट एवं संदिग्ध है। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहनपाल तथा ग्राम प्रधान श्री रोहताश उत्तरदायी है। उक्त से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपति सं0-01)

प्रस्तर-02- ग्राम पंचायत परीक्षितगढ देहात विकास खण्ड परीक्षितगढ वर्ष 2020-21 में अंकन ₹0 2738187.72 का विभिन्न तिथियों में निर्माण एवं अन्य कार्यों पर व्यय दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपतियाँ पाई गयी हैं-

1. सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रय से सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नहीं हो सकी।

3. सामग्री का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. स्वीकृत बजट, स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
5. सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नहीं कराया गया।
6. टेण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नहीं ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी।
7. सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का कोई भाडा नहीं दर्शाया गया है। जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नहीं हो सकी।
8. निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्यपूति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।
9. मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरों के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नहीं हो सकी।
10. माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।
11. श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टरोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नहीं कराये गये।
12. निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशों, नियमों, निर्देशों की अवहेलना दुरभिसन्धि करके गम्भीर अनियमितता कर फर्जी व्यय दर्शाकर अंकन रु0 2738187.72 का व्यय दर्शाया गया है। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट एवं संदिग्ध है। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री अजीत उत्तरदायी हैं। उक्त से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपति सं0-01)

प्रस्तर-03-ग्राम पंचायत नासरपुर विकास खण्ड परीक्षितगढ वर्ष 2020-21 में अंकन रु0 1179232.00 का विभिन्न तिथियों में निर्माण एवं अन्य कार्यों पर व्यय दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपतियाँ पाई गयी हैं-

1. सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रय से सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. स्टाँक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नहीं हो सकी।
3. सामग्री का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. स्वीकृत बजट, स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
5. सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नहीं कराया गया।
6. टेण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नहीं ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी।
7. सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का कोई भाडा नहीं दर्शाया गया है। जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नहीं हो सकी।
8. निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्यपूति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।
9. मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरों के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नहीं हो सकी।
10. माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।
11. श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टरोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नहीं कराये गये।

12. निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशों, नियमों, निर्देशों की अवहेलना दुरभिसन्धि करके गम्भीर अनियमितता कर फर्जी व्यय दर्शाकर अंकन रु0 1179232.00 का व्यय दर्शाया गया है। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट एवं संदिग्ध है। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री गजराज उत्तरदायी है। उक्त से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-04-ग्राम पंचायत आसिफाबाद विकास खण्ड परीक्षितगढ वर्ष 2020-21 में अंकन रु0 1731822.00 का विभिन्न तिथियों में निर्माण एवं अन्य कार्यों पर व्यय दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपत्तियाँ पाई गयी हैं-

1. सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रय से सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्त प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नहीं हो सकी।
3. सामग्री का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. स्वीकृत बजट, स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
5. सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नहीं कराया गया।
6. टेण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नहीं ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी।
7. सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का कोई भाडा नहीं दर्शाया गया है। जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नहीं हो सकी।
8. निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्यपूति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।
9. मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरों के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नहीं हो सकी।
10. माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।
11. श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टरोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नहीं कराये गये।
12. निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशों, नियमों, निर्देशों की अवहेलना दुरभिसन्धि करके गम्भीर अनियमितता कर फर्जी व्यय दर्शाकर अंकन रु0 1731822.00 का व्यय दर्शाया गया है। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट एवं संदिग्ध है। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहनपाल तथा ग्राम प्रधान श्री लोकेश उत्तरदायी है। उक्त से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-05- ग्राम पंचायत चितवाना विकास खण्ड परीक्षितगढ वर्ष 2020-21 में अंकन रु0 2023078.00 का विभिन्न तिथियों में निर्माण एवं अन्य कार्यों पर व्यय दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपत्तियाँ पाई गयी हैं-

1. सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रय से सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्त प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नहीं हो सकी।
3. सामग्री का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. स्वीकृत बजट, स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
5. सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नहीं कराया गया।
6. टेण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नहीं ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी।
7. सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का कोई भाड़ा नहीं दर्शाया गया है। जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नहीं हो सकी।
8. निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।
9. मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरों के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नहीं हो सकी।
10. माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।
11. श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टरोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नहीं कराये गये।
12. निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशों, नियमों, निर्देशों की अवहेलना दुरभिसन्धि करके गम्भीर अनियमितता कर फर्जी व्यय दर्शाकर अंकन रु0 2023078.00 का व्यय दर्शाया गया है। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट एवं संदिग्ध है। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री पारस गुप्ता तथा ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम उत्तरदायी है। उक्त से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-06- ग्राम पंचायत सैफपुर फिरोजपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर वर्ष 2020-21 में बिना विभागीय स्वीकृति, बजट, एस्टीमेट, कोटेशन, गार्ड फाईल के अभाव में विभागीय अधिकारियों के नियमों एवं आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करके निर्माण कराया गया जो गम्भीर अनियमितता का घोटक है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	18.12.2020	एस0 कान्टे0 टाईल्स क्रय	1757000.00
2	14.10.2020	कटारिया टैडर्स, टाईल्स क्रय	97500.00
योग-			1854500.00

इस प्रकार प्रधान श्रीमती संगीता तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश द्वारा धनराशि रु0 1854500.00 निर्माण कार्यों में गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री ओमप्रकाश सिंह से बराबर-बराबर मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-07- ग्राम पंचायत सैफपुर फिरोजपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर वर्ष 2020-21 में दिनांक 21.12.2021 को हैण्डपम्प मरम्मत मय सामान रु0 111227.00 तथा दिनांक 29.03.2021 को हैण्डपम्प रिबोर मरम्मत मय सामान 39603.00 कुल धनराशि 150830.00 का भुगतान श्री राजेन्द्र कुमार मिस्त्री को किया गया है किन्तु हैण्डपम्प खराब की पत्रावली के अभाव में हैण्डपम्प खराब की रिपोर्ट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति सम्बन्धी आदेश/निर्देश प्रमाणक के अभाव में रु0 150830.00 का अपहरण किया गया, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री ओमप्रकाश सिंह से बराबर-बराबर मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-03)

प्रस्तर-08- ग्राम पंचायत सैफपुर फिरोजपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर वर्ष 2020-21 में दिनांक 23.09.2021 को हिन्दुस्तान मीडिया को रु0 3738.00 बाबत निर्माण कार्यों के टेण्डर हेतु विज्ञापन का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान, प्रमाणक, अखबार की कंटिंग अनुबन्ध पत्र आदि के अभाव में तथा निविदा कार्य से प्राप्त होने वाली

आय को कोष रजिस्टर में अंकित न करके ग्राम प्रधान श्रीमती बाला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश द्वारा धनराशि रु0 3738.00 का अपहरण किया गया, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री ओमप्रकाश सिंह से बराबर-बराबर मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-04)

प्रस्तर-09-ग्राम पंचायत मीवा विकास खण्ड हस्तिनापुर वर्ष 2020-21 में बिना व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्वीकृत बजट, एम0बी0, सी0आर0 के व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रु0 2672577.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तीर्थराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री नरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-01)**

प्रस्तर-10- ग्राम पंचायत अकबरपुर गढी विकास खण्ड हस्तिनापुर वर्ष 2020-21 में बिना व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्वीकृत बजट, एम0बी0, सी0आर0 के व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रु0 2888380.52 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री नरेन्द्र कुमार से बराबर-बराबर मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-01)**

प्रस्तर-11- ग्राम पंचायत हिमांयुपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर वर्ष 2020-21 में बिना व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्वीकृत बजट, एम0बी0, सी0आर0 के व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रु0 1140289.82 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री नरेन्द्र कुमार से बराबर-बराबर मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-01)**

प्रस्तर -12-ग्राम पंचायत जंधेडी विकास खण्ड हस्तिनापुर द्वारा वर्ष 2020-21 में बिना व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्वीकृत बजट, एम0बी0, सी0आर0 के व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं श्री विश्वेन्द्र, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रु0 3172721.40 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री विश्वेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-01)**

प्रस्तर-13- ग्राम पंचायत शाहपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर द्वारा वर्ष 2020-21 में निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत मय सामान के भुगतान किया गया-

क्र0	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	28.09.2020	भारत हैण्डपम्प स्टोर	40507.00
2	21.12.2020	राजेन्द्र मिस्त्री	76682.00
3	21.12.2020	राजेन्द्र मिस्त्री	28840.00
योग-			146029.00

ग्राम सभा द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत मय सामान धनराशि रु0 146029.00 का भुगतान बिना प्रमाणक, हैण्डपम्प खराबी की रिपोर्ट, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, आदेश, निर्देश के अभाव में भुगतान कर प्रधान श्रीमती बाला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश द्वारा अपहरण किया गया, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बाला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री ओमप्रकाश सिंह से बराबर-बराबर मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-02)

प्रस्तर-14-ग्राम पंचायत शाहपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर द्वारा वर्ष 2020-21 में दिनांक 28.09.2020 को हिन्दुस्तान मीडिया को रु0 3738.00 बाबत निर्माण कार्य के टेण्डर हेतु विज्ञापन का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान, प्रमाणक, अखबार की कंटिंग अनुबन्ध पत्र आदि के अभाव में तथा निविदा कार्य से प्राप्त होने वाली आय को कोष रजिस्टर में अंकित न करके ग्राम प्रधान श्रीमती बाला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश द्वारा धनराशि रु0 3738.00 का अपहरण किया गया, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बाला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री ओमप्रकाश सिंह से बराबर-बराबर मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपति सं0-03)**

प्रस्तर-15- ग्राम पंचायत भवी विकास खण्ड जानी खुर्द वर्ष 2020-21 में अंकन रु0 2893679.00 का विभिन्न तिथियों में निर्माण एवं अन्य कार्य पर व्यय दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपतियाँ पाई गयी हैं-

1. सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रय से सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. स्टाँक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नहीं हो सकी।
3. सामग्री का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. स्वीकृत बजट, स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
5. सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नहीं कराया गया।
6. टेण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नहीं ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी।
7. सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का कोई भाडा नहीं दर्शाया गया है। जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नहीं हो सकी।
8. निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।
9. मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरों के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नहीं हो सकी।
10. माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।
11. श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टरोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नहीं कराये गये।
12. निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशों, नियमों, निर्देशों की अवहेलना दुरभिसन्धि करके गम्भीर अनियमितता कर फर्जी व्यय दर्शाकर अंकन रु0 2893679.00 का व्यय दर्शाया गया है। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट एवं संदिग्ध है। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री मुकेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री भूपचन्द उत्तरदायी है। उक्त से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-16- ग्राम पंचायत टीकरी विकास खण्ड जानी खर्द वर्ष 2020-21 में अंकन रु0 1886224.00 का विभिन्न तिथियों में निर्माण एवं अन्य कार्यों पर व्यय दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपत्तियाँ पाई गयी हैं-

1. सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रय से सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. स्टाँक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नहीं हो सकी।
3. सामग्री का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. स्वीकृत बजट, स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
5. सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नहीं कराया गया।
6. टेण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नहीं ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी।
7. सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का कोई भाडा नहीं दर्शाया गया है। जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नहीं हो सकी।
8. निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।
9. मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरों के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नहीं हो सकी।
10. माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।

11. श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टरोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नहीं कराये गये।

12. निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशों, नियमों, निर्देशों की अवहेलना दुरभिसन्धि करके गम्भीर अनियमितता कर फर्जी व्यय दर्शाकर अंकन रु0 1886224.00 का व्यय दर्शाया गया है। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट एवं संदिग्ध है। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री मुकेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री संदीप कुमार उत्तरदायी है। उक्त से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-17- ग्राम पंचायत मुख्त्यारपुर नंगला विकास खण्ड दौराला में आलोच्य वर्ष 2020-21 में श्री गौरव, प्रधान एवं श्री रिषभ कनिक ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रु0 770339.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

अंकन रु0 770339.00 श्री गौरव प्रधान एवं श्री रिषभ कनिक ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण अंकन रु0 770339.00 की वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रु0 770339.00 की वसूली ब्याज सहित श्री गौरव प्रधान एवं श्री रिषभ कनिक ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-03)

प्रस्तर-18- ग्राम पंचायत उलखपुर विकास खण्ड दौराला में आलोच्य वर्ष 2020-21 में श्री सुरेश प्रधान एवं श्री वेदराम ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रु0 1319387.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

अंकन रु0 1319387.00 श्री सुरेश प्रधान एवं श्री वेदराम ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण अंकन रु0 1319387.00 की वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रु0 1319387.00 की वसूली ब्याज सहित श्री सुरेश प्रधान एवं श्री वेदराम ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-19- ग्राम पंचायत पावली खास विकास खण्ड दौराला में आलोच्य वर्ष 2020-21 में श्रीमती विनीता प्रधान एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रु0 5045102.17 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट

में सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

अंकन रु0 5045102.17 श्रीमती विनीता प्रधान एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण अंकन रु0 5045102.17 की वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रु0 5045102.17 की वसूली ब्याज सहित श्रीमती विनीता प्रधान एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-03)

प्रस्तर-20- ग्राम पंचायत बपरसा विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2020-21 में श्री सुधीर प्रधान एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रु0 2025826.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा ऑडिट में सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

अंकन रु0 2025826.00 श्री सुधीर प्रधान एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण अंकन रु0 2025826.00 की वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रु0 2025826.00 की वसूली ब्याज सहित श्री सुधीर प्रधान एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-10)

प्रस्तर-21- ग्राम पंचायत जलालाबाद उर्फ जमालपुर विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2020-21 में श्री मती सुरेशवती प्रधान एवं श्री वेदराम ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रु0 2292329.12 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा ऑडिट में सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

अंकन रु0 2292329.12 श्री मती सुरेशवती प्रधान एवं श्री वेदराम ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण अंकन रु0 2292329.12 की वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रु0 2292329.12 की वसूली ब्याज सहित श्रीमती सुरेशवती प्रधान एवं श्री वेदराम ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-03)

प्रस्तर-22- ग्राम पंचायत गेसूपुर बफावत विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2020-21 में श्री विकास चौधरी प्रधान एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रु0 3342669.40 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

अंकन रु0 3342669.40 प्रधान श्री विकास चौधरी एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण अंकन रु0 3342669.40 की वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रु0 3342669.40 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री विकास चौधरी एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0-10)**

प्रस्तर-23- ग्राम पंचायत मुल्हैडा विकास खण्ड सरूरपुर में वर्ष 2020-21 में श्री मती रेखा रानी प्रधान एवं श्री संजय कान्त वशिष्ठ ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रु0 3870934.0 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

अंकन रु0 3870934.0 श्री मती रेखा रानी प्रधान एवं श्री संजय कान्त वशिष्ठ ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण अंकन रु0 3870934.0 की वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रु0 3870934.0 की वसूली ब्याज सहित श्री मती रेखा रानी प्रधान एवं श्री संजय कान्त वशिष्ठ ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0-01)**

प्रस्तर-24- ग्राम पंचायत बपरसी विकास खण्ड सरूरपुर में वर्ष 2020-21 में श्री मोहन प्रधान एवं श्री संजय कान्त वशिष्ठ ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रु0 1367684.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

अंकन रु0 1367684.00 श्री मोहन प्रधान एवं श्री संजय कान्त वशिष्ठ ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण अंकन रु0

1367684.00 की वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करें। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रु0 1367684.00 की वसूली ब्याज सहित श्री मोहन प्रधान एवं श्री संजय कान्त वशिष्ठ ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है। (आपति सं0-04)

प्रारूप - 4

जनपद -अमरोहा

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपतियां

(1)ग्राम पंचायत का नाम- नगली शेख

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-01 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत नगली शेख में ग्राम प्रधान श्री सुभाष एवं पंचायत सचिव श्री सुमित कुमार द्वारा 635422.20 रुपये व्यय किया गया लेखा परीक्षा के दौरान बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी फाईल बिल वाउचर मस्टर रोल एम.बी. एवं स्टीमेट प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी बिना फाईल बिल वाउचर मस्टररोल एम.बी. एवं स्टीमेट के धनराशि का आहरण अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सुभाष एवं पंचायत सचिव श्री सुमित कुमार से की जानी अपेक्षित है। **सम्बन्धित धनराशि- 635422/-**

(2) ग्राम पंचायत का नाम- आरिफपुर माफी

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-02- वर्क आईडी 49591654 के द्वारा दिनांक 06-03-2021 को अनेक स्थानों पर स्लेब निर्माण के नाम पर रु0- 98200.00 का आहरण माडर्न इंटरप्राइजेज के नाम पर आहरित किया गया लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी बिल वाउचर एवं मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना बिल वाउचर एवं मस्टर रोल के धन का आहरण अपहरण की श्रेणी में आता है। इस लिए उक्त धनराशि की वसूली पंचायत सचिव श्री अभिनव कुमार एवं सहायक विकास अधिकारी सी.पी.सिंह. (तत्कालीन प्रशासक) से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि- 98200/-

प्रस्तर-03- वर्क आईडी 43016302 के द्वारा दिनांक 06-03-2021 को हैण्डपम्प मरम्मत के नाम पर रु0- 31990.00 का आहरण माडर्न इंटरप्राइजेज के नाम पर आहरित किया गया लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी बिल वाउचर एवं मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया। यह हैण्डपम्प मरम्मत किन स्थानों पर की गयी यह भी नहीं बताया गया। बिना बिल वाउचर एवं मस्टर रोल के धन का आहरण अपहरण की श्रेणी में आता है। इस लिए उक्त धनराशि की वसूली पंचायत सचिव श्री अभिनव कुमार एवं सहायक विकास अधिकारी सी.पी.सिंह. (तत्कालीन प्रशासक) से की जानी अपेक्षित है। **सम्बन्धित धनराशि- 31990/-**

प्रस्तर-04- वर्क आईडी 37138003 के द्वारा दिनांक 06-03-2021 को हैण्डपम्प चबूतरी निर्माण के नाम पर रु0- 51725.00 का आहरण माडर्न इंटरप्राइजेज के नाम पर आहरित किया गया लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी बिल वाउचर एवं मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना बिल वाउचर एवं मस्टर रोल के धन का आहरण अपहरण की श्रेणी में आता है। इस लिए उक्त धनराशि की वसूली पंचायत सचिव श्री अभिनव कुमार एवं सहायक विकास अधिकारी सी.पी.सिंह. (तत्कालीन प्रशासक) से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि- 51725/-

(3) ग्राम पंचायत का नाम- साला नंगला

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-05- वर्क आईडी 41361098 के द्वारा प्रधान मानदेय के नाम पर विभिन्न तिथियों को रु0- 157500.00 सुखवीर सिंह के नाम पर आहरित किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान प्रधान मानदेय से सम्बन्धित कोई भी रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी बिना मानदेय रजिस्टर के धन आहरित करना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सुखवीर सिंह एवं पंचायत सचिव श्री अभिनव कुमार से की जानी अपेक्षित है। **सम्बन्धित धनराशि- 157500/-**

प्रस्तर-06- वर्क आईडी 43016302 के द्वारा हैण्डपम्प रीबोर के नाम पर रु0- 59000.00 आहरित किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान हैण्डपम्प रीबोर से सम्बन्धित कोई भी फाईल एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया

जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी बिना फाईल एवं व्यय प्रमाणक के धन आहरित करना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सुखवीर सिंह एवं पंचायत सचिव श्री अभिनव कुमार से की जानी अपेक्षित है। **सम्बन्धित धनराशि- 59000/-**

(4) ग्राम पंचायत का नाम- चक वासीपुर

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-07- वर्क आईडी 41019316 के द्वारा दिनांक 12-03-2021 को हैण्डपम्प मरम्मत के नाम पर ₹0-70000.00 का आहरण माडर्न इंटरप्राइजेज के नाम पर आहरित किया गया लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी बिल वाउचर एवं मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया। यह हैण्डपम्प मरम्मत किन स्थानों पर की गयी यह भी नहीं बताया गया। बिना बिल वाउचर एवं मस्टर रोल के धन का आहरण अपहरण की श्रेणी में आता है। इस लिए उक्त धनराशि की वसूली पंचायत सचिव श्री अभिनव कुमार एवं सहायक विकास अधिकारी सी.पी.सिंह. (तत्कालीन प्रशासक) से की जानी अपेक्षित है। **सम्बन्धित धनराशि- 70000/-**

प्रस्तर-08- वर्क आईडी 44095426 के द्वारा दिनांक 25-11-2020 को ग्राम पंचायत में सफाई के नाम पर ₹0-45540.00 का आहरण किया गया लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी बिल वाउचर एवं मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना बिल वाउचर एवं मस्टर रोल के धन का आहरण अपहरण की श्रेणी में आता है। इस लिए उक्त धनराशि की वसूली पंचायत सचिव श्री अभिनव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती समर जहां से की जानी अपेक्षित है। **सम्बन्धित धनराशि- 45540/-**

(5) ग्राम पंचायत का नाम- घरौंट

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-09- दिनांक 24.12.20 हैण्डपम्प रिबार ग्राम पंचायत स्तर पर चार हैण्डपम्प रिपोर्ट कराए गए जिस पर 120549.00 खर्च किया गया परन्तु पुष्टि में हैण्डपम्प रिबार की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पुष्टि के अभाव में उक्त अनियमित व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती समर जहां एवं पंचायत सचिव श्री अभिनव कुमार से की जानी अपेक्षित है। **सम्बन्धित धनराशि- 120549/-**

प्रस्तर-10- दिनांक 28.08.20 को काविन्दर सिंह ग्राम प्रधान को 19 माह का मानदेय का भुगतान 66500/- किया गया परन्तु पुष्टि में प्रधान द्वारा प्राप्त रसीद की पत्रावली लेखा परीक्षा दौरान में उपलब्ध नहीं करायी गयी न ही यह स्पष्ट हो सका यह मानदेय किस माह से किस माह का था क्योंकि विगत वर्ष का भी मानदेय इसमें शामिल किया गया है। पुरानी कैश बुक के अप्राप्त रहने से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि विगत वर्ष का मानदेय इनको देना शेष है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान श्री कावेन्द्र सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री धर्मपाल सिंह का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। एवं इसी अध्याय के खंड-8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान श्री कावेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत श्री कावेन्द्र सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री धर्मपाल सिंह से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः दर्शायी गयी धनराशि 187049.00 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्री कावेन्द्र सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री धर्मपाल सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि- 66500/-

(6) ग्राम पंचायत का नाम- सीकरी भूड

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-11- दिनांक 08.10.20 को ग्राम पंचायत स्तर पर सैनिटाइजर्स छिड़काव गांव के लिए इरकॉन अली बीज भण्डार एवं कीटनाशक स्टोर को 22500/- का भुगतान किया गया परन्तु पुष्टि में कोई प्रमाणक/ वाउचर नहीं पाया गया।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा

नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। एवं इसी अध्याय के खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्री राजू सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री राजीव सिंह से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः दर्शायी गयी धनराशि 22500.00 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्री राजू सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री राजीव कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि- 22500/-

(7) ग्राम पंचायत का नाम- बाहपुर

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-12- दिनांक 25.03.20 को ग्राम पंचायत में नाली के खिलाफ निर्माण हेतु रूपया 25218/- का भुगतान मलिक ट्रेडर्स को किया गया। पत्रावली /प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। पुष्टि के अभाव में उक्त धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती मुन्नी तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री यशपाल सिंह से की जानी अपेक्षित है। **सम्बन्धित धनराशि- 25218/-**

प्रस्तर-13- दिनांक 15.10.20 को 17282/- का भुगतान राखी फोटो स्टूडियो एवं जनरल स्टोर हसनपुर को प्रशासनिक व्यय से सम्बन्धित है परन्तु पुष्टि में वाउचर/ प्रमाणक नहीं पाया गया।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। एवं इसी अध्याय के खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती मुन्नी तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री यशपाल सिंह से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः दर्शायी गयी धनराशि 17282.00 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती मुन्नी तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री यशपाल सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि- 17282/-

(8) ग्राम पंचायत का नाम- रहरा

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-14- प्राईमरी विद्यालय श्यामगढ़ी में टायलेट निर्माण पर व्यय पर निम्न प्रकार व्यय किया गया (15वां वित्त आयोग) (कार्य आई.डी. - 39901384)

1. दिनांक 23.12.20 को श्री साईं इन्टरप्राइजेज को भुगतान- 49767/-
2. दिनांक 23.12.20 को फौज ब्रिक्स को भुगतान- 31715/-
3. दिनांक 23.12.20 को कार्य की मजदूरी का भुगतान 49720/-

योग- 131202/-

सम्बन्धित धनराशि- 131202/-

प्रस्तर-15- ग्राम पंचायत में वाल पेन्टिंग कार्य (चांद एडवरटाईजमेंट)भुगतान - 73625/-

(5वां वित्त आयोग) (कार्य आई.डी. - 39918270)

प्रस्तर-16- प्राईमरी विद्यालय श्यामगढ़ी में सी.सी. टाईल्स निर्माण पर व्यय पर निम्न प्रकार व्यय किया गया (4वां वित्त आयोग) (कार्य आई.डी. -)

1. दिनांक 31.10.20 को श्री साईं इन्टरप्राइजेज को भुगतान- 181133/-
2. दिनांक 31.10.20 को कार्य की मजदूरी का भुगतान- 38295/-

योग- 219428/-

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार व ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह

संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। एवं इसी अध्याय के खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती बबिता गौतम तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री कपिल से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः दर्शायी गयी धनराशि 219428.00 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती बबिता गौतम तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री कपिल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि-219428/-

(9) ग्राम पंचायत का नाम- निरयावली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-17- लेखा परीक्षा दौरान सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य पर व्यय की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

जिसका भुगतान कैशबुक के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग से 377888/- का भुगतान निम्न प्रकार किया गया है-

1. फौजी ब्रिक्स को भुगतान (23.09.20) 68355/-
2. अजब सीमेंट स्टोर (23.09.20) 33120/-
3. अयान इन्टरप्राइजेज (23.09.20) 63133/-

योग- 164608/-

4. नरेश कुमार को भुगतान (19.12.20) 27240/-
5. दीप इन्टरप्राइजेज (19.12.20) 57908/-
6. फौजी ब्रिक्स को भुगतान (19.12.20) 60470/-
7. अयान इन्टरप्राइजेज (19.12.20) 67662/-

योग- 213280/-

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार व ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। एवं इसी अध्याय के खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती शीला तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री नरेन्द्र मौर्य से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः दर्शायी गयी धनराशि 377888.00 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती शीला तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री नरेन्द्र मौर्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि- 377888/-

(10) ग्राम पंचायत का नाम- चकफेरी

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-18- लेखा परीक्षा दौरान सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य पर व्यय की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

जिसका भुगतान कैशबुक के अनुसार 15वां वित्त आयोग से 365286/- का भुगतान निम्न प्रकार किया गया है-

1. कदीर कन्टेक्शन कम्पनी (23.09.20) 89620/-
2. कदीर कन्टेक्शन कम्पनी (23.09.20) 60480/-
3. कदीर कन्टेक्शन कम्पनी (23.09.20) 97386/-
4. कदीर कन्टेक्शन कम्पनी (23.09.20) 117800/-

योग- 365286/-

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार व ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। एवं इसी अध्याय के खंड-8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्री चौखा तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री कपिल से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः दर्शायी गयी धनराशि 365286.00 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्री चौखा तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री कपिल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि- 365286/-

(11) ग्राम पंचायत का नाम- खरपड़ी

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-19- लेखा परीक्षा के दौरान सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य पर व्यय की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही-

जिसका भुगतान कैश बुक के अनुसार 15वें वित्त आयोग से 240292.00 का भुगतान निम्न प्रकार किया गया है-

1. सैनी सीमेन्ट स्टोर- 111136.00 दिनांक 22.09.2020
2. नारायण ब्रिक्स- 113556.00 दिनांक- 22.09.2020
3. गंगा राम सैनी को भुगतान- 6488.00 दिनांक 22.09.2020
4. गंगा राम सैनी को भुगतान- 9112.00 दिनांक 27.09.2020

योग- 240292.00

पुष्टि के अभाव में उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री गंगाराम सैनी तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री नरेन्द्र मौर्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-20- लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत की सफाई हेतु डस्टबिन क्रय पर व्यय की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही-

जिसका भुगतान कैश बुक के अनुसार 15वें वित्त आयोग से 58000.00 का भुगतान जे.एस.आर. एन्टरप्राइजेज को किया गया है-

इस प्रकार 298292.00 की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार व ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। एवं इसी अध्याय के खंड-8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्री गंगाराम सैनी तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री नरेन्द्र मौर्य से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः दर्शायी गयी धनराशि 298292.00 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्री गंगाराम सैनी तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री नरेन्द्र मौर्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(12) ग्राम पंचायत का नाम- रहरई

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-21- लेखा परीक्षा के दौरान सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य पर व्यय की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही-

जिसका भुगतान कैश बुक के अनुसार 15वें वित्त आयोग से 953005.00 का भुगतान निम्न प्रकार किया गया है-

1. दिनांक 10.10.2020 को वैशाली सीमेन्ट स्टोर को भुगतान-	70725.00
2. दिनांक 10.10.2020 को अग्रवाल ब्रिक्स को भुगतान-	212940.00
3. दिनांक 10.10.2020 को श्री हरि ट्रेडर्स को भुगतान-	136530.00
4. माह 10.2020 को मजदूरी का भुगतान-	15120.00
योग-	435315.00
5. दिनांक 1.11.2020 को वैशाली सीमेन्ट स्टोर को भुगतान-	225000.00
6. दिनांक 1.11.2020 को जय श्री इंटरप्राइजेज को भुगतान-	80000.00
7. दिनांक 1.11.2020 को श्री हरि ट्रेडर्स को भुगतान-	74250.00
8. दिनांक 1.11.2020 को अग्रवाल ब्रिक्स को भुगतान-	65318.00
9. माह 11.2020 को मजदूरी का भुगतान-	73122.00
योग-	517690.00

पुष्टि के अभाव में उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान पंचायत श्री रामप्रकाश तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री नरेन्द्र मौर्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-22- लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत की सफाई हेतु डस्टबिन क्रय पर व्यय की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही-

दिनांक 27.09.2020 को कैशबुक के अनुसार 14वें वित्त से 112000.00 का भुगतान सन एनर्जी एन्टरप्राइजेज को किया गया है।

इस प्रकार 1065005.00 की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार व ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। एवं इसी अध्याय के खंड-8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्री रामप्रकाश तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री नरेन्द्र मौर्य से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः दर्शायी गयी धनराशि 1065005.00 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्री रामप्रकाश तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री नरेन्द्र मौर्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(13) ग्राम पंचायत का नाम- खरगनी

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-23- लेखा परीक्षा के दौरान सार्वजनिक शौचालय के निर्माण कार्य पर व्यय की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही-

जिसका भुगतान कैश बुक के अनुसार 15वें वित्त आयोग से 380896.00 का भुगतान निम्न प्रकार किया गया है-

1. फौजी ब्रिक्स को भुगतान (18.09.20)-	63787.00
2. सुन्दर ट्रेडर्स को भुगतान (21.09.20)-	88650.00
3. जे.एस.आर. इंटरप्राइजेज (23.01.21)	191526.00
4. फौजी ब्रिक्स को भुगतान (23.01.21)	12584.00
5. मोमिन को भुगतान (23.01.21)	24349.00
योग-	380896.00

इस प्रकार 380896.00 की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार व ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख

उपलब्ध कराए। एवं इसी अध्याय के खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्री प्रकाश सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री कपिल कुमार से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः दर्शायी गयी धनराशि 380896.00 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्री प्रकाश सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री कपिल कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(14) ग्राम पंचायत का नाम- बुरावली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-24- लेखा परीक्षा के दौरान सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य पर व्यय की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही-

जिसका भुगतान कैश बुक के अनुसार 15वें वित्त आयोग से 350189.00 का भुगतान निम्न प्रकार किया गया है-

1. महरुना इंटर प्राईजेज को भुगतान (22.09.20) 94307.00
2. फौजी ब्रिक्स वर्क्स को भुगतान (24.09.20) 60480.00
3. कादर कन्टेक्शन कम्पनी को भुगतान (6.01.20) 116200.00
4. महरुना इंटर प्राईजेज को भुगतान (6.10.20) 79202.00

योग- 350189.00

पुष्टि के अभाव में उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान पंचायत श्री लालमन तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री नरेन्द्र मौर्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-25- लेखा परीक्षा के दौरान पंचायत भवन रिपेयर पर व्यय की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही-

जिसका भुगतान 09.03.2021 कैश बुक के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से 249181.00 का भुगतान निम्न प्रकार किया गया है-

1. फौजी ब्रिक्स वर्क्स को भुगतान (09.03.21) 48328.00
2. फौजी ब्रिक्स वर्क्स को भुगतान (09.03.21) 74773.00
3. मजदूरी पर व्यय (09.03.21) 126080.00

योग- 249181.00

इस प्रकार 599370.00 की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार व ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। एवं इसी अध्याय के खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्री लालमन तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री नरेन्द्र मौर्य से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः दर्शायी गयी धनराशि 599370.00 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्री लालमन तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री नरेन्द्र मौर्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(15) ग्राम पंचायत का नाम- हैबतपुर बंजारा

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-26- लेखा परीक्षा के दौरान ऑगनबाड़ी में सौन्दर्यकरण कार्य पर व्यय की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही-

जिसका भुगतान कैश बुक के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से 169409.00 का भुगतान निम्न प्रकार किया गया है-

1. सैनी आयरन स्टोर का भुगतान(24.09.20)- 145912.00

2. मलिक ट्रेडर्स का भुगतान (24.09.20)	23497.00
योग-	169409.00

पुष्टि के अभाव में उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान पंचायत मो० युसुफ तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री विपिन यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-27- दिनांक 03.09.2020 को एल.ई.डी. लाईट पर व्यय 77250.00 का भुगतान 14 वें वित्त आयोग से धक्का ट्रेडिंग को० को किया गया है पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया। वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-28- लेखा परीक्षा के दौरान सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य पर व्यय की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही-

जिसका भुगतान कैश बुक के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से 369282.00 का भुगतान निम्न प्रकार किया गया है-

1. सैनी आयरन स्टोर का भुगतान(04.04.20)-	162786.00
2. नूर एण्ड कम्पनी को भुगतान(04.04.20)-	174816.00
3. मजदूरी का भुगतान(04.04.20)-	31680.00
योग-	369282.00

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार व ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। एवं इसी अध्याय के खंड-8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत मो० युसुफ तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री विपिन यादव से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः उक्त प्रस्तरों में दर्शायी गयी धनराशि 615941.00 (169409+77250+369282) को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत मो० युसुफ तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री विपिन यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(16) ग्राम पंचायत का नाम- सकतपुर करनपुर

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-29- वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दौरान कैशबुक के अनुसार निम्न तिथियों में भुगतान स्ट्रीट लाईट हेतु किया गया है।

1. 20.12.2020 दक्ष ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान-	147000.00	आई.डी. नं-	40896745
2. 20.12.2020 दक्ष ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान-	140000.00	आई.डी. नं-	40897146
योग-	287000.00		

उपरोक्त दोनो पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण निम्न आपत्ती अनुसार अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है-

त्रिस्तरीय पंचायतों में स्ट्रीट लाईट लगाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश में उल्लिखित ब्रांड्स की लाईट के स्थान पर डुप्लीकेट/मानक के विरुद्ध स्ट्रीट लाईट लगायी जा रही है। जो शासनादेश में उल्लिखित नियमों के विरुद्ध है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार व ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। एवं इसी अध्याय के खंड-8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती ओमवती तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री विपिन यादव से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही

जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः दर्शायी गयी धनराशि 287000.00 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती ओमवती तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री विपिन यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(17) ग्राम पंचायत का नाम- बरखेड़ा सादात

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-30- वर्क आई.डी.- 44983194 द्वारा ₹0- 81210.00 इन्टर लाकिंग क्रय एवं ₹0- 25985.00 मिट्टी भराव के नाम पर (कुल धनराशि ₹0- 107195.00) बदलू के जगह से देवेन्द्र के घर तक इन्टर लाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य हेतु व्यय किया गया जबकि उप धनराशि मेन्टेन्स आफ वाटर सप्लाई लाईन हेतु आवंटित थी। उक्त व्यय अनियमित तरीके से किया गया। जिसकी वसूली पंचायत सचिव योगेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री कन्हैया से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-31- वर्क आई.डी.- 45348067 द्वारा ₹0- 133412.00 मन्दिर से धर्मी के घर तक नाला मरम्मत कार्य हेतु व्यय किया किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी पत्रावली के अभाव में उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली पंचायत सचिव योगेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री कन्हैया से की जानी अपेक्षित है।

(18) ग्राम पंचायत का नाम- बीबड़ा कला

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-32- वर्क आई.डी.- 42657915 के द्वारा शेखर के घर से चमनी देवी के घर तक इन्टर लाकिंग कार्य के नाम पर ₹0- 31050.00 मिट्टी भराव राजकुमार के नाम पर एवं ₹0- 133560.00 इन्टर लाकिंग क्रय नौनिहाल सिंह टाईल्स एंड काट्रेक्टर के नाम पर (कुल धनराशि ₹0- 164610.00) धन आहरित किया गया किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना व्यय प्रमाणक के धन आहरित करना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली पंचायत सचिव रामवीर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज देवी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-33- वर्क आई.डी.- 44927850 के द्वारा ₹0- 75000.00 का फर्नीचर क्रय किया गया किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना व्यय प्रमाणक के धन आहरित करना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली पंचायत सचिव रामवीर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज देवी से की जानी अपेक्षित है।

(19) ग्राम पंचायत का नाम- मऊमय चक

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-34- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मऊमय चक में ₹0- 1800793.00 व्यय किया गया लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी. मस्टररोल, व्यय प्रमाणक इत्यादि) प्रस्तुत नहीं की गयी। बिना पत्रावली/व्यय प्रमाणक के धन आहरित करना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली पंचायत सचिव रामवीर एवं ग्राम प्रधान श्री दिनेश से की जानी अपेक्षित है।

(20) ग्राम पंचायत का नाम- गजाना

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-35- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत गजाना में ₹0- 577409.00 व्यय किया गया लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी. मस्टररोल, व्यय प्रमाणक इत्यादि) प्रस्तुत नहीं की गयी। बिना पत्रावली/व्यय प्रमाणक के धन आहरित करना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली पंचायत सचिव श्री मोहित चौधरी एवं ग्राम प्रधान श्री रक्षपाल से की जानी अपेक्षित है।

(21) ग्राम पंचायत का नाम- नानक नगली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-36- वर्क आई.डी.- 44506947 के द्वारा ताहिर के घर से रिहासत के घर तक नाली एवं खड़जा निर्माण कार्य के नाम पर ₹0- 12150.00 मिट्टी भराव ₹0- 40662.00 ईंट क्रय, ₹0- 12765.00 लेबर भुगतान एवं ₹0- 11211.00 बालू क्रय के नाम पर (कुल ₹0- 76788.00) धन आहरित किया गया किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना व्यय प्रमाणक के धन आहरित करना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली पंचायत सचिव रामवीर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती आयशा खातून से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-37- वर्क आई.डी.- 43050374 के द्वारा इन्तजार के घर से लालू के घर तक नाली एवं इंटर लाकिंग निर्माण कार्य के नाम पर ₹0- 29700.00 मिट्टी भराव, ₹0-169896.00 इंटर लाकिंग के नाम पर (कुल ₹0-199596.00) धन आहरित किया गया किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना व्यय प्रमाणक के धन आहरित करना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली पंचायत सचिव रामवीर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती आयशा खातून से की जानी अपेक्षित है।

(22) ग्राम पंचायत का नाम- कैलसा

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-38- आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार ₹0-2913992.50 विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्तियों के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि ₹0- 2913992.50 के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई.डी., वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। एवं इसी अध्याय के खंड-8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती सुनीता देवी तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री भोपाल तोमर से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि 2913992.50 का गबन प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती सुनीता देवी तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री भोपाल तोमर द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

(23) ग्राम पंचायत का नाम- पूरनपुर

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-39- आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार ₹0-3864095.00 विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्तियों के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि ₹0- 3864095.00 के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई.डी., वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। एवं इसी अध्याय के खंड-8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि 3864095.00 का गबन प्रधान ग्राम पंचायत श्री योगेन्द्र सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री भोपाल तोमर द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

(24) ग्राम पंचायत का नाम- मीठनपुर

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-40- आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार ₹0-1370009.00 विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्तियों के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि ₹0- 1370009.00 के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई.डी., वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर,

स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। एवं इसी अध्याय के खंड-8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि 1370009.00 का गबन प्रधान ग्राम पंचायत श्री अय्यूब हुसैन तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री विनोद कुमार द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

(25) ग्राम पंचायत का नाम- कनपुरा

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-41- आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार ₹0- 277396.74 विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्तियों के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि ₹0- 277396.74 के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई.डी., वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। एवं इसी अध्याय के खंड-8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि 277396.74 का गबन प्रधान ग्राम पंचायत श्री निगार अंजुम तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री विनोद कुमार द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियां

1.ग्राम पंचायत:-शाहबपुरा रतन सिंह

विकास खण्ड:- किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-1-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 2454233.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021 को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा

परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बावजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउनिटिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 2454233.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री राजवीर एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

प्रस्तर 2- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत शाहबपुरा रतन सिंह मनरेगा मद में कुल ₹0 17.65 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 8.11 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.28 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 8.21 लाख टैक्स ₹0 1.04 दर्शित हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1. कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे। 2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही। 3- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 4- सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.28 दर्ज है जिसके मस्टररॉल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5- लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.

आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। 6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैन्युअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 17.65 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री राजवीर एवं पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

2.ग्राम पंचायत:-विरदो नंगली

विकास खण्ड:- किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-3-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल रु0 1365955.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टैंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग

प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है। 2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1365955.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती शबाना एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल अग्रवालद्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेश संख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ) में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक

प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 4-मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत विरदो नंगली मनरेगा मद में कुल ₹0 13.94 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 9.6 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.44 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 3.54 लाख टैक्स ₹0 0.36 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.44 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 13.94 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई/लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री मती शबाना एवं पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल अग्रवाल से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक

चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चाज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थित इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं०-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए०डी०ओ० (पं०) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि०अ०प्र० (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा) अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

3.ग्राम पंचायत:-आलमपुर गंगा विकास खण्ड:- किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-5-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 825798.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 825798.00आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीसतेन्द्र एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत

के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेरक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 6-मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत आलमपुर गंगा मनरेगा मद में कुल ₹0 5.08 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 4.99 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.08 लाख टैक्स ₹0 0.01 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹00 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 5.08 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री सतेन्द्र एवं पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सकें।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा

परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चाजर/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष

प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

4.ग्राम पंचायत:-बेगमपुर शादी

विकास खण्ड:- किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-7-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1926055.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.021, 08.10.021, 13.10.021, 16.10.021, 18.10.021, 20.10.021, 21.10.021, 26.10.021, 28.10.021, 29.10.021, 30.10.021,01.11.021को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021,22.12.2021,24.12.2021,29.12.2021,31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021,पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर,निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश,डिलीवरी चालान,टैंडर/कुटेशन फाइल,कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका,चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर,उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर,डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर,भूमि प्रबंध समिति अभिलेख,आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका,ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध कराये तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त

आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1926055.00आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीगिरवर एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख

हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 8- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत बेगमपुर शादी मनरेगा मद में कुल ₹0 7.32 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 7.18 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.12 लाख टैक्स ₹0 0.02 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2-मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्ट्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 7.32 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री गिरवर एवं पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चाजर/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक

दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है। 14-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

5.ग्राम पंचायत:-मिर्जापुर

विकास खण्ड:- किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-9-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 884079.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र

क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0 के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध कराये तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 884079.00 अपहरण कर ग्राम प्रधान श्री विकास चौधरी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतेन्द्र कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न

किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये है।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 10- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत मिर्जापुर मनरेगा मद में कुल ₹0 5.29 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 4.63 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.11 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹00.54 लाख टैक्स ₹0 0.01 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2-मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.11दर्ज है जिसके मस्टररौल

कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। 6-बिना कुशल मिस्ट्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैन्युअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 5.29 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री विकास चौधरी एवं पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतेन्द्र कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चाजर/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थित इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं०-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए०डी०ओ० (पं०) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा) अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

6.ग्राम पंचायत:-सभाचंदपुर मोहन विकास खण्ड:- किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-11-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1030735.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए

गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0 के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध कराये तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1030735.00 अपहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतेन्द्र कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1- पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा

दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर12- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत सभाचंदपुर मोहन मनरेगा मद में कुल ₹0 6.19 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 3.15 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 2.69 लाख टैक्स ₹0 0.34 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर

सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 6.19 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री मती रीता देवी एवं पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतेन्द्र कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चाजर/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5- उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा) अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

7.ग्राम पंचायत:-गोविन्दपुर विकास

खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां-

प्रस्तर संख्या-13-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1716848.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम

पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्य/अन्य कार्य की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश,डिलीवरी चालान,टैंडर/कुटेशन फाइल,कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका,चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर,उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर,डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर,भूमि प्रबंध समिति अभिलेख,आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका,ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है। 2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रू0 50000.00से ऊपर के कार्य का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध कराये तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रू0 1716848.00अपहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमारद्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी

नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 14-मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत गोविन्दपुर मनरेगा मद में कुल ₹0 7.06 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 3.92 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 2.87 लाख टैक्स ₹0 0.27 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 7.06 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री मती मुन्नी एवं पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिती इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा

परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

8.ग्राम पंचायत:-ब्रह्मजीतपुर चन्दा विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-15-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1318051.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण

निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है। 2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध कराये तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रु0 1318051.00आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीनरेश कुमार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मिथुन कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंच0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंच0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके

अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेरक्षा/आ.रि०८-०९ दिनांक 15-०१-२००९ के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या ०६/२०१७/२३२५/३१-०१-२०१७-१९९८८/१७/०१-१२-१७ में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में १ सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और १० दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर १६- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष २०२०-२१ ग्राम पंचायत ब्रह्मजीतपुर चन्दा मनरेगा मद में कुल ₹० ५.७५ लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹० ५.०७ लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹० ०० लाख, सामग्री मद में व्यय ₹० ०.०४ लाख टैक्स ₹० ०.०१ दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

१.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे। २- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही। ३-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। ४-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹० ०० दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। ५-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। ६-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। ७-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या ७३०/३३-३-२०२२-११/२०२२ पंचायती राज अनुभाग-३ दिनांक २६ अप्रैल २०२२ द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय ५ के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

८-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

९-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मेनुअल के अध्याय ८ के प्रस्तर ८ (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹० ५.७५ लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार एवं पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मिथुन कुमार से २ प्रतिशत ब्याज व १२ प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार

किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

9.ग्राम पंचायत:-सराय इम्मा विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-17-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 982734.00भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.021, 08.10.021, 13.10.021, 16.10.021, 18.10.021, 20.10.021, 21.10.021, 26.10.021, 28.10.021, 29.10.021, 30.10.021,01.11.021को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021,22.12.2021,24.12.2021,29.12.2021,31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021,पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर,निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश,डिलीवरी चालान,टैंडर/कुटेशन फाइल,कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका,चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर,उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर,डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर,भूमि प्रबंध समिति अभिलेख,आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका,ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश

पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 982734.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती फरजाना एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विनीत शर्मा द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयो/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 18- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत सराय इम्मा मनरेगा मद में कुल ₹0 16.69 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 9.17 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.08 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 5.99 लाख टैक्स ₹0 0.73 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.08 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्ट्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹ 16.69 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री मती फरजाना एवं पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विनीत शर्मा से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सकें।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

10.ग्राम पंचायत:-खटाई विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-19-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1312249.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध कराये तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1312249.00 अपहरण कर ग्राम प्रधान श्री इशारत जहाँ एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विनीत शर्मा द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली

नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं०-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए०डी०ओ० (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि०८-०९ दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश

किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 20- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत खटाई मनरेगा मद में कुल ₹0 7.28 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 6.22 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.1 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.84 लाख टैक्स ₹0 0.11 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1. कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे। 2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही। 3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.1 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। 6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैन्युअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 7.28 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री मती इशारत जहां एवं पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विनीत शर्मा से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत

अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

11.ग्राम पंचायत:-नंगलाइस्लाम

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-21-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1269045.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र

क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0 के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध कराये तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1269045.00 अपहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती नुसरत जहां एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न

किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये है।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 22- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत नंगला इस्लाम मनरेगा मद में कुल रु0 2.92 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 2.75 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु0 00 लाख, सामग्री मद में व्यय रु0 0.15 लाख टैक्स रु0 0.03 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु0 00दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य

विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। 6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 2.92 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री नुसरत जहां एवं पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

12.ग्राम पंचायत:-मेमना सादात

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-23-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 3333303.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए

गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0 के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 3333303.00 अपहरण कर ग्राम प्रधान श्रीनजर हसर एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1- पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा

दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 24- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत मेमना सादात मनरेगा मद में कुल ₹0 7.04 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 3.41 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.58 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 2.76 लाख टैक्स ₹0 0.29 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.58दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर

सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 7.04 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री नजर हसन एवं पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. रें.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

13.ग्राम पंचायत:-शाहजहापुर रोशन विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21
प्रस्तर संख्या-25-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 674658.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.021, 08.10.021, 13.10.021, 16.10.021, 18.10.021, 20.10.021, 21.10.021, 26.10.021, 28.10.021, 29.10.021, 30.10.021,01.11.021को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021,22.12.2021,24.12.2021,29.12.2021,31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021,पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर,निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं

भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश,डिलीवरी चालान,टैंडर/कुटेशन फाइल,कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका,चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर,उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर,डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर,भूमि प्रबंध समिति अभिलेख,आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका,ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 674658.00आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीखैरूलनिशा एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी

नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 26- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत शाहजहापुर रोशन मनरेगा मद में कुल ₹0 5.26 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 5.14 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.07 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.04 लाख टैक्स ₹0 0.04 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.07दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 5.26 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई/लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री खैरूलनिशा एवं पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5- उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीघ्र प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

14.ग्राम पंचायत:-इस्लामपुर शाहली विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-27लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1017330.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बावजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को

मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है। 2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1017330.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती रूजा एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल अग्रवालद्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ) में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेरक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 28- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत इस्लामपुर शाहली मनरेगा मद में कुल ₹0 6.61 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 4.43 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.63 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 1.37 लाख टैक्स ₹0 0.17 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.63दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 6.61लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री मती रूजा एवं पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल अग्रवाल से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार

किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही

15.ग्राम पंचायत:-अकबराबाद विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21
प्रस्तर संख्या-29-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 2969668.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बावजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्ट्रीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।
2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।
3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश

पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध कराये तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 2969668.00आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती फरहत जहां एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 30- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत अकबराबाद मनरेगा मद में कुल ₹0 7.94 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 7.94 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 00 लाख टैक्स ₹0 00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 7.94 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री मती फरहत जहां एवं पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा) अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीघ्र प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

16.ग्राम पंचायत:-सीकरी

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-31-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 950200.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0 के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध कराये तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 950200.00 अपहरण कर ग्राम प्रधान श्रीवाजिद एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल अग्रवाल द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली

नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं०-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए०डी०ओ० (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि०८-०९ दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश

किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 32- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत सीकरी मनरेगा मद में कुल ₹0 12.16 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 7.11 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.36 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 4.25 लाख टैक्स ₹0 0.45 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.36दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 12.16 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री वाजिद एवं पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल अग्रवाल से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत

अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. रें.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही

17.ग्राम पंचायत:-अमाननगर

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-33-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल रु0 1066797.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला

लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपत्र, प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1066797.00 अपहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमहेन्द्रपाल एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अजेन्द्र कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 34- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत अमाननगर मनरेगा मद में कुल ₹0 21.97 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 8.49 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.73 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 11.8 लाख टैक्स ₹0 0.95 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु0 0.73दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 21.97 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री महेन्द्रपाल एवं पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अजेन्द्र कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा

निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि०अ०प्र० (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे० पं० ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी०सी० वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

18.ग्राम पंचायत:-अनवरपुर चतर विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21
प्रस्तर संख्या-35-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1121673.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बावजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में

कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, केशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है। 2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है। 3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध कराये तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1121673.00 अपहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती यासीन एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल अग्रवालद्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1- पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा

दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 36- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत अनवरपुर चतर मनरेगा मद में कुल ₹0 7.95 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 4.74 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 2.93 लाख टैक्स ₹0 0.29 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर

सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 7.95 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्रीमती यासीन एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल अग्रवालसे 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5- उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

19.ग्राम पंचायत:-उमरपुर

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-37-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 713799.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं

भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउनिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 713799.00 अहरण कर ग्राम प्रधान श्रीपीतम सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सुबोध कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेश संख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेरक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 38- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत उमरपुर मनरेगा मद में कुल ₹0 5.67 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 4.32 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.37 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.86 लाख टैक्स ₹0 0.12 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.37दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्ट्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 5.67 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी

वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री पीतम सिंह एवं पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सुबोध कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं०-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए०डी०ओ० (पं०) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि०अ०प्र० (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया

जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा) अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

20.ग्राम पंचायत:-इस्लामपुर सादात विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-39-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1348942.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टैंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1348942.00आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती सन्तोष देवी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंच0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंच0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय

प्रगति की सूचना निर्धारितप्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रैक्षा/आ.रि०८-०९ दिनांक 15-०१-२००९ के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या ०६/२०१७/२३२५/३१-०१-२०१७-१९९८८/१७/०१-१२-१७ में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में १ सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और १० दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर ४०- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष २०२०-२१ ग्राम पंचायत इस्लामपुर सादात मनरेगा मद में कुल ₹० ५.१९ लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹० ४.०१ लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹० ०.१ लाख, सामग्री मद में व्यय ₹० ०.९५ लाख टैक्स ₹० ०.१३ दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

१.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे। २- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही। ३-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। ४-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹० ०.१ दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। ५-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। ६-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। ७-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या ७३०/३३-३-२०२२-११/२०२२ पंचायती राज अनुभाग-३ दिनांक २६ अप्रैल २०२२ द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय ५ के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

८-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

९-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय ८ के पगस्तर ८ क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹० ५.१९ लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री मती सन्तोष देवी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमारसे २ प्रतिशत ब्याज व १२ प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

21.ग्राम पंचायत:-राजारामपुर प्रताप विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-41-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 860304.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 860304.00 अपहरण कर ग्राम प्रधान श्रीजीतेन्द्र एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विनीत शर्माद्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण करायें जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न करायें जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध करायें जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पंच.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल करायें जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध करायें जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त

योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 42- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत राजारामपुर प्रताप मनरेगा मद में कुल ₹0 4.86 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 2.27 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 2.12 लाख टैक्स ₹0 0.28 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्ट्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 4.86 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री जीतेन्द्र एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विनीत शर्मासे 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला

पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

22.ग्राम पंचायत:-किथौडा मुफती

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-43लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1317969.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु

ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध कराये तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1317969.00 अपहरण कर ग्राम प्रधान श्री मती फहमीदा एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सुबोध कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं०-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए०डी०ओ० (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि०८-०९ दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 44- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत किथौडा मुफती मनरेगा मद में कुल ₹0 4.12 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 4.07 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.04 लाख टैक्स ₹0 0.01 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 4.12 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई/लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री मती फहमीदा एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सुबोध कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित

कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

23.ग्राम पंचायत:-पुरुषोत्तमपुर विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-45-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1137147.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक

08.11.021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1137147.00 अपहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती अशिया परवीन एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से

अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं०-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए०डी०ओ० (पं०) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि०८-०९ दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 46- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर मनरेगा मद में कुल ₹० 10.76 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹० 6.06 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹० 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹० 4.68 लाख टैक्स ₹० 0.02 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹० 00 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.

आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। 6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैन्युअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 10.76 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती अशिया परवीन एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

24.ग्राम पंचायत:-बसेडा विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-47-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1304006.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.021, 08.10.021, 13.10.021, 16.10.021, 18.10.021, 20.10.021, 21.10.021, 26.10.021, 28.10.021, 29.10.021, 30.10.021,01.11.021को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021,22.12.2021,24.12.2021,29.12.2021,31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021,पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए

गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0 के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलि/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1304006.00 अपहरण कर ग्राम प्रधान श्री श्री ओमपाल सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतेन्द्र दवारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण करायें जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1- पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा

दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 48- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत बसेडा मनरेगा मद में कुल ₹0 6.96 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 6.18 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.58 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.17 लाख टैक्स ₹0 0.03 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.58दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर

सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 6.96 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री श्री ओमपाल सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतेन्द्र से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. रें.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

25.ग्राम पंचायत:-औरंगजेबपुर महमूद विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21
प्रस्तर संख्या-49-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 893673.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.021, 08.10.021, 13.10.021, 16.10.021, 18.10.021, 20.10.021, 21.10.021, 26.10.021, 28.10.021, 29.10.021, 30.10.021,01.11.021को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021,22.12.2021,24.12.2021,29.12.2021,31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021,पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर,निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं

भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश,डिलीवरी चालान,टैंडर/कुटेशन फाइल,कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका,चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर,उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर,डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर,भूमि प्रबंध समिति अभिलेख,आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका,ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 893673.00अपहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया खातून एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंच0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 50- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत औरंगजेबपुर महमूद मनरेगा मद में कुल ₹0 3.01 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 3.01 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 00 लाख टैक्स ₹0 00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्ट्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 3.01 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी

वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया खातून एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पंच) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंच) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंच सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया

जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

26.ग्राम पंचायत:-अरजानीपुर विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-51-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1080587.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टैंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रु0 1080587.00अपहरण कर ग्राम प्रधान श्रीराजकुमार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मिथुन कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंच0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंच0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय

प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि०८-०९ दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 52- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत अरजानीपुर मनरेगा मद में कुल ₹0 11.54 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 7.6 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.55 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 2.99 लाख टैक्स ₹0 0.4 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.55दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्ट्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 11.54 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीराजकुमार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मिथुन कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैंकि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

27.ग्राम पंचायत:-सभाचंदपुर कैशो विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-53-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 998314.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टैंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश

पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 998314.00आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 54- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत सभाचंदपुर कैशो मनरेगा मद में कुल ₹0 7.93 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 7.84 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.08 लाख टैक्स ₹0 0.01 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 7.93 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

28.ग्राम पंचायत:-आजमाबाद

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-55-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1094639.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध कराये तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1094639.00 अपहरण कर ग्राम प्रधान श्रीराजीव कुमार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मिथुन कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी

वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं०-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए०डी०ओ० (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि०८-०९ दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश

किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 56- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत आजमाबाद मनरेगा मद में कुल ₹0 2.93 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 2.93 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 00 लाख टैक्स ₹0 00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1. कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे। 2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही। 3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। 6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैन्युअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 2.93 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीराजीव कुमार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मिथुन कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत

अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

29.ग्राम पंचायत:-अबुलफजलपुर खास विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-57-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 959368.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र

क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु० 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध कराये तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रु० 959368.00 अपहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती सरला देवी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मिथुन कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न

किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये है।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 58- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत अबुलफजलपुर खास मनरेगा मद में कुल ₹0 5.34 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 3.85 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 1.36 लाख टैक्स ₹0 0.13 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00 दर्ज है जिसके मस्टररौल

कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। 6-बिना कुशल मिस्ट्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैन्युअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 5.34 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती सरला देवी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मिथुन कुमार से 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

30.ग्राम पंचायत:-सुल्तानपुर सादात विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-59-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 900882.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए

गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0 के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 900882.00 अपहरण कर ग्राम प्रधान श्री अंशुल कुमार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल अग्रवाल द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1- पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा

दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 60- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत सुल्तानपुर सादात मनरेगा मद में कुल ₹0 8.57 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1.63 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.48 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 6.24 लाख टैक्स ₹0 0.22 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.48दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर

सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 8.57 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री श्रीअंशुल कुमार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल अग्रवालसे 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

31.ग्राम पंचायत:-रायपुर मोजमपुर विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-61-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 863962.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021,01.11.2021को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021,22.12.2021,24.12.2021,29.12.2021,31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021,पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर,निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं

भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश,डिलीवरी चालान,टैंडर/कुटेशन फाइल,कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका,चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर,उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर,डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर,भूमि प्रबंध समिति अभिलेख,आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका,ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 863962.00आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीहेमराजएवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विनीत शर्माद्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये है।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए है।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 62- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत रायपुर मोजमपुर मनरेगा मद में कुल ₹0 4.13 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 2.06 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 1.88 लाख टैक्स ₹0 0.19 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्ट्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 4.13 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी

वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीहेमराज एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विनीत शर्मासे 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया

जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

32.ग्राम पंचायत:-नेकपुर विकास खण्ड:-विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-63-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1531531.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टैंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1531531.00अपहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रावती एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश कुमारद्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंच0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंच0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय

प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि०८-०९ दिनांक 15-०१-२००९ के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या ०६/२०१७/२३२५/३१-०१-२०१७-१९९८८/१७/०१-१२-१७ में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में १ सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और १० दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर ६४- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष २०२०-२१ ग्राम पंचायत नेकपुर मनरेगा मद में कुल ₹० ६.२९ लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹० ६.२५ लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹० ०० लाख, सामग्री मद में व्यय ₹० ०.०३ लाख टैक्स ₹० ०.०१ दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

१.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।२- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।३-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।४-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹० ०० दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। ५-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।६-बिना कुशल मिस्ट्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।७-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या ७३०/३३-३-२०२२-११/२०२२ पंचायती राज अनुभाग-३ दिनांक २६ अप्रैल २०२२ द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय ५ के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

८-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

९-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय ८ के पगस्तर ८ क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹० ६.२९ लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रावती एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश कुमारसे २ प्रतिशत ब्याज व १२ प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैंकि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज केशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की केशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

33.ग्राम पंचायत:-बुडगरी

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-65-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल रु0 1533531.00भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.021, 08.10.021, 13.10.021, 16.10.021, 18.10.021, 20.10.021, 21.10.021, 26.10.021, 28.10.021, 29.10.021, 30.10.021,01.11.021को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021,22.12.2021,24.12.2021,29.12.2021,31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021,पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, केशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर,निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश,डिलीवरी चालान,टेंडर/कुटेशन फाइल,कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका,चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर,उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर,डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर,भूमि प्रबंध समिति अभिलेख,आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका,ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1533531.00 अपहरण कर ग्राम प्रधान श्रीनरेश कुमार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आदरन द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पंच.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त

योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 66- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत बुडगरी मनरेगा मद में कुल ₹016.37 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹08.71 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹00.71 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 6.14 लाख टैक्स ₹0 0.81 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.71दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैन्युअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 16.37 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्रीनरेश कुमार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आदरन 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैंकि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला

पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

34.ग्राम पंचायत:-शाहपुर सुक्खा

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-67-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 877170.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0 के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 877170.00 अपहरण कर ग्राम प्रधान श्री सुधीर कुमार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आदरन द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं

वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं०-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए०डी०ओ० (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि०८-०९ दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश

किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 68- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत शाहपुर सुक्खा मनरेगा मद में कुल ₹0 9.95 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹5.56 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹. 0.1 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 3.88 लाख टैक्स ₹0 0.4 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1. कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे। 2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही। 3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.1 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। 6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैन्युअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 9.95 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री सुधीर कुमार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आदरन 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत

अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

35.ग्राम पंचायत:- कुम्हैडा

विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-69-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल रु0 1831636.00भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.021, 08.10.021, 13.10.021, 16.10.021, 18.10.021, 20.10.021, 21.10.021, 26.10.021, 28.10.021, 29.10.021, 30.10.021,01.11.021को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021,22.12.2021,24.12.2021,29.12.2021,31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र

क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1831636.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीराम कुवर एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 70- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत कुम्हेडा मनरेगा मद में कुल ₹0 15.62 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 5.67 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.56 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 8.42 लाख टैक्स ₹0 0.99 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु0 0.56दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमितता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 15.62लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री रामकुवर एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैंकि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा

निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि०अ०प्र० (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे० पं० ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी०सी० वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

36.ग्राम पंचायत:- सलेमपुर गधेली

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-71-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1506914.00भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021,01.11.2021को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021,22.12.2021,24.12.2021,29.12.2021,31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021,पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में

कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1506914.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती वर्षा एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1- पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त

जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 72- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत सलेमपुर गधेली मनरेगा मद में कुल ₹0 13.67 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 5.63 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.4लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 6.08 लाख टैक्स ₹0 0.84 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.4दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर

सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 13.67 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्रीमती वर्षा एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

37..ग्राम पंचायत:- बेगमपुर रूपचन्द

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-73लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 864553.00भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.021, 08.10.021, 13.10.021, 16.10.021, 18.10.021, 20.10.021, 21.10.021, 26.10.021, 28.10.021, 29.10.021, 30.10.021,01.11.021को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021,22.12.2021,24.12.2021,29.12.2021,31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021,पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर,निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं

भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश,डिलीवरी चालान,टैंडर/कुटेशन फाइल,कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका,चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर,उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर,डैंड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर,भूमि प्रबंध समिति अभिलेख,आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका,ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 864553.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री महीपाल एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मिथुनकुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी

नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 74- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत बेगमपुर रूपचन्द मनरेगा मद में कुल ₹0 9.78 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹6.29 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.45 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 2.75 लाख टैक्स ₹0 0.29 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.45 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 9.78लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री महीपाल एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मिथुनकुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैंकि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा

परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

38..ग्राम पंचायत:- उमरी

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-75-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1984392.00भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.021, 08.10.021, 13.10.021, 16.10.021, 18.10.021, 20.10.021, 21.10.021, 26.10.021, 28.10.021, 29.10.021, 30.10.021,01.11.021को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021,22.12.2021,24.12.2021,29.12.2021,31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021,पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर,निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश,डिलीवरी चालान,टैंडर/कुटेशन फाइल,कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका,चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर,उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर,डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर,भूमि प्रबंध समिति अभिलेख,आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका,ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण

निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है। 2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रु0 1984392.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री मिथलेश एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेशकुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेरक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 76- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत उमरी मनरेगा मद में कुल ₹0 18 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 11.97 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.55 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 4.92 लाख टैक्स ₹0 0.56 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.55 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 18 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई/लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री मिथलेश एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेशकुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं०-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए०डी०ओ० (पं०) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि०अ०प्र० (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे० पं० ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से

सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा) अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

39. ग्राम पंचायत:-दूधली विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-77-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1704520.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टैंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश

पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध कराये। इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1704520.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती शमीमा एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत

के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेरक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 78- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत दुधली मनरेगा मद में कुल ₹0 13.86 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 8.79 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.21 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 4.38 लाख टैक्स ₹0 0.48 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1. कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे। 2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही। 3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.21 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। 6-बिना कुशल मिस्ट्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 13.86 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री मती शमीमा एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सत्येन्द्र कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा

परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष

प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

40. ग्राम पंचायत:- बुडगरा

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-79-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 2128754.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टैंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैंड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध कराये इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण

होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 2128754.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री मती ललिता एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आदरान द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रैक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 80- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत बुडगरा मनरेगा मद में कुल ₹0 2.79 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 2.74 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.04 लाख टैक्स ₹0 0.01 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1. कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे। 2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही। 3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.00 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। 6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 2.79 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री मती ललिता एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आदरान 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह

के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

41. ग्राम पंचायत:-घनोैरी कुंवर विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-81-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल रू0 926457.00भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.021, 08.10.021,

13.10.021, 16.10.021, 18.10.021, 20.10.021, 21.10.021, 26.10.021, 28.10.021, 29.10.021, 30.10.021, 01.11.021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउनिटिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 926457.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीधर्मपाल एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अजेन्द्र कुमारद्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं०-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए०डी०ओ० (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्र.प्रेक्षा/आ.रि०८-०९ दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 82- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत घनोैरी कुंवर मनरेगा मद में कुल रु0 3.73 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु3.63 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु 0.00 लाख, सामग्री मद में व्यय रु0 0.08 लाख टैक्स रु0 0.01 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु0 0.00 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 3.73 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्रीधर्मपाल एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अजेन्द्र कुमार2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित

कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

42. ग्राम पंचायत:- गुनियापुर विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-83-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल रु0 1447862.00भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र

क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टैंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1447862.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतेन्द्र कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 84- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत गुनियापुर मनरेगा मद में कुल ₹0 11.33 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹. 8 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.48लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 2.54 लाख टैक्स ₹0 0.31दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु0 0.48दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैन्युअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 11.33लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री धर्मेन्द्र एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतेन्द्र कुमार2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैंकि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा

निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि०अ०प्र० (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. र/.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे० पं० ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी०सी० वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

43. ग्राम पंचायत:-सरायजीवन

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-85-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल रु० 665601.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में

कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 665601.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीसमद एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल अग्रवाल द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1- पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त

जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 86- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत सरायजीवन मनरेगा मद में कुल रू0 8.77 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रू6.28लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रू 0.28लाख, सामग्री मद में व्यय रू0 1.95 लाख टैक्स रू0 0.26दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रू0 0.28दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर

सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 8.77लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री समद एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल अग्रवाल2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. रं.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

44. ग्राम पंचायत:- फतेहपुर राजाराम विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-87-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1559159.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं

भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश,डिलीवरी चालान,टैंडर/कुटेशन फाइल,कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका,चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर,उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर,डैंड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर,भूमि प्रबंध समिति अभिलेख,आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका,ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध कराये इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1559159..00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री जोगेन्द्र एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतेन्द्र कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी

नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 88- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत फतेहपुर राजाराम मनरेगा मद में कुल ₹0 11.14 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 4.89लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.22लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 5.42 लाख टैक्स ₹0 0.6दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.22दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 11.14 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री जोगेन्द्र एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतेन्द्र कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सकें।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैंकि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि.

रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

45. ग्राम पंचायत:- गनौरा विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-89-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1909331.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण

निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है। 2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रु0 1909331.00आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीजगपाल सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित्र कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेरक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 90- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत गनौरा मनरेगा मद में कुल रु0 12.4 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु3.47 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु 0.18लाख, सामग्री मद में व्यय रु0 8.27 लाख टैक्स रु0 0.47दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु0 0.18दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 12.4लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री जगपाल सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित्र कुमार2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं०-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए०डी०ओ० (पं०) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि०अ०प्र० (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे० पं० ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार

किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

46. ग्राम पंचायत:-शाहबपुरा उर्फ हिन्दुपुर विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21
प्रस्तर संख्या-91-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1621026.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टैंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश

पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध कराये। इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1621026.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीशमशीदा खातून एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत

के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेरक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 92- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत शाहबपुरा उर्फ हिन्दुपुर मनरेगा मद में कुल ₹0 10.86 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹10.67लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.16 लाख टैक्स ₹0 0.03 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 10.86लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री शमशीदा खातून एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश कुमार2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैंकि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा

परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष

प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

47. ग्राम पंचायत:-मुकीमपुर पदार्थविकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-93-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 978317.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टैंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण

होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 978317.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री किरन देवी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आदरन द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 94- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत मुकीमपुर पदार्थ मनरेगा मद में कुल ₹0 4.71 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹3.73लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.86 लाख टैक्स ₹0 0.12दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 .4.71लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री किरन देवी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आदरन 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह

के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

48 ग्राम पंचायत:- शाहअलीपुर अब्दुलसत्तार विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21
प्रस्तर संख्या-95-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1316508.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.021, 08.10.021,

13.10.021, 16.10.021, 18.10.021, 20.10.021, 21.10.021, 26.10.021, 28.10.021, 29.10.021, 30.10.021, 01.11.021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1316508.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री रघुनाथ सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं०-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए०डी०ओ० (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि०८-०९ दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 96- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत शाहअलीपुर अब्दुलसत्तार मनरेगा मद में कुल ₹0 6.5 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 6.46 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.04 लाख टैक्स ₹0 0.01 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैन्युअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 .6.5 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री रघुनाथ सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित

कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

49.ग्राम पंचायत:-अल्हाबादपुर

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-97-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल रु0 1214402.00भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021,01.11.2021को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021,22.12.2021,24.12.2021,29.12.2021,31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021,पत्रांक-973-77 दिनांक

08.11.021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1214402.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती प्रथा रानी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अजेन्द्र कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न

किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये है।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 98- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत अल्हैयारपुर मनरेगा मद में कुल ₹0 10.24 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 5.68 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 4.56 लाख टैक्स ₹0 00दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य

विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। 6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैन्युअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 .10.24लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती प्रथा रानी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अजेन्द्र कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि.

रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

50. ग्राम पंचायत:-रामपुर विशना

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-99-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 2091429.00भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.021, 08.10.021, 13.10.021, 16.10.021, 18.10.021, 20.10.021, 21.10.021, 26.10.021, 28.10.021, 29.10.021, 30.10.021,01.11.021को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021,22.12.2021,24.12.2021,29.12.2021,31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021,पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए

गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0 के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 2091429.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीराज कुमार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आधरान द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1- पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा

दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 100- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत रामपुर विशना मनरेगा मद में कुल ₹0 11.57 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 4.54 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.47लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 6.33 लाख टैक्स ₹0 0.23दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.47दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर

सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 .11.57लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री राजकुमार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आधारान 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. रं.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

51. ग्राम पंचायत:- बूडनपुर नैनसिंह विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21
प्रस्तर संख्या-101-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1293033.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं

भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश,डिलीवरी चालान,टैंडर/कुटेशन फाइल,कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका,चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर,उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर,डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर,भूमि प्रबंध समिति अभिलेख,आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका,ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1293033.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री कामेन्द्र एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश सिंह द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी

नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 102- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत बूडनपुर नैनसिंह मनरेगा मद में कुल ₹0 3.79 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 3.74 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.04 लाख टैक्स ₹0 0.01 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.00दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 .3.79 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई/लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री कामेन्द्र एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश सिंह 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सकें।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैंकि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

52. ग्राम पंचायत:- मुबारकपुर खोसा उर्फ नन्दपुर विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21
प्रस्तर संख्या-103-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1992897.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को

मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलि/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध कराएँ इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1992897.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री मैयसर जहां एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेरक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 104- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत मुबारकपुर खोसा उर्फ नन्दपुर मनरेगा मद में कुल रु0 12.7 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु 5.44 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु 0.62 लाख, सामग्री मद में व्यय रु0 5.93 लाख टैक्स रु0 0.75 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु0 0.62 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 12.7लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती मैयसर जंहा एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि

ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सकें।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं०-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए०डी०ओ० (पं०) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि०अ०प्र० (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

53. ग्राम पंचायत:- जटपुरा विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-105-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 905142.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है। 2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलि/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध कराएँ इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 905142.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री अशोक एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक

विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 106- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत जटपुरा मनरेगा मद में कुल ₹0 3.97 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 3.92 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 .04 लाख टैक्स ₹0 0.01 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.00 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैन्युअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 3.97लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री अशोक एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी

समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीघ्र

प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

54. ग्राम पंचायत:- गाजीपुर विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-107-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 802393.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टैंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैंड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध कराये इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण

होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 802393.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती संध्या देवी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 108- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत गाजीपुर मनरेगा मद में कुल ₹0 6.26 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 3.5 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.12 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 2.38 लाख टैक्स ₹0 0.26 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1. कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे। 2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही। 3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.12 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। 6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 6.26 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती संध्या देवी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह

के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

55 ग्राम पंचायत:- मौ0 अलीपुर सुखानंद

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-109-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 608809.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु

ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 608809.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आधरन द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं०-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए०डी०ओ० (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि०८-०९ दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 110- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत मौ0 अलीपुर सुखानंद मनरेगा मद में कुल ₹0 5.87 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 3.55 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 2.05 लाख टैक्स ₹0 0.27 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1. कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे। 2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही। 3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। 6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बंधियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 5.87 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री अशोक कुमार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आधरन 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित

कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

56. ग्राम पंचायत:- शादीपुर विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-111-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 2939927.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र

क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 2939927.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री जयवीर सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 112- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत शादीपुर मनरेगा मद में कुल ₹0 12.86 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 4.46 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.52 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹ 7.12 लाख टैक्स ₹ 0.76 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु0 0.52दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैन्युअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 12.86लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री जयवीर सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैंकि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

57 ग्राम पंचायत:- पाडला विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21
प्रस्तर संख्या-113-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 2001544.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते

हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टैंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 2001544.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री संजीव कुमार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मिथुन कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर114- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत पाडला मनरेगा मद में कुल ₹0 11.58 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 9.04 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.14 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 2.12 लाख टैक्स ₹0 0.28 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.14 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्ट्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-

3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 11.58 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री संजीव कुमार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मिथुन कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैंकि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और

कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंच0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

58 ग्राम पंचायत:- सीकरी बढापुर

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-115-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल रू0 723315.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पंच0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र,

पैमाइश रजिस्टर,निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश,डिलीवरी चालान,टेंडर/कुटेशन फाइल,कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका,चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर,उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर,डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर,भूमि प्रबंध समिति अभिलेख,आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका,ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है। 2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध कराये इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रु0 723315.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री सोमकार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार दवारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन दवारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के दवारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके दवारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के दवारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं दवारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को

संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 116- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत सीकरी बढापुर मनरेगा मद में कुल ₹0 11.19 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 5.32 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.68 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 4.68 लाख टैक्स ₹0 0.51 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.68दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 11.19लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री सोमकार एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैंकि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. रें.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

59 ग्राम पंचायत:- भोजपुर विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21
प्रस्तर संख्या-117-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 2890902.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.021, 08.10.021, 13.10.021, 16.10.021, 18.10.021, 20.10.021, 21.10.021, 26.10.021, 28.10.021, 29.10.021, 30.10.021,01.11.021को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021,22.12.2021,24.12.2021,29.12.2021,31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021,पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर,निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश,डिलीवरी चालान,टेंडर/कुटेशन फाइल,कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका,चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर,उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर,डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर,भूमि प्रबंध समिति अभिलेख,आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका,ग्राम प्रधान को

मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यो पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु0 50000.00 से ऊपर के कार्यो का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलिआं/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायेँ इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रु0 2890902.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री मती परमेश्वरी देवी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आधरान द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंच0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये है।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेरक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 118- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत भोजपुर मनरेगा मद में कुल ₹0 11.81 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 5.09 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.68 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 5.45 लाख टैक्स ₹0 0.58 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.68 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्ट्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 11.81 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री मती परमेश्वरी देवी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आधरान 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैंकि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि.

रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से

सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा) अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

60 ग्राम पंचायत:-भनेडा

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-119-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 6615118.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टैंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश

पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 6615118.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री मती हुस्ना नाज एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल अग्रवाल द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत

के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेरक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 120- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत भनेडा मनरेगा मद में कुल ₹0 6.72 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 6.64 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.08 लाख टैक्स ₹0 1000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 6.72लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती हुस्ना नाज एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल अग्रवाल 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सकें।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैंकि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा

परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष

प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

61 ग्राम पंचायत:-चतरभोजपुर कुशल

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-121-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 858146.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टैंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध कराये इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण

होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 858146.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीवीरेन्द्र सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आधरान द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रैक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 122- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत चतरभोजपुर कुशल मनरेगा मद में कुल ₹0 6.26 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 5.18 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.12 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.85 लाख टैक्स ₹0 0.11 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1. कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे। 2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही। 3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.12 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। 6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 6.26 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री वीरेन्द्र सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आधारान2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह

के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

62 ग्राम पंचायत:-लालपुर

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-123-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल रु0 868994.00भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.021, 08.10.021,

13.10.021, 16.10.021, 18.10.021, 20.10.021, 21.10.021, 26.10.021, 28.10.021, 29.10.021, 30.10.021, 01.11.021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0 के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउनिटिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 868994.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री अशोक एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं०-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए०डी०ओ० (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि०८-०९ दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 124- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत लालपुर मनरेगा मद में कुल ₹0 6.99 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 3.67 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 2.93 लाख टैक्स ₹0 0.39 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बंधियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 6.99 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री अशोक एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित

कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

63 ग्राम पंचायत:-औरंगपुर हृदय

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-125-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 947365.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र

क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 947365.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती आशा एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मिथुन कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 126- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत औरंगपुर हृदय मनरेगा मद में कुल रु0 9.50 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु 6.58 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु 00 लाख, सामग्री मद में व्यय रु0 2.58 लाख टैक्स रु0 0.34 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹00 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैन्युअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹09.51लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई/लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती आ

शा एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मिथुन कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा

निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि०अ०प्र० (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि.

रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे० पं० ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी०सी० वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

64 ग्राम पंचायत:-कसौर

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-127-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1239266.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में

कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1239266.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आधरन द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1- पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त

जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 128- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत कसौर मनरेगा मद में कुल रू0 4.00 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रू 3.83 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रू 0.12 लाख, सामग्री मद में व्यय रू0 0.04 लाख टैक्स रू0 0.01 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रू0 0.12 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर

सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 3.99 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आधरन 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. रें.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

65 ग्राम पंचायत:-सरकडा खेडी

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-129-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1482886.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं

भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश,डिलीवरी चालान,टैंडर/कुटेशन फाइल,कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका,चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर,उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर,डैंड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर,भूमि प्रबंध समिति अभिलेख,आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका,ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध कराये इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1482886.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री वेदपाल सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आधरन द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी

नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 130- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत सरकडा खेडी मनरेगा मद में कुल ₹0 7.71 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 7.71 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 00 लाख टैक्स ₹0 00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 7.71लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री वेदपाल सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आधरन 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सकें।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं०-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए०डी०ओ०(पं०) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

66 ग्राम पंचायत:-गोपालपुर विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21
प्रस्तर संख्या-131-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 852168.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर,

आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकम टैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध कराएँ इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 852168.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री मूला सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेश संख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ) में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक

प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यलय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर132- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत गोपालपुर मनरेगा मद में कुल रु0 11.8 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु 6.73 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु 0.54 लाख, सामग्री मद में व्यय रु0 4.05 लाख टैक्स रु0 0.47 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु0 00 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 11.8लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई/लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री मूला सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि

ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं०-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए०डी०ओ० (पं०) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि०अ०प्र० (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

67ग्राम पंचायत:-बहादुरपुर सरफुददीन हुसैन विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21
प्रस्तर संख्या-133-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1945037.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।
 2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलि/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध कराएँ इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1945037.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री मुन्ना सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आदरान द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक

विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेरक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 134- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत बहादुरपुर सरफुददीन हुसैन मनरेगा मद में कुल ₹0 14.87 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 10.5 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.69 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 3.35 लाख टैक्स ₹0 0.33 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.69 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्ट्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 14.87 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री श्री मुन्ना सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आदरान 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैंकि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. /रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

68 ग्राम पंचायत:-छितावर

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-135-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1450655.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1450655.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमलता एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश सिंह द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारितप्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 136- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत छितावर मनरेगा मद में कुल ₹0 5.19 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 4.1 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.13 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.85 लाख टैक्स ₹0 0.11 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.13 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 5.19 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई/लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमलता एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश सिंह 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सकें।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर संख्या-137-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 567239.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 567239.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री दयाराम एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास

अधिकारी श्री सौरभ आधरान द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंच0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंच0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंच0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश

किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 138- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत मौ0 असगरपुर मनरेगा मद में कुल ₹0 2.20 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 2.12 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.07 लाख टैक्स ₹0 0.01 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1. कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे। 2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही। 3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। 6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 2.20 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री दयाराम एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सौरभ आधरान 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत

अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

70 ग्राम पंचायत:-कलापुर बुजुर्ग

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-139-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1185784.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला

लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पंच सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0 के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1185784.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती सोमवती एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विनीत कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारितप्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 140- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत कलापुर बुजुर्ग मनरेगा मद में कुल रु0 13.9 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु 7.1 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु 0.13 लाख, सामग्री मद में व्यय रु0 6.43 लाख टैक्स रु0 0.25 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु0 0.13दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैन्युअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 13.9लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री मती सोमवती एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विनीत कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैंकि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा

निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि०अ०प्र० (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे० पं० ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी०सी० वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

71.ग्राम पंचायत:-चांडक तुरुक विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-141-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 2682519.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में

कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 2682519.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती अन्जू त्यागी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1- पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त

जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है मैं स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 142- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत चांडक तुर्क मनरेगा मद में कुल ₹0 18.05 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 12.59 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.19 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 4.79 लाख टैक्स ₹0 0.48 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.19दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर

सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 18.05 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधानश्री मती अन्जु त्यागी एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है। आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0(पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि. रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा) अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

72.ग्राम पंचायत:-पाडली विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:-2020-21
प्रस्तर संख्या-143-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1320631.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021,04.10.021, 08.10.021, 13.10.021, 16.10.021, 18.10.021, 20.10.021, 21.10.021, 26.10.021, 28.10.021, 29.10.021, 30.10.021,01.11.021को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021,22.12.2021,24.12.2021,29.12.2021,31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021,पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर,निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं

भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश,डिलीवरी चालान,टैंडर/कुटेशन फाइल,कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका,चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर,उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर,डैंड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर,भूमि प्रबंध समिति अभिलेख,आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका,ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1320631.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल अग्रवाल द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी

नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारितप्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 144- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत पाडली मनरेगा मद में कुल ₹0 10.53 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 5.78 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 0.36 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 3.88 लाख टैक्स ₹0 0.5 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.36दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्ट्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 10.53लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल अग्रवाल 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

73.ग्राम पंचायत:-भरौंका

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-145-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 2159487.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को

मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यो पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है। 2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु0 50000.00 से ऊपर के कार्यो का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायेँ इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रु0 2159487.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री लोकेन्द्र सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंच0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये है।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेरक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 146- मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत भरैंका मनरेगा मद में कुल रु0 18.01 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु 10.25 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु 0.97 लाख, सामग्री मद में व्यय रु0 6.23 लाख टैक्स रु0 0.65 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु0 0.97 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्ट्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि रु0 18.01 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्री लोकेन्द्र सिंह एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं०-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए०डी०ओ० (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5-उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए०डी०ओ० (पं०) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं० सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि०अ०प्र० (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे० पं० ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से

सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जये एवं इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

74.ग्राम पंचायत:-इस्लामपुर शाहू

विकास खण्ड:-किरतपुर

वर्ष:-2020-21

प्रस्तर संख्या-147-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14-15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग से ई-ग्राम स्वराज एकाउंटिंग पोर्टल पर दर्शित व्यय कुल ₹0 1159607.00 भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन मौखिक एवं पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक 29.09.2021, 04.10.2021, 08.10.2021, 13.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021, 01.11.2021 को तथा दिनांक 04.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 31.12.2021, को दी गयी जिसके क्रम में कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को कई पत्र क्रमशः पत्रांक- 811-11 दिनांक 11.10.2021, पत्रांक-918-21 दिनांक 21.10.2021, पत्रांक-973-77 दिनांक 08.11.2021, पत्रांक-1069-73 दिनांक 20.12.2021 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखे गये एवं मौखिक रूप से बार-बार अनुरोध किया गया कि यदि लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संगत अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ऐसे में ऑडिट ऑनलाइन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एवं मनरेगा की वेबसाइट पर फीड किये गए व्यय को हाई रिस्क में डालते हुए आब्जर्वेशन रिकार्ड किया जाएगा इसके बाबजूद भी पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है यथा-

1- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12 प्रतिशत जी0एस0टी0, 2 प्रतिशत इनकमटैक्स, 1 प्रतिशत लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका ₹0 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ए0ई0के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा पुष्टि नहीं होती है।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश

पुस्तिका में की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं है अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध करायें इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी। अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल ₹0 1159607.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय रहे हैं कि ससमय लेखा परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित है।

खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

1-पंचायती राज समिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषितपत्र सं0 1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायतराज किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-शासनादेशसंख्या-सं0-ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

3-शासनादेशसंख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4(घ)में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी।

4-उ.प्र.पं.रा.नि.1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही(रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए0डी0ओ0 (पंचायत) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते। कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत

के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

5-आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा जनपदों के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र पत्रांक-269/संप्रेरक्षा/आ.रि08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत वांछित अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गए हैं।

6-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-01-2017-19988/17/01-12-17 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

प्रस्तर 148-मनरेगा- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत इस्लामपुर शाहू मनरेगा मद में कुल ₹0 4.44 लाख मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 4.4 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹ 00 लाख, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.03 लाख टैक्स ₹0 0.01 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1.कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे।2-मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही।3-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही।4-सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 00दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी. आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है।6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा।7-लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु (ग) के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी तवित एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के पगस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 4.44लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार 2 प्रतिशत ब्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सकें।

लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैंकि ससमय लेख परीक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु कई शासनादेश समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जाते रहे हैं जिससे लेखा परीक्षा दौरान अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों/समस्याओं का सामना न करना पड़े जो कि निम्न लिखित हैं-

1-पंचायती राज सतमिति के निर्देशन के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र सं0 1/शा./140/2016-1/272/2018 लखनउ दिनांक 05-05-2017 में जिसे जिला पंचायतराज अधिकारी समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा

परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत के लेखा परीक्षा दल के समक्ष समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

2-पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/31-1-2017-19988/17/01-12-17 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद चाजर/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में 1 सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और 10 दिन के अन्दर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है स्थिति इसके विपरीत रही।

3-शासनादेश-सं0-ऑडिट-2953/2009-10164/2007 दिनांक-07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षक दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी बनाया गया है लेकिन ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

4-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार विभिन्न श्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि लेकिन इनके द्वारा कार्यालय से लेखा परीक्षा को उपलब्ध ही नहीं कराई गयी है।

5- उ.प्र.पं.रा.नि. 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकार ए0डी0ओ0 (पं0) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया होता तो कार्ययोजना अनुसार अभिलेख बनाये गए होते।

कार्ययोजना में शामिल कराये जाने की प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात सचिव ग्राम पंचायत के दौरान निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत्य कार्य की प्रगति की सूची आपके माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

6-खण्ड विकास अधिकारी जोकि विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। को भी लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ग्राम पं0 सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सहयोग न किये जाने की सूचना इनको पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से दी गयी औ मीटिंग में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन इनके द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कराने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

7-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रिवेन्यू)के पत्रांक वि0अ0प्र0 (सिविल/रिवेन्यू) के पत्रांक वि.अ.प्र. (सि./रे.) दस-10 (45)/12 दिनांक 04-05-2012 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा के किये गये अनुरोध को यथासम्भव पूरे शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये उक्त का पालन न किये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

8-आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश शासनादेश पत्रांक सम्प्रेक्षा/क्षे0 पं0 ऑडिट/2011-12 दिनांक 05-08-2011 जोकि समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं से सम्बंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

9-प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन शासनादेश संख्या ऑडिट-201/दस-2011-101(43) 09 टी0सी0 वित्त (लेखापरीक्षा)अनुभाग लखनउ दिनांक फरवरी 04.2011 जोकि प्रमुख सचिव/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज कैशबुक एवं सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसे शीघ्र

प्राथमिकता प्रदान की जायें विभाग को निर्देशित है कि ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा की कैशबुक रखी जायेगी स्थिति इसके विपरीत रही।

75-ग्राम पंचायत:-अजम्पुर परमा विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-149- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 496000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 298000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.49 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 135000, टैक्स ₹0 14000 कुल व्यय ₹0 496000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.49 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 496000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

76-ग्राम पंचायत:-शेखपुरा तुरुक विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-150- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1379000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 914000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 420000, टैक्स ₹0 0.36 कुल व्यय ₹0 1379000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.00 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1379000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

77-ग्राम पंचायत:-अलीपुर परमा विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-151- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 2095000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 608000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 1297000, टैक्स ₹0 1.90 कुल व्यय ₹0 2095000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 2095000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

78-ग्राम पंचायत:-इस्लामपुर डमी विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-152- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 2486000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1187000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.04 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 1159000, टैक्स ₹0 1.37 कुल व्यय ₹0 2486000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.04 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 2486000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

79-ग्राम पंचायत:-मंझड़ा शकरू विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-153- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 354000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 302000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.13 लाख तथा

सामग्री मद में ₹0 37000, टैक्स ₹0 3000 कुल व्यय ₹0354000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.13 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 354000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

80-ग्राम पंचायत:-मन्नवपुर विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-154- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 2034000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1179000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.52 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 720000, टैक्स ₹0 83000 कुल व्यय ₹02034000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.52 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 2034000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

81-ग्राम पंचायत:-साहुवाला गोसैवाला विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-155- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 2020000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1689000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 797000, टैक्स ₹0 0.42 कुल व्यय ₹02020000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से

सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
 - 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
 - 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.00लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
 - 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
 - 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
 - 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
 7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।
- उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 2020000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

82-ग्राम पंचायत:-हसनअलीपुर धरमा विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-156- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1736000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1095000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.51 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 521000 ,टैक्स ₹0 70000 कुल व्यय ₹01736000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
 - 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
 - 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.51लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
 - 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
 - 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
 - 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
 7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।
- उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1736000का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

83-ग्राम पंचायत:-शाहअलीपुर आशा विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-157- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 416000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 407000कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथासामग्री मद में ₹0 8000.00,टैक्स ₹0 0.00 कुल व्यय ₹0416000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय दर्ज नहीं है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 416000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

84-ग्राम पंचायत:-उग्रसेनपुर विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-158- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 534000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 436000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 86000, टैक्स ₹0 0.12 कुल व्यय ₹0 534000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 534000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

85-ग्राम पंचायत:-वधाला विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-159- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 245000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 245000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 0.00, टैक्स ₹0 0.00 कुल व्यय ₹0 245000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 245000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

86-ग्राम पंचायत:-बावनसराय विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21-

प्रस्तर संख्या-160- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 674000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 450000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 197000, टैक्स ₹0 0.27 कुल व्यय ₹0 674000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 674000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

87-ग्राम पंचायत:-काजीपुर इम्मा विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-161- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1674000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1570000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.35 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 76000, टैक्स ₹0 4000 कुल व्यय ₹0 1674000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.35 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1674000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

88-ग्राम पंचायत:-हसनअलीपुर हीरा विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-162- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 112000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 103000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 8000, टैक्स ₹0 0.00 कुल व्यय ₹0 112000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 112000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

89-ग्राम पंचायत:-सुल्तानपुर आजमपुर बनिगणेश विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21-

प्रस्तर संख्या-163- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 2674000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 828000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1.79 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 1520000, टैक्स ₹0 147000 कुल व्यय ₹0 2674000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 1.79 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 2674000 का अपहरण किया

गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

90-ग्राम पंचायत:-धनसुपुर अमरोली विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-164- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय रू0 786000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रू0 781000 कुशल मजदूरी पर व्यय रू0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रू0 4000.00 ,टैक्स रू0 0.00 कुल व्यय रू0786000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रू0 786000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

91-ग्राम पंचायत:-कमरूददीनपुर विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-165- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय रू0 2496000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रू0 913000 कुशल मजदूरी पर व्यय रू0 2.30 लाख तथा सामग्री मद में रू0 1165000 ,टैक्स रू0 188000 कुल व्यय रू02496000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रू0 2.30 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रू0 2496000का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

92-ग्राम पंचायत:-गारबपुर विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21-

प्रस्तर संख्या-166- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1944000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 558000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1.33 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 1104000, टैक्स ₹0 150000 कुल व्यय ₹0 1944000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 1.33 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1944000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तात्तारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

93-ग्राम पंचायत:-फजलपुर भाउ विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-167- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1477000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 405000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.22 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 931000, टैक्स ₹0 119000 कुल व्यय ₹0 1477000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.22 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1477000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तात्तारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

94-ग्राम पंचायत:-गौसपुर सादात विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-168- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 128000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 124000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 4000.00, टैक्स ₹0 0.00 कुल व्यय ₹0 128000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 128000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

95-ग्राम पंचायत:-सैदपुर गज्जू

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-169- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 584000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 465000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 107000.00, टैक्स ₹0 0.12 कुल व्यय ₹0 584000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 584000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

96-ग्राम पंचायत:-मिर्जापुर विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-170- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1124000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1124000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 0.00, टैक्स ₹0 0.00 कुल व्यय ₹0 1124000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से

सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1124000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

97-ग्राम पंचायत:-रानीकोट विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-171- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 843000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 574000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00लाख तथा सामग्री मद में ₹0 238000, टैक्स ₹0 0.31 कुल व्यय ₹0843000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 843000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

98-ग्राम पंचायत:-फतेहपुर विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-172- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1340000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 485000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.11लाख तथा सामग्री मद में ₹0 725000, टैक्स ₹0 116000 कुल व्यय ₹01340000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.11 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1340000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

99-ग्राम पंचायत:-अकबरपुर आंवला विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-173- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1910000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1135000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.66 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 631000, टैक्स ₹0 0.77 कुल व्यय ₹0 1910000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.66लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1910000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

100-ग्राम पंचायत:-हकीकतपुर गगांवली विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-174- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1112000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 470000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.28 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 542000, टैक्स ₹0 72000 कुल व्यय ₹0 1112000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.28 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु0 1112000का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

101-ग्राम पंचायत:-मिठठेपुर विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-175- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु0 1793000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 500000 कुशल मजदूरी पर व्यय रु0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रु0 1149000, टैक्स रु0 1.38 कुल व्यय रु0 1793000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यो के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम है।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु0 1793000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

102-ग्राम पंचायत:-बेगमपुर भानुवाला विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-176- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु0 3368000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 1818000 कुशल मजदूरी पर व्यय रु0 0.55 लाख तथा सामग्री मद में रु0 1368000, टैक्स रु0 1.27 कुल व्यय रु0 3368000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यो के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु0 0.55 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 3368000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

103-ग्राम पंचायत:-टांडामाई दास विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-177- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 3357000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 861000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.85 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 2135000, टैक्स ₹0 276000 कुल व्यय ₹03357000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.85लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 3357000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

104 ग्राम पंचायत:-सुआवाला विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-178- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 222000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 121000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 89000 ,टैक्स ₹0 0.12 कुल व्यय ₹0222000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम है।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 222000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

105-ग्राम पंचायत:-खिजरपुर जगू विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-179- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 3880000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1330000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1.84 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 2105000, टैक्स ₹0 261000 कुल व्यय ₹03880000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 1.84 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 3880000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

106-ग्राम पंचायत:-अल्हेदादपुर खजवा

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-180- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1727000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 899000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.3 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 705000, टैक्स ₹0 93000 कुल व्यय ₹01727000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.3लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1727000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

107-ग्राम पंचायत:-भोगपुर विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-181- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 641000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 641000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 0.00, टैक्स ₹0 0.00 कुल व्यय ₹0 641000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम है।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 641000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

108-ग्राम पंचायत:-तकीपुर नरोत्तम विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21-

प्रस्तर संख्या-182- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1059000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 396000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 640000.00, टैक्स ₹0 0.24 कुल व्यय ₹0 1059000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम है।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1059000 का अपहरण किया

गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

109-ग्राम पंचायत:-भोगली विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-183- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय रू0 5320000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रू0 16000 कुशल मजदूरी पर व्यय रू0 2.86 लाख तथा सामग्री मद में रू0 3045000,टैक्स रू0 390000 कुल व्यय रू05320000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रू0 2.86लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रू0 5320000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

110-ग्राम पंचायत:-विन्जाहेडी

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-184- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय रू0 1288000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रू0 1182000 कुशल मजदूरी पर व्यय रू0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रू0 94000.00,टैक्स रू0 0.12 कुल व्यय रू01288000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम है।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रू0 1288000का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

111-ग्राम पंचायत:-तारापुर विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-185- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 2311000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1361000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.73 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 790000, टैक्स ₹0 90000 कुल व्यय ₹0 2311000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.73 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 2311000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तात्परीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

112-ग्राम पंचायत:-जगन्नाथपुर मेहरू

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-186- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1357000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 712000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.88 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 494000, टैक्स ₹0 63000 कुल व्यय ₹0 1357000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.88 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1357000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तात्परीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

113-ग्राम पंचायत:-चकउदयचन्द

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-187- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1154000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 855000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.11लाख तथा सामग्री मद में ₹0 256000, टैक्स ₹0 31000 कुल व्यय ₹0 1154000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.11लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1154000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

114-ग्राम पंचायत:-कालाखेडी

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21-

प्रस्तर संख्या-188- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 463000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 344000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.08 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 99000, टैक्स ₹0 12000 कुल व्यय ₹0 463000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.08 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 463000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

115-ग्राम पंचायत:-शेरनगर नरेनी

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-189- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 470000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 435000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.08 लाख तथा

सामग्री मद में ₹0 25000, टैक्स ₹0 1000 कुल व्यय ₹0470000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.08 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 470000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

116-ग्राम पंचायत:-अल्लाहेदी विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-190- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1695000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 479000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.82 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 978000, टैक्स ₹0 176000 कुल व्यय ₹01695000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.82 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1695000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

117-ग्राम पंचायत:-अलीपुर मान विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21-

प्रस्तर संख्या-191- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 2069000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 747000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.08 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 1154000 , टैक्स ₹0 160000 कुल व्यय ₹02069000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग

व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.08 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 2069000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

118-ग्राम पंचायत:-बेगमपुर हर्ष विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-192- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 806000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 438000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 323000.00, टैक्स ₹0 0.45 कुल व्यय ₹0 806000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदुरत कालम में दर्ज है।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 806000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

119-ग्राम पंचायत:-अब्दुल्लापुर कुरैशी विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-193- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1343000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 822000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.19 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 25000, टैक्स ₹0 1000 कुल व्यय ₹0 1343000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.19 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1343000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

120-ग्राम पंचायत:-बेनीपुर विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21-

प्रस्तर संख्या-194- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 754000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 332000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.32लाख तथा सामग्री मद में ₹0 344000,टैक्स ₹0 46000 कुल व्यय ₹0754000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.32 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 754000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

121-ग्राम पंचायत:-अब्दीपुर हरवंश विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-195- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 944000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 913000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 29000.00,टैक्स ₹0 0.01 कुल व्यय ₹0944000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।

- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 944000का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

122-ग्राम पंचायत:-अबुलफजलपुर बनी विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-196- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 2983000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1082000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1.01 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 1617000, टैक्स ₹0 1.83 कुल व्यय ₹0 2983000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 1.01 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 2983000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

123-ग्राम पंचायत:-अलीपुर जाट विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-197- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 480000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 445000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 33000, टैक्स ₹0 0.02 कुल व्यय ₹0 480000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 480000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

124-ग्राम पंचायत:-अलीपुर गंगा विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-198- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 655000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 589000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.31लाख तथा सामग्री मद में ₹0 34000,टैक्स ₹0 2000 कुल व्यय ₹0655000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.31 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 655000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

125-ग्राम पंचायत:- कल्यानपुर विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-199- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 575000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 550000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.11 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 13000,टैक्स ₹0 1000 कुल व्यय ₹0575000दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.11 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 575000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

126-ग्राम पंचायत:-कुतुबपुर विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-200- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 907000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 364000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.34 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 458000, टैक्स ₹0 51000 कुल व्यय ₹0 907000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.34 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 907000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

127-ग्राम पंचायत:-जमालपुर बांगर विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-201- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 266000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 266000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 0.00, टैक्स ₹0 0.00 कुल व्यय ₹0 266000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 266000 का अपहरण किया

गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

128-ग्राम पंचायत:-खुरमपुर डुल्लू विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-202- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय रू0 572000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रू0 142000 कुशल मजदूरी पर व्यय रू0 0.19 लाख तथा सामग्री मद में रू0 392000, टैक्स रू0 0.00 कुल व्यय रू0 572000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रू0 0.19 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रू0 572000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

129-ग्राम पंचायत:-मकरंदपुर राजमल

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-203- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय रू0 1147000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रू0 1138000 कुशल मजदूरी पर व्यय रू0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रू0 8000, टैक्स रू0 0.00 कुल व्यय रू0 1147000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रू0 1147000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

130-ग्राम पंचायत:-जमालपुर मतलूब

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-204- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1851000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 308000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.07 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 1428000, टैक्स ₹0 108000 कुल व्यय ₹0 1851000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.07 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1851000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

131-ग्राम पंचायत:-वेदारवक्तपुर जादो

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-205- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 518000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 492000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 25000, टैक्स ₹0 0.01 कुल व्यय ₹0 518000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 518000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

132-ग्राम पंचायत:-सरफुददीन नगर विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-206- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1040000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 466000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.23 लाख तथा

सामग्री मद में ₹0 485000, टैक्स ₹0 66000 कुल व्यय ₹01040000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.23 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1040000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

133-ग्राम पंचायत:-कंडरवाला

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-207- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 2438000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 723000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1.71 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 1359000, टैक्स ₹0 185000 कुल व्यय ₹02438000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 1.71 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 2438000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

134-ग्राम पंचायत:-भगवानपुर

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21-

प्रस्तर संख्या-208- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1473000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1082000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.56 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 302000, टैक्स ₹0 33000 कुल व्यय ₹01473000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय

से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
 - 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
 - 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.56 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
 - 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
 - 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
 - 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
 7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।
- उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1473000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

135-ग्राम पंचायत:-करोंदा पच्ची

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-209- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 3533000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1149000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1.30 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 2007000 ,टैक्स ₹0 246000 कुल व्यय ₹03533000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
 - 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
 - 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 1.30 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
 - 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
 - 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
 - 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
 7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।
- उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 3533000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

136-ग्राम पंचायत:-रतुपुरा विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-210- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 2429000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 873000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00लाख तथा सामग्री मद में ₹0 1371000,टैक्स ₹0 1.85 कुल व्यय ₹02429000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 2429000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

137-ग्राम पंचायत:-मंसूरी विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-211- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1291000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 663000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.13 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 548000, टैक्स ₹0 53000 कुल व्यय ₹0 1291000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.13 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1291000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

138-ग्राम पंचायत:-इस्लामाबाद

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21-

प्रस्तर संख्या-212- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 2582000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 903000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 1499000, टैक्स ₹0 1.80 लाख कुल व्यय ₹0 2582000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।

- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 2582000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

139-ग्राम पंचायत:-मलकपुर डेहरी विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-213- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 984000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 637000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.07लाख तथा सामग्री मद में ₹0 300000,टैक्स ₹0 40000 कुल व्यय ₹0984000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.07 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 984000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

140-ग्राम पंचायत:-बुढावाला विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-214- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1201000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 941000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.27लाख तथा सामग्री मद में ₹0 207000,टैक्स ₹0 26000 कुल व्यय ₹01201000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.27 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1201000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

141-ग्राम पंचायत:-शरीफपुर मलकपुर

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-215- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1445000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 987000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.34 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 383000, टैक्स ₹0 41000 कुल व्यय ₹0 1445000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.34 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1445000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

142-ग्राम पंचायत:-सुलेमान शिकोपुर

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-216- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1405000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 697000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.30 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 581000, टैक्स ₹0 97000 कुल व्यय ₹0 1405000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.30 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1405000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

143-ग्राम पंचायत:-सिक्कावाला

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-217- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 2334000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1384000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 853000, टैक्स ₹0 0.97 कुल व्यय ₹0 2334000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 2334000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

144-ग्राम पंचायत:-सरदारपुर

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-218- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1208000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1006000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.09 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 171000, टैक्स ₹0 22000 कुल व्यय ₹0 1208000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.09 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1208000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

145-ग्राम पंचायत:-तेलीपाडा

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-219- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 2556000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 952000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1.75 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 1294000.00, टैक्स ₹0 134000 कुल व्यय ₹0 2556000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 1.75 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 2556000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

146-ग्राम पंचायत:-हाजी मोहम्मदपुर कोट विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-220- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 4093000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1866000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1.13 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 1879000, टैक्स ₹0 235000 कुल व्यय ₹0 4093000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 1.13 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 4093000 का अपहरण किया

गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

147-ग्राम पंचायत:-अजुपुरा रानी

विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-221- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय रू0 716000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रू0 689000 कुशल मजदूरी पर व्यय रू0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रू0 25000.00, टैक्स रू0 0.01 कुल व्यय रू0 716000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रू0 716000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

148-ग्राम पंचायत:-चंदपुरा नसीब विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-222- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय रू0 421000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रू0 316000 कुशल मजदूरी पर व्यय रू0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रू0 92000.00, टैक्स रू0 0.13 कुल व्यय रू0 421000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रू0 421000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

149-ग्राम पंचायत:-हकीमतपुर सहसू विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-223- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 691000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 448000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 224000.00, टैक्स ₹0 0.19 कुल व्यय ₹0 691000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 691000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

150-ग्राम पंचायत:-लाडपुर विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-224- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1024000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 571000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.39 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 380000, टैक्स ₹0 34000 कुल व्यय ₹0 1024000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.39 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1024000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

151-ग्राम पंचायत:-रायपुर गढी विकास खण्ड:-कोतवाली

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-225- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 2395000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 1435000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.00 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 851000, टैक्स ₹0 1.10 लाख कुल व्यय ₹0 2395000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग

व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय नहीं दर्ज है न ही देय मजदूरी कालम में दर्ज है।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 2395000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

152-ग्राम पंचायत:-महेश्वरी जट विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-226- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1243000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 539000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.07 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 619000, टैक्स ₹0 78000 कुल व्यय ₹0 1243000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
- 3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.07 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
- 4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।
- 5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
- 6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1243000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

153-ग्राम पंचायत:-खानपुर मानक विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-227- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 1421000 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 710000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.69 लाख तथा सामग्री मद में ₹0 564000, टैक्स ₹0 78000 कुल व्यय ₹0 1421000 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

- 1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.69 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 1421000 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

154-ग्राम पंचायत:- क्रतोनंगली विकास खण्ड:-कोतवाली वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-228- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद में कुल व्यय ₹0 853000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 506000 कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.07लाख तथा सामग्री मद में ₹0 300000,टैक्स ₹0 40000 कुल व्यय ₹0 853000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे।

1.कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

2.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.13 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल,कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर नहीं पाई गयी है।

5.बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6.लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से संबंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उपरोक्त के अभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि ₹0 853000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन रोजगार सेवक, टी0 ए0, तत्कालीन जे0ई0, तत्कालीन लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए व्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

155-ग्राम पंचायत:- अजीतपुर दासी विकास खण्ड:-अल्हापुर (धामपुर) वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-229-दि0 05.09.2020 को ₹0 18500.00 नाला सफाई का भुगतान किया गया है। ग्राम पंचायत में स्थाई सफाई कर्मी नियुक्त है। अतः नाला सफाई पर पृथक से व्यय दर्शाकर पंचायत निधि का दुरुपयोग किया गया है। इसकी क्षतिपूर्ति प्रधान श्री पुरुषोत्तम सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-230- दिनांक 04.07.2020 को ₹0 13806.00 की सफाईकर्मी किट एवं दिनांक 24.07.2020 को ₹0 29568.00 मूल्य की फागिंग मशीन क्रय की गई। इनकी प्रविष्टि स्टॉक बुक में नहीं है तथा यह स्टॉक किस के चार्ज में है। यह भी स्पष्ट नहीं है। स्टॉक क्रय संदिग्ध प्रतीत होता है। विभागीय जॉचोपरान्त प्रधान श्री पुरुषोत्तम सिंह एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान से इस धन की वसूली की जानी अपेक्षित है।

156-ग्राम पंचायत:- दौलतपुर सुक्खा विकास खण्ड:-अल्हापुर(धामपुर) वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-231-दि० 25.06.2020 को ₹0 20709.00 की सफाईकमी किट एवं ड्रेस क्रय की गई है। जिसकी प्रविष्टि स्टॉक बुक में नहीं है तथा ना ही इसके विवरण की पुष्टि कराई गई। अतः किट एवं ड्रेस की खरीद संदेह जनक प्रतीत होती है। विभागीय जॉचोपरान्त इस धनराशि की पुष्टि श्रीमती ब्रजंश बाला तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-232- दिनांक 16.07.2020 को ₹0 29568.00 की फागिंग मशीन क्रय की गई है। जिसकी प्रविष्टि स्टॉक बुक में नहीं की गई है तथा इसका भौतिक सत्यापन भी नहीं कराया गया। यह मशीन किसके चार्ज में है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ। क्रय संदिग्ध प्रतीत होती है। विभागीय जॉचोपरान्त इसकी वसूली श्रीमती ब्रजेश बाला एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी है।

157-ग्राम पंचायत:- सुजातपुर टीका विकास खण्ड:-नुरपुर वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-233-मनरेगा-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत मनरेगा मद में कुल ₹0 9.03 लाख, मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 7.29 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 0.54, सामग्री मद में व्यय ₹0 0.56, टैक्स ₹0 0.06 प्रशासनिक खर्च ₹0 0.58 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबवूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1-कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे। 2. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 3.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 4.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 0.54 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 6. बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7. लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनदेश-संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायतीराज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिंदु ग के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा। 9. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण, अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 9.03 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से 2 प्रतिशत व्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

158-ग्राम पंचायत:- गोपालपुर विकास खण्ड:-नुरपुर वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-234-मनरेगा-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत-गोपालपुर मनरेगा मद में कुल ₹0 56.94 लाख, मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 11.72 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 3.69, सामग्री मद में व्यय ₹0 37.77, टैक्स ₹0 3.18 प्रशासनिक खर्च ₹0 0.58 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाबवूद भी खण्ड

विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1-कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे। 2. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 3.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 4.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 3.69 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 6. बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7. लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनदेश-संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायतीराज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैन्युअल अध्याय 5 के बिंदु ग के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा। 9. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टेक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण, अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 56.94 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन/टी.ए./जे.ई/लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से 2 प्रतिशत व्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

159-ग्राम पंचायत:- चांगीपुर विकास खण्ड:-नुरपुर वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-235-मनरेगा-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत-चांगीपुर मनरेगा मद में कुल ₹0 79.65 लाख, मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 19.5 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 7.92, सामग्री मद में व्यय ₹0 46.42, टेक्स ₹0 5.81 प्रशासनिक खर्च ₹0 00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1-कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे। 2. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 3.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 4.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 7.92 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 6. बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7. लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनदेश-संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायतीराज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैन्युअल अध्याय 5 के बिंदु ग के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा। 9. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टेक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण, अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 79.65 लाख का अपहरण किया गया है

जिसकी वसूली तत्कालीन/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से 2 प्रतिशत व्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

160-ग्राम पंचायत:- मालवा विकास खण्ड:-नुरपुर वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-236-मनरेगा-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत-मालवा मनरेगा मद में कुल ₹0 30.43 लाख, मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 8.56 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय ₹0 2.78, सामग्री मद में व्यय ₹0 17.18, टैक्स ₹0 1.91 प्रशासनिक खर्च ₹0 00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे-

1-कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहे। 2. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 3.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 4.सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय ₹0 2.78 दर्ज है जिसके मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे। 5.लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 6. बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा। 7. लेखा परीक्षा को आशंका है कि ग्राम पंचायत में टी.ए.द्वारा शासनदेश-संख्या 730/33-3-2022-11/2022 पंचायतीराज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल अध्याय 5 के बिंदु ग के अनुसार व्यय स्वीकृत कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी स्वीकृत/प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है ऐसे व्यय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है का उलंघन कर सगे सम्बन्धियों द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यों में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

8. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा। 9. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टेक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण, अनियमिता व दुरपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि ₹0 30.43 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन/टी.ए./जे.ई./लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से 2 प्रतिशत व्याज व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

161-ग्राम पंचायत:- हिदायतपुर विकास खण्ड:-अफजलगढ़ वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-237-मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन जांच नहीं की जा सकी, ऑनलाइन/ऑफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से संबंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु तकनीकी सहायक द्वारा मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ₹0 29.26 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार ₹0 29.26 लाख का अपहरण खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश कुमार व श्री रवि प्रकाश सिंह, तकनीकी सहायक श्री पिताम्बर सिंह लेखाकार श्री रवि कुमार द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली 2 प्रतिशत ब्याज मासिक व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश कुमार व रवि प्रकाश सिंह, तकनीकी सहायक श्री पिताम्बर सिंह लेखाकार श्री रवि कुमार से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

162-ग्राम पंचायत:-हसनपुर विकास खण्ड:-अफजलगढ़ वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-238-मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर,पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन जांच नहीं की जा सकी, ऑनलाइन/ऑफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से संबंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु तकनीकी सहायक द्वारा मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ₹0 33.62 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार ₹33.62लाख का अपहरण खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश कुमार व श्री रवि प्रकाश सिंह, तकनीकी सहायक श्री पिताम्बर सिंह लेखाकार श्री रवि कुमार द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली 2 प्रतिशत ब्याज मासिक व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश कुमार व रवि प्रकाश सिंह, तकनीकी सहायक श्री पिताम्बर सिंह लेखाकार श्री रवि कुमार से दण्डात्मक एवं वैधनिक कार्यवाही करते हुए तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

163-ग्राम पंचायत:- शाहपुर जमाल बीए विकास खण्ड:-अफजलगढ वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-239-मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर,पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन जांच नहीं की जा सकी, ऑनलाइन/ऑफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से संबंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु तकनीकी सहायक द्वारा मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ₹0 50.43 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार ₹50.43लाख का अपहरण खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश कुमार व श्री रवि प्रकाश सिंह, तकनीकी सहायक श्री राहुल कुमार लेखाकार श्री रवि कुमार द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली 2 प्रतिशत ब्याज मासिक व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश कुमार व रवि प्रकाश सिंह, तकनीकी सहायक श्री राहुल कुमार लेखाकार श्री रवि कुमार से दण्डात्मक एवं वैधनिक कार्यवाही करते हुए तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

164-ग्राम पंचायत:- रायपुरी विकास खण्ड:-अफजलगढ वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-240-मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर,पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन जांच नहीं की जा सकी, ऑनलाइन/ऑफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से संबंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु तकनीकी सहायक द्वारा मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ₹0 40.36 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार ₹40.36लाख का अपहरण खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश कुमार व श्री रवि प्रकाश सिंह, तकनीकी सहायक श्री पिताम्बर सिंह लेखाकार श्री रवि कुमार द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली 2 प्रतिशत ब्याज मासिक व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश कुमार व रवि प्रकाश सिंह, तकनीकी सहायक श्री पिताम्बर सिंह लेखाकार श्री रवि कुमार से दण्डात्मक एवं वैधनिक कार्यवाही करते हुए तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

165-ग्राम पंचायत:- सुआवाला विकास खण्ड:-अफजलगढ वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-241-मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर,पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन जांच नहीं की जा सकी, ऑनलाइन/ऑफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से संबंधित अभिलेखों

की मांग की गई थी। परन्तु तकनीकी सहायक द्वारा मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ₹0 48.27 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार ₹48.27लाख का अपहरण खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश कुमार व श्री रवि प्रकाश सिंह, तकनीकी सहायक श्री महेंद्रपाल सिंह लेखाकार श्री रवि कुमार द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली 2 प्रतिशत ब्याज मासिक व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश कुमार व रवि प्रकाश सिंह, तकनीकी सहायक श्री महेंद्रपाल सिंह लेखाकार श्री रवि कुमार से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

166-ग्राम पंचायत:-रफैतपुर हुलास विकास खण्ड:-अफजलगढ वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-242-मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर,पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन जांच नहीं की जा सकी, ऑनलाइन/ऑफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से संबंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु तकनीकी सहायक द्वारा मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ₹0 24.15 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार ₹24.15लाख का अपहरण खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश कुमार व श्री रवि प्रकाश सिंह, तकनीकी सहायक श्री राहुल कुमारलेखाकार श्री रवि कुमार द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली 2 प्रतिशत ब्याज मासिक व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश कुमार व रवि प्रकाश सिंह, तकनीकी सहायक श्री राहुल कुमार लेखाकार श्री रवि कुमार से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

167-ग्राम पंचायत:-फतेहपुर धारा विकास खण्ड:-अफजलगढ वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-243-मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर,पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन जांच नहीं की जा सकी, ऑनलाइन/ऑफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से संबंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु तकनीकी सहायक द्वारा मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ₹0 14.11 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार ₹ 14.11 लाख का अपहरण खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश कुमार व श्री रवि प्रकाश सिंह, तकनीकी सहायक श्री नरेश सिंह लेखाकार श्री रवि कुमार द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली 2 प्रतिशत ब्याज मासिक व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री अम्बरीश कुमार व रवि प्रकाश सिंह, तकनीकी सहायक श्री नरेश सिंह लेखाकार श्री रवि कुमार से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

168-ग्राम पंचायत:- बल्दिया विकास खण्ड:-हल्दौर वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-244- ऑडिट ऑनलाइन लेटर के अलावा विभिन्न पत्रों यथा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक पत्रांक मेमो दिनांक 21.2.2022 व जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवं पंचायतों के पत्रांक 21-26 दिनांक 06.04.22 के द्वारा लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेखों की मांग किये जाने पर भी संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

ईग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 1329826.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप

पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत रात लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 1329826.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विख्यात से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	27/06/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/2	156391.00	सुन्दर के घर से राजपाल के घर तक सी रोड निर्माण .सी.कार्य का भुगतान
2	31/10/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/7	170623.00	अल्ताफ के घर से अकरम के घर तक खंडजा निर्माण कार्य
3	24/11/2020 , 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/1	192586.00	शौकिन के घर से शीश्राम के घर तक सीरोड निर्माण कार्य.सी.
4	24/11/2020 , 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/2	92386.00	तौफिक के घर से इलियास के घर तक सीरोड निर्माण कार्य का भुगतान.सी.
5	2/12/2020 , 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/3	242840.00	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य।
6	2/12/2020 , 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/4	250000.00	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य का भुगतान।
7	16/12/2020 , 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/8	225000.00	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य का भुगतान।
	योग	1329826.00	

.ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 246160.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राकलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के तूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है। पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 246160.00 की वसूली तत्कालिन प्रशासक श्री अनिल कुमार, सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विख्यात से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	23/03/2021 , 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/12	125881.00	जूनियर हाई स्कूल बल्लिया के रसोई घर का सौन्दर्यीकरण कार्य
2	25/03/2021 , 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/13	68885.00	प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य।
3	25/03/2021 , 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/14	51394.00	पूर्व माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य।
	योग	246160.00	

ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार केन्द्रीय वित्त आयोग से निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 736965.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राकलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल

अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

-पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 736965.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री राजेन्द्रसिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विख्यात से बराबर माा में की जानी अपेक्षित है।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	27/06/2020 , एफ/सी.एफ.2020-21/पी/5	211378.00	जूनियर स्कूल में इन्टरलॉकिंग कार्य पर व्यय।
2	27/06/2020, एफएफ/सी.2020-21/पी/6	121253.00	क्विल के घर से भूपेन्द्र के घर तक सी .सी. रोड निर्माण कार्य का भुगतान।
3	11/10/2020 , एक्स/सी.एफ.वी.2020-21/पी/3	118202.00	जूनियर विद्यालय में हैण्ड वास आदि कार्य।
4	31/10/2020 , एक्स/ सी.एफ.वी.2020-21/पी/4	150000.00	मुन्नू के घर से प्रेम के घर तक खंडजा निर्माण कार्य का भुगतान।
5	29/11/2020 , एक्स/सी.एफ.वी.2020-21/पी/6	136132.00	इकबाल के घर से जाहिद के घर तक सी .सी. रोड निर्माण कार्य का भुगतान।
	योग-	736965.00	

4.ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार आयोग केन्द्रीय वित्त आयोग से निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 315888.00 की पुष्टि में प्रस्ताव,वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राकलन,माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं। तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 315888.00 की वसूली तत्कालिन प्रशासक श्री अनिल कुमार, सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विख्यात से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	07/03/2021 , एक्स/ सी.एफ.वी.2020-21/पी/13	192000.00	ग्राम पुंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य का भुगतान।
2	07/03/2021, एक्स/ सी.एफ.वी.2020-21/पी/14	23600.00	विद्यालय में फर्नीचर खरीद।
3	07/03/2021, एक्स/सी.एफ.वी.2020-21/पी/16	33040.00	विद्यालय में फर्नीचर खरीद।
4	23/03/2021 , एक्स/ सी.एफ.वी.2020-21/पी/17	52258.00	प्राथमिक विद्यालय बल्दिया के रसोई घर का सौन्दर्याकरण कार्य
5	25/03/2021 , एक्स/सी.एफ.वी.2020-21/पी/18	14990.00	पूर्व माध्यमिक विद्यालय में रैम्प रेलिंग निर्माण कार्य।
	योग-	315888.00	

169-ग्राम पंचायत:- जुझारपुरा उर्फ नाईपुरा

विकास खण्ड:-जलीलपुर

वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-245

निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 364441.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत रात लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त

धनराशि रु0 धनराशि रु0 364441.00की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री मती सोनी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	05/05/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/1	179950.00	ग्राम पंचायत में आर .सी.सी.बेंच निर्माण कार्य पर व्यय।
2	18/11/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/6	91941.00	सतेन्द्र के घर से बारात घर तक नाला निर्माण कार्य पर व्यय।
3	09/02/2021 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/12	92550.00	प्रन के घर से सतेन्द्र के घर तक नाला निर्माण कार्य पर व्यय।
	योग	364441.00	

2. निम्नलिखित विवरण अनुसार व्यय की गई कुल धनराशि रु0 74660.00 की पुष्टि में विद्युत कनेक्शन, प्राकलन, प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति, प्रयुक्त सामग्री क्रय बिल, व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 74660.00 की वसूली तत्कालिन प्रशासक श्री मती सोनी, एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	25/03/2021 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/14	74660.00	ग्राम पंचायत में जगहजगह स्ट्रीट लाइट - निर्माण कार्य पर व्यय।
	योग	246160.00	

निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि रु0 579732.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राकलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिटिंग की गई है।

प्रस्तर 246-पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 579732.00की वसूली तत्कालिन प्रधान श्रीमती सोनी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	05/10/2020 , एक्स/सी.एफ.वी.2020-21/पी/1	177782.00	धर्मा के घर से श्रीराम के घर तक सीरोड .सी. एवं नाली निर्माण कार्य पर व्यय।
2	7/11/2020, एक्स/सी.एफ.वी.2020-21/पी/2	177000.00	धर्मा के घर से श्रीराम के घर तक सीरोड .सी. एवं नाली निर्माण कार्य पर व्यय।
3	25/11/2020 , एक्स/सी.एफ.वी.2020-21/पी/3	178000.00	समुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय।
4	5/03/2021 , एक्स/ सी.एफ.वी.2020-21/पी/4	46950.00	विद्यालय में टंकी फिटिंग एवं सेनेटरी कार्य पर व्यय।
	योग-	579732.00	

170-ग्राम पंचायत:- बुन्द्राखुर्द विकास खण्ड:-जलीलपुर वर्ष:- 2020-21-

प्रस्तर संख्या-247-निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि रु0 86586.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राकलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल,

मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 86586.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री लेखराज सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री समरपाल से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	06/05/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/1	65656.00	वाटर हारवेस्टिंग निर्माण पर व्यय।
2	06/05/2020, 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/2	20930.00	गंव में सफाई अभियान पर व्यय।
	योग	86586.00	

2. निम्नलिखित विवरण अनुसार व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 56490.00 की पुष्टि में, प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति, प्रयुक्त सामग्री क्रय बिल, व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 56490.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री लेखराज सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री समरपाल से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	27/04/2020 , एफ/सी.एफ.2020-21/पी/1	35490.00	दवाई छिडकाव पर व्यय।
2	27/04/2020 , एफ/सी.एफ.2020-21/पी/2	18000.00	1000 मास्क खरीद पर व्यय।
3	06/05/2020 , एफ/सी.एफ.2020-21/पी/3	3000.00	अन्य खर्च पर व्यय।
	योग-	56490.00	

171-ग्राम पंचायत:- रवाना विकास खण्ड:-जलीलपुर वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-248-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हैंड पम्प रिबोर से संबंधित कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 181210.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत रात लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 181210.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री रूपेश कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	16/04/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/1	43685.00	कब्रिस्तान में हैंड पम्प रिबोर कार्य।
2	16/04/2020, 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/2	45742.00	म्हपाल के घर के पास हैंड पम्प रिबोर कार्य।
3	16/04/2020, 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/3	46041.00	ठकबाल के घर के पास हैंड पम्प रिबोर कार्य।
4	16/04/2020, 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/4	45742.00	बुदधु यादव के घर के पास हैंड पम्प रिबोर कार्य।
	योग	181210.00	

2. निम्नलिखित व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 113737.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति, सामग्री क्रय बिल, व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिटिंग की गई है।

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 113737.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री रूपेश कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र०	दिनांक व वाउचर नं०	व्यय धनराशि	विवरण
1	08/02/2021 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/5	64414.00	स्कूल में टंकी फिटिंग न सेनेटरी कार्य पर व्यय।
2	10/02/2021 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/6	49323.00	स्कूल में टंकी फिटिंग व सेनेटरी कार्य पर व्यय।
	योग	113737.00	

3. निम्नलिखित व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 49323.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति, सामग्री क्रय बिल, व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिटिंग की गई है।

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 49323.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री रूपेश कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र०	दिनांक व वाउचर नं०	व्यय धनराशि	विवरण
1	21/12/2020 , एफ/सी.एफ.2020- 21/पी/2	49323.00	स्कूल में टंकी फिटिंग व हैण्डवाश निर्माण कार्य पर व्यय।

4. निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 293901.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिटिंग की गई है।

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 293901.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री रूपेश कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र०	दिनांक व वाउचर नं०	व्यय धनराशि	विवरण
1	28/02/2021 , एक्स सी.एफ.वी. /2020-21/पी/2	178901.00	कलवा के घर से हुकम घर तक सीरोड .सी. व नाली निर्माण पर व्यय।
2	28/02/2021, एक्स/ सी.एफ.वी.2020- 21/पी/3	115000.00	हन्ने के घर से शामी घर तक सीरोड .सी. व नाली निर्माण पर व्यय।
	योग-	293901.00	

5-मनरेगा पोर्टल पर फिटिंग के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 में मनरेगा पर कुल रुपये 9004000.00 व्यय किये गये हैं। जिसमें अकुशल मजदूरी रुपये 1009000.00, कुशल मजदूरी रुपये 485000.00, सामग्री पर व्यय रुपये 6715000.00, टैक्स रुपये 795000.00 व्यय किये गये हैं। जबकि लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना से संबंधित रोजगार के लिये पंजीकरण पंजिका, जॉब कार्ड इश्यू पंजिका, कृत कार्य का विवरण, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट, सृजित सम्पत्ति की परिसम्पत्ति पंजिका आय व्यय का विवरण तथा कैश

बुक, डे बुक, क्रय सामग्री का प्रस्ताव, स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर पत्रावलियां एवं पंजिकायें प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 9004000.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री रूपेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक तथा रोजगार सेवक श्री सतीश कुमार से बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

172-ग्राम पंचायत:-भगौडा विकास खण्ड:-जलीलपुर वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-249-निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 93998.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 93998.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री रणवीर सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री समरपाल से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	06/05/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/4	78998.00	बलवन्त के घर से परम सिंह के घर तक खंडजा कार्य पर व्यय।
2	06/05/2020, 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/5	15000.00	बलवन्त के घर से परम सिंह के घर तक खंडजा कार्य पर व्यय।
	योग	93998.00	

2.निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 256776.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 256776.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री रणवीर सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री समरपाल से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	19/10/2020 , एक्स/सी.एफ.वी.2020- 21/पी/11	256776.00	शेरावाली से मेन सीरोड एवं नाली .सी. निर्माण कार्य पर व्यय।

2.निम्नलिखित व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 44100.00 की पुष्टि में ठेली खराबी की सूचना प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 44100.00की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री रणवीर सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री समरपाल से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	02/10/2020 , एक्स/सी.एफ.वी.2020- 21/पी/7	9100.00	ग्राम पंचायत की ठेली मरम्मत पर व्यय।

2	11/10/2020 , एक्स/सी.एफ.वी.2020-21/पी/9	20000.00	कोविड 19 के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायत में साफ सफाई कार्य पर व्यय।
3	11/10/2020 , एक्स/सी.एफ.वी.2020-21/पी/10	15000.00	समस्त ग्राम पंचायत में सेनेटाइजर छिड़काव कार्य पर व्यय।
	योग-	44100.00	

173-ग्राम पंचायत:-नबादा विकास खण्ड:-जलीलपुर वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-250-निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 504158.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 504158.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री खलील खां एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	19/11/2020 , एक्स सी.एफ.वी. /2020-21/पी/1	69487.00	मंेान रोड से जयपाल के घर तक सी .सी. रोड व नाली निर्माण कार्य।
2	19/11/2020 , एक्स सी.एफ.वी. /2020-21/पी/2	102820.00	महेश भूरे के घर से गुलफाम के घर तक सीरोड व नाली निर्माण कार्य। .सी.
3	19/11/2020 , एक्स सी.एफ.वी. /2020-21/पी/3	12651.00	महेश भूरे के घर से गुलफाम के घर तक सीरोड व नाली निर्माण कार्य। .सी.
4	07/03/2021 , एक्स सी.एफ.वी. /2020-21/पी/6	170000.00	स्कूल में बैच निर्माण कार्य।
5	9/12/2020 , एक्स/ सी.एफ.वी.2020-21/पी/4	149200.00	ग्राम पंचायत में नाली पट जाल निर्माण कार्य।
	योग-	504158.00	

2.निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 311136.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 311136.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री खलील खां एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	19/11/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/2	145000.00	मान रोड से जयपाल के घर तक सी रोड व नाली निर्माण कार्य.सी.
2	23/06/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/1	136200.00	प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण कार्य।
3	19/11/2020, 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/3	29936.00	मान रोड से महेश भूरे के घर से गुलफाम के घर तक सी रोड व नाली .सी.निर्माण कार्य।
	योग-	311136.00	

174-ग्राम पंचायत:-पाडला विकास खण्ड:-जलीलपुर वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-251-निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 1163400.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 1163400.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री मती गुडडी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	15/10/2020 , एक्स सी.एफ.वी. /2020-21/पी/1	180000.00	ग्राम पंचायत में बेंच निर्माण पर व्यय।
2	15/10/2020, एक्स/ सी.एफ.वी.2020- 21/पी/2	228500.00	चन्द्रपाल के घर से रिन्कू के घर तक सीरोड एवं नाली निर्माण कपर व्यय। .सी.
3	15/10/2020, एक्स/ सी.एफ.वी.2020- 21/पी/3	233200.00	कमलेश के घर से पस सिंह के घर तक सीरोड एवं नाली निर्माण पर व्यय। .सी.
4	09/11/2020 , एक्स सी.एफ.वी. /2020-21/पी/4	228500.00	चन्द्रपाल के घर से रिन्कू के घर तक सीरोड एवं नाली निर्माण कपर व्यय। .सी.
5	09/11/2020, एक्स/ सी.एफ.वी.2020- 21/पी/5	233200.00	कमलेश के घर से पस सिंह के घर तक सीरोड एवं नाली निर्माण पर व्यय। .सी.
6	18/03/2021, एक्स/ सी.एफ.वी.2020- 21/पी/11	60000.00	प्राथमिक विद्यालय में मरम्मत कार्य पर व्यय।
	योग-	1163400.00	

2.आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हैंड पंप रिबोर से संबंधित कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 93298.00.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 93298.00.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री मती गुडडी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	19/12/2020, एक्स सी.एफ.वी. /2022020-21/पी/2	46950.00	मुस्तकीन के घर के पास हैंड पम्प रिबोर कार्य।
2	19/12/2020, एक्स सी.एफ.वी. /2022020-21/पी/3	46348.00	अकबर के घर के पास हैंड पम्प रिबोर कार्य।
	योग-	93298.00	

3-निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 423377.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 423377.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्रीमती गुडडी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	26/11/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/4	220000.00	प्राथमिक विद्यालय में सीरोड निर्माण .सी. कपर व्यय।
2	24/12/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/5	109000.00	चन्द्रपाल के घर से कब्रीस्तान तक सी .सी. रोड एवं नाली निर्माण पर व्यय
3	24/12/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/6	44377.00	सुरेन्द्र के घर से ऋषिपाल के घर तक सीरोड एवं नाली निर्माण पर व्यय .सी.
4	18/03/2021 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/13	50000.00	प्राथमिक विद्यालय में मरम्मत कार्य पर व्यय।
	योग-	423377.00	

175-ग्राम पंचायत:-चौकपुरी विकास खण्ड:-हल्द्वार वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-252- ऑडिट ऑनलाइन लेटर के अलावा विभिन्न पत्रों यथा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक पत्रांक मेमो दिनांक 21.2.2022 व जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवं पंचायतों के पत्रांक 21-26 दिनांक 06.04.22 के द्वारा लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेखों की मांग किये जाने पर भी संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

ईग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 279378.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 279378.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सोहित कुमार से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	04/07/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/2	100400.00	प्राथमिक विद्यालय में फर्स प्लास्टर,बलैक बोर्ड एवं अन्य मरम्मत कार्यों पर व्यय।
2	17/10/2020, 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/5	90000.00	प्राथमिक विद्यालय में शैचालय मरम्मत का भूगतान।
3	24/12/2020, 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/4	88978.00	तेजपाल के घर से देवेन्द्र के घर तक सीरोड निर्माण कार्य। .सी.
4	योग-	279378.00	

2 ईग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 226329.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

.आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हैंड पंप रिबोर से संबंधित कार्य भी कराये गये हैं। परन्तु पंचायतराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्को हैंड पम्प रिबोर की गाइड लाइन के अनुसार हैंड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल

निगम की मार्ग निदेशिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त कार्य स्थल की सूची, हैंड पम्प खाब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबन्धित कोई प्रपत्र, तकनीकी सर्वेक्षण रिपोर्ट, हैंड पम्प मरम्मत पर अनुमानित व्यय इत्यादि से संबन्धित पत्रावली अवलोकनार्थ अप्राप्त रही। जिसके कारण तत्संबन्धित जाच की पुष्टि नहीं हो सकी।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 226329.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सोहित कुमार से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र०	दिनांक व वाउचर नं०	व्यय धनराशि	विवरण
1	02/03/2021 , 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/5	48632.00	रिंकू औ नरेन्द्र के घर के पास हैंड पम्प रिबोर कार्य।
2	25/03/2021 , 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/6	88719.00	प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य।
3	25/03/2021, 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/7	88978.00	तेजपाल के घर से देवेन्द्र के घर तक सी रोड निर्माण .सी.कार्य।
4	योग-	226329.00	

3-ईग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 577026.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

.आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हैंड पंप रिबोर से संबंधित कार्य भी कराये गये हैं। परन्तु पंचायतराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्को हैंड पम्प रिबोर की गाइड लाइन के अनुसार हैंड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग निदेशिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त कार्य स्थल की सूची, हैंड पम्प खाब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबन्धित कोई प्रपत्र, तकनीकी सर्वेक्षण रिपोर्ट, हैंड पम्प मरम्मत पर अनुमानित व्यय इत्यादि से संबन्धित पत्रावली अवलोकनार्थ अप्राप्त रही। जिसके कारण तत्संबन्धित जाच की पुष्टि नहीं हो सकी।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 577026.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सोहित कुमार से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र०	दिनांक व वाउचर नं०	व्यय धनराशि	विवरण
1	27/06/2020 , एफ/सी.एफ.2020-21/पी/4	53322.00	हैंड पम्प रिबोर पर व्यय
2	29/07/2020 , एफ/सी.एफ.2020-21/पी/5	49925.00	विद्यालय में हैंड पम्प रिबोर पर व्यय।
3	1/09/2020 , एफ/सी.एफ.2020-21/पी/9	10100.00	ग्राम पंचायत में हैंड पम्प मरम्मत कार्य पर व्यय।
4	03/12/2020 , एफ/सी.एफ.2020-21/पी/10	12300.00	ग्राम पंचायत में हैंड पम्प मरम्मत कार्य पर व्यय।
5	03/12/2020, एफ/सी.एफ.2020-21/पी/11	21600.00	ग्राम पंचायत में हैंड पम्प मरम्मत कार्य पर व्यय।
6	18/09/2020 , एफ/सी.एफ.2020-	132150.00	नयपाल के घर से मेन खंडजा तक सी .सी.

	21/पी/8		रोड निर्माण कार्य।
7	09/10/2020 , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/1	197000.00	कामेन्द्र के घर से मुन्नू के घर तक सी .सी. रोड निर्माण कार्य।
8	09/10/2020, एक्स/ सी.एफ.बी.2020-21/पी/2	100629.00	कामेन्द्र के घर से मुन्नू के घर तक सी .सी. रोड निर्माण कार्य।
	योग-	577026.00	

4-ईग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि रु0 342064.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 धनराशि रु0 342064.00 की वसूली तत्कालिन प्रशासक श्री अनिल कुमार, सहायक विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सोहित कुमार से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	02/03/2021, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/7	288496.00	जसराम के घर से तेजपाल के घर तक सीरोड निर्माण कार्य। .सी.
2	25/03/2021 , , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/9	53568.00	पंचायत घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर कार्य।
	योग-	342064.00	

176-ग्राम पंचायत:-जलीलपुर विकास खण्ड:-जलीलपुर वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-253-निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि रु0 907473.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 धनराशि रु0 907473.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री मती हसीना एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	12/07/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/4	31615.00	मान रोड से जबर के घर तक खडंजा मिटटी निर्माण कार्य पर व्यय।
2	09/12/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/12	224939.00	खुर्शीद के घर से गणेश के घर तक सी .सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य पर व्यय।
3	09/12/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/13	34250.00	पक्की रोड से फारूख के घर तक सी .सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य पर व्यय।
4	13/12/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/14	30000.00	स्कूल में टंकी फिटिंग, समरसेबल मोटर, केबल कार्य पर व्यय।
5	27/06/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/2	238522.00	जगदीश के घर से दिलीप के घर तक सीरोड निर्माण कार्य पर व्यय। .सी.
6	09/12/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/11	244640.00	पक्की रोड से भूरे के घर तक सीरोड .सी. एवं नाली निर्माण कार्य पर व्यय।
7	24/12/2020 ,	77307.00	पाय जल योजना में टंकी मरम्मत कार्य

	4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/16		पर व्यय।
8	24/12/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/17	26200.00	ग्राम पंचायत में नाली पट जाल निर्माण एवं मरम्मत पर व्यय।
	योग-	907473.00	

2- निम्नलिखित व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 24900.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति, सामग्री क्रय बिल, अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 24900.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री मती हसीना एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	12/07/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/3	20000.00	ग्राम पंचायत में स्त्रे कार्य पर व्यय।
2	12/07/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/5	4900.00	प्रशासनिक फिडिंग एवं स्टेशनरी पर व्यय।
	योग-	24900.00	

3-निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 1399892.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 1399892.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री मती हसीना एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	27/06/2020 , एफ/सी.एफ.2020-21/पी/1	194284.00	वेद प्रकाश के घर से सुनील के घर तक सीरोड एवं नाली निर्माण कार्य पर .सी. व्यय।
2	27/06/2020, एफ/सी.एफ.2020-21/पी/2	239370.00	रामवीर के घर से करन के घर तक सी .सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य पर व्यय।
3	27/06/2020, एफ/सी.एफ.2020-21/पी/3	239013.00	संजय के घर से हरपाल के घर तक सी .सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य पर व्यय।
4	12/07/2020 , एफ/सी.एफ.2020-21/पी/4	133240.00	इब्राहम के घर से लियाकत के घर तक खडंजा एवं मिटटी निर्माण कार्य पर व्यय।
5	13/10/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/2	105470.00	ग्राम पंचायत में जाल पट निर्माण एवं मरम्मत कार्य पर व्यय।
6	09/12/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/9	138600.00	पक्की रोड से फारूख के घर तक सी .सी. रोड एवं नाली निर्माणकार्य पर व्यय।
7	13/12/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/11	49915.00	स्कूल में टंकी फिटिंग, समरसेबल मोटर,केबल कार्य पर व्यय।
	योग-	1399892.00	

4- निम्नलिखित व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 10700.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति, सामग्री क्रय बिल, अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 10700.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री मती हसीना एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र०	दिनांक व वाउचर नं०	व्यय धनराशि	विवरण
1	13/10/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/3	10700.00	ठेली मरम्मत पर व्यय।

5-निम्नलिखित विवरण अनुसार व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 296889.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 296889.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्रीमती हसीना एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र०	दिनांक व वाउचर नं०	व्यय धनराशि	विवरण
1	26/11/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/6	98963.00	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट निर्माण कार्य पर व्यय।
2	26/11/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/7	98963.00	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट निर्माण कार्य पर व्यय।
3	1/12/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/8	98963.00	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट निर्माण कार्य पर व्यय।
	योग-	296889.00	

177-ग्राम पंचायत:-बाडीवाला विकास खण्ड:-जलीलपुर वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-254-निम्नलिखित कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 53556.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति, सामग्री क्रय बिल, कोटेशन, व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 53556.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री गजराज सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री समरपाल से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र०	दिनांक व वाउचर नं०	व्यय धनराशि	विवरण
1	2/02/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/1	10556.00	दवाई छिडकाव कार्य पर व्यय।
2	2/02/2020, 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/2	18000.00	1000 मास्क खरीद पर व्यय।
3	2/02/2020, 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/3	25000.00	बाडीवाला, लक्ष्मीनगर, जटोला में सफाई अभियान पर व्यय।
	योग-	53556.00	

2- निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 144360.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 144360.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री गजराज सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री समरपाल से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	20/10/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/6	100360.00	जयपाल के घर से मुन्ने के घर तक सीरोड एवं नाली निर्माण कार्य पर .सी. व्यय।
2	06/05/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/5	44000.00	कुलवन्त के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर कार्य पर व्यय।
	योग-	144360.00	

3-निम्नलिखित कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 160450.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,हैंड पम्प खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत से संबंधित कार्य प्रपत्र, तकनीकी सर्वेक्षण रिपोर्ट, हैंड पम्प मरम्मत पर अनुमानित व्यय व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 160450.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री गजराज सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री समरपाल से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	2/10/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/5	15050.00	ग्राम पंचायत में हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य पर व्यय।
2	10/10/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/7	132000.00	मनीपाल के घर के पास हैण्ड पम्प सोकता व चबुतरी निर्माण कार्य पर व्यय।
3	10/10/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/9	13400.00	समर सिंह के घर के पास हैण्ड पम्प सोकता व चबुतरी निर्माण कार्य पर व्यय।
4	योग-	160450.00	

178-ग्राम पंचायत:- गंधौर विकास खण्ड:-जलीलपुर वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-255- निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 870944.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 धनराशि ₹0 870944.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री उपमन्यु एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	13/06/2020 ,	244819.00	तिरमल के घर से हरी के घर तक सी .सी.

	4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/1		रोड व नाली निर्माण पर व्यय।
2	26/09/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/5	128989.00	ग्राम पंचायत में मेन्टीनेन्स, मिटटी, नाली, पट जाल मरम्मत कार्य पर व्यय।
3	16/12/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/9	137776.00	देवी मन्दिर से बुल्ले के घर तक सी .सी. रोड व नाली निर्माण पर व्यय।
4	16/12/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/10	180700.00	बाजेश के घर से गिरिश के घर तक सीरोड व नाली निर्माण पर व्यय। .सी.
5	25/12/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/11	99800.00	ग्राम पंचायत में मेन्टीनेन्स, मिटटी, ना, पट जाल मरम्मत कार्य पर व्यय।
6	08/03/2021 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/14	45000.00	प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल में बेंच निर्माण पर व्यय।
7	13/12/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/8	33860.00	स्कूल में टंकी फिटिंग कार्य पर व्यय।
	योग-	870944.00	

2- निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि रु0 1248747.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिटिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 धनराशि रु0 1248747.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री उपमन्यु एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	3/09/2020, , एफ/सी.एफ.2020-21/पी/1	135000.00	लियाकत के घर से यामीन के घर तक सीरोड व नाली निर्माण पर व्यय। .सी.
2	9/11/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/1	80408.00	लियाकत के घर से यामीन के घर तक सीरोड व नाली निर्माण पर व्यय। .सी.
3	9/11/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/2	71461.00	शहजाद के घर से यामीन के घर तक सीरोड व नाली निर्माण पर व्यय। .सी.
4	23/12/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/4	209635.00	नितिन के घर से रामलाल के घर तक सीरोड व नाली निर्माण पर व्यय। .सी.
5	23/12/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/5	223743.00	रामभरोसे के घर से भुवनेश के घर तक सीरोड व नाली निर्माण पर व्यय। .सी.
6	23/12/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/6	168500.00	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण पर व्यय।
7	8/03/2021, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/7	90000.00	प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल में बेंच निर्माण पर व्यय।
	8/03/2021, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/8	90000.00	प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल में बेंच निर्माण पर व्यय।
	8/03/2021, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/8	90000.00	प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल में बेंच निर्माण पर व्यय।
	8/03/2021, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/9	180000.00	प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल में बेंच निर्माण पर व्यय।

	योग-	1248747.00	

179-ग्राम पंचायत:- शाहपुर भसोडी विकास खण्ड:-जलीलपुर वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-256- निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि रु0 850035.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 धनराशि रु0 850035.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री मती राजेश्वरी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	21/06/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/1	86671.00	विजय के घर से सतपाल के घर तक सीरोड एवं नाली निर्माण पर व्यय। .सी.
2	07/07/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/2	58940.00	प्राथमिक विद्यालय में वाटर हारवेस्टिंग कार्य पर व्यय।
3	18/07/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/5	152800.00	ग्राम पंचायत में मिट्टी,नाली पट जाल कार्य पर व्यय।
4	16/11/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/6	36682.00	ग्राम पंचायत में जगहजगह नाली मरम्मत - कार्य पर व्यय।
5	23/12/2020 , 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/2	145907.00	मेन रोड से खजान के घर तक सीरोड .सी. एवं नाली निर्माण पर व्यय।
6	09/11/2020 , 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/1	189035.00	वीर सिंह के घर से प्रकाश के घर तक सीस.ीरोड एवं नाली निर्माण पर व्यय। .
7	25/03/2021 , 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/5	180000.00	मेन रोड से मुन्ने के घर तक सीरोड .सी. एवं नाली निर्माण पर व्यय।
	योग-	850035.00	

2.निम्नलिखित कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि रु0 57000.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति, सामग्री क्रय बिल, कोटेशन, व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 धनराशि रु0 57000.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री मती राजेश्वरी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	07/07/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/3	15000.00	ग्राम पंचायत में दिवार पर पेंटिंग कार्य पर व्यय।
2	10/07/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/4	42000.00	ग्राम पंचायत में सोकपिट निर्माण पर व्यय।
3	योग-	57000.00	

3-निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि रु0 950089.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 धनराशि रु0 950089.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्रीमती राजेश्वरी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	21/06/2020, , एफ/सी.एफ.2020-21/पी/3	229100.00	मेन रोड से चरण सिंह के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण पर व्यय।
2	21/06/2020, , एफ/सी.एफ.2020-21/पी/4	241910.00	मेन रोड से सूरवीर के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण पर व्यय।
3	21/06/2020, , एफ/सी.एफ.2020-21/पी/5	92000.00	मेन रोड से सतपाल के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण पर व्यय।
4	14/10/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/1	211136.00	चेतन के घर से वीर सिंह के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण पर व्यय।
5	3/12/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/7	37000.00	मेन रोड से हेमराज के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण पर व्यय।
6	23/12/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/8	76247.00	मेन रोड से हेमराज के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण पर व्यय।
7	25/03/2021, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/12	62696.00	मेन रोड से मुन्ने के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण पर व्यय।
	योग-	950089.00	

4. निम्नलिखित कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि रु0 219900.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति, सामग्री क्रय बिल, कोटेशन, व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है। पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 धनराशि रु0 219900.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्रीमती राजेश्वरी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	27/11/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/6	39900.00	विद्यालय में टंकी फिटिंग कार्य पर व्यय।
2	19/03/2021, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/9	90000.00	विद्यालय में टंकी फिटिंग कार्य पर व्यय।
3	19/03/2021, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/10	90000.00	विद्यालय में टंकी फिटिंग कार्य पर व्यय।
4	योग-	219900.00	

180-ग्राम पंचायत:- रसूलपुर नंगला विकास खण्ड:-जलीलपुर वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-257- निम्नलिखित ट्रैक्टर मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि रु0 141508.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 धनराशि रु0 141508.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री मती गुलशन जहां एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री समरपाल से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	06/05/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/7	76833.00	ट्रैक्टर डीजल व्यय।
2	06/05/2020, 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/8	17975.00	ट्रैक्टर मरम्मत सामान
3	06/05/2020, 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/9	24950.00	ट्रैक्टर सर्विस।
4	06/05/2020, 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/10	21750.00	ट्रैक्टर ट्राली की मरम्मत।
		141508.00	

2-निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि रु0 159119.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 धनराशि रु0 159119.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री मती गुलशन जहां एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री समरपाल से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	06/05/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/15	55000.00	संजय सिंह के घर से बंटी के घर तक नाला निर्माण पर व्यय।
2	06/05/2020, 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/16	104119.00	संजय सिंह के घर से बंटी के घर तक नाला निर्माण पर व्यय।
		159119.00	

3.निम्नलिखित कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि रु0 90134.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति, सामग्री क्रय बिल, कोटेशन, व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 धनराशि रु0 90134.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री मती गुलशन जहां एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री समरपाल से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	06/05/2020 , 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/11	15150.00	नारे व लेखन कार्य पर व्यय।
2	06/05/2020, 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/12	45000.00	सम्पूर्ण ग्राम पंचायत अभियान पर व्यय।
3	06/05/2020, 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/13	29984.00	सम्पूर्ण ग्राम पंचायत अभियान पर व्यय।
	योग-	90134.00	

4. आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित हैंड पम्प रिबोर एवं मरम्मत से संबंधित कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि रु0 196691.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति, सामग्री क्रय बिल, कोटेशन, पम्प खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधित कोई प्रपत्र, तकनीकी सर्वेक्षण रिपोर्ट, हैंड पम्प मरम्मत पर अनुमानित व्यय व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है।

पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 धनराशि रु0 196691.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री मती गुलशन जहां एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री समरपाल से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	18/10/2020 , 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/1	44414.00	कलवा के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर कार्य पर व्यय।
2	18/10/2020 , 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/2	44520.00	महेश जाटव के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर कार्य पर व्यय।
3	18/10/2020 , 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/3	44952.00	लालावाले तालाब के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर कार्य पर व्यय।
4	18/10/2020 , 5टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/4	44447.00	डा शमीम के घर के पास हैण्ड पम्प .रिबोर कार्य पर व्यय।
5	06/05/2020, 4टी/सी.एफ.एस.एच.2020-21/पी/14	18358.00	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य पर व्यय।
6	योग-	196691.00	

5-निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि रु0 864048.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन,टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है। पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 धनराशि रु0 864048.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री मती गुलशन जहां एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री समरपाल से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	2/10/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/2	179425.00	समस्त ग्राम पंचायत में नाला सफाई कार्य।
2	7/10/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/3	109300.00	हरपाल के घर से रामचन्द्र के घर तक नाली निर्माण कार्य पर व्यय।
3	7/10/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/5	167800.00	अशोक के घर से लालावाले तालाब तक नाला मरम्मत कार्य पर व्यय।
4	7/10/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/6	136136.00	मेन रोड से खलीद के घर तक नाला निर्माण कार्य पर व्यय।
5	7/10/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/10	104562.00	राजपाल के खेत से लालावाले तालाब तक नाला मरम्मत कार्य पर व्यय।
6	8/10/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/12	166825.00	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय।
7	योग-	864048.00	

6. आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित हैंड पम्प रिबोर एवं मरम्मत से संबंधित कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि रु0 179641.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति, सामग्री क्रय बिल, कोटेशन, पम्प खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधित कोई प्रपत्र, तकनीकी सर्वेक्षण रिपोर्ट, हैंड पम्प मरम्मत पर अनुमानित व्यय व अन्य व्यय प्रमाणक के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह साबित होता है कि ईग्रामस्वराज पोर्टल पर काल्पनिक फिडिंग की गई है। पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 धनराशि रु0 179641.00 की वसूली

तत्कालिन प्रधान श्रीमती गुलशन जहां एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री समरपाल से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हैं।

क्र0	दिनांक व वाउचर नं0	व्यय धनराशि	विवरण
1	7/10/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/4	45057.00	मदरसा परिसर में हैण्ड पम्प रिबोर कार्य पर व्यय।
2	7/10/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/7	44531.00	एसस्कूल परिसर में हैण्ड रिबोर कार्य .डी. पर व्यय
3	7/10/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/8	45049.00	कुंवर सैनी के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर कार्य पर व्यय।
4	7/10/2020, , एक्स/सी.एफ.बी.2020-21/पी/9	45004.00	बछो वाली गली के पास में हैण्ड पम्प रिबोर कार्य पर व्यय।
	योग-	179641.00	

181-ग्राम पंचायत:-कासमाबाद विकास खण्ड:-स्योहारा वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-258-ग्राम पंचायत कासमाबाद की केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त से सम्बन्धित आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज/प्रिया साफ्ट में फीड आय से सम्बन्धित आंकड़ों तथा दर्शाये गये कार्यों एवं उस पर किये गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा बैंक स्टेटमेण्ट/ बैंक पास बुक, निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली, मरम्मत कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सामान क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण कार्यों का रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी।

उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रू0 807919.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस धनराशि की वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन पंचायत सचिव श्री राजेश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती नरगेश कुमारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-259- ग्राम पंचायत कासमाबाद के मनरेगा के वर्ष 2020-21 के आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज पर दर्शाये गये कार्यों एवं उस पर किये गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन पंचायत सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली,मस्टररोल, सामान क्रय से सम्बन्धित बिल-वाउचर्स, मनरेगा से सम्बन्धित निर्माण कार्यों का रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर,जांच कार्ड रजिस्टर,आवेदन पंजिका, रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण तत्सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी। उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रू0 794000.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस व्यय की धनराशि की वसूली तत्कालीन पंचायत सचिव श्री राजेश सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती नरगेश कुमारी से की जानी अपेक्षित है।

182-ग्राम पंचायत:-अकबरपुर आशा विकास खण्ड:-स्योहारा वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-260-ग्राम पंचायत अकबरपुर आशा की केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त से सम्बन्धित आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज/प्रिया साफ्ट में फीड आय से सम्बन्धित आंकड़ों तथा दर्शाये गये कार्यों एवं उस पर किये गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा बैंक स्टेटमेण्ट/ बैंक पास बुक, निर्माण कार्यों से

सम्बन्धित पत्रावली, मरम्मत कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सामान क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण कार्यों का रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी।

उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोर्ट व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रू0 1381707.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस धनराशि की वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन पंचायत सचिव श्री दीपक एवं ग्राम प्रधान अलीमुददीन से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-261- ग्राम पंचायत अकबरपुर आशा के मनरेगा के वर्ष 2020-21 के आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज पर दर्शाये गये कार्यों एवं उस पर किये गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन पंचायत सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रवली, मस्टररोल, सामान क्रय से सम्बन्धित बिल-वाउचर्स, मनरेगा से सम्बन्धित निर्माण कार्यों का रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर, जांच कार्ड रजिस्टर, आवेदन पंजिका, रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण तत्सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी।

उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रू0 397000.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस व्यय की धनराशि की वसूली तत्कालीन पंचायत सचिव श्री दीपक एवं ग्राम प्रधान अलीमुददीन से की जानी अपेक्षित है।

183-ग्राम पंचायत:-नामदारपुर चादन विकास खण्ड:-स्योहारा वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-262-ग्राम पंचायत नामदारपुर चादन की केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त से सम्बन्धित आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज/प्रिया साफ्ट में फीड आय से सम्बन्धित आंकड़ों तथा दर्शाये गये कार्यों एवं उस पर किये गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा बैंक स्टेटमेण्ट/ बैंक पास बुक, निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली, मरम्मत कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सामान क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण कार्यों का रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी।

उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोर्ट व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रू0 452453.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस धनराशि की वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन पंचायत सचिव श्री दीपक एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-263- ग्राम पंचायत नामदारपुर चादन के मनरेगा के वर्ष 2020-21 के आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज पर दर्शाये गये कार्यों एवं उस पर किये गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन पंचायत सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रवली, मस्टररोल, सामान क्रय से सम्बन्धित बिल-वाउचर्स, मनरेगा से सम्बन्धित निर्माण कार्यों का रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर, जांच कार्ड रजिस्टर, आवेदन पंजिका, रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण तत्सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी।

उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।
अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रु0 712000.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस व्यय की धनराशि की वसूली तत्कालीन पंचायत सचिव श्री दीपक एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी से की जानी अपेक्षित है।

184-ग्राम पंचायत:-अमानतपुर विकास खण्ड:-स्योहारा वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-264-ग्राम पंचायत अमानतपुर की केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त से सम्बन्धित आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज/प्रिया साफ्ट में फीड आय से सम्बन्धित आंकड़ों तथा दर्शाये गये कार्यों एवं उस पर किये गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा बैंक स्टेटमेण्ट/ बैंक पास बुक, निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली, मरम्मत कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सामान क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण कार्यों का रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी।

उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रु0 818926.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस धनराशि की वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन पंचायत सचिव श्री दीपक एवं ग्राम प्रधान श्री नरदेव सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-265- ग्राम पंचायत अमानतपुर के मनरेगा के वर्ष 2020-21 के आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज पर दर्शाये गये कार्यों एवं उस पर किये गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन पंचायत सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली, मस्टररोल, सामान क्रय से सम्बन्धित बिल-वाउचर्स, मनरेगा से सम्बन्धित निर्माण कार्यों का रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर, जांच कार्ड रजिस्टर, आवेदन पंजिका, रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण तत्सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी।
उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।
अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रु0 704000.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस व्यय की धनराशि की वसूली तत्कालीन पंचायत सचिव श्री दीपक एवं ग्राम प्रधान श्री नरदेव सिंह से की जानी अपेक्षित है।

185-ग्राम पंचायत:-कादराबाद खुर्द विकास खण्ड:-स्योहारा वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-266-ग्राम पंचायत कादराबाद खुर्द की केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त से सम्बन्धित आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज/प्रिया साफ्ट में फीड आय से सम्बन्धित आंकड़ों तथा दर्शाये गये कार्यों एवं उस पर किये गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा बैंक स्टेटमेण्ट/ बैंक पास बुक, निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली, मरम्मत कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सामान क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण कार्यों का रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी।

उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रु0 948395.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस धनराशि की वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन पंचायत सचिव श्री राजेश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री जसवीर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-267- ग्राम पंचायत कादराबाद खुर्द के मनरेगा के वर्ष 2020-21 के आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज पर दर्शाये गये कार्यों एवं उस पर किये गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन पंचायत सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रवली,मस्टररोल, सामान क्रय से सम्बन्धित बिल-वाउचर्स, मनरेगा से सम्बन्धित निर्माण कार्यों का रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर,जांच कार्ड रजिस्टर,आवेदन पंजिका, रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण तत्सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी। उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रु0 2479000.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस व्यय की धनराशि की वसूली तत्कालीन पंचायत सचिव श्री राजेश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री जसवीर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

186-ग्राम पंचायत:-कुरी बांगर विकास खण्ड:-स्योहारा वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-268-ग्राम पंचायत कुरी बांगर की केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त से सम्बन्धित आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज/प्रिया साफ्ट में फीड आय से सम्बन्धित आंकड़ों तथा दर्शाये गये कार्यों एवं उस पर किये गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा बैंक स्टेटमेण्ट/ बैंक पास बुक, निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली, मरम्मत कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सामान क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण कार्यों का रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी।

उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रु0 1798097.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस धनराशि की वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन पंचायत सचिव श्री राजेश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री नत्थू सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-269- ग्राम पंचायत कुरी बांगर के मनरेगा के वर्ष 2020-21 के आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज पर दर्शाये गये कार्यों एवं उस पर किये गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन पंचायत सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रवली,मस्टररोल, सामान क्रय से सम्बन्धित बिल-वाउचर्स, मनरेगा से सम्बन्धित निर्माण कार्यों का रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर,जांच कार्ड रजिस्टर,आवेदन पंजिका, रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण तत्सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी।

उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रु0 240000.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस व्यय की धनराशि की वसूली तत्कालीन पंचायत सचिव श्री राजेश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री नत्थू सिंह से की जानी अपेक्षित है।

187-ग्राम पंचायत:-लाम्बाखेडा विकास खण्ड:-स्योहारा वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-270-ग्राम पंचायत लाम्बाखेडा की केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त से सम्बन्धित आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज/प्रिया साफ्ट में फीड आय से सम्बन्धित आंकड़ों तथा दर्शाये गये कार्यों एवं उस पर किये

गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा बैंक स्टेटमेंट/ बैंक पास बुक, निर्माण कार्यो से सम्बन्धित पत्रावली, मरम्मत कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सामान क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण कार्यो का रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी।

उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रू0 1508765.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस धनराशि की वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन पंचायत सचिव श्री राजेश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री मती महावती से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-271- ग्राम पंचायत लाम्बाखेडा के मनरेगा के वर्ष 2020-21 के आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज पर दर्शाये गये कार्यो एवं उस पर किये गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन पंचायत सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा निर्माण कार्यो से सम्बन्धित पत्रावली, मस्टररोल, सामान क्रय से सम्बन्धित बिल-वाउचर्स, मनरेगा से सम्बन्धित निर्माण कार्यो का रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर, जांच कार्ड रजिस्टर, आवेदन पंजिका, रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण तत्सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी। उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रू0 13401000.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस व्यय की धनराशि की वसूली तत्कालीन पंचायत सचिव श्री राजेश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री मती महावती से की जानी अपेक्षित है।

188-ग्राम पंचायत:-सतोन्नगली विकास खण्ड:-स्योहारा वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-272-ग्राम पंचायत सतोन्नगली की केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त से सम्बन्धित आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज/प्रिया साफ्ट में फीड आय से सम्बन्धित आंकडों तथा दर्शाये गये कार्यो एवं उस पर किये गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा बैंक स्टेटमेंट/ बैंक पास बुक, निर्माण कार्यो से सम्बन्धित पत्रावली, मरम्मत कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सामान क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण कार्यो का रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी।

उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रू0 1091141.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस धनराशि की वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन पंचायत सचिव श्री राजेश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री प्रभात कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-273- ग्राम पंचायत सतोन्नगली के मनरेगा के वर्ष 2020-21 के आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज पर दर्शाये गये कार्यो एवं उस पर किये गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन पंचायत सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा निर्माण कार्यो से सम्बन्धित पत्रावली, मस्टररोल, सामान क्रय से सम्बन्धित बिल-वाउचर्स, मनरेगा से सम्बन्धित निर्माण कार्यो का रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर, जांच कार्ड रजिस्टर, आवेदन पंजिका, रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण तत्सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी।

उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।
अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रु0 5434000.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस व्यय की धनराशि की वसूली तत्कालीन पंचायत सचिव श्री राजेश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री श्री प्रभात कुमारसे की जानी अपेक्षित है।

189-ग्राम पंचायत:-जमापुर विकास खण्ड:-स्योहारा वर्ष:- 2020-21

प्रस्तर संख्या-274-ग्राम पंचायत जमापुर की केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त से सम्बन्धित आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज/प्रिया साफ्ट में फीड आय से सम्बन्धित आंकड़ों तथा दर्शाये गये कार्यों एवं उस पर किये गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा बैंक स्टेटमेण्ट/ बैंक पास बुक, निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली, मरम्मत कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सामान क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण कार्यों का रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी।

उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रु0 1054786.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस धनराशि की वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन पंचायत सचिव श्री राजेश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री राकेश सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-275- ग्राम पंचायत जमापुर के मनरेगा के वर्ष 2020-21 के आडिट आनलाइन के दौरान ई-ग्राम स्वराज पर दर्शाये गये कार्यों एवं उस पर किये गये व्यय की जांच हेतु तत्कालीन पंचायत सचिव/वर्तमान सचिव द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली, मस्टररोल, सामान क्रय से सम्बन्धित बिल-वाउचर्स, मनरेगा से सम्बन्धित निर्माण कार्यों का रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर, जांच कार्ड रजिस्टर, आवेदन पंजिका, रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण तत्सम्बन्धित जांच नहीं हो सकी।

उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ,द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 क के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय राशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।
अतः उक्त स्थिति में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अंकन रु0 4049000.00 को अधिभार योग्य आंकलित किया गया। इस व्यय की धनराशि की वसूली तत्कालीन पंचायत सचिव श्री राजेश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री राकेश सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद- मुरादाबाद।

मण्डल:- मुरादाबाद

01- ग्राम पंचायत- सूरजन नगर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- ठाकुरद्वारा

प्रस्तर-01 आचोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत सूरजन नगर द्वारा आहरित धनराशि ग्राम प्रधान मानदेय, सी0सी0 टाईल्स रोड निर्माण, काया कल्प, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर, सफाई कार्य, कोविड 19 व स्टेशनरी आदि मदों में व्यय की गयी है। व्यय धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	वर्क आई0डी0	सम्बन्धित वित्त	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	37617758	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	2020-06-28	49670	एमहारून अली। .एस.

2	28505346	चतुर्थ राज्य वित्त	मजदूरी	2020-07-05	36000	नीरज कुमार।
3	36556544	चतुर्थ राज्य वित्त	साफ सफाई	2020-07-05	150000	हेमन्त।
4	28505346	चतुर्थ राज्य वित्त	सामान के लिए भुगतान	2020-07-05	137200	न्यू कमल ट्रेडर।
5	37617758	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	2020-07-01	32317	एमहारून अली। .एस.
6	37617378	चतुर्थ राज्य वित्त	विनोद लाला के घर से कान्ता मेडिकल तक के रास्ते का भुगतान	2020-08-03	236510	रईस, न्यू कमल ट्रेडर।
7	37620493	चतुर्थ राज्य वित्त	महेश के घर के पास के रास्ते का भुगतान	2020-08-03	241000	न्यू कमल ट्रेडररुचि , विश्वाँई।
8	36613835	चतुर्थ राज्य वित्त	रोहिताश के घर से विधि के घर तक का भुगतान	2020-08-03	218800	रोहिताश ,न्यू कमल ट्रेडर।
9	36616910	चतुर्थ राज्य वित्त	ठेली खरीद का भुगतान	2020-08-03	141000	शाहनबाज मशीनरी स्टोर।
10	37624103	चतुर्थ राज्य वित्त	मूर्तजाई के घर से शामीम के घर तक का भुगतान	2020-08-03	233600	हेमन्तन्यू कमल , ट्रेडर।
11	37614210	चतुर्थ राज्य वित्त	मोहन के घर से जानचन्द्र के घर का भुगतान	2020-08-03	236200	नीरज कुमारन्यू , कमल ट्रेडर।
12	44203484	चतुर्थ राज्य वित्त	मानदेय भुगतान	2020-08-13	14000	सुषमा विश्वाँई।
13	44203513	चतुर्थ राज्य वित्त	साफ सफाई	2020-08-13	80000	रोहिताश।
14	44538444	पन्द्रहवां वित्त	पंचायत भवन मरम्मत का भुगतान	2020-09-03	300000	न्यू कमल ट्रेडर।
15	44203468	चतुर्थ राज्य वित्त	कोविड का भुगतान 19	2020-09-11	29880	अमर उजाला लिमिटेड, कार्तिक इन्टरप्राइजेज, यश ट्रेडर, शोशल एण्टर प्राइजेज।
16	37621450	पन्द्रहवां वित्त	मेन डोर से बब्लू के घर तक का भुगतान	2020-09-29	170000	न्यू कमल ट्रेडररुचि , विश्वाँई।
17	37617236	पन्द्रहवां वित्त	जल निर्माण का भुगतान	2020-09-29	92950	न्यू कमल ट्रेडर।
18	37624596	पाँचवा वित्त	हनुमान मन्दिर से अरुण के घर तक का भुगतान	2020-10-31	248420	न्यू कमल ट्रेडररुचि , विश्वाँई।
19	37623081	पाँचवा वित्त	मेन डोर से गदरिया तक के घर तक का भुगतान	2020-10-31	207440	रोहिताश ,न्यू कमल ट्रेडर।
20	37618029	पन्द्रहवां वित्त	शुलभ शौचालय का भुगतान	2020-10-06	100300	न्यू कमल ट्रेडर।
21	37619412	पन्द्रहवां वित्त	मेन डोर से खेम सिंह तक का भुगतान	2020-10-23	191116	रोहिताश ,न्यू कमल ट्रेडर।
22	37614067	पन्द्रहवां वित्त	प्रेमा के घर से रोहिताश के घर तक का भुगतान	2020-10-23	249222	न्यू कमल ट्रेडररुचि , विश्वाँई।
23	37620798	पन्द्रहवां वित्त	विनोद लालू के घर के पास का भुगतान	2020-10-23	41340	न्यू कमल ट्रेडररुचि , विश्वाँई।
24	37620284	पन्द्रहवां वित्त	जाकिर से बब्लू का भुगतान	2020-10-23	153542	रोहिताश ,न्यू कमल ट्रेडर।
25	37618029	पन्द्रहवां वित्त	शुलभ शौचालय का भुगतान	2020-10-27	95000	न्यू कमल ट्रेडर।
26	37621450	पन्द्रहवां वित्त	मेन रोड से बब्लू के घर तक का भुगतान	2020-10-27	57485	न्यू कमल ट्रेडर , नीरज कुमार।
27	44535827	पन्द्रहवां वित्त	प्रशासनिक व्यय का भुगतान	2020-10-27	20732	न्यू कमल ट्रेडर।

28	44203585	पन्द्रहवां वित्त	हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान 6	2020-10-31	243318	शाहनबाज मशीनरी स्टोर।
29	45068278	पाँचवा वित्त	वेटेनरी अस्पताल नाला निर्माण	2020-11-08	91578	रोहिताश ,न्यू कमल ट्रेडर।
30	45068274	पाँचवा वित्त	रिलायंस टावर से मेन रोड तक का भुगतान	2020-11-08	202868	रोहिताश ,न्यू कमल ट्रेडर।
31	45068276	पन्द्रहवां वित्त	सफाई का भुगतान	2020-11-08	53000	रोहिताश।
32	44535795	पाँचवा वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान	2021-02-16	22596	एमहारून अली। .एस.
33	44535813	पाँचवा राज्य वित्त	हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	2021-02-16	80628	एमहारून अली। .एस.
34	37625357	पाँचवा राज्य वित्त	सोहारा रोड पर नाली और सीटार्डल्स का भुगतान .सी.	2020-12-06	226150	रोहिताश ,न्यू कमल ट्रेडर।
35	37622033	पाँचवा राज्य वित्त	मेन रोड से बलराम के घर तक का भुगतान	2020-12-16	236588	रोहिताश ,न्यू कमल ट्रेडर।
36	44535827	पाँचवा राज्य वित्त	स्टेशनरी खरीद का भुगतान	2020-12-06	12000	न्यू कमल ट्रेडर।
37	44535813	पाँचवा राज्य वित्त	हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	2021-03-09	40314	एमहारून अली। .एस.
38	44535813	पाँचवा राज्य वित्त	हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	2021-03-27	41400	एमट्रेडर। .एस.
39	37623081	पाँचवा राज्य वित्त	मेन रोड से गदरियो वाले रास्ते का नाली व सी .सी. टार्डल्स का भुगतान	2021-03-31	187060	न्यू कमल ट्रेडर।
40	44535813	पाँचवा राज्य वित्त	हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	2021-03-31	80628	न्यू कमल ट्रेडर।
41	37620952	पन्द्रहवां वित्त	हरिसिंह से नन्हिया के घर तक निर्माण कार्य का भुगतान	2021-03-09	247441	न्यू कमल ट्रेडर।
42	49671229	पन्द्रहवां वित्त	चरन के घर से देवेन्द्र के घर तक का नाली और सी .सी. टार्डल्स का भुगतान	2021-03-13	148508	न्यू कमल ट्रेडर।
43	49671220	पन्द्रहवां वित्त	काया कल्प के अन्तर्गत पीबलभगद निर्माण कार्य .एस. का भुगतान	2021-03-13	247754	न्यू कमल ट्रेडर।
44	45068272	पन्द्रहवां वित्त	शुलभ शौचालय निर्माण का भुगतान	2021-03-27	248490	न्यू कमल ट्रेडर।
45	37617686	पन्द्रहवां वित्त	हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	2021-03-31	161256	एमट्रेडर। .एस.
46	45068276	पन्द्रहवां वित्त	सफाई कार्य का भुगतान	2021-03-31	95000	न्यू कमल ट्रेडर।
			योग		6430301	

उक्त व्यय धनराशि रूपया 6430301.00 से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रू0 6430301.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति सुषमा देवी, प्रशासक श्री आमोद शर्मा

एवं श्री नरेश सिंह और ग्राम पंचायत सचिव श्री जय लाल शर्मा द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि-6430301.00**

02- ग्राम पंचायत- खैरुल्लापुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- ठाकुरद्वारा जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-02 आचोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 874087.00 विभिन्न नए कार्यों, परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 874087.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति सपना देवी, प्रशासक श्री आमोद शर्मा एवं श्री नरेश कुमार और ग्राम पंचायत सचिव श्री मोहित कुमार द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 874087.00**

03- ग्राम पंचायत- चान्दपुर मुस्तकम वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- भगतपुर टाण्डा जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-03 आचोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 3613389.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 3613389.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति ओमवती, प्रशासक श्री चन्द्रपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय आशीष द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 3613389.00**

04- ग्राम पंचायत- सेहल मुस्तकम वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- भगतपुर टाण्डा जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-04 आचोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1892692.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस

धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1892692.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह, प्रशासक श्री चन्द्रपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1892692.00**

05- ग्राम पंचायत- रौण्डा मुस्तकम वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- मूढापाण्डे जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-05 आचोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 2085439.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 2085439.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री अरकान, प्रशासक श्री चन्द्रपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय कुमार द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 2085439.00**

06- ग्राम पंचायत- लालपुर पीपलसाना वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- ठाकुरद्वारा जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-06 आचोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 2800604.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 2800604.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति रिहाना, प्रशासक श्री आमोद शर्मा व श्री नरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जयलाल शर्मा द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 2800604.00**

07 ग्राम पंचायत- मनकरा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- मूढापाण्डे जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-07 आचोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 695225.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 695225.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री विशेष चौहान, प्रशासक श्री चन्द्रपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय कुमार द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 695225.00

08- ग्राम पंचायत- दौलतपुर अजमतपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- मूढापाण्डे जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-08 आचोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1566526.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1566526.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री गौहर अली, प्रशासक श्री चन्द्रपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय कुमार द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1566526.00

09- ग्राम पंचायत- मौहम्मदपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- मूढापाण्डे जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-09 आचोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 393099.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 393099.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री शिशुपाल, प्रशासक श्री चन्द्रपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय कुमार द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 393099.00

10- ग्राम पंचायत- भदासना वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- मूढापाण्डे जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-10 आचोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 828850.66 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया

है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 828850.66 का गबन ग्राम प्रधान श्री योगेश कुमार, प्रशासक श्री चन्द्रपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय कुमार द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 828850.66**

11- ग्राम पंचायत- खबडिया भूड वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- मूढापाण्डे जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-11 आचोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 2504369.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 2504369.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति रानी, प्रशासक श्री चन्द्रपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेन्द्र सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 2504369.00**

12- ग्राम पंचायत- नगला गूजर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-12 आचोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत नगला गूजर द्वारा आहरित धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	वर्क आई0डी0	सम्बन्धित वित्त	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	13857854	चतुर्थ राज्य वित्त	सार्वजनिक नल व दीवार।	12-05-2020	134744	जय वैष्णो एन्टरप्राइसेस आदि।
2	13857805	चौदवां वित्त	दीवार निर्माण कार्य।	16-06-2020	36047	कुलदीप सिंह आदि।
3	38503286	चौदवां वित्त	ग्राम पंचायत में नाली व पुलिया निर्माण।	04-09-2020	46433	बांक बिहारी ट्रेडर्स आदि।
4	38503539	चतुर्थ राज्य वित्त	ग्राम प्रधान का मानदेय।	16-09-2020	66500	बलवीर सिंह।
5	41857485	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य।	06-10-2020	211403	नरायण हरि ईट उद्योग आदि।
6	10979341	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत।	22-10-2020	5800	दिपेन्द्र सिंह।
7	38503605	चतुर्थ राज्य वित्त	प्लाट में सीटाईल्स .सी. लगवाया।	29-10-2020	43932	अभय ट्रेडर्स आदि।

8	38503777	पन्द्रहवां वित्त	मिट्टी भराव व नाली निर्माण कार्य।	29-10-2020	24905	अभय ट्रेडर्स आदि।
9	38503627	पन्द्रहवां वित्त	सीटाईल्स लगवाया। .सी.	29-10-2020	129458	अभय ट्रेडर्स आदि।
10	41508418	पन्द्रहवां वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत।	10-11-2020	40000	रामा ट्रेडर्स।
11	38502728	पन्द्रहवां वित्त	सामुदायिक केन्द्र में बिजली सुविधा।	10-11-2020	15000	जवाहर इलेक्ट्रीकल्स।
12	38502958	पाँचवा राज्य वित्त	ग्राम प्रधान का मानदेय।	07-12-2020	31500	बलवीर सिंह।
13	38503789	पाँचवा राज्य वित्त	सामुदायिक केन्द्र में मिट्टी भराव कार्य।	07-12-2020	61377	कुलदीप सिंह आदि।
				योग	847099	

उक्त धनराशि ग्राम प्रधान मानदेय, सी0सी0 टाईल्स, काया कल्प, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर, सफाई कार्य, कोविड 19 व स्टेशनरी, आंगनवाडी केन्द्र आदि मदों में व्यय की गयी है। व्यय धनराशि रूपया 847099.00 से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रु0 847099.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री बलवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 847099.00**

13- ग्राम पंचायत- धर्मपुर कलां वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-13 आचोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 4180330.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 4180330.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री उदयवीर सिंह, प्रशासक श्री राजीव सक्सेना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रपाल सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 4180330.00**

14 ग्राम पंचायत-कूरी वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- डिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-14 आचोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मूल अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रूपया 1049929.00 आहरित की गयी है। विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	2020-06-26	93174
2	2020-08-21	1900
3	2020-08-21	10999
4	2020-08-21	5544
5	2020-08-30	2000
6	2020-09-30	5670
7	2020-10-03	195176
8	2020-10-03	178798
9	2020-10-04	38701
10	2020-10-04	47251
11	2020-10-25	24500
12	2020-10-25	11800
13	2020-11-14	11477
14	2020-11-28	7490
15	2020-12-19	132477
16	2020-12-21	27800
17	2020-12-21	3500
18	2020-12-24	94730
19	2021-03-09	109891
20	2021-03-25	9081
21	2021-03-25	37970
योग		1049929

उक्त धनराशि विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। सम्पूर्ण धनराशि के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल, वाउचर फाईल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1049929.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री भूपेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास कुमार त्यागी द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1049929.00**

15- ग्राम पंचायत- मिलक अमावती वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- डिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-15 आचोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मूल अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रूपया 2583875.00 आहरित की गयी है। विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	2020-06-30	125162
2	2020-06-30	100484
3	2020-06-30	97732
4	2020-06-30	171023
5	2020-06-30	206347
6	2020-06-30	199581
7	2020-06-30	212755
8	2020-06-30	56042
9	2020-06-30	24680
10	2020-08-23	1900
11	2020-08-23	1000
12	2020-08-23	9798
13	2020-10-07	315815
14	2020-10-07	141214
15	2020-10-25	66500
16	2020-10-25	107604
17	2020-10-25	11800
18	2020-10-30	22000
19	2020-11-08	22968
20	2020-11-14	11800
21	2020-11-29	76204
22	2020-12-13	24570
23	2020-12-25	89300
24	2020-12-25	116200
25	2020-12-25	14050
26	2021-03-23	86854
27	2021-03-23	232622
28	2021-03-23	37870
	योग	2583875

उक्त धनराशि विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। सम्पूर्ण धनराशि के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल, वाउचर फाईल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया

2583875.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री सुभाष एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास कुमार त्यागी द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 2583875.00**

16- ग्राम पंचायत- श्योदासपुर (शिवदासपुर) वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- डिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-16 आचोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मूल अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रूपया 1135333.00 आहरित की गयी है। विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	कार्य का विवरण
1	2020-06-21	127707	प्राथमिक स्कूल में आपरेशन कायाकल्प के अर्न्तगत मरम्मत कार्य।
2	2020-08-21	8899	कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु थर्मल स्क्रीनिंग मशीन ऑक्सीमीटर मास्क, सैनिटाइजर पर खर्च।
3	2020-08-21	1900	अन्य खर्च, वित्तीय वर्ष का पंचायत टैक्स सामान्य लाभ निधि 20-2019 भुगतान।
4	2020-08-21	5544	ग्राम निधि के कार्या के लिए सामग्री सप्लाई हेतु टेण्डर प्रकाशन पर खर्च।
5	2020-08-30	2000	प्रशासनिक खर्च।
6	2020-09-30	5670	वर्ष में सामग्री सप्लाई हेतु टेण्डर के विज्ञापन प्रकाशन पर खर्च। 20-2019
7	2020-10-11	14457	ग्राम पंचायत के हैण्डपम्प मरम्मत कार्य।
8	2020-10-11	1500	फोटोकॉपी पर खर्च।
9	2020-10-21	198442	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य।
10	2020-10-21	169156	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य।
11	2020-10-25	24500	ग्राम प्रधान मानदेय अप्रैल तक का भुगतान। 2020 से अक्टूबर 2020
12	2020-10-25	11800	प्रशासनिक खर्च।
13	2020-11-14	11800	प्रशासनिक खर्च।
14	2020-12-25	247336	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य।
15	2020-12-25	8879	स्टेशनरी खरीद, फोटो स्टेट, कम्प्यूटर फीडिंग आदि पर प्रशासनिक खर्च।
16	2021-02-14	45321	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य।
17	2021-03-07	78213	प्राथमिक स्कूल में आपरेशन कायाकल्प के अर्न्तगत मरम्मत कार्य।
18	2021-03-07	134234	प्राथमिक स्कूल में आपरेशन कायाकल्प के अर्न्तगत मरम्मत कार्य।
19	2021-03-23	37975	हैण्डपम्प रिबोर कार्य।
	योग	1135333	

उक्त धनराशि विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। सम्पूर्ण धनराशि के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1135333.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री मो0 यासीन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास कुमार त्यागी द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1135333.00

17- ग्राम पंचायत- बहादुर गंज वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- डिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-17 आचोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मूल अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार निम्नलिखित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी है। विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	कार्य का विवरण
1	2020-06-26	175328	प्राथमिक स्कूल में आपरेशन कायाकल्प के अर्न्तगत बाउन्ड्री वाल, टॉलेट और अन्य मरम्मत कार्य।
2	2020-07-02	245771	मु हारून के घर से इस्लामिया मदरसे तक नाली मिट्टी और सी0सी0 0 टाईल्स निर्माण कार्य।
3	2020-07-02	185300	अकबर अली के घर फारूख के घर तक नाली मिट्टी और सीटाईल्स 0सी0 निर्माण कार्य।
4	2020-07-04	42000	ग्राम प्रधान का वर्ष माह का मानदेय का भुगतान। 12 का 20-2019
5	2020-07-17	37696	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर कार्य।
6	2020-08-16	1900	वित्तीय वर्ष का पंचायत टैक्स सामान्य लाभ निधि भुगतान। 20-2019
7	2020-08-16	8899	कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर मशीन, N मास्क 95, सैनिटाइजर, मास्क आदि कार्य पर खर्च। 100
8	2020-08-16	4647	ग्राम निधि के कार्या के लिए सामग्री सप्लाई हेतु टेण्डर के विज्ञापन प्रकाशन पर खर्च।
9	2020-08-30	2000	प्रशासनिक खर्च।
10	2020-10-25	24500	ग्राम प्रधान का अप्रैल तक का मानदेय का 2020 से अक्टूबर 2020 भुगतान।
11	2020-10-25	11800	प्रशासनिक खर्च।
12	2020-11-09	4509	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य।
13	2020-11-14	4950	ई शिलान्यास पत्थर स्थापना पर खर्च।
14	2020-12-12	11800	प्रशासनिक खर्च।
15	2020-12-12	16080	प्राथमिक स्कूल में आपरेशन कायाकल्प के अर्न्तगत मरम्मत कार्य।
16	2020-12-12	5000	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य।
17	2020-12-12	98878	प्राथमिक स्कूल में आपरेशन कायाकल्प के अर्न्तगत मरम्मत कार्य।
18	2020-12-12	18000	प्राथमिक स्कूल में आपरेशन कायाकल्प के अर्न्तगत मरम्मत कार्य।
19	2021-03-02	153996	जूनियर हाई स्कूल में आपरेशन कायाकल्प के अर्न्तगत मरम्मत कार्य।
20	2021-03-02	39091	कम्पोजिट स्कूल में आपरेशन कायाकल्प के अर्न्तगत मरम्मत कार्य।
21	2021-03-02	106954	खुर्शीद के घर से शमीम के घर तक नाली मिट्टी और सीटाईल्स रोड 0सी0 निर्माण कार्य।
22	2021-03-02	99222	कम्पोजिट स्कूल में आपरेशन कायाकल्प के अर्न्तगत मरम्मत कार्य।
23	2021-03-02	8991	स्टेशनरी खरीद, फोटो स्टेट, कम्प्यूटर फीडिंग आदि पर प्रशासनिक खर्च।
24	2021-03-23	50540	कम्पोजिट स्कूल में आपरेशन कायाकल्प के अर्न्तगत मरम्मत कार्य।
25	2021-03-23	44680	खुर्शीद के घर से शमीम के घर तक नाली मिट्टी और सीटाईल्स रोड 0सी0 निर्माण कार्य।
26	2021-03-23	54600	जूनियर हाई स्कूल में आपरेशन कायाकल्प के अर्न्तगत मरम्मत कार्य।
27	2021-03-23	37905	हैण्डपम्प रिबोर कार्य।
	योग	1495037	

उक्त धनराशि रूपया 1495037.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। सम्पूर्ण धनराशि के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल, वाउचर फाईल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1495037.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री अब्बास एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास कुमार त्यागी द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1495037.00**

18- ग्राम पंचायत- जलालपुर खालसा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- डिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-18 आचोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मूल अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार निम्नलिखित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी है। विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	2020-07-02	58449
2	2020-07-02	50736
3	2020-07-02	231822
4	2020-08-23	22478
5	2020-08-23	2000
6	2020-08-23	1900
7	2020-08-23	5544
8	2020-09-10	17500
9	2020-09-10	16433
10	2020-09-19	343710
11	2020-09-19	121513
12	2020-09-30	5670
13	2020-10-25	19212
14	2020-10-25	11800
15	2020-11-06	208746
16	2020-11-06	4950
17	2020-11-14	11800
18	2020-11-14	4947
19	2020-12-24	196968
20	2020-12-24	105285
21	2020-12-24	50000
22	2021-03-03	11400
23	2021-03-03	248997
24	2021-03-03	38364
25	2021-03-03	13240
26	2021-03-07	101202
27	2021-03-09	146866
28	2021-03-09	141007
	योग	2192539

ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित ऑनलाइन कैशबुक के आधार पर इनमें से कुछ धनराशियों की प्रविष्टि गलत में दर्शाया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	2021-03-01	98688
2	2021-03-01	8100
3	2021-03-01	11250
4	2021-03-01	98280
5	2021-03-01	11250
6	2021-03-01	2500
7	2021-03-01	6250
8	2021-03-01	6250
9	2021-03-01	4500
10	2021-03-01	4500
11	2021-03-01	6250
12	2021-03-01	6250
13	2021-03-01	87185
14	2021-03-01	1000
	योग	352253

उक्त कुल व्यय धनराशि रूपया 1840286.00 (2192539-352253=1840286.00) विभिन्न नए कार्यो परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। सम्पूर्ण धनराशि के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल, वाउचर फाईल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1840286.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति सर्वेश देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास कुमार त्यागी द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1840286.00

19- ग्राम पंचायत- गकखरपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- डिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-19 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1824085.00 विभिन्न नए कार्यो परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वाउचर फाईल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत

राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1824085.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति सावरी और ग्राम पंचायत सचिव श्री लोकेन्द्र सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1824085.00**

20- ग्राम पंचायत- तुमड़िया कलां वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- डिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-20 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मूल अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार निम्नलिखित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी है। विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	व्यय धनराशि
1	24-06-2020	43473
2	24-06-2020	131951
3	01-07-2020	181665
4	21-08-2020	1900
5	21-08-2020	5544
6	21-08-2020	10198
7	30-08-2020	2000
8	30-09-2020	5670
9	03-10-2020	266596
10	09-10-2020	1500
11	11-10-2020	38245
12	11-10-2020	30887
13	25-10-2020	24500
14	25-10-2020	7786
15	07-11-2020	140991
16	07-11-2020	4950
17	07-11-2020	214249
18	14-11-2020	11800
19	08-12-2020	35800
20	09-12-2020	68746
21	12-12-2020	45973
22	24-12-2020	143099
23	24-12-2020	97866
24	24-12-2020	516076
25	24-12-2020	3500
26	24-12-2020	103500
27	03-03-2021	136527
28	03-03-2021	199031
29	03-03-2021	209663
30	25-03-2021	38800
31	25-03-2021	37850
32	25-03-2021	37993
	योग	2798269

उक्त धनराशि रूपया 2798269.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। सम्पूर्ण धनराशि के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल, वाउचर फाईल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र,

ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 2798269.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति हनीसा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास कुमार त्यागी द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 2798269.00**

21- ग्राम पंचायत- सरकड़ा करीम वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- डिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-21 आलोच्य वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत सरकड़ा करीम की ग्राम निधि प्रथम (केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त)की लेखा परीक्षा मूल अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार निम्नलिखित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी है। विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	व्यय धनराशि
1	2020-06-14	50000
2	2020-07-01	216713
3	2020-07-03	65982
4	2020-08-27	10203
5	2020-09-26	394460
6	2020-10-04	20292
7	2020-10-09	52
8	2020-10-25	76721
9	2020-10-27	4647
10	2020-10-30	338973
11	2020-11-06	157175
12	2020-11-06	174175
13	2020-11-13	37928
14	2020-11-20	6360
15	2020-12-12	25670
16	2020-12-12	28000
17	2020-12-12	17730
18	2021-01-31	8399
19	2021-03-23	36981
20	2021-03-23	18850
21	2021-03-23	15112
	योग	1704423

उक्त धनराशि रूपया 1704423.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। सम्पूर्ण धनराशि के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आर्डर, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल, वाउचर फाईल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम

प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1704423.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति ऊषा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार भारती व प्रशान्त चौधरीद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1704423.00**

22- ग्राम पंचायत- फरीदपुर काशम वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- डिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-22 आलोच्य वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत फरीदपुर काशम की ग्राम निधि प्रथम (केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त) की लेखा परीक्षा मूल अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार निम्नलिखित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी है। विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	व्यय धनराशि
1	2020-06-28	190405
2	2020-06-28	19100
3	2020-08-23	10599
4	2020-08-23	1900
5	2020-08-23	5544
6	2020-09-26	209739
7	2020-09-26	199125
8	2020-10-11	13710
9	2020-11-09	4950
10	2020-11-11	28000
11	2020-11-11	18000
12	2020-11-28	77378
13	2020-12-20	94305
14	2020-12-20	29250
15	2020-12-20	11811
16	2021-03-06	85155
17	2021-03-23	18030
18	2021-03-23	36795
	योग	1053796

उक्त धनराशि रूपया 1053796.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। सम्पूर्ण धनराशि के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आर्डर, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल, वाउचर फाईल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1053796.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री सत्यपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार भारती व श्री गौरव कुमारद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1053796.00

23- ग्राम पंचायत- धौगढ़पुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- डिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-23 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मूल अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार निम्नलिखित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी है।विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	व्यय धनराशि
1	2020-07-02	189840
2	2020-07-02	230975
3	2020-08-16	5544
4	2020-08-16	1900
5	2020-08-16	14599
6	2020-08-30	2000
7	2020-09-30	5670
8	2020-10-25	24500
9	2020-10-25	11800
10	2020-10-30	322151
11	2020-11-09	37832
12	2020-11-09	11780
13	2020-11-09	4950
14	2020-11-11	161125
15	2020-11-11	128070
16	2020-11-14	11800
17	2020-11-22	36824
18	2020-12-16	42300
19	2020-12-16	80892
20	2020-12-21	7080
21	2020-12-21	3500
22	2020-12-21	14500
23	2021-03-07	104800
24	2021-03-23	113970
	योग	1568402

उक्त धनराशि रूपया 1568402.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। सम्पूर्ण धनराशि के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1568402.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति नाजमा खातून एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास कुमार त्यागीद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1568402.00

24- ग्राम पंचायत- चांदखेड़ी वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- डिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-24 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मूल अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार निम्नलिखित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी है। विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	2020-06-25	153373
2	2020-06-25	23532
3	2020-06-27	42000
4	2020-08-16	8899
5	2020-10-09	118
6	2020-10-21	213262
7	2020-10-25	24500
8	2020-10-25	11800
9	2020-11-02	205781
10	2020-11-08	15280
11	2020-11-14	11800
12	2020-12-24	264864
13	2020-12-25	7103
14	2021-03-02	42500
15	2021-03-25	155302
16	2021-03-25	114453
17	2021-03-25	247320
18	2021-03-25	112646
	योग	1654533

ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित ऑनलाइन कैशबुक के आधार पर इनमें से कुछ धनराशियों की प्रविष्टि गलत में दर्शाया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	2021-03-02	7103
2	2021-03-02	8000
3	2021-03-02	8000
4	2021-03-02	8000
5	2021-03-02	8000
6	2021-03-02	8000
7	2021-03-02	6400
	योग	53503

उक्त कुल व्यय धनराशि रूपया 1601030.00 (1654533-53503=1601030.00) विभिन्न नए कार्यो परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। सम्पूर्ण धनराशि के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल, वाउचर फाईल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपुति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1601030.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति किश्वरी बेगम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास कुमार त्यागी द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1601030.00

25- ग्राम पंचायत- बदेरावर्ष 2020-21 विकासखण्ड- डिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-25 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मूल अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार निम्नलिखित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी है। विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	2020-07-01	167970
2	2020-08-16	1900
3	2020-08-16	5544
4	2020-08-16	15778
5	2020-08-30	2000
6	2020-09-30	5670
7	2020-10-09	118
8	2020-10-25	11800
9	2020-11-09	6000
10	2020-11-09	4950
11	2020-11-11	228373
12	2020-11-14	11800
13	2020-11-22	161306
14	2020-11-22	83250
15	2020-12-07	192593
16	2020-12-16	41100
17	2020-12-17	258892
18	2020-12-21	56000
19	2020-12-24	149649
20	2021-03-23	40400
21	2021-03-23	37700
22	2021-03-25	163774
23	2021-03-25	160649
24	2021-03-25	19981
25	2021-03-28	31500
26	2021-03-28	453954
	योग	2312651

ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित ऑनलाइन कैशबुक के आधार पर इनमें से कुछ धनराशियों की प्रविष्टि गलत में दर्शाया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	2021-03-29	31500
2	2021-03-29	92640
3	2021-03-29	89208
4	2021-03-29	92938
5	2021-03-29	89960
6	2021-03-29	89208
	योग	485454

उक्त कुल व्यय धनराशि रूपया 1827197.00 (2312651-485454=1827197.00) विभिन्न नए कार्यो परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। सम्पूर्ण धनराशि के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल, वाउचर फाईल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1827197.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति हमसीरन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास कुमार त्यागी द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1827197.00

26- ग्राम पंचायत- अहमदपुर आनंदपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- डिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-26 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मूल अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार निम्नलिखित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी है। विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	व्यय धनराशि
1	2020-06-03	17710
2	2020-06-04	32800
3	2020-06-27	404256
4	2020-06-28	608544
5	2020-08-07	97445
6	2020-08-11	5544
7	2020-08-11	1900
8	2020-08-11	22361
9	2020-08-11	8598
10	2020-08-11	8315
11	2020-08-25	97200
12	2020-08-25	46502
13	2020-09-09	96233
14	2020-10-11	10500
15	2020-10-11	21000

16	2020-10-11	100941
17	2020-10-19	85862
18	2020-10-19	166795
19	2020-11-28	192101
20	2020-11-28	107805
21	2021-02-13	699568
22	2021-02-13	43650
23	2021-03-17	38500
24	2021-03-17	213224
25	2021-03-17	151946
26	2021-03-23	113620
	योग	3392920

उक्त धनराशि रूपया 3392920.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। सम्पूर्ण धनराशि के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 3392920.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति जुल खातून एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री लोकेन्द्र सिंहवश्री विकास कुमार त्यागीद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 3392920.00

27- ग्राम पंचायत- उदयपुर नरौली वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-27 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत उदयपुर नरौलीद्वारा व्यय धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	वर्क आईडी0	सम्बन्धित वित्त	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	15082366	चौदवाह वित्त	प्रास्कूल में मिट्टी भराव व खण्डजा	2020-04-28	247640	एमविस्वा हरी .एस. सीमेंट आदि।
2	15082344	चौदवाह वित्त	हैण्डपम्प मरम्मतकार्य।	2020-04-25	32400	अभय ट्रेडर्स आदि।
3	15082344	चौदवाह वित्त	हैण्डपम्प मरम्मतकार्य।	2020-04-22	7500	सुदीप कुमार।
4	15082412	चौदवाह वित्त	स्कूल में हाथ धोने की सुविधा	2020-04-29	145761	अभय ट्रेडर्स आदि।
5	21107423	चौदवाह वित्त	भूरावास का बकाया भुगतान	2020-05-09	344206	मोहित ट्रेडर्स आदि।
6	42615413	चौदवाह वित्त	स्कूल में शौचालय व रसोई निर्माण	2020-07-09	247453	एमविस्वा हरी .एस. सीमेंट आदि।
7	38049287	चौदवाह वित्त	हैण्डपम्प मरम्मतकार्य।	2020-07-13	36790	अभय ट्रेडर्स आदि।
8	42615608	चौदवाह वित्त	चवूतरा का निर्माण कार्य	2020-07-14	63911	अभय ट्रेडर्स आदि।
9	42617543	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	पंचायत भवन का निर्माण कार्य	2020-08-24	671311	एमविस्वा हरी .एस. सीमेंट आदि।
10	43617543	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	पंचायत भवन का निर्माण कार्य	2020-08-25	150224	अभय ट्रेडर्स आदि।

11	38049826	चौदवां वित्त	जू स्कूल में रंगाई पुताई.हा.	2020-09-21	162645	शिवम आदि।
12	38048370	पन्द्रहवां वित्त	जूस्कूल में दीवार और गेट .हा. निर्माण	2020-09-28	248872	एमविस्वा हरी .एस. सीमेंट आदि।
13	44811183	पाँचवा राज्य वित्त	जूस्कूल में शौचालय .हा. निर्माण	2020-10-28	248981	एसब्रिक्स वर्क .एच. आदि।
14	44811205	पाँचवा राज्य वित्त	स्कूल में मिट्टी भराव	2020-10-29	215273	महिपाल सिंह आदि।
15	38048536	पाँचवा राज्य वित्त	ग्राम प्रधान का मानदेय।	2020-10-30	42000	यादवती।
16	38049545	पाँचवा राज्य वित्त	पंचायत भवनव शौचालय निर्माण कार्य	2020-11-04	10500	अभय ट्रेडर्स आदि।
17	42616064	पाँचवा राज्य वित्त	खण्डजा व नाली निर्माण	2020-12-04	148700	एसब्रिक्स वर्क .एच. आदि।
18	38048625	पाँचवा राज्य वित्त	निविदा विज्ञापन	2020-12-11	5311	सुदीप कुमार।
19	42617543	पाँचवा राज्य वित्त	पंचायत भवन का निर्माण कार्य	2020-12-18	213344	एमविस्वा हरी .एस. सीमेंट आदि।
20	42616252	पाँचवा राज्य वित्त	नाली निर्माण	2020-12-23	182209	एसब्रिक्स वर्क .एच. आदि।
21	44811216	पाँचवा राज्य वित्त	प्रा स्कूल मिट्टी भराव.	2021-03-15	127627	विट्टू आदि।
22	38049586	पाँचवा राज्य वित्त	टिन न0 भुगतान	2021-03-29	3000	अल्फा।
23	38048973	पन्द्रहवां वित्त	हैण्डपम्प रिबोर	2021-03-29	121317	फरमान कांटेक्टर आदि।
			योग		3676975	

उक्त धनराशि ग्राम प्रधान मानदेय, काया कल्प, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर, कोविड 19 व स्टेशनरी, आंगनवाडी केन्द्र आदि मदों में व्यय की गयी है। व्यय धनराशि रूपया 3676975.00 से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रू0 3676975.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति यादवती, प्रशासक श्री राजीव कुमार सक्सैना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 3676975.00**

28- ग्राम पंचायत- इमरतपुर फखरुद्दीन वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- कुन्दरकी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-28 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1926101.00 विभिन्न नए कार्यो परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1926101.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति आलम जहाँ, प्रशासक श्री दुजेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अंकित सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1926101.00**

29- ग्राम पंचायत- फरीदनगर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- ठाकुरद्वारा जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-29 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत फरीदनगर द्वारा व्यय धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	वर्क आई0डी0	सम्बन्धित वित्त	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	43399149	चतुर्थ राज्य वित्त	कलुवा के घर से हवीव के घर तक।	2020-07-23	247510	न्यू कमल ट्रेडर्स आदि।
2	43399209	चतुर्थ राज्य वित्त	सलीम के घर से बालमिकियों के घर तक का भुगतान।	2020-07-28	140000	न्यू कमल ट्रेडर्स आदि।
3	45135628	चतुर्थ राज्य वित्त	इरशाद से अली हसन के घर तक निर्माण कार्य का भुगतान।	2020-11-27	248829	न्यू कमल ट्रेडर्स आदि।
4	43399209	चतुर्थ राज्य वित्त	सलीम के घर से बालमिकी के घर तक का निर्माण कार्य भुगतान।	2020-11-19	97235	न्यू कमल ट्रेडर्स आदि।
5	38857880	पन्द्रहवां वित्त	हैण्डपम्प रिबोर।	2020-10-06	121659	एमहारून अली। .एस.
6	38858884	पन्द्रहवां वित्त	बुन्दु खान से पंचायत घर तक का भुगतान।	2020-10-06	246679	न्यू कमल ट्रेडर्स आदि।
7	38858255	पन्द्रहवां वित्त	रेन वाटर हैविस्टिंग।	2020-10-07	75000	के जी एन ट्रेडर्स।
8	43993985	पन्द्रहवां वित्त	सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य।	2020-09-15	212592	न्यू कमल ट्रेडर्स आदि।
9	43398894	पन्द्रहवां वित्त	सीटाईल्स रोड नाली .सी. कार्य से मोहका प्रधान से कलुआ के घर तक का मटेरियल।	2020-09-25	151102	न्यू कमल ट्रेडर्स आदि।
10	43398894	पन्द्रहवां वित्त	सीटाईल्स रोड नाली .सी. कार्य से मोहका प्रधान से कलुआ के घर तक का लेबर भुगतान।	2020-09-29	62000	फैयाज हुसैन।
11	43397763	पन्द्रहवां वित्त	सैफुल्ला के घर से हाजीतिकल के घर तक का भुगतान	2020-09-28	85459	न्यू कमल ट्रेडर्स आदि।
12	43399084	पन्द्रहवां वित्त	यामिन के घर से कलुआ के घर तक का भुगतान।	2020-09-28	131019	फैयाज हुसैन।
13	38858084	पाँचवा राज्य वित्त	डस्टबिन खरीद।	2020-12-02	22420	सत्यम इंटरप्राइजेज।
14	38858870	पाँचवा राज्य वित्त	अहसान खान के घर से बुन्धु के घर तक नाली सी .सी. टाईल्स कार्य।	2020-12-15	238874	तेजपाल सिंह व के जी एन ट्रेडर्स।

15	38858951	पाँचवा राज्य वित्त	नन्हें कारीगर के घर से महेन्द्र के घर तक का भुगतान।	2020-12-19	78930	फैयाज हुसैन वन्यू कमल ट्रेडर्स।
16	38980562	पाँचवा राज्य वित्त	प्रधान मानदेय।	2020-12-19	28000	गुलाम साबिर।
17	45135730	पन्द्रहवां वित्त	मकसूद के घर से नाजिम के घर तक नाली सीटार्डिल्स .सी. कार्य।	2020-12-19	247280	फैयाज हुसैन वन्यू कमल ट्रेडर्स।
18	45135595	पन्द्रहवां वित्त	सुखन के घर से करी ईकराम के घर तक नाली सी .सी. टार्डिल्स निर्माण।	2020-12-19	247826	फैयाज हुसैन वन्यू कमल ट्रेडर्स।
19	43397480	पाँचवा राज्य वित्त	महेन्दी के घर से रफीक के घर तक का लेबर भुगतान।	2020-12-22	52000	फैयाज हुसैन।
20	43397416	पाँचवा राज्य वित्त	मस्जिद से नन्हें के घर तक का लेबर भुगतान।	2020-12-22	51000	फैयाज हुसैन।
21	38857880	पन्द्रहवां वित्त	हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान।	2021-03-14	40553	एमट्रेडर्स। .एस.
			योग		2825865	

उक्त धनराशि ग्राम प्रधान मानदेय, सी.सी. टार्डिल्सरोडनिर्माण,काया कल्प, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर, कोविड 19 व स्टेशनरी, आंगनवाडी केन्द्र आदि मदों में व्यय की गयी है। व्यय धनराशि रूपया 2825865.00 से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रु0 2825865.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री गुलाम साबिर, प्रशासक श्री आमोद कुमार शर्मा व नरेश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मोहित कुमारद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 2825865.00**

30- ग्राम पंचायत- मानपुर दत्तराम वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- ठाकुरद्वारा जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-30 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 3188235.00 विभिन्न नए कार्यो परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत

राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 3188235.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति ओमवती, प्रशासक श्री नरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जयलाल शर्मा द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 3188235.00**

31- ग्राम पंचायत- नन्हूवालावर्ष 2020-21 विकासखण्ड- ठाकुरद्वारा जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-31 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 2828930.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 2828930.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र, प्रशासक श्री अमोद शर्माव श्री नरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रविराज सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 2828930.00**

32- ग्राम पंचायत- मलपुरा लक्ष्मीपुरवर्ष 2020-21 विकासखण्ड- ठाकुरद्वारा जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-32 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1056866.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1056866.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति आमना बेगम, प्रशासक श्री अमोद शर्माव श्री नरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमारद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1056866.00**

33- ग्राम पंचायत- वोवदवालावर्ष 2020-21 विकासखण्ड- ठाकुरद्वारा जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-33 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1852468.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम

प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1852468.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री मो. अली, प्रशासक श्री अमोद शर्मा व श्री नरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मोहित कुमार द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1852468.00**

34- ग्राम पंचायत- मदारपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- ठाकुरद्वारा जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-34 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1886658.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1886658.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति भगवती देवी, प्रशासक श्री अमोद शर्मा व श्री नरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जयलाल शर्मा द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1886658.00**

35- ग्राम पंचायत- कल्यानपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- ठाकुरद्वारा जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-35 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1239515.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1239515.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति कैलासो देवी, प्रशासक श्री अमोद शर्मा व श्री नरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मोहित कुमार द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1239515.00**

36- ग्राम पंचायत- सरकडा परम वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- ठाकुरद्वारा जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-36 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 2618663.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0,

वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 2618663.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री अयूब, प्रशासक श्री नरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जयलाल शर्मा द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 2618663.00**

37- ग्राम पंचायत- पानूवाला वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- ठाकुरद्वारा जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-37 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 875763.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 875763.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री नईम, प्रशासक श्री नरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जयलाल शर्मा द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 875763.00**

38- ग्राम पंचायत- फैजुल्लागंज वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- ठाकुरद्वारा जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-38 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 591190.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 591190.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री राजीव, प्रशासक श्री अमोद शर्मा एवं श्री नरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 591190.00**

39- ग्राम पंचायत- रानी नांगल वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- ठाकुरद्वारा जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-39 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1487100.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1487100.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार, प्रशासक श्री नरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रजत पुष्करद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1487100.00**

40- ग्राम पंचायत- लौंगी कलांवर्ष 2020-21 विकासखण्ड- ठाकुरद्वारा जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-40 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1609340.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1609340.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश, प्रशासक श्री अमोद शर्मा व श्री नरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विदेश सिंह राणाद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1609340.00**

41- ग्राम पंचायत- रामूवाला शेखू वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- ठाकुरद्वारा जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-41 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 922726.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 922726.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति बीना देवी, प्रशासक श्री अमोद

शर्मा वश्री नरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रविराज सिंहद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 922726.00**

42- ग्राम पंचायत- मौ0पुर बस्तौर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- कुन्दरकी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-42 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 7296406.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 7296406.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री इन्द्रपाल, प्रशासक श्री दुजेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अंकित सिंहद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 7296406.00**

43- ग्राम पंचायत- अभानपुर कुन्दरकी वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- कुन्दरकी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-43 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1505336.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1505336.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति सरोज देवी, प्रशासक श्री दुजेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राम प्रकाश सिंहद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1505336.00**

44- ग्राम पंचायत- नारायणपुर देवा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-44 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 3514070.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस

धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 3514070.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री अतुल, प्रशासक श्री राजीव कुमार सकसैना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 3514070.00**

45- ग्राम पंचायत- ग्वार खेड़ा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-45 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मूल अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार निम्नलिखित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी है। विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	व्यय धनराशि
1	2020-07-04	42228
2	2020-07-04	62765
3	2020-07-04	123956
4	2020-09-07	19962
5	2020-09-07	14000
6	2020-10-15	24900
7	2020-12-08	104245
8	2020-12-17	1100
9	2020-12-17	4480
10	2021-02-11	76318
11	2021-02-11	290000
12	2021-02-11	8600
13	2021-03-27	26000
	योग	798554

उक्त धनराशि रूपया 798554.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। सम्पूर्ण धनराशि के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 798554.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति संतोष कुमारी, प्रशासक श्री राजीव कुमार सकसैना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रप्रकाश द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 798554.00**

46- ग्राम पंचायत- सिहाली माला वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-46 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1676715.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0,

वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1676715.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति राज रानी, प्रशासक श्री राजीव कुमार सकसैना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रपाल सिंहद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1676715.00**

47- ग्राम पंचायत- जमालपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-47 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1545230.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1545230.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री मदनपाल, प्रशासक श्री राजीव कुमार सकसैना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शैलेन्द्र कुमारद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1545230.00**

48- ग्राम पंचायत- उमरारा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-48 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत उमराराद्वारा व्यय धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	वर्क आई0डी0	सम्बन्धित वित्त	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	42607503	चतुर्थ राज्य वित्त	ग्राम पंचायत में वृक्ष रोपण।	2020-06-30	5500	इरफान नर्सरी आदि।
2	38040832	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत।	2020-07-13	37870	अभय ट्रेडर्स आदि।
3	38041420	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प रिबोर। 02	2020-07-14	89519	एममोहित .एस. ट्रेडर्स।
4	38042314	चतुर्थ राज्य वित्त	अमर उजाला विज्ञापन।	2020-09-07	5311	अमर उजाला।
5	38042481	चतुर्थ राज्य वित्त	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य।	2020-09-20	20185	महेश आदि।
6	42607234	चतुर्थ राज्य वित्त	ग्राम पंचायत में दवाई स्प्रे भुगतान।	2020-09-20	18534	सैनी सीड स्टोर।
7	38042528	चतुर्थ राज्य वित्त	गढ़ा खुदाई।	2020-10-30	15510	शिवम।
8	38040832	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत।	2020-10-30	14100	एमबोरिंग स्टोर .एस. आदि।
9	36733928	चतुर्थ राज्य वित्त	प्राइमरी स्कूल में पानी की व्यवस्था।	2020-10-30	33232	एमबोरिंग स्टोर .एस. आदि।

10	42494966	चतुर्थ राज्य वित्त	जूनियर स्कूल में पानी की व्यवस्था।	2020-10-30	4780	एमबोरिंग स्टोर .एस. आदि।
11	38042341	चतुर्थ राज्य वित्त	पट सिला कार्य।	2020-11-04	10500	अभय ट्रेडर्स आदि।
12	38040709	चतुर्थ राज्य वित्त	मानदेय।	2020-11-11	31500	राजवती।
13	38041213	पाँचवा राज्य वित्त	नाली मरम्मत।	2020-11-11	36099	एसब्रिक्स .एच.,अभय ट्रेडर्स आदि।
14	45130479	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-11-23	255385	अभय ट्रेडर्स आदि।
15	42597238	पाँचवा राज्य वित्त	विजयपाल सिंह के घर से तोताराम के घर तक खण्डजा और सी .सी.	2020-12-10	247962	एसब्रिक्स .एच.,अभय ट्रेडर्स आदि।
16	42597412	पाँचवा राज्य वित्त	तोताराम के घर से भागवत के घर तक नाली और खण्डजा।	2020-12-24	143281	एस ब्रिक्सआदि। .एच.
17	42597412	चौदवां वित्त	तोताराम के घर से भागवत के घर तक नाली और खण्डजा।	2020-12-24	53343	प्रमोद और सुदीप कुमार।
18	38042742	पन्द्रहवां वित्त	रामचरन के घर से राम शाही के घर तक नाली भुगतान।	2020-12-24	93582	एस ब्रिक्सआदि। .एच.
19	38040301	पन्द्रहवां वित्त	कालू के घर से राम चरन के घर तक नाली निर्माण।	2020-12-24	145487	एस ब्रिक्सआदि। .एच.
20	45130479	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2021-02-24	178261	एसब्रिक्स .एच.,अभय ट्रेडर्स आदि।
21	8910602	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत।	2021-03-04	21480	अभय ट्रेडर्स आदि।
22	8910606	चतुर्थ राज्य वित्त	मास्क आदि।	2021-03-04	30000	शिवम।
				योग	1438078	

उक्त धनराशि ग्राम प्रधान मानदेय,काया कल्प, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर, कोविड 19 व स्टेशनरी, आंगनवाडी केन्द्र आदि मदों में व्यय की गयी है। व्यय धनराशि रूपया 1438078.00 से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रु0 1438078.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति राजवती, प्रशासक श्री राजीव सक्सेना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नीरज कुमार सिंहद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1438078.00**

49- ग्राम पंचायत- नमैनी गद्दी वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-49 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1847617.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च

किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1847617.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री मनवीर सिंह, प्रशासक श्री राजीव सक्सेना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1847617.00**

50- ग्राम पंचायत- देवरी वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-50 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत देवरीद्वारा व्यय धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	वर्क आई0डी0	सम्बन्धित वित्त	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	14651556	चौदवां वित्त	कूलेन्द्र के घर से ओमकार के घर तक सी टाईल्स। .सी.	2020-04-25	141410	मोहित ट्रेडर्स आदि।
2	15651538	चौदवां वित्त	प्रेमपाल के घर से महेन्द्र के घर तक सीटाईल्स। .सी.	2020-04-26	79706	दुर्गा ट्रेडर्स आदि।
3	29380331	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत।	2020-06-28	55940	रामा ट्रेडर्स आदि।
4	37138188	चतुर्थ राज्य वित्त	प्रशानिक व्यय।	2020-06-28	6000	प्रमोद कुमार।
5	37141135	चतुर्थ राज्य वित्त	मानदेय।	2020-07-08	21000	रजनी यादव।
6	37138188	चतुर्थ राज्य वित्त	प्रशानिक व्यय।	2020-07-08	11430	दैनिक आज।
7	37138188	चतुर्थ राज्य वित्त	स्प्रे मशीन आदि।	2020-07-17	5580	कार्तिक इण्डरप्राइजेज।
8	44549153	चतुर्थ राज्य वित्त	दिनेश के घर से विरेन्द्र के घर तक सी ।.सी.	2020-09-04	63029	अभय ट्रेडर्स ।
9	44549122	चतुर्थ राज्य वित्त	किशन के घर से राम प्रकाश के घर तक सी।.सी.	2020-09-04	137257	अभय ट्रेडर्स ।
10	45101177	पॉचवा वित्त	जूनियर स्कूल में हैण्डवाश कार्य।	2020-11-20	113445	रामा ट्रेडर्स आदि।
11	45125256	पॉचवा वित्त	हैण्डवाश कार्य।	2020-11-20	38681	रामा ट्रेडर्स आदि।
12	45125236	पॉचवा वित्त	हैण्डवाश कार्य।	2020-11-20	39554	रामा ट्रेडर्स आदि।
13	45125317	पन्द्रहवां वित्त	फोटो स्टेट।	2020-11-22	250	पाल कम्प्यूटर।
14	37141135	चतुर्थ राज्य वित्त	मानदेय।	2020-12-11	28000	रजनी यादव।
15	45553176	पॉचवा वित्त	मास्क भुगतान।	2020-12-24	10000	अभय ट्रेडर्स ।
16	45553117	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-12-24	10000	इकबाल।
17	41332441	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-12-25	92650	इकबाल आदि।
18	41332441	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-12-25	62000	रामा ट्रेडर्स ।
19	41332441	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-12-25	242606	हरिओम सीमेण्ट।
20	41332441	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2021-03-16	99564	हरिओम सीमेण्ट।
21	37126243	पन्द्रहवां वित्त	पंचायत भवन।	2021-03-22	109094	अमन ट्रेडर्स ।
22	45125312	पन्द्रहवां वित्त	ओमवीर के मकान से समरपाल के घर तक नाली।	2020-12-02	158388	हरिओम सीमेण्ट।

				योग	1525584	

उक्त धनराशि ग्राम प्रधान मानदेय,काया कल्प, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर, कोविड 19 व स्टेशनरी, आंगनवाडी केन्द्र आदि मदों में व्यय की गयी है। व्यय धनराशि रूपया 1525584.00 से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रु0 1525584.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति रजनी यादव, प्रशासक श्री राजीव सक्सैना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जयपाल सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1525584.00**

51- ग्राम पंचायत- बकैनिया चांदपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-51 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बकैनिया चांदपुरद्वारा व्यय धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	वर्क आईडी0	सम्बन्धित वित्त	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	14510111	चतुर्थ राज्य वित्त	मानदेय।	2020-07-06	35000	कान्ती देवी।
2	37130267	चतुर्थ राज्य वित्त	मानदेय।	2020-07-06	10500	कान्ती देवी।
3	37130538	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत।	2020-07-06	31800	अभय ट्रेडर्स ।
4	14510113	चौदवां वित्त	ग्राम पंचायत टेण्डर एडवर्टाइजमेण्ट।	2020-07-17	5311	अमर उजाला।
5	14510113	चौदवां वित्त	इन्फ्राड थर्मोमीटर और स्प्रे मशीन।	2020-07-17	8980	कार्तिक इण्डरप्राइजेज।
6	37130538	चतुर्थ राज्य वित्त	एचसामग्री। .पी.	2020-08-31	20800	गुप्ता एग्रीकल्चर स्टोर।
7	37130538	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प लेबर का भुगतान।	2020-08-31	4000	अनिल कुमार।
8	37130267	चतुर्थ राज्य वित्त	मानदेय।	2020-08-31	7000	कान्ती देवी।
9	37145066	चतुर्थ राज्य वित्त	सूरज सिंह के प्लॉट से रईस के प्लॉट तक नाली खण्डजा कार्य।	2020-09-26	109079	अफसर खॉ आदि।
10	37132812	पन्द्रहवां वित्त	सामुदायिक शौचालय दरवाजे और वेण्टीलेटर।	2020-10-01	15400	हुसैन ट्रेडर्स।
11	37130538	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत।	2020-10-15	6320	अभय ट्रेडर्स ।
12	37132812	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-10-15	6320	अभय ट्रेडर्स ।
13	37130267	चतुर्थ राज्य वित्त	मानदेय।	2020-11-19	7000	कान्ती देवी।
14	37134498	चतुर्थ राज्य वित्त	लाईट मेंटेनेंस कार्य।	2020-11-19	24250	श्यामजी इलेक्ट्रिकल्स।
15	45127229	चतुर्थ राज्य वित्त	कोमल की दुकान से चरन	2020-12-19	41610	भगवान स्वरूप आदि।

			सिंह के मकान तक।			
16	45127229	चतुर्थ राज्य वित्त	लोकमान की दुकान से चरन सिंह के मकान तक सी .सी. टाईल्स मटेरियल भुगतान।	2020-12-18	28280	गनेश खाद और सीमेण्ट स्टोर।
17	45127223	चतुर्थ राज्य वित्त	बनवारी से अजब सिंह के मकान तक सीटाईल्स .सी. लेबर और मटेरियल भुगतान।	2020-12-18	79874	सलार ब्रिक्स वर्कर आदि।
18	45127229	चतुर्थ राज्य वित्त	लोकमान की दुकान से चरन सिंह के मकान तक सी .सी. टाईल्सरोड हेतु ईंटे और इण्टरलॉकिंग टाईल्स।	2020-12-23	127290	सलार ब्रिक्स वर्कर आदि।
19	37132812	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-12-25	210452	अभय ट्रेडर्स ।
20	45127223	चौदवां वित्त	बनवारी से अजब सिंह के मकान तक सी .सी. इण्टरलॉकिंग टाईल्स।	2020-12-24	113640	अभय ट्रेडर्स ।
21	45510104	चौदवां वित्त	लोकमान की दुकान से चरन सिंह के मकान तक अवशेष कार्य इण्टरलॉकिंग टाईल्स।	2020-12-24	19980	अभय ट्रेडर्स ।
22	37132812	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-12-24	33530	विपिन कुमार आदि।
				योग	946416	

उक्त धनराशि ग्राम प्रधान मानदेय, काया कल्प, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर, कोविड 19 व स्टेशनरी, आंगनवाडी केन्द्र आदि मदों में व्यय की गयी है। व्यय धनराशि रूपया 946416.00 से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रु0 946416.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति कान्ती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जबर सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 946416.00**

52- ग्राम पंचायत- बनियाठेर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-52 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बनियाठेरद्वारा व्यय धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	वर्क आईडी	सम्बन्धित वित्त	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	20832962	चतुर्थ राज्य वित्त	दिलशाद की मजदूरी।	2020-04-15	24300	दिलशाद ।
2	20832961	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डवाश सुविधा।	2020-04-17	30200	रामबाबू आदि।
3	20832962	चतुर्थ राज्य वित्त	शौचालय की मजदूरी।	2020-04-17	22500	श्यामवीर आदि।
4	20832962	चतुर्थ राज्य वित्त	शौचालय की मरम्मत।	2020-04-20	202148	न्यू इण्डिया ब्रिक्स।

5	20832961	चतुर्थ राज्य वित्त	स्कूल में हैण्डवाश सुविधा।	2020-04-20	155682	सुरेश ट्रेडिंग कम्पनी आदि।
6	9651184	चौदवां वित्त	ईटा सप्लाई।	2020-04-20	69658	सोनू ट्रेडर्स।
7	9651196	चौदवां वित्त	ईटा सप्लाई।	2020-04-20	80327	न्यू इण्डिया ब्रिक्स।
8	37018750	चौदवां वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत।	2020-08-18	39250	किशन एग्रीकल्चर स्टोर।
9	37017663	चौदवां वित्त	सफाई ठेला।	2020-08-26	69000	चमन सर्विस सेंटर।
10	37016122	चौदवां वित्त	रामरहिश के पुत्र को कमबेट शौचालय सीट।	2020-08-26	7200	मोहित ट्रेडर्स आदि।
11	14527623	चौदवां वित्त	डिजिटल बुकलेट।	2020-08-26	2620	भारती फोटो स्टेट आदि।
12	37016122	पन्द्रहवां वित्त	रामरहिश के पुत्र को शौचालय की मजदूरी।	2020-09-09	4800	रामरहिश।
13	14527631	चतुर्थ राज्य वित्त	मानदेय।	2020-09-15	28000	मोतिनि।
14	37018922	पन्द्रहवां वित्त	शमशान के पास मढ़ी आश्रम।	2020-09-27	170278	किशन एग्रीकल्चर स्टोर।
15	37018750	चौदवां वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत।	2020-10-15	6320	अभय ट्रेडर्स ।
16	41626239	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-10-15	36320	अभय ट्रेडर्स ।
17	41626239	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय की मजदूरी।	2020-10-22	54000	अंकित कुमार आदि।
18	41626239	पॉचवा राज्य वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-11-21	209195	सोनू ट्रेडर्स आदि।
19	41626239	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय ईटा सप्लाई।	2020-11-21	106134	सोनू ट्रेडर्स आदि।
20	14527631	चतुर्थ राज्य वित्त	मानदेय।	2020-12-08	10500	मोतिनि।
21	14527623	चौदवां वित्त	पेंटिंग स्टेशनरी।	2020-12-18	7968	भारती फोटो स्टेट आदि।
				योग	1306400	

उक्त धनराशि ग्राम प्रधान मानदेय, काया कल्प, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर, कोविड 19 व स्टेशनरी, आंगनवाडी केन्द्र आदि मदों में व्यय की गयी है। व्यय धनराशि रूपया 1306400.00 से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रु0 1306400.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति मोतिनि एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जबर सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1306400.00

53- ग्राम पंचायत- ग्वाल खेड़ा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-53

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मूल अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार निम्नलिखित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी है। विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	व्यय धनराशि
1	2020-04-15	196560
2	2020-05-12	29098
3	2020-05-12	107553
4	2020-06-26	4950
5	2020-07-13	43000
6	2020-07-14	5311
7	2020-09-03	247628
8	2020-09-03	229327
9	2020-09-06	16480
10	2020-09-07	26030
11	2020-09-07	25470
12	2020-09-29	487950
13	2020-09-30	146880
14	2020-11-04	10500
15	2020-12-03	661130
16	2020-12-09	231300
17	2020-12-15	180348
18	2020-12-22	38260
19	2020-12-22	37965
20	2020-12-22	37720
21	2020-12-22	37670
22	2021-03-23	143368
23	2021-03-23	38260
24	2021-03-23	37965
25	2021-03-23	57000
26	2021-03-23	37720
27	2021-03-23	37660
28	2021-03-23	56274
29	2021-03-23	40680
30	2021-03-23	21300
31	2021-03-25	1670
32	2021-03-25	70375
33	2021-03-30	28000
	योग	3371412

उक्त धनराशि रूपया 3371412.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। सम्पूर्ण धनराशि के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 3371412.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति सुमन, प्रशासक श्री राजीव कुमार सक्सैना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 3371412.00

54- ग्राम पंचायत- बरखेड़ा बसंतपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- छजलैट जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-54 ग्राम पंचायत बरखेड़ा बसंतपुर में वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत रूपया 1232401.00 पंचायत भवन के निर्माण में खर्च किये गये। किन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली/व्यय वाउचर अप्राप्त रहा। अतः उक्त व्ययों की पुष्टि न हो सकी।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 1232401.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति सुषमा कुमारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अजयपाल द्वारा किया गया है। जिसकी संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1232401.00

55- ग्राम पंचायत- बीबीपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- छजलैट जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट के कार्य में रूपया 229000.00 व्यय दर्शाए गये हैं। किन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी।

प्रस्तर-56 ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय के निर्माण में रूपया 481237.00 व्यय दर्शाए गये हैं। किन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त दर्शाए गये व्ययों की पुष्टि न हो सकी।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। इस प्रकार उक्त कुल व्यय धनराशि रूपया 710237.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति शबाना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कुलदीप सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 710237.00

56- ग्राम पंचायत- रायपुर खुर्द वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- छजलैट जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-57 प्राथमिक स्कूल भरतपुर में आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत मरम्मत तथा टाईल्स कार्य में रूपया 224572.00 खर्च किये गये। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। अतः रूप 224572.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कोमल देवी एवं पंचायत सचिव अजय पाल से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय के निर्माण में रूपया 553917.00 खर्च किये गये। लेखा परीक्षा में खर्च के सापेक्ष व्यय पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी। जिससे खर्च की पुष्टि न हो सकी।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन

मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। इस प्रकार उक्त कुल व्यय धनराशि रूपया 553917.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति कोमल देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अजयपालद्वारा किया गया है। जिसकी संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 778489.00**

57- ग्राम पंचायत- मुंडाला मो. जमापुरवर्ष 2020-21 विकासखण्ड- छजलैट जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-59 वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक में निम्न तिथियों में दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष पुष्टि में वाउचर नहीं पाये गये। अतः खर्च किया धन अपुष्ट रहा।

क्रमांक	दिनांक	व्यय धनराशि
1	2020-07-16	78867
2	2020-08-05	80110
	योग	158977

ग्राम पंचायत केवित एवं लेखा प्रबंधनहेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क)के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूपसे की जायेगी। इस प्रकार उक्त कुल व्यय धनराशि रूपया 158977.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सौरभ राणा द्वारा किया गया है। जिसकी संयुक्त रूपसे ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 158977.00**

58- ग्राम पंचायत- सलावा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- छजलैट जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायत सलावा की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कार्यों की व्यय पत्रावलियाँ नहीं पायी गयी। जिसका विवरण निम्न है-

- 1- प्राथमिक स्कूल में फ्लोर टाइल्स कार्य रु. 241592.00
 - 2- पंचायत भवन में सी.सी. टाइल्स कार्य रु. 429753.00
 - 3- पंचायत भवन की वाउन्ड्री वाल निर्माण रु. 335375.00
- योग 1006720.00

ग्राम पंचायत केवित एवं लेखा प्रबंधनहेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क)के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूपसे की जायेगी। इस प्रकार उक्त कुल व्यय धनराशि रूपया 1006720.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति सरोज देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कुलदीप सिंहद्वारा किया गया है। जिसकी संयुक्त रूपसे ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1006720.00**

59- ग्राम पंचायत- भूडमरेसी वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-61 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत भूडमरेसीद्वारा व्यय धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	वर्क आई0डी0	सम्बन्धित वित्त	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	41140679	पाँचवा राज्य वित्त	मानदेय।	2020-12-07	17500	प्रेमवती।
2	41140413	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-12-11	216381	सोनू ट्रेडर्स आदि।
3	45424368	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-12-18	29619	सोनू ट्रेडर्स।
4	45424368	पन्द्रहवां वित्त	प्रशासनिक व्यय।	2020-12-18	27000	अमर उजाला।
5	45424410	पाँचवा राज्य वित्त	मास्क और सैनिटाईजर।	2020-12-24	10000	अभय ट्रेडर्स ।
6	44642751	चतुर्थ राज्य वित्त	केयरटेकर का भुगतान।	2020-12-24	6000	पप्पू।
7	41158248	पाँचवा राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत।	2020-12-24	9000	इकबाल।
8	41142160	चतुर्थ राज्य वित्त	केयरटेकर का भुगतान।	2021-02-07	6000	पाल कम्प्यूटर सेण्टर।

9	41140413	पाँचवा राज्य वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2021-03-05	148000	अमन ट्रेडर्स।
10	45424410	पाँचवा राज्य वित्त	पंचायत घर मरम्मत।	2021-03-25	15046	इकबाल।
11	44367783	पाँचवा राज्य वित्त	केयरटेकर का भुगतान।	2021-03-25	6000	पप्पू।
12	45424410	पाँचवा राज्य वित्त	पंचायत घर मरम्मत।	2021-03-07	215976	अमन ट्रेडर्स।
13	41140413	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2021-03-03	351771	अमन ट्रेडर्स।
14	45424410	पन्द्रहवां वित्त	पंचायत घर मरम्मत।	2021-03-25	25000	इकबाल।
			योग		1083293	

उक्त धनराशि ग्राम प्रधान मानदेय, काया कल्प, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर, कोविड 19 व स्टेशनरी, आंगनवाडी केन्द्र आदि मदों में व्यय की गयी है। व्यय धनराशि रूपया 1083293.00 से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि ₹0 1083293.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति प्रेमवती, प्रशासक श्री राजीव कुमार सक्सेना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जयपाल सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1083293.00**

60- ग्राम पंचायत- नौसेना स्योडारावर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-62 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत नौसेना स्योडाराद्वारा व्यय धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	वर्क आईडी0	सम्बन्धित वित्त	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	14736058	चतुर्थ राज्य वित्त	प्रधान मानदेय।	2020-06-14	10500	गोपाल सिंह।
2	44093657	चतुर्थ राज्य वित्त	अबूसैदपुर में ताराचन्द्र से कालू तक सीटाईल्स .सी. मजदूरी।	2020-08-16	130000	भगवानदास सीमेंट आदि।
3	44093657	चौदवां वित्त	अबूसैदपुर में ताराचन्द्र से कालू तक सी।सी.	2020-08-17	41491	एम के टाईल्स।
4	44093657	चौदवां वित्त	अबूसैदपुर में ताराचन्द्र से कालू तक सी।सी.	2020-08-18	130000	एम के टाईल्स।
5	44093853	चतुर्थ राज्य वित्त	जगन के मकान से वीरेन्द्र मकान तक सी।सी.	2020-08-20	132730	एम के टाईल्स।
6	4493853	चतुर्थ राज्य वित्त	जगन के मकान से वीरेन्द्र मकान तक सी।सी.	2020-08-22	116310	भगवानदास सीमेंट आदि।
7	37242565	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प मजदूरी।	2020-09-23	6200	अनिल कुमार।
8	14438413	चौदवां वित्त	हैण्डपम्प मरम्मतमेटेरियल।	2020-09-23	16269	गुप्ता एग्रीकल्चर स्टोर।
9	41735701	पन्द्रहवां वित्त	दरवाजे और वेन्टिलेटर।	2020-09-23	15550	हुसैन ट्रेडर्स।

10	44856510	पाँचवा राज्य वित्त	यादराम से चमूण्डा मन्दिर के पास तक खड्गजा।	2020-10-11	53847	रहमान ब्रिक्स आदि।
11	44856525	पन्द्रहवां वित्त	नरेन्द्र से भारत के घर तक सी।सी.	2020-10-11	62520	यश ट्रेडर्स आदि।
12	41735701	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालयकी मजदूरी।	2020-10-11	18000	सोमपाल, प्रेम सिंह, प्रदीप सिंह।
13	41735701	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-10-15	6320	अभय ट्रेडर्स ।
14	14438414	चतुर्थ राज्य वित्त	सफाई ठेलामरम्मत।	2020-10-22	6250	शर्मा साईकिल सेंटर।
15	37242565	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत।	2020-11-17	13300	गुप्ता एगीकल्चर स्टोर।
16	37243790	पाँचवा राज्य वित्त	ग्रामीण विद्युत कार्य।	2020-11-17	14500	श्याम जी इलैक्ट्रॉनिक्स।
17	45127402	पाँचवा राज्य वित्त	शिव मन्दिर जाटव बस्ती नाला निर्माण।	2020-11-19	55497	भगवानदास सीमेंट आदि।
18	45127402	पाँचवा राज्य वित्त	शिव मन्दिर बस्ती नाला निर्माणईटा।	2020-11-19	24515	रहमान ब्रिक्स आदि।
19	41735701	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-11-19	357623	दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी आदि।
20	37242565	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत।	2020-12-24	24200	गुप्ता एगीकल्चर स्टोर।
21	37178765	पाँचवा राज्य वित्त	प्रधान मानदेय।	2020-12-25	28000	गोपाल सिंह।
22	45127421	पाँचवा राज्य वित्त	तालाब के पास नाली कार्य।	2020-12-25	79290	भगवानदास सीमेंट आदि।
				योग	1342911	

उक्त धनराशि ग्राम प्रधान मानदेय,काया कल्प, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर, कोविड 19 व स्टेशनरी, आंगनवाडी केन्द्र आदि मदों में व्यय की गयी है। व्यय धनराशि रूपया 1342911.00 से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रु0 1342911.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री गोपाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जबर सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1342911.00

61- ग्राम पंचायत- वधी गोवर्धनपुरवर्ष 2020-21 विकासखण्ड- कुन्दरकी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-63आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान खाते से दिनांक 11.11.2020 को रूपया 126000.00 का भुगतान एम.के. ब्रिक्स को किया गया है। जिसका व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 126000.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राम प्रकाश सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 126000.00**

62- ग्राम पंचायत- मौ0 इब्राहिमपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-64 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मौ0 इब्राहिमपुर द्वारा व्यय धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	वर्क आई0डी0	सम्बन्धित वित्त	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	38040658	चौदवां वित्त	बाल्मीकी के घर के पास प्राइमरी स्कूल हैण्डपम्प रिबोर।	2020-08-28	161003	किशन एग्रीकल्चर स्टोर आदि।
2	41929962	चौदवां वित्त	प्राइमरी स्कूल में सी .सी. टाईल्स।	2020-08-25	168801	सुल्फी ब्रिक्स वर्कर आदि।
3	41920476	चतुर्थ राज्य वित्त	आदिल के मकान से शोकत के मकान तक सी .सी. टाईल्स।	2020-08-28	183426	गर्व कॉट्रक्शन कम्पनी आदि।
4	38041703	चतुर्थ राज्य वित्त	अनवर के मकान से बब्लू के मकान तक सीटाईल्स। .सी.	2020-08-30	140606	गर्व कॉट्रक्शन कम्पनी आदि।
5	41921020	चतुर्थ राज्य वित्त	गुफरान के घर से मोहम्मद के घर तक सीटाईल्स। .सी.	2020-08-31	174110	होराम,गर्व कॉट्रक्शन कम्पनी आदि।
6	38041908	चतुर्थ राज्य वित्त	चुन्नी के घर से रमेश के घर तक सीटाईल्स। .सी.	2020-08-31	127038	मुशावर,गर्व कॉट्रक्शन कम्पनी आदि।
7	38041939	चतुर्थ राज्य वित्त	जाबिर के मकान से रमेश के मकान तक सीटाईल्स। .सी.	2020-08-31	76757	मुशावर,गर्व कॉट्रक्शन कम्पनी आदि।
8	38041754	चतुर्थ राज्य वित्त	बाबू के मकान से मतीन के मकान तक सीटाईल्स। .सी.	2020-09-04	23834	अब्बूवाकर,गर्व कॉट्रक्शन कम्पनी आदि।
9	20856416	चतुर्थ राज्य वित्त	एडवर्टाइजमेंट।	2020-09-11	5311	अमज उजाला।
10	20856416	चतुर्थ राज्य वित्त	प्रशासनिक व्यय।	2020-10-18	30000	रोहित सैनी।
11	41931803	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-11-09	58291	मोहम्मद फैजान आदि।
12	41931803	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालयसमरसेवल और सेनेटरी।	2020-11-09	99240	किशन एग्रीकल्चर स्टोर आदि।
13	41931803	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-11-09	188987	गर्व कॉट्रक्शन कम्पनी आदि।
14	41931803	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-11-09	12755	किशन एग्रीकल्चर स्टोर आदि।
15	41931803	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय।	2020-11-09	79716	सुल्फी ब्रिक्स वर्कर आदि।
16	38041754	चतुर्थ राज्य वित्त	बाबू के मकान से मतीन के मकान तक सीटाईल्स। .सी.	2020-11-10	108142	सुल्फी ब्रिक्स वर्कर, गर्व कॉट्रक्शन कम्पनी

						आदि।
17	38040736	चौदवां वित्त	प्राइमरी जूनियर आंगनवाड़ी में रंगाई पुताई।	2020-11-10	25450	मोहम्मद फैजान आदि।
18	38533709	चौदवां वित्त	अरशद के मकान से केशिद के मकान तक सीटाईल्स .सी. मजदूरी।	2020-11-10	5115	मोहम्मद फैजान आदि।
19	38533709	चौदवां वित्त	अरशद के मकान से केशिद के मकान तक सीटाईल्स .सी. मेटेरियल।	2020-11-10	6451	सुल्फी ब्रिक्स वर्कर आदि।
20	38039966	चौदवां वित्त	जुम्मा सुल्फी के घर शमशाद के घर तक सी टाईल्स। .सी.	2020-11-10	42369	मोहम्मद फैजान आदि।
21	41931803	पन्द्रहवां वित्त	मजदूरी पर व्यय।	2020-11-16	41535	रोहित सैनी।
22	41931803	पन्द्रहवां वित्त	प्राइमरी में रंगाई पुताई।	2020-11-16	81022	मौहम्मद उवैसी।
23	41931803	पन्द्रहवां वित्त	अरशद के मकान से केशिद के मकान तक ।	2020-11-16	58918	मुशावर,गर्व कॉट्रक्शन कम्पनी आदि।
24	41931803	पन्द्रहवां वित्त	जुम्मा सुल्फी के घर शमशाद के घर तक सी सी।.	2020-11-16	3679	सुल्फी ब्रिक्स वर्कर आदि।
				योग	1902556	

उक्त धनराशिकाया कल्प, सामुदायिक शौचालय, हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर, आंगनवाड़ी केन्द्र आदि मदों में व्यय की गयी है। व्यय धनराशि रूपया 1902556.00 से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रू0 1902556.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति अफरोज खानम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धनेन्द्र सिंहद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।**कुल धनराशि- 1902556.00**

63- ग्राम पंचायत- नियामतपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-65 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत नियामतपुरद्वारा व्यय धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	वर्क आईडी0	सम्बन्धित वित्त	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	27821873	चतुर्थ राज्य वित्त	नाली व खडण्जा निर्माण कार्य।	2020-06-15	22021	रघुवर ब्रिक्स उद्योग आदि।
2	27815639	चौदवां वित्त	नाली व सीटाईल्स कार्य। .सी.	2020-06-16	235560	डीइंफ्रास्ट्रेक्चर .के. आदि।
3	31982940	चतुर्थ राज्य वित्त	नाली व सीटाईल्स कार्य। .सी.	2020-06-17	30406	डी .के.इंफ्रास्ट्रेक्चर आदि।
4	31425319	चतुर्थ राज्य वित्त	नाली व सीटाईल्स कार्य। .सी.	2020-06-17	43807	डीइंफ्रास्ट्रेक्चर .के.

						आदि।
5	27797541	चतुर्थ राज्य वित्त	नाली व सीटाईल्स कार्य। .सी.	2020-06-17	22471	रघुवर ब्रिक्स उद्योग आदि।
6	27816537	चौदवां वित्त	नाली व खडंजा निर्माण कार्य।	2020-06-17	101701	मोनिका ट्रेडर्स।
7	27794440	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मतकार्य।	2020-06-18	22070	लक्की एण्टरप्राइसेस आदि।
8	41448888	चतुर्थ राज्य वित्त	प्रधान मानदेय।	2020-07-24	35000	सोनम राघव।
9	41456094	चतुर्थ राज्य वित्त	ताली क्रय व मरम्मत कार्य।	2020-07-24	28838	एमइण्डिया .एस. स्टोर।
10	41455698	चतुर्थ राज्य वित्त	नाली व सीटाईल्स कार्य। .सी.	2020-08-27	233780	डीइफ्रास्ट्रेक्चर .के. आदि।
11	41458835	चौदवां वित्त	प्रामे हाथ धोने की .वि. सुविधा, रसोई मरम्मत।	2020-08-27	70842	कमलएण्टरप्राइसेस आदि।
12	41454565	चौदवां वित्त	खडंजा निर्माण कार्य।	2020-09-19	167134	गजोंदर ईट उद्योग आदि।
13	44039391	चौदवां वित्त	खडंजा निर्माण कार्य।	2020-09-19	99062	गजोंदर ईट उद्योग आदि।
14	44749114	पन्द्रहवां वित्त	नाली व सीटाईल्स कार्य। .सी.	2020-10-03	142521	डीइफ्रास्ट्रेक्चर .के. आदि।
15	44039352	पन्द्रहवां वित्त	नाली व सीटाईल्स कार्य। .सी.	2020-10-27	186025	डीइफ्रास्ट्रेक्चर .के. आदि।
16	44749597	पन्द्रहवां वित्त	हैण्डपम्प मरम्मतकार्य।	2020-10-27	6336	रामा ट्रेडर्स।
17	44749597	पन्द्रहवां वित्त	हैण्डपम्प मरम्मतकार्य।	2020-10-27	14700	रामा ट्रेडर्स।
18	41449533	पाँचवा राज्य वित्त	पंचायत भवन में शिला लिखवायी व शौचालय निर्माण कार्य।	2020-11-04	10500	अभय ट्रेडर्स।
19	45025484	पाँचवा राज्य वित्त	सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2020-11-30	75464	डीइफ्रास्ट्रेक्चर .के. आदि।
				योग	1548238	

उक्त धनराशिग्राम प्रधान मानदेय,काया कल्प, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर आदि मदों में व्यय की गयी है। व्यय धनराशि रूपया 1548238.00 से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि ₹0 1548238.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति सोनम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।**कुल धनराशि- 1548238.00**

64- ग्राम पंचायत- रम्पुरा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-66 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मूल अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार निम्नलिखित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी है।विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	दिनांक	व्यय धनराशि
1	2020-08-04	24500
2	2020-08-06	37372
3	2020-09-03	37859
4	2020-09-09	78974
5	2020-09-11	189690
6	2020-09-14	177781
7	2020-10-08	67337
8	2020-10-21	109237
9	2020-10-22	11000
10	2020-11-10	44318
	योग	778068

उक्त धनराशि रूपया 778068.00 विभिन्न नए कार्यों परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। सम्पूर्ण धनराशि के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाईल, वाउचर फाईल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 778068.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री सत्यवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नीरज कुमार सिंहद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।**कुल धनराशि- 778068.00**

65- ग्राम पंचायत- अमरपुर काशी वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-67 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अमरपुर काशीद्वारा व्यय धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	वर्क आई0डी0	सम्बन्धित वित्त	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	41021060	चतुर्थ राज्य वित्त	स्कूल में समरसेवल कार्य।	06-08-2020	118847	अभय ट्रेडर्सआदि।
2	36938615	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत।	21-08-2020	50100	अभय ट्रेडर्सआदि।
3	36938805	चतुर्थ राज्य वित्त	सफाई कार्य।	27-08-2020	40627	विकास कुमार आदि।
4	36939519	चौदवां वित्त	स्कूल की दीवार और दरवाजे का कार्य।	03-09-2020	125542	हरिओम सीमेण्ट स्टोर आदि।
5	36938730	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प रिबोर।	19-09-2020	39487	यशपाल सिंह आदि।
6	36945210	चतुर्थ राज्य वित्त	प्रशासनिक व्यय।	26-09-2020	50600	अभय ट्रेडर्सआदि।
7	14175672	चतुर्थ राज्य वित्त	फोटो स्टेट।	17-10-2020	10400	प्रमोद कुमार।
8	41023622	पाँचवा राज्य वित्त	जनसूचना।	07-11-2020	12000	संजीव कुमार।
9	36942739	चतुर्थ राज्य वित्त	कब्रिस्तान से डाबर रोड तक सीटाईल्स। .सी.	11-11-2020	82307	श्री राम सीमेण्ट ब्रिक्स आदि।

10	36938389	चतुर्थ राज्य वित्त	प्रधान मानदेय।	11-11-2020	35000	मायावती।
11	41020105	चतुर्थ राज्य वित्त	लक्ष्मी के घर से पाल के घर तक नाली।	19-11-2020	58601	राधा कृष्णा ब्रिक्स आदि।
12	44558731	चतुर्थ राज्य वित्त	हैण्डपम्प चबूतरा निर्माण।	19-11-2020	44580	श्री राम सीमेण्ट ब्रिक्स आदि।
13	36943683	चौदवां वित्त	राजेश के प्लाट से सागर के घर तक नाली सी।सी.	24-11-2020	229287	श्री राम सीमेण्ट ब्रिक्स आदि।
				योग	897378	

उक्त धनराशिग्राम प्रधान मानदेय,काया कल्प, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर,कोविड 19 व स्टेशनरी, आंगनवाडी केन्द्र आदि मदों में व्यय की गयी है। व्यय धनराशि रूपया 897378.00 से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रू0 897378.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति मायावती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रवेन्द्र सिंहद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 897378.00

66- ग्राम पंचायत- छजलैटवर्ष 2020-21 विकासखण्ड- छजलैट जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-68 ग्राम पंचायत की लेखा में 15वें वित्त के अन्तर्गत निर्मित सार्वजनिक शौचालय में दिनांक 01.12.2020 को श्री साई एण्टरप्राइजेज को भुगतान की गई धनराशि रूपया 296000.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। अतः व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत केवित्त एवं लेखा प्रबंधनहेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क)के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत सेसंयुक्त रूपसे की जायेगी।इस प्रकार उक्त कुल व्यय धनराशि रूपया 296000.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति अमलेशएवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशीलद्वारा किया गया है। जिसकी संयुक्त रूपसे ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 296000.00**

67- ग्राम पंचायत- ढकिया नरु वर्ष 2020-21 विकासखण्ड-बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-69 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 6476532.00 विभिन्न नए कार्यो परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस

धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रूपया 6476532.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति जगवती, प्रशासक श्री राजीव सक्सेना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रपाल द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-6476532.00

68- ग्राम पंचायत- अकबरपुर खास वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बिलारी जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-70 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अकबरपुर खास द्वारा व्यय धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	वर्क आई0डी0	सम्बन्धित वित्त	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	40528462	चौदवां वित्त	प्राइमरी स्कूल में शौचालय निर्माण	2020-06-09	2036996	न्यू इण्डिया इलेक्ट्रिकल।
2	40528462	चौदवां वित्त	प्राइमरी स्कूल में शौचालय निर्माण	2020-06-10	43740	धर्मसिंह।
3	40526676	चौदवां वित्त	प्राइमरी स्कूल सिहाली लद्दा शौचालय निर्माण	2020-06-15	247436	धर्मसिंह आदि।
4	40528033	चौदवां वित्त	प्राइमरी स्कूल व जूनियर स्कूल में पानी व हाथ धोने की व्यवस्था	2020-06-15	189911	गंगाराम ब्रिक्स आदि।
5	40183941	चौदवां वित्त	प्राइमरी स्कूल व जूनियर स्कूल में पानी व हाथ धोने की व्यवस्था	2020-06-15	96451	लकी सीमेंट स्टोर।
6	14836884	चतुर्थ राज्य वित्त	मानदेय।	2020-08-05	14000	प्रधान अतर सिंह।
7	29697290	चतुर्थ राज्य वित्त	विविध व्यय	2020-08-5	5762	दीप शिखा।
8	20622400	चतुर्थ राज्य वित्त	आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण	2020-08-29	25000	सोनु टेडर्स।
9	40528207	चतुर्थ राज्य वित्त	विज्ञापन और बुकलेट	2020-08-29	14727	अरविन्द आदि।
10	40746178	चौदवां वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत।	2020-10-15	17750	बरकत अली।
11	40528207	चतुर्थ राज्य वित्त	फोटो स्टेट	2020-11-17	5500	सुदीप कुमार।
12	44509551	चतुर्थ राज्य वित्त	आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण	2020-11-20	106000	बरकत अली।
13	37132029	चतुर्थ राज्य वित्त	प्रधान का मानदेय।	2020-11-20	10500	प्रधान अतर सिंह।
14	40528207	चतुर्थ राज्य वित्त	स्प्रे मशीन	2020-12-17	4480	कार्तिक इण्टर प्राइजेज।
15	40528207	चतुर्थ राज्य वित्त	स्प्रे मशीन	2020-12-17	1100	यामिरा।
16	44612767	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय	2020-12-17	259556	सोनु टेडर्स।
17	44612767	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय	2020-12-17	231549	सोनु टेडर्स आदि।
18	40726532	पंचम वित्त	पंचायत भवन निर्माण	2020-12-21	227647	अभय टेडर्स।
19	37132029	चतुर्थ राज्य वित्त	प्रधान का मानदेय।	2021-03-01	7000	प्रधान अतर सिंह।
20	44509721	चतुर्थ राज्य वित्त	सार्वजनिक शौचालय	2021-03-01	247500	सिंह टेडर्स।
21	40743796	पन्द्रहवां वित्त	सार्वजनिक शौचालय की सोलर लाइट	2021-03-27	26000	एस के टीडी। .
				योग -	1985305	

उक्त धनराशि ग्राम प्रधान मानदेय, सी0सी0 टाईल्स, काया कल्प, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर, सफाई कार्य, कोविड 19 व स्टेशनरी, आंगनवाड़ी केन्द्र आदि मदों में व्यय की गयी है। व्यय धनराशि रूपया 1985305.00 से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वित्तीय

प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि ₹0 1985305.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री अतर सिंह, प्रशासक श्री राजीव सक्सेना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्र प्रकाश सिंहद्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि-1985305.00**

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर

वि0ख0- सैदनगर

मण्डल का नाम- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-

01-ग्राम पंचायत- ढक्का हाजीनगर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-1 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मों से ईट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (₹0 380358.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक (वाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आमना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री राजीव कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04-10-2020	50000.00	शाहबेज ट्रेडर्स
02	04-10-2020	150000.00	शाहबेज ट्रेडर्स
03	16-06-2020	32098.00	शाहबेज ट्रेडर्स
04	16-06-2020	23882.00	शाहबेज ट्रेडर्स
05	23.12.2020	60000.00	शाहबेज ट्रेडर्स
06	23.12.2020	64378.00	भारत ट्रेडर्स
योग-		<u>380358.00</u>	

प्रस्तर-2 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि (रु0 104560.0) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा श्री नफीस के नाम से निम्नांकित दिनांकों में कई बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आमना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री राजीव कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04-10-2020	38400.00	श्री नफीस
02	23.12-2020	38500.00	श्री नफीस
03	23.12.2020	8660.00	श्री नफीस
04	24.12.2020	18900.00	श्री नफीस
05	25.09.2020	100.00	श्री नफीस
योग-		<u>104560.00</u>	

02-ग्राम पंचायत- नौरंगपुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-3 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मों से ईट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 1128393.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती भूरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री राजीव कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	08.12.2020	14928.00	इण्डिया ब्रिक इण्डस्ट्रीज
02	08.12.2020	63628.00	इण्डिया ब्रिक इण्डस्ट्रीज
03	08.12.2020	24853.00	इण्डिया ब्रिक इण्डस्ट्रीज
04	11.11-2020	6184.00	इण्डिया ब्रिक इण्डस्ट्रीज
05	11.11.2020	12075.00	इण्डिया ब्रिक इण्डस्ट्रीज
06	11.11.2020	9502.00	इण्डिया ब्रिक इण्डस्ट्रीज
07	11.11.2020	9582.00	इण्डिया ब्रिक इण्डस्ट्रीज
08	13.04.2020	35966.00	इण्डिया ब्रिक इण्डस्ट्रीज
09	20.07.2020	17961.00	इण्डिया ब्रिक इण्डस्ट्रीज
10	08.12.2020	20709.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
11	08.12.2020	98955.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
12	08.12.2020	65992.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
13	11.11.2020	37381.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
14	11.11.2020	40295.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
15	11.11.2020	90510.00	ख्वाजा ट्रेडर्स

16	11.11.2020	32842.00	खवाजा ट्रेडर्स
17	08.12.2020	10794.00	ज्योति हार्डवेयर
18	13.04.2020	152266.00	भारत ट्रेडर्स
19	20.07.2020	179914.00	भारत ट्रेडर्स
20	20.07.2020	180426.00	भारत ट्रेडर्स
21	13.04.2020	2801.00	हार्डवेयर
22	20.07.2020	6062.00	हार्डवेयर
23	20.07.2020	14767.00	हार्डवेयर

योग- 1128393.00

प्रस्तर-4 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि (रु0 355937.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा श्रीमती सुमन रानी के नाम से निम्नांकित दिनांकों में कई बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती भूरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री राजीव कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	08.12.2020	7795.00	श्रीमती सुमन रानी
02	08.12.2020	34637.00	श्रीमती सुमन रानी
03	08.12.2020	26895.00	श्रीमती सुमन रानी
04	11.05.2020	28000.00	श्रीमती सुमन रानी
05	11.11.2020	28000.00	श्रीमती सुमन रानी
06	11.11.2020	11400.00	श्रीमती सुमन रानी
07	11.11.2020	11990.00	श्रीमती सुमन रानी
08	11.11.2020	13060.00	श्रीमती सुमन रानी ज
09	13.04.2020	41760.00	श्रीमती सुमन रानी
10	20.07.2020	84930.00	श्रीमती सुमन रानी
11	20.07.2020	67470.00	श्रीमती सुमन रानी

योग- 355937.00

प्रस्तर-5 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि (रु0 34081.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में एक ही व्यक्ति को कई बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती भूरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री राजीव कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	08.12.2020	3000.00	श्री मौ० असरफ
02	11.11.2020	542.00	श्री रामकिशोर

03	11.11.2020	959.00	श्री रामकिशोर
04	11.11.2020	820.00	श्री रामकिशोर
05	11.11.2020	500.00	श्री रामकिशोर
06	11.11.2020	2950.00	श्री रामकिशोर
07	11.11.2020	5280.00	श्री सफी अहमद
08	11.11.2020	2950.00	श्री सुरेश बाबू
09	11.11.2020	2950.00	श्री सुखलाल
10	11.11.2020	2950.00	श्री नोनीराम
11	11.11.2020	5280.00	श्री इन्दरपाल
12	11.11.2020	2950.00	श्री संजीव
13	11.11.2020	2950.00	श्री ओमकार

योग- 34081.00

प्रस्तर-6 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्य की भुगतानित धनराशि (रु0 7000.00) ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा किसके नाम से व किसे भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती भूरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री राजीव कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

03-ग्राम पंचायत- किशनपुर पनचक्की

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-7 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मों से ईट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 773871.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रईस दूला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री राजीव कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	07.10.2020	45000.00	अंजुम सीमेन्ट स्टोर
02	07.10.2020	95000.00	अंजुम सीमेन्ट स्टोर
03	10.09.2020	114767.00	अंजुम सीमेन्ट स्टोर
04	13.08.2020	21284.00	अंजुम सीमेन्ट स्टोर
05	13.08.2020	3464.00	अंजुम सीमेन्ट स्टोर
06	16.06.2020	50000.00	अंजुम सीमेन्ट स्टोर
07	25.09.2020	35000.00	अंजुम सीमेन्ट स्टोर
08	25.09.2020	26500.00	अंजुम सीमेन्ट स्टोर
09	29.06.2020	30000.00	अंजुम सीमेन्ट स्टोर
10	29.06.2020	100000.00	अंजुम सीमेन्ट स्टोर

11	29.06.2020	85000.00	अंजुम सीमेन्ट स्टोर
12	10.09.2020	57856.00	हिन्दुस्तान ईट उद्योग
13	29.06.2020	25000.00	हिन्दुस्तान ईट उद्योग
14	29.06.2020	30000.00	हार्डवेयर
15	07.10.2020	25000.00	सिद्दीकी कॉन्ट्रॉक्टर
16	10.09.2020	300000.00	सिद्दीकी कॉन्ट्रॉक्टर

योग- 773871.00

प्रस्तर-8 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि (रु0 32800.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में एक ही व्यक्ति को कई बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रईस दूला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री राजीव कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	16.06.2020	20000.00	श्री जाबिर
02	17.06.2020	12800.00	श्री वाजिद अली

योग- 32800.00

प्रस्तर-9 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि रु0 235793.00 ग्राम प्रधान श्री रईस दूला द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक(बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रईस दूला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री राजीव कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	07.10.2020	20000.00	श्री रईस दूला
02	07.10.2020	30500.00	श्री रईस दूला
03	13.08.2020	5199.00	श्री रईस दूला
04	13.08.2020	10064.00	श्री रईस दूला
05	13.08.2020	7500.00	श्री रईस दूला
06	14.10.2020	19000.00	श्री रईस दूला
07	14.10.2020	24030.00	श्री रईस दूला
08	16.06.2020	20000.00	श्री रईस दूला
09	25.09.2020	17500.00	श्री रईस दूला
10	25.09.2020	10000.00	श्री रईस दूला
11	29.06.2020	15000.00	श्री रईस दूला

12	29.06.2020	20000.00	श्री रईस दूला
13	29.06.2020	25000.00	श्री रईस दूला
14	14.05.2020	6000.00	नकद
15	14.05.2020	6000.00	नकद

योग- 235793.00

04-ग्राम पंचायत- शहदरा उर्फ थूनापुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-10 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मों से ईट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 427161.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बुद्धिया एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री राजीव कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	28.10.2020	40000.00	न्यू विकास ब्रिक फिल्ड
02	04.06.2020	13161.00	सिद्दीकी सीमेन्ट स्टोर
03	22.06.2020	85000.00	सिद्दीकी सीमेन्ट स्टोर
04	28.10.2020	120000.00	सिद्दीकी सीमेन्ट स्टोर
05	28.10.2020	80000.00	सिद्दीकी सीमेन्ट स्टोर
06	22.6.2020	15000.00	हार्डवेयर
07	01.02.2021	34000.00	राम सीमेन्ट स्टोर
08	01.02.2021	40000.00	सिद्दीकी सीमेन्ट स्टोर

योग- 427161.00

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि (रु0 91128.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में एक ही व्यक्ति को कई बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बुद्धिया एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री राजीव कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.06.2020	38628.00	श्री रोविन विश्वास
02	12.05.2020	9500.00	श्री वाजिद अली
03	12.06.2020	13000.00	श्री वाजिद अली
04	30.01.2021	30000.00	श्री इन्दर पाल सिंह

योग- 91128.00

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि रु0 47080.00 ग्राम प्रधान श्रीमती बुद्धिया द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक(बाउचर) कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बुद्धिया एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री राजीव कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	24.12.2020	47080.00	श्रीमती बुद्धिया
योग-		47080.00	

05-ग्राम पंचायत- अलीगंज बेनजीर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-13 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मों से ईट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 1191932.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सीताराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कौशल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.11.2020	49768.00	प्रियंस ट्रेडर्स
02	01.11.2020	70000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
03	10.09.2020	85150.00	भारत ट्रेडर्स
04	18.10.2020	17030.00	भारत ट्रेडर्स
05	23.12.2020	17030.00	भारत ट्रेडर्स
06	04.6.2020	44550.00	सैनी सीमेन्ट स्टोर
07	04.6.2020	76156.00	सैनी सीमेन्ट स्टोर
08	04.6.2020	43384.00	सैनी सीमेन्ट स्टोर
09	10.6.2020	31821.00	सैनी सीमेन्ट स्टोर
10	10.6.2020	111336.00	सैनी सीमेन्ट स्टोर
11	10.6.2020	102348.00	सैनी सीमेन्ट स्टोर
12	27.11.2020	82500.00	सैनी सीमेन्ट स्टोर
13	14.08.2020	79008.00	स्टोर
14	26.6.2020	29392.00	स्टोर
15	26.6.2020	79008.00	स्टोर
16	14.11.2020	6400.00	शाह टाइम्स इंटर प्राईजेज
17	02.04.2020	170159.00	सैनी सीमेन्ट स्टोर

योग-**1191932.00**

प्रस्तर-14 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा सिद्दीकी कॉन्ट्रेक्टर से खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 763226.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सीताराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कौशल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.11.2020	27914.00	सिद्दीकी कॉन्ट्रेक्टर
02	01.11.2020	100000.00	सिद्दीकी कॉन्ट्रेक्टर
03	01.11.2020	100000.00	सिद्दीकी कॉन्ट्रेक्टर
04	01.11.2020	106092.00	सिद्दीकी कॉन्ट्रेक्टर
05	04.12.2020	196800.00	सिद्दीकी कॉन्ट्रेक्टर
06	08.10.2020	55211.00	सिद्दीकी कॉन्ट्रेक्टर
07	08.10.2020	99000.00	सिद्दीकी कॉन्ट्रेक्टर
08	18.10.2020	30209.00	सिद्दीकी कॉन्ट्रेक्टर
09	20.12.2020	48000.00	सिद्दीकी कॉन्ट्रेक्टर

योग-**763226.00**

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि (रु0 82455.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में एक ही व्यक्ति को कई बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सीताराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कौशल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.06.2020	5760.00	श्री गुरु बजन
02	04.06.2020	10800.00	श्री गुरु बजन
03	04.06.2020	3150.00	श्री सर्वेश कुमार
04	04.06.2020	5950.00	श्री सर्वेश कुमार
05	04.06.2020	3325.00	श्री प्रेमपाल
06	04.06.2020	6125.00	श्री प्रेमपाल
07	10.6.2020	4900.00	श्री प्रेमपाल
08	04.6.2020	6120.00	श्री रवि सिंह

09	04.6.2020	3675.00	श्री रमेश चन्द्र
10	10.6.2020	4900.00	श्री रमेश चन्द्र
11	04.06.2020	3675.00	श्री संजीव
12	10.06.2020	5075.00	श्री सजीव
13	10.06.2020	4000.00	श्री प्रेमराज
14	12.11.2020	15000.00	श्री इरफान बेल्डर

योग- 82455.00

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि रु0 783871.00 ग्राम प्रधान श्री सीताराम द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री सीताराम व सचिव श्री कौशल कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.11.2020	18857.00	श्री सीताराम
02	01.11.2020	24382.00	श्री सीताराम
03	01.11.2020	25952.00	श्री सीताराम
04	01.11.2020	38400.00	श्री सीताराम
05	01.11.2020	38400.00	श्री सीताराम
06	04.12.2020	49200.00	श्री सीताराम
07	10.6.2020	10179.00	श्री सीताराम
08	10.6.2020	32349.00	श्री सीताराम
09	10.6.2020	13320.00	श्री सीताराम
10	10.9.2020	104650.00	श्री सीताराम
11	10.9.2020	10208.00	श्री सीताराम
12	14.08.2020	18427.00	श्री सीताराम
13	18.10.2020	20930.00	श्री सीताराम
14	18.10.2020	31500.00	श्री सीताराम
15	18.10.2020	45671.00	श्री सीताराम
16	18.10.2020	31108.00	श्री सीताराम
17	20.12.2020	13812.00	श्री सीताराम
18	23.12.2020	7487.00	श्री सीताराम
19	24.12.2020	41460.00	श्री सीताराम
20	26.06.2020	8203.00	श्री सीताराम
21	26.06.2020	18427.00	श्री सीताराम
22	27.11.2020	11500.00	श्री सीताराम
23	02.04.2020	75751.00	श्री सीताराम
24	02.04.2020	38098.00	श्री सीताराम
25	02.04.2020	55600.00	श्री सीताराम

प्रस्तर-17 दिनांक 18.10.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 4000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के बत एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सीताराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कौशल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय ग्राम निधि-6 बैंक खाता से (₹0 150000.00) का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः किये गये भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (₹0 150000.00) उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री सीताराम /ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी श्री कौशल कुमार से ब्याज सहित वसूली की जाना अपेक्षित है।

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- बिलासपुर

मण्डल का नाम- मुरादाबाद

06-ग्राम पंचायत- जिठनिया जागीर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-19 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मों से ईंट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (₹0 442249.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के **जीएसटी** में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की **जीएसटी** विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 **जीएसटी** विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनवरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री नवीन आर्य से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.05.2020	32175.00	गंगवार ट्रेडर्स
02	04.05.2020	71190.00	गंगवार ट्रेडर्स
03	14.12.2020	58410.00	न्यू ए० के० ट्रेडर्स
04	14.12.2020	10350.00	न्यू ए० के० ट्रेडर्स
05	14.12.2020	6357.00	न्यू ए० के० ट्रेडर्स
06	21.10.2020	19400.00	न्यू ए० के० ट्रेडर्स
07	23.12.2020	70035.00	न्यू ए० के० ट्रेडर्स
08	23.12.2020	12500.00	न्यू ए० के० ट्रेडर्स
09	23.12.2020	49098.00	न्यू ए० के० ट्रेडर्स
10	24.11.2020	51750.00	न्यू ए० के० ट्रेडर्स
11	25.11.2020	60984.00	न्यू ए० के० ट्रेडर्स

योग-

442249.00

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती अनवरी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अनवरी व सचिव श्री नवीन आर्य से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	20.10.2020	17500.00	श्रीमती अनवरी
02	20.10.2020	7000.00	श्रीमती अनवरी

योग- 24500.00

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान (रु० 46344.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में एक ही व्यक्ति को कई बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनवरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री नवीन आर्य से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.05.2020	4500.00	श्री काफिल अहमद
02	23.12.2020	4619.00	श्री काफिल अहमद
03	04.05.2020	5605.00	श्री सिफात अली
04	04.05.2020	4720.00	श्री नजाकत अली
05	04.05.2020	6240.00	श्री शमसुद्दीन
06	04.05.2020	4720.00	श्री बाबू
07	14.12.2020	4500.00	श्री राजेन्द्र
08	20.10.2020	4720.00	बलदेव सिंह
09	20.10.2020	6720.00	श्री बाहिद

योग- 46344.00

प्रस्तर-22 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय ग्राम निधि-6 बैंक खाता से रु० 200025.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान से सम्बन्धित को भी अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः किये गये भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा

अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 200025.00) उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती अनवरी /ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी श्री नवीन आर्य से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 23.12.2020 में अमर उजाला लिमिटेड हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 5311.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनवरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री नवीन आर्य से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 दिनांक 09.10.2020 को ग्राम पंचायत से रु0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनवरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री नवीन आर्य से किया जाना अपेक्षित है।

07-ग्राम पंचायत- भटपुरा तारन

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-25 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मों से ईट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 576787.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुलनाज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री साकिब खां से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.08.2020	16800.00	अनूप ट्रेडर्स
02	16.11.2020	8400.00	अनूप ट्रेडर्स
03	01.08.2020	88800.00	गंगवार ट्रेडर्स
04	06.07.2020	69000.00	गंगवार ट्रेडर्स
05	12.05.2020	31808.00	गंगवार ट्रेडर्स
06	20.05.2020	3500.00	गंगवार ट्रेडर्स
07	20.05.2020	13594.00	गंगवार ट्रेडर्स
08	05.10.2020	58680.00	न्यू ए0 के0 ट्रेडर्स
09	16.11.2020	11094.00	नवीन स्टील

10	16.11.2020	18211.00	नवीन स्टील
11	06.07.2020	93910.00	सप्लायर
12	16.11.2020	10756.00	भारत ब्रिक फिल्ड
13	12.12.2020	12389.00	भारत ब्रिक फिल्ड
14	17.10.2020	35113.00	भारत ब्रिक फिल्ड
15	17.10.2020	30700.00	भारत ब्रिक फिल्ड
16	17.10.2020	24032.00	केसर अली बिल्डिंग मटेरियल
17	17.10.2020	50000.00	केसर अली बिल्डिंग मटेरियल

योग- 576787.00

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में ए0आई0 इण्टरप्राइजेज खरीद हेतु भुगतानित (रु0 853599.00) धनराशि को किया गया है। जो व्यय प्रमाणक(बाउचर) को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के **जीएसटी** में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की **जीएसटी** विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 **जीएसटी** विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुलनाज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री साकिब खां से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	16.11.2020	40071.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
02	16.11.2020	11130.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
03	16.11.2020	56600.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
04	16.11.2020	100000.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
05	17.10.2020	50887.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
06	17.10.2020	34711.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
07	17.10.2020	68700.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
08	17.10.2020	98000.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
09	17.10.2020	98000.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
10	17.10.2020	54000.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
11	17.10.2020	50000.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
12	17.12.2020	96000.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
13	17.12.2020	29000.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
14	23.12.2020	50500.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
15	23.12.2020	16000.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज

योग- 853599.00

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती गुलनाज द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती गुलनाज व सचिव श्री साकिब खां से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.08.2020	10500.00	श्रीमती गुलनाज
02	12.05.2020	14000.00	श्रीमती गुलनाज
03	16.11.2020	7000.00	श्रीमती गुलनाज
योग-		<u>31500.00</u>	

प्रस्तर-28 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु० 196578.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुलनाज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री साकिब खां से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.08.2020	4500.00	श्री फिरोज अली
02	12.05.2020	3500.00	श्री फिरोज अली
03	06.07.2020	10250.00	श्री मो० वसीम
04	20.05.2020	19490.00	श्री मो० वसीम
05	12.07.2020	7375.00	श्रीमती फिराजा बी
06	12.05.2020	11040.00	श्री मुशर्रत अली
07	16.11.2020	2568.00	श्री मुशर्रत अली
08	16.11.2020	1920.00	श्री मुशर्रत अली
09	16.11.2020	6030.00	श्री मुशर्रत अली
10	17.10.2020	7236.00	श्री मुशर्रत अली
11	23.12.2020	25000.00	श्री मुशर्रत अली
12	16.11.2020	3819.00	श्री जुसर्रत अली
13	12.05.2020	7375.00	श्री जुसर्रत अली
14	16.11.2020	6720.00	श्री जुसर्रत अली
15	16.11.2020	4800.00	श्री जुसर्रत अली
16	17.10.2020	6432.00	श्री जुसर्रत अली
17	17.10.2020	5628.00	श्री जुसर्रत अली
18	17.10.2020	2880.00	श्री जुसर्रत अली
19	16.11.2020	5136.00	श्री मौ० हसीब
20	16.11.2020	6030.00	श्री मौ० हसीब
21	17.10.2020	4320.00	श्री मौ० हसीब
22	16.11.2020	7839.00	श्री आकिल अहमद
23	17.10.2020	6633.00	श्री आकिल अहमद

24	17.10.2020	4857.00	श्री आकिल अहमद
25	23.12.2020	3852.00	श्री आकिल अहमद
26	16.11.2020	8040.00	श्री फिरासत अली
27	17.10.2020	7680.00	श्री फरहत अली
28	17.10.2020	5628.00	श्री फरहत अली

योग- 196578.00

प्रस्तर-29 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय ग्राम निधि-6 बैंक खाता सं0 33630100002397 से ₹0 126000.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान से सम्बन्धित को भी अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः किये गये भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (₹0 126000.00) उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती गुलनाज /ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी श्री साकिब खां से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 दिनांक 05.10.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुलनाज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री साकिब खां से किया जाना अपेक्षित है।

08-ग्राम पंचायत- बहादुरगंज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-31 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मों से ईंट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (₹0 524329.00) को किया गया है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जाने आलम एवं श्री राजवीर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	02.12.2020	13784.00	अनूप ट्रेडर्स
02	08.11.2020	32500.00	अनूप ट्रेडर्स
03	08.11.2020	28110.00	अनूप ट्रेडर्स
04	03.08.2020	37875.00	हिन्दुस्तान हार्डवेयर
05	03.08.2020	39655.00	हिन्दुस्तान हार्डवेयर
06	03.08.2020	37905.00	हिन्दुस्तान हार्डवेयर
07	08.11.2020	234500.00	एस0 के0 ट्रेडर्स
08	10.04.2020	40000.00	भारत ट्रेडर्स
09	10.04.2020	50000.00	नूरी सीमेन्ट स्टोर

योग-**524329.00**

प्रस्तर-32 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी व सचिव श्री जाने आलम एवं श्री राजवीर सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	10.04.2020	10500.00	श्रीमती मंजू देवी
02	07.11.2020	21000.00	श्रीमती मंजू देवी

योग-**31500.00**

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान (रु० 125738.00) धनराशि को ग्राम सचिव/गर्म प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जाने आलम एवं श्री राजवीर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	02.12.2020	25012.00	श्री नासिर
02	03.08..2020	12180.00	श्री नासिर
03	03.08..2020	12180.00	श्री नासिर
04	03.08.2020	12180.00	श्री नासिर
05	03.08.2020	19915.00	श्री नासिर
06	08.11.2020	6000.00	श्री नासिर
07	21.12.2020	26271.00	श्री नासिर
08	21.12.2020	4500.00	श्री राजेन्द्र
09	27.09.2020	7500.00	श्री राजेन्द्र

योग-**125738.00**

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी से रु० 38000.00 का भुगतान किया गया है। भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 38000.00) उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जाने आलम एवं श्री राजवीर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

09-ग्राम पंचायत- चौकोनी**लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21**

प्रस्तर-35 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्मों से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 620690.00) को किया गया है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जसपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कुलदीप भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.12.2020	7000.00	खालिद इंटरप्राइजेज
02	05.10.2020	16680.00	खालिद इंटरप्राइजेज
03	12.12.2020	38000.00	खालिद इंटरप्राइजेज
04	19.12.2020	54321.00	खालिद इंटरप्राइजेज
05	04.12.2020	2500.00	स्विस ट्रेडिंग कम्पनी
06	04.12.2020	76483.00	श्री बालाजी स्टील
07	12.07.2020	31409.00	श्री बालाजी स्टील
08	12.07.2020	15704.00	श्री बालाजी स्टील
09	12.12.2020	100000.00	श्री बालाजी स्टील
10	11.12.2020	10908.00	एस० के० ट्रेडर्स
11	11.12.2020	12582.00	एस० के० ट्रेडर्स
12	11.12.2020	26383.00	एस० के० ट्रेडर्स
13	11.12.2020	14641.00	एस० के० ट्रेडर्स
14	17.12.2020	71820.00	एस० के० ट्रेडर्स
15	12.07.2020	69012.00	स्टोर
16	12.07.2020	38982.00	स्टोर
17	12.07.2020	5384.00	एम एस गुप्ता ब्रिक
18	12.07.2020	2692.00	एम एस गुप्ता ब्रिक
19	17.10.2020	8500.00	एच एम टी
20	16.10.2020	8490.00	गेनाइट
21	04.12.2020	3882.00	जागरण प्रकाशन
22	07.11.2020	5311.00	अमर उजाला

योग- 620690.00

प्रस्तर-36 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्री जसपाल सिंह द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री जसपाल सिंह व सचिव श्री कुलदीप भटनागर से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण

01	09.04.2020	28000.00	श्री जसपाल सिंह
02	09.04.2020	21000.00	श्री जसपाल सिंह

योग- 49000.00

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 32087.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जसपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कुलदीप भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	11.12.2020	10908.00	श्री मदन लाल
02	11.12.2020	1050.00	श्री मदन लाल
03	11.12.2020	2100.00	श्री मदन लाल
04	11.12.2020	1250.00	श्री मदन लाल
05	11.12.2020	1407.00	श्री मनोज
06	11.12.2020	600.00	श्री काशीराम
07	11.12.2020	960.00	श्री टीकाराम
08	11.12.2020	2010.00	श्री उमेश कुमार
09	11.12.2020	4422.00	श्री जमुना प्रसाद
10	11.12.2020	1920.00	श्री मुनीश कुमार
11	11.12.2020	2010.00	श्री राजेन्द्र
12	11.12.2020	1440.00	श्री अमृत पाल
13	11.12.2020	2010.00	श्री बब्लू

योग- 32087.00

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी से रु0 5945.00 का भुगतान किया गया है। भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 5945.00) उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जसपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कुलदीप भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 दिनांक 05.05.2020 को ग्राम पंचायत से रु0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के

विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जसपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कुलदीप भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

10-ग्राम पंचायत- देवीपुरा

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-40 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्मों से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 250711.00) को किया गया है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री इकरार हुसैन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कुलदीप भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.10.2020	62000.00	एस0 के0 ट्रेडर्स
02	07.11.2020	10000.00	एस0 के0 ट्रेडर्स
03	20.06.2020	19521.00	एस0 के0 ट्रेडर्स
04	28.11.2020	38000.00	एस0 के0 ट्रेडर्स
05	31.10.2020	60000.00	एस0 के0 ट्रेडर्स
06	16.10.2020	8496.00	श्री माँ ललीता मार्बल एंड ग्रांटी
07	26.06.2020	52694.00	शानू खाद भण्डार एंड सीमेन्ट स्टोर

योग-

250711.00

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्री इकरार हुसैन द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री इकरार हुसैन व सचिव श्री कुलदीप भटनागर से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	05.05.2020	28000.00	श्री इकरार हुसैन
02	06.10.2020	21000.00	श्री इकरार हुसैन

योग-

49000.00

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 63940.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा

अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री इकरार हुसैन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कुलदीप भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.10.2020	6400.00	श्री राकेश कुमार
02	26.06.2020	9100.00	श्री राकेश कुमार
03	26.06.2020	9100.00	श्री मौ० बिलाल
04	01.10.2020	6400.00	श्री मौ० बिलाल
05	01.10.2020	6400.00	श्री हबीब शाह
06	26.06.2020	13440.00	श्री हबीब शाह
07	05.05.2020	2000.00	श्री दिनेश कुमार
08	12.12.2020	2000.00	श्री राजेन्द्र कुमार
09	26.06.2020	9100.00	श्री दाता राम

योग- 63940.00

प्रस्तर-43 दिनांक 05.05.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के बत एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री इकरार हुसैन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कुलदीप भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

11-ग्राम पंचायत- भैंसिया ज्वालापुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-44 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्मों से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (₹0 345600.00) को किया गया है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वसीम जहां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कुलदीप भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	03.12.2020	62445.00	कोहिनूर ब्रिक इंडस्ट्रीज
02	03.12.2020	9420.00	कोहिनूर ब्रिक इंडस्ट्रीज
03	24.06.2020	45731.00	कोहिनूर ब्रिक इंडस्ट्रीज
04	04.11.2020	82130.00	खालिद इंटरप्राइजेज
05	04.11.2020	39585.00	खालिद इंटरप्राइजेज
06	06.08.2020	10500.00	खालिद इंटरप्राइजेज
07	05.10.2020	26700.00	एच०एम०टी० इंडस्ट्रीज इंडिया
08	06.08.2020	8500.00	एच०एम०टी० इंडस्ट्रीज इंडिया
09	07.09.2020	22500.00	एच०एम०टी० इंडस्ट्रीज इंडिया
10	04.12.2020	3882.00	जागरण प्रकाशन लिमिटेड
11	04.12.2020	2500.00	स्विस ट्रेडिंग कंपनी
12	17.10.2020	8496.00	श्री माँ ललिचा मार्बल एंड ग्रेनाइट

13	23.12.2020	17900.00	अनूप ट्रेडर्स
14	04.12.2020	5311.00	उमर उजाला लिमिटेड

योग- 345600.00

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में ओ0के0 सीमेंट आयरन एंड सनेट्री स्टोर खरीद हेतु भुगतानित (रू0 793734.00) धनराशि को ग्राम किया गया है जो व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वसीम जहां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कुलदीप भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.07.2020	32330.00	ओ0के0 सीमेंट आयरन एंड सनेट्री स्टोर
02	04.07.2020	50158.00	ओ0के0 सीमेंट आयरन एंड सनेट्री स्टोर
03	04.07.2020	119813.00	ओ0के0 सीमेंट आयरन एंड सनेट्री स्टोर
04	04.11.2020	9143.00	ओ0के0 सीमेंट आयरन एंड सनेट्री स्टोर
05	04.11.2020	6670.00	ओ0के0 सीमेंट आयरन एंड सनेट्री स्टोर
06	05.07.2020	90000.00	ओ0के0 सीमेंट आयरन एंड सनेट्री स्टोर
07	05.07.2020	84097.00	ओ0के0 सीमेंट आयरन एंड सनेट्री स्टोर
08	05.07.2020	18000.00	ओ0के0 सीमेंट आयरन एंड सनेट्री स्टोर
09	09.12.2020	48360.00	ओ0के0 सीमेंट आयरन एंड सनेट्री स्टोर
10	24.06.2020	335163.00	ओ0के0 सीमेंट आयरन एंड सनेट्री स्टोर

योग- 793734.00

प्रस्तर-46 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती वासिम जहां द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती वसीम जहां व सचिव श्री कुलदीप भटनागर से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	06.08.2020	45500.00	श्रीमती वासिम जहां
02	07.09.2020	7000.00	श्रीमती वासिम जहां
03	23.12.2020	14000.00	श्रीमती वासिम जहां

योग- 66500.00

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 300205.00) धनराशि को ग्राम सचिव/गर्म प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान

किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वसीम जहां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कुलदीप भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	03.12.2020	5600.00	श्री निसार अहमद
02	04.07.2020	2412.00	श्री निसार अहमद
03	04.07.2020	4620.00	श्री निसार अहमद
04	04.07.2020	12060.00	श्री निसार अहमद
05	04.11.2020	16080.00	श्री निसार अहमद
06	04.11.2020	2450.00	श्री निसार अहमद
07	15.12.2020	3417.00	श्री निसार अहमद
08	23.12.2020	18000.00	श्री निसार अहमद
09	04.07.2020	2613.00	श्री जुम्मा
10	04.07.2020	8060.00	श्री जुम्मा
11	15.12.2020	3417.00	श्री जुम्मा
12	23.12.2020	17000.00	श्री जुम्मा
13	24.06.2020	24321.00	श्री जुम्मा
14	04.07.2020	1800.00	श्री अब्दुल वहीद
15	04.07.2020	2160.00	श्री अब्दुल वहीद
16	04.07.2020	9000.00	श्री अब्दुल वहीद
17	24.06.2020	18360.00	श्री अब्दुल वहीद
18	04.07.2020	1800.00	श्री नवाब जान
19	04.07.2020	2520.00	श्री नवाब जान
20	04.07.2020	4680.00	श्री नवाब जान
21	04.07.2020	20100.00	श्री नवाब जान
22	24.06.2020	18000.00	श्री नवाब जान
23	04.07.2020	4000.00	श्री फिरोज अली
24	03.12.2020	1500.00	श्री फिरोज अली
25	23.12.2020	2000.00	श्री फिरोज अली
26	24.06.2020	3000.00	श्री फिरोज अली
27	04.07.2020	7200.00	श्री अवरार हुसैन
28	04.07.2020	9000.00	श्री अवरार हुसैन
29	15.07.2020	8640.00	श्री अवरार हुसैन
30	24.06.2020	21321.00	श्री अवरार हुसैन
31	04.11.2020	10700.00	श्री मौ० खालीद
32	14.07.2020	2613.00	श्री इस्लाम
33	14.07.2020	4827.00	श्री इस्लाम
34	15.12.2020	2613.00	श्री इस्लाम
35	24.06.2020	24321.00	श्री नजीर अहमद

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी से ₹0 58360.00 का भुगतान किया गया है। भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (₹0 58360.00) उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वसीम जहां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कुलदीप भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-49 दिनांक 05.05.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वसीम जहां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कुलदीप भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

12-ग्राम पंचायत- बोंसैन

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-50 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्मों से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (₹0 2414912.00) को किया गया है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अमृत पाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री वीर सिंह व श्री राजवीर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	26.06.2020	95000.00	वी वी एस वी स्टोर
02	25.03.2021	14900.00	चीमा इलेक्ट्रिकल सेटोर
03	19.12.2020	27200.00	एच एम टी
04	25.03.2021	153699.00	अरिहंत ट्रेडर्स
05	26.06.2020	90000.00	भिंडर इंटर प्रडसेस
06	03.07.2020	23879.00	जे के ब्रिक स्टोर
07	10.08.2020	95760.00	जे के ब्रिक स्टोर
08	19.12.2020	25200.00	जे के ब्रिक स्टोर
09	24.07.2020	44415.00	जे के ब्रिक स्टोर
10	24.07.2020	95760.00	जे के ब्रिक स्टोर
11	25.03.2021	87150.00	जे के ब्रिक स्टोर
12	26.06.2020	95760.00	जे के ब्रिक स्टोर
13	26.06.2020	95760.00	जे के ब्रिक स्टोर
14	26.09.2020	29520.00	जे के ब्रिक स्टोर
15	03.07.2020	32355.00	गंगवार ट्रेडर्स
16	26.09.2020	11608.00	गंगवार ट्रेडर्स

17	26.09.2020	93068.00	गंगवार ट्रेडर्स
18	26.09.2020	30755.00	गंगवार ट्रेडर्स
19	06.11.2020	37468.00	खालित इंटरप्राइजेज
20	06.11.2020	34500.00	खालिद इंटरप्राइजेज
21	09.07.2020	63002.00	खालित इंटरप्राइजेज
22	09.07.2020	28500.00	खालित इंटरप्राइजेज
23	10.08.2020	99120.00	महालक्ष्मी ट्रेडर्स
24	10.08.2020	95040.00	महालक्ष्मी ट्रेडर्स
25	19.12.2020	95040.00	महालक्ष्मी ट्रेडर्स
26	24.07.2020	96768.00	महालक्ष्मी ट्रेडर्स
27	26.06.2020	69120.00	महालक्ष्मी ट्रेडर्स
28	26.09.2020	14515.00	महालक्ष्मी ट्रेडर्स
29	19.12.2020	120000.00	जय श्री राम स्टोन केशर
30	25.03.2021	44826.00	जय श्री राम स्टोन केशर
31	20.12.2020	400000.00	एकम ट्रेडिंगकम्पनी
32	25.03.2021	23361.00	मितल इंटरप्राइजेज
33	26.06.2020	40000.00	मितल इंटरप्राइजेज
34	10.11.2020	3882.00	जागरण प्रकाशन
35	19.12.2020	5311.00	उमर उजाला
36	01.10.2020	2490.00	स्विश

योग- 2414912.00

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्री अमृत पाल द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री अमृत पाल व सचिव श्री वीर सिंह व राजवीर सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	12.04.2020	7000.00	श्री अमृत पाल
02	01.10.2020	21000.00	श्री अमृत पाल
		योग-	<u>28000.00</u>

प्रस्तर-52 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान (रु० 122835.00) धनराशि को ग्राम सचिव/गर्म प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अमृत पाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री वीर सिंह व श्री राजवीर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

01	25.03.2021	19200.00	श्री असगर अली

02	26.09.2020	2800.00	श्री असगर अली
03	26.09.2020	8800.00	श्री असगर अली
04	26.09.2020	3400.00	श्री असगर अली
05	03.07.2020	4800.00	श्री कुर्बान अली
06	25.03.2021	19200.00	श्री कुर्बान अली
07	26.09.2020	1600.00	श्री कुर्बान अली
08	26.09.2020	8400.00	श्री कुर्बान अली
09	26.09.2020	2400.00	श्री कुर्बान अली
10	03.07.2020	4400.00	श्रीमती शहजादी वेगम
11	26.09.2020	3400.00	श्रीमती शहजादी वेगम
12	26.09.2020	9000.00	श्रीमती शहजादी वेगम
13	26.09.2020	2800.00	श्रीमती शहजादी वेगम
14	03.07.2020	4400.00	श्री विनय कुमार
15	07.04.2020	1000.00	श्री परम कीर्ति
16	19.12.2020	4985.00	श्री राजेन्द्र
17	24.07.2020	4500.00	श्री फिरोज अली
18	26.09.2020	3800.00	श्री नोशाद
19	26.09.2020	4950.00	श्री नोशाद
20	26.09.2020	4800.00	श्री नोशाद
21	26.09.2020	1400.00	श्री राम निवास
22	26.09.2020	2800.00	श्री राम निवास

योग- 122835.00

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायत द्वारा ऐ डी ओ पी को किस सम्बन्ध में ₹0 3500.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान सम्बन्धी (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (₹0 3500.00) उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अमृत पाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री वीर सिंह व श्री राजवीर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-54 दिनांक 01.10.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अमृत पाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री वीर सिंह व श्री राजवीर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

13-ग्राम पंचायत- खोंदलपुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-55 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्मों से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि(₹0 1038410.00) को किया गया है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में

आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जसवीर कौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मेघराज से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.10.2020	11000.00	अनूप ट्रेडर्स
02	05.09.2021	33960.00	अनूप ट्रेडर्स
03	05.09.2020	22690.00	अनूप ट्रेडर्स
04	13.03.2021	38860.00	अनूप ट्रेडर्स
05	14.09.2020	38960.00	अनूप ट्रेडर्स
06	14.09.2020	85000.00	अनूप ट्रेडर्स
07	22.09.2020	38960.00	अनूप ट्रेडर्स
08	27.09.2020	31950.00	अनूप ट्रेडर्स
09	28.11.2020	6000.00	अनूप ट्रेडर्स
10	04.11.2020	24900.00	गंगवार ट्रेडर्स
11	04.11.2020	25200.00	गंगवार ट्रेडर्स
12	10.11.2020	43210.00	गंगवार ट्रेडर्स
13	14.09.2020	198000.00	गंगवार ट्रेडर्स
14	24.12.2020	50500.00	गंगवार ट्रेडर्स
15	25.10.2020	40500.00	गंगवार ट्रेडर्स
16	08.04.2020	95880.00	भारत ट्रेडर्स
17	11.06.2020	7000.00	भारत ट्रेडर्स
18	12.04.2020	30000.00	भारत ट्रेडर्स
19	13.03.2021	40160.00	भारत ट्रेडर्स
20	13.03.2021	98040.00	भारत ट्रेडर्स
21	10.10.2020	16544.00	एच एम टी
22	14.09.2020	52000.00	प्रिंस ब्रिक्स
23	25.10.2020	3785.00	शाह टाइम्स
24	25.10.2020	5311.00	अमर उजाला

योग- 1038410.00

प्रस्तर-56 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती जसवीर कौर द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती जसवीर कौर व सचिव श्री मेघराज से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	09.10.2020	63000.00	श्रीमती जसवीर कौर
02	14.12.2020	6000.00	श्रीमती जसवीर कौर

योग- 69000.00

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 72395.00) धनराशि को ग्राम सचिव/गर्म प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जसवीर कौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मेघराज से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	10.10.2020	1000.00	श्री रिजवान
02	10.11.2020	10915.00	श्री रिजवान
03	13.10.2020	4000.00	श्री रिजवान
04	13.3.2021	48480.00	श्री अंकुश
05	16.10.2020	8000.00	श्री चरन सिंह

योग- 72395.00

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- शाहबाद

मण्डल का नाम- मुरादाबाद

14-ग्राम पंचायत- सहविया कलां

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 562501.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के **जीएसटी** में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की **जीएसटी** विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 **जीएसटी** विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती दीक्षित एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री संजीव कुमार गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	10.05.2020	30500.00	सरस्वति ब्रिक वर्क्स
02	12.05.2020	9200.00	सरस्वति ब्रिक वर्क्स
03	12.05.2020	10860.00	सरस्वति ब्रिक वर्क्स
04	02.12.2021	139161.00	सरस्वति ब्रिक वर्क्स
05	12.05.2020	80000.00	सिंह ट्रेडर्स
06	12.05.2020	155110.00	सिंह ट्रेडर्स
07	12.05.2020	42435.00	सिंह ट्रेडर्स
08	08.12.2020	63935.00	सिंह ट्रेडर्स
09	28.10.2020	16300.00	कुमार फर्नीचर
10	28.10.2020	15000.00	सैफी आयरन

योग- 562501.00

प्रस्तर-59 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती दीक्षित द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न

होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती दीक्षित व सचिव श्री संजीव कुमार गौतम से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.08.2020	42000.00	श्रीमती ओमवती दीक्षित
02	28.10.2020	21000.00	श्रीमती ओमवती दीक्षित

योग- 63000.00

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु० 188505.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती दीक्षित एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री संजीव कुमार गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	10.05.2020	2655.00	श्री अंकित तिवारी
02	12.05.2020	13275.00	श्री अंकित तिवारी
03	12.05.2020	10620.00	श्री अंकित तिवारी
04	02.12.2020	26048.00	श्री अंकित तिवारी
05	08.12.2020	16000.00	श्री अंकित तिवारी
06	10.05.2020	2360.00	श्री विनोद कुमार
07	10.05.2020	2992.00	श्री विनोद कुमार
08	12.05.2020	13275.00	श्री विनोद कुमार
09	12.05.2020	2289.00	श्री विनोद कुमार
10	12.05.2020	10620.00	श्री विनोद कुमार
11	12.05.2020	2754.00	श्री विनोद कुमार
12	02.12.2020	17897.00	श्री विनोद कुमार
13	10.05.2020	4320.00	श्री कौशलन्द्र
14	12.05.2021	21600.00	श्री कौशलन्द्र
15	16.05.2020	16800.00	श्री कौशलन्द्र
16	02.12.2020	25000.00	श्री कौशलन्द्र

योग- 188505.00

15-ग्राम पंचायत- मदारपुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-61 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनों में अलग-अलग फर्म से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु० 1185228.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और

अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीसा बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री संजीव कुमार गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	08.08.2020	20084.00	आयशा गुड्स एंड सप्लायर
02	03.10.2021	152311.00	आयशा गुड्स एंड सप्लायर
03	20.12.2020	50000.00	आयशा गुड्स एंड सप्लायर
04	25.12.2021	10500.00	आयशा गुड्स एंड सप्लायर
05	12.04.2020	42780.00	आलम बिल्डिंग मटेरियल
06	16.04.2020	55855.00	आलम बिल्डिंग मटेरियल
07	08.08.2020	146439.00	आलम बिल्डिंग मटेरियल
08	10.09.2020	65000.00	राजा सरिया सीमेन्ट स्टोर
09	20.11.2020	90000.00	राजा सरिया सीमेन्ट स्टोर
10	08.12.2020	60000.00	राजा सरिया सीमेन्ट स्टोर
11	20.12.2020	40000.00	राजा सरिया सीमेन्ट स्टोर
12	25.12.2020	55000.00	राजा सरिया सीमेन्ट स्टोर
13	16.05.2020	90000.00	अमन ईट उद्योग
14	08.12.2020	58000.00	अमन ईट उद्योग
15	25.12.2020	40986.00	अमन ईट उद्योग
16	16.04.2020	17663.00	सैफी आयरन
17	20.11.2020	15000.00	सैफी आयरन
18	09.12.2020	12600.00	सैफी आयरन
19	09.12.2020	10000.00	सैफी आयरन
20	25.12.2021	20000.00	सैफी आयरन
21	12.04.2020	10168.00	राज ब्रिक फिल्ड
22	25.12.2020	25842.00	राज ब्रिक फिल्ड
23	20.11.2020	50000.00	सैफी इंटरप्राइजेज
24	20.11.2020	32000.00	शंकर ब्रिक वर्क्स
25	10.09.2020	15000.00	साई आयरन

योग- 1185228.00

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती अनीसा बेगम द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अनीसा बेगम व सचिव श्री संजीव कुमार गौतम से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	03.10.2020	21000.00	श्रीमती अनीसा बेगम
02	08.12.2020	15000.00	श्रीमती अनीसा बेगम
03	18.08.2020	10000.00	श्रीमती अनीसा बेगम
04	14.05.2020	25000.00	श्रीमती अनीसा बेगम

योग-

71000.00

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 315895.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंको में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीसा बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री संजीव कुमार गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	08.08.2020	15000.00	श्री अब्दुल साजिद
02	18.08.2021	10000.00	श्री अब्दुल साजिद
03	17.04.2020	5500.00	श्री सदीक
04	30.04.2021	2000.00	श्री सदीक
05	08.08.2020	9000.00	श्री सदीक
06	15.04.2020	8640.00	श्री गुलाम हुसैन
07	27.05.2020	35000.00	श्री गुलाम हुसैन
08	08.08.2020	10000.00	श्री गुलाम हुसैन
09	10.09.2020	29000.00	श्री गुलाम हुसैन
10	08.12.2020	20000.00	श्री गुलाम हुसैन
11	25.12.2020	15000.00	श्री गुलाम हुसैन
12	15.04.2020	5605.00	श्री भूरा प्यारे
13	08.08.2020	9680.00	श्री भूरा प्यारे
14	15.04.2020	8640.00	श्री अनीश अहमद
15	08.08.2020	12000.00	श्री अनीश अहमद
16	10.09.2020	26000.00	श्री अनीश अहमद
17	08.12.2020	20000.00	श्री अनीश अहमद
18	25.12.2020	15000.00	श्री अनीश अहमद
19	15.04.2020	5605.00	श्री हसीब
20	08.08.2021	13015.00	श्री हसीब
21	15.04.2020	5605.00	श्री अतीक
22	15.04.2020	5605.00	श्री इसफान
23	22.05.2020	30000.00	श्री फरीद अहमद

योग-

315895.00

16-ग्राम पंचायत- नानकार

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 1367604.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा

प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फरमूदी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री संजीव कुमार गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	26.08.2020	15000.00	सैफी आयरन
02	23.09.2021	10000.00	सैफी आयरन
03	08.10.2020	10000.00	सैफी आयरन
04	04.11.2021	15000.00	सैफी आयरन
05	26.11.2020	26000.00	सैफी आयरन
06	20.12.2020	5000.00	सैफी आयरन
07	20.12.2020	35000.00	सैफी आयरन
08	23.12.2020	23000.00	सैफी आयरन
09	08.10.2020	50000.00	शिव शक्ति ब्रिक्स
इण्डस्ट्रीज			
10	04.11.2020	40000.00	शक्ति ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज
11	23.09.2020	147831.00	आलम बिल्डिंग मटेरियल
12	08.10.2020	50000.00	आलम बिल्डिंग मटेरियल
13	04.11.2020	80000.00	आलम बिल्डिंग मटेरियल
14	26.11.2020	107708.00	आलम बिल्डिंग मटेरियल
15	20.12.2020	188608.00	आलम बिल्डिंग मटेरियल
16	23.12.2020	175000.00	आलम बिल्डिंग मटेरियल
17	19.10.2020	64230.00	आयशा गुड्स एंड सप्लायर
18	19.10.2020	63730.00	आयशा गुड्स एंड सप्लायर
19	26.11.2020	65177.00	आयशा गुड्स एंड सप्लायर
20	26.08.2021	151320.00	अनु टाईल्सस्टोर
21	20.12.2020	45000.00	अनु टाईल्स स्टोर
योग-		<u>1367604.00</u>	

प्रस्तर-65 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती फरमूदी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती फरमूदी व सचिव श्री संजीव कुमार गौतम से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	23.09.2020	17500.00	श्रीमती फरमूदी
योग-		<u>17500.00</u>	

प्रस्तर-66 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान (रु० 245912.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान

किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फरमूदी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री संजीव कुमार गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	23.09.2020	40000.00	श्री निसार
02	04.11.2021	10000.00	श्री निसार
03	20.12.2020	28000.00	श्री निसार
04	22.12.2021	21392.00	श्री निसार
05	23.12.2020	19000.00	श्री निसार
06	23.09.2020	40000.00	श्री मकसूद
07	04.11.2020	10000.00	श्री मकसूद
08	23.12.2020	19000.00	श्री मकसूद
09	23.09.2020	28520.00	श्री इंदल सिंह
10	23.09.2020	30000.00	श्री राशिद हुसैन

योग- 245912.00

17-ग्राम पंचायत- पटरिया

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-67 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु० 562419.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री संजीव कुमार गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	22.09.2020	20000.00	सैफी आयरन स्टोर
02	22.09.2021	10000.00	सैफी आयरन स्टोर
03	08.10.2020	3000.00	सैफी आयरन स्टोर
04	27.10.2021	5000.00	सैफी आयरन स्टोर
05	26.11.2020	10000.00	सैफी आयरन स्टोर
06	08.10.2020	18135.00	नरेश हार्डवेयर स्टोर
07	22.09.2020	90000.00	गणेश ब्रिक इण्डस्ट्रीज
08	08.12.2020	45120.00	गणेश ब्रिक इण्डस्ट्रीज
09	03.04.2020	34214.00	अवतार ट्रेडर्स
10	03.04.2020	147874.00	अवतार ट्रेडर्स
11	22.09.2020	85000.00	अवतार ट्रेडर्स
12	27.10.2020	70000.00	अवतार ट्रेडर्स
13	08.12.2020	24076.00	अवतार ट्रेडर्स

योग-**562419.00**

प्रस्तर-68 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी व सचिव श्री संजीव कुमार गौतम से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	08.10.2020	12000.00	श्रीमती पूनम देवी
02	22.09.2020	21000.00	श्रीमती पूनम देवी

योग-**33000.00**

प्रस्तर-69 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु० 125800.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री संजीव कुमार गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	03.04.2020	11800.00	श्री नेकपाल सिंह
02	12.04.2021	9000.00	श्री नेकपाल सिंह
03	22.09.2020	5000.00	श्री नेकपाल सिंह
04	27.10.2021	10000.00	श्री नेकपाल सिंह
05	26.11.2020	15000.00	श्री नेकपाल सिंह
06	03.04.2020	19200.00	श्री ग्रीश कुमार
07	12.04.2020	9000.00	श्री ग्रीश कुमार
08	22.09.2020	10000.00	श्री ग्रीश कुमार
09	27.10.2020	10000.00	श्री ग्रीश कुमार
10	26.11.2020	15000.00	श्री ग्रीश कुमार
11	03.04.2020	11800.00	श्री कृष्ण पाल सिंह

योग-**125800.00****18-ग्राम पंचायत- डोहरिया****लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21**

प्रस्तर-70 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु० 639040.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के

दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दरेशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री संजीव कुमार गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	10.08.2020	118000.00	गंगवार बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
02	20.09.2021	149340.00	गंगवार बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
03	27.10.2020	28000.00	गंगवार बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
04	04.11.2021	60000.00	गंगवार बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
05	17.04.2020	95700.00	श्री गणेश जी ब्रिक इण्डस्ट्रीज
06	20.09.2020	48000.00	श्री गणेश जी ब्रिक इण्डस्ट्रीज
07	04.11.2020	20000.00	श्री गणेश जी ब्रिक इण्डस्ट्रीज
08	10.08.2020	30000.00	सैफी आयरन स्टोर
09	20.09.2020	10000.00	सैफी आयरन स्टोर
10	27.10.2020	5000.00	सैफी आयरन स्टोर
11	04.11.2020	10000.00	सैफी आयरन स्टोर
12	19.11.2020	10000.00	सैफी आयरन स्टोर
13	08.12.2020	10000.00	सैफी आयरन स्टोर
14	15.12.2020	5000.00	सैफी आयरन स्टोर
15	15.12.2020	40000.00	ओम कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर

योग- 639040.00

प्रस्तर-71 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दरेशा द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दरेशा व सचिव श्री संजीव कुमार गौतम से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	02.05.2020	3000.00	श्रीमती इन्दरेशा
02	02.09.2021	17500.00	श्रीमती इन्दरेशा
03	04.11.2020	5000.00	श्रीमती इन्दरेशा
04	19.11.2021	10500.00	श्रीमती इन्दरेशा
05	08.12.2020	10000.00	श्रीमती इन्दरेशा

06	15.12.2020	10500.00	श्रीमती इन्दरेशा
07	17.06.2020	30000.00	श्रीमती इन्दरेशा
08	20.09.2020	10000.00	श्रीमती इन्दरेशा
09	27.10.2020	8000.00	श्रीमती इन्दरेशा

योग- 104500.00

प्रस्तर-72 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 292436.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दरेशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री संजीव कुमार गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	02.05.2020	14000.00	श्री अब्दुल साजिद
02	17.06.2020	20000.00	श्री अब्दुल साजिद
03	17.04.2020	25336.00	श्री चरनजीत सिंह
04	10.08.2020	15000.00	श्री चरनजीत सिंह
05	04.11.2020	10000.00	श्री चरनजीत सिंह
06	19.11.2020	40000.00	श्री चरनजीत सिंह
07	08.12.2020	10000.00	श्री चरनजीत सिंह
08	15.12.2020	10000.00	श्री चरनजीत सिंह
09	10.08.2020	10000.00	श्री नोशे
10	20.09.2020	20000.00	श्री नोशे
11	27.10.2020	8000.00	श्री नोशे
12	04.11.2020	20000.00	श्री नोशे
13	17.04.2020	8550.00	श्री कल्लू
14	27.10.2020	8000.00	श्री कल्लू
15	10.08.2020	15000.00	श्री कल्लू
16	16.12.2020	50000.00	श्री इन्तेजार
17	17.04.2020	8550.00	श्री रज्जान

योग- 292436.00

19-ग्राम पंचायत- जनकपुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-73 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 728873.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गंगादेई एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्रीमती श्वेता पाण्डे से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण

01	27.09.2020	15000.00	सैफी आयरन स्टोर
02	09.10.2020	12000.00	सैफी आयरन स्टोर
03	04.11.2020	10000.00	सैफी आयरन स्टोर
04	15.12.2020	5000.00	सैफी आयरन स्टोर
05	23.12.2020	30000.00	सैफी आयरन स्टोर
06	27.09.2020	50000.00	आस्था बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
07	09.10.2020	71873.00	आस्था बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
08	04.11.2020	50000.00	आस्था बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
09	15.12.2020	275000.00	गुरुनानक एगो इम्पलीमेंट
10	15.12.2020	35000.00	गंगवार बिल्डिंग मटेरियल
11	23.12.2020	125000.00	एकम ट्रेडिंग कम्पनी
12	27.09.2020	50000.00	श्री गणेश जी ब्रिक्स इम्डस्ट्रीज

योग- 728873.00

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती गंगादेई द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती गंगादेई व सचिव श्रीमती श्वेता पाण्डे से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	03.05.2020	10500.00	श्रीमती गंगादेई
02	03.05.2020	10500.00	श्रीमती गंगादेई
03	16.10.2020	21000.00	श्रीमती गंगादेई

योग- 42000.00

प्रस्तर-75 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान (रु० 124750.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गंगादेई एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्रीमती श्वेता पाण्डे से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	27.09.2020	10000.00	श्री घनश्याम
02	09.10.2020	12350.00	श्री घनश्याम
03	04.11.2020	10000.00	श्री घनश्याम
04	27.09.2020	10000.00	श्री ननकी प्रसाद
05	09.10.2020	12400.00	श्री ननकी प्रसाद
06	04.11.2020	10000.00	श्री ननकी प्रसाद

07	15.12.2020	50000.00	श्री इन्तेजार
08	17.06.2020	10000.00	श्री मंगली

योग- 124750.00

20-ग्राम पंचायत- बूढपुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 1115901.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री किशनलाल लोधी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्रीमती श्वेता पाण्डे से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.08.2020	94616.00	गंगवार बिल्डिंग मटेरियल
02	27.09.2020	80000.00	गंगवार बिल्डिंग मटेरियल
03	14.10.2020	23983.00	गंगवार बिल्डिंग मटेरियल
04	16.10.2020	25000.00	गंगवार बिल्डिंग मटेरियल
05	28.10.2020	80000.00	गंगवार बिल्डिंग मटेरियल
06	02.12.2020	40000.00	गंगवार बिल्डिंग मटेरियल
07	01.06.2020	25000.00	गंगवार बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
08	10.09.2020	20000.00	गंगवार बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
09	19.06.2020	15000.00	सैफी आयरन
10	04.08.2020	15000.00	सैफी आयरन
11	27.09.2020	10000.00	सैफी आयरन
12	27.09.2020	15000.00	सैफी आयरन
13	14.10.2020	4000.00	सैफी आयरन
14	28.10.2020	10000.00	सैफी आयरन
15	10.09.2020	10000.00	सैफी आयरन
16	04.08.2020	25804.00	सरस्वति ब्रिक्स वर्क्स
17	27.09.2020	50000.00	सरस्वति ब्रिक्स वर्क्स
18	06.06.2020	25000.00	सरस्वति ब्रिक्स वर्क्स
19	16.12.2020	502498.00	जीलानी एग्रीकल्चर स्टोर
20	09.09.2020	45000.00	गनेश जी ब्रिक इण्डस्ट्रीज

योग- 1115901.00

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्री किशनलाल लोधी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम

पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री किशनलाल लोधी व सचिव श्रीमती श्वेता पाण्डे से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	03.05.2020	7000.00	श्री किशनलाल लोधी
02	17.06.2020	20000.00	श्री किशनलाल लोधी
03	17.06.2020	15000.00	श्री किशनलाल लोधी
04	27.09.2020	17500.00	श्री किशनलाल लोधी
05	28.10.2020	7000.00	श्री किशनलाल लोधी
06	20.12.2020	7000.00	श्री किशनलाल लोधी

योग- 73500.00

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु० 218912.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री किशनलाल लोधी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्रीमती श्वेता पाण्डे से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.08.2020	8400.00	श्री वीरपाल
02	04.08.2020	10000.00	श्री वीरपाल
03	27.09.2020	10000.00	श्री वीरपाल
04	14.10.2020	6733.00	श्री वीरपाल
05	28.10.2020	10000.00	श्री वीरपाल
06	04.08.2020	15379.00	श्री राकेश कुमार
07	27.09.2020	10000.00	श्री राकेश कुमार
08	28.10.2020	10000.00	श्री राकेश कुमार
09	09.09.2020	15000.00	श्री राकेश कुमार
10	04.08.2020	18200.00	श्री ननहेराम
11	18.08.2020	6000.00	श्री ननहेराम
12	27.09.2020	4000.00	श्री ननहेराम
13	27.09.2020	11000.00	श्री इन्तेजार
14	28.10.2020	42000.00	श्री राजू
15	01.06.2020	15000.00	श्री राजू
16	01.06.2020	10000.00	श्री मुकेश कुमार
17	10.06.2020	15000.00	श्री मुकेश कुमार
18	07.08.2020	2200.00	श्री मुकेश कुमार

योग- 218912.00

21-ग्राम पंचायत- किशनपुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-79 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनों में अलग-अलग फर्म से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु० 132500.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित

धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अनवर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री अमित भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	06.11.2020	55000.00	ए० आई० इंटर प्राईजेज
02	06.11.2020	49500.00	ए० आई० इंटर प्राईजेज
03	06.11.2020	25000.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एंड एग्रीकल्चर सेटर
04	09.10.2020	3000.00	कुमार इन्फोटेक
		योग-	<u>132500.00</u>

प्रस्तर-80 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्री अनवर द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री अनवर व सचिव श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री अमित भटनागर से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.05.2020	3500.00	श्री अनवर
02	09.10.2020	17500.00	श्री अनवर
03	06.11.2020	28000.00	श्री अनवर
		योग-	<u>49000.00</u>

प्रस्तर-81 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान (रु० 14200.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अनवर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री अमित भटनागर से किया जाना अपेक्षित है। वसूली की त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.05.2020	10300.00	श्री विजय कुमार
02	06.11.2020	2400.00	श्री इरफान खां

योग-**14200.00**

प्रस्तर-82 दिनांक 09.10.2020 व 27.10.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2000.00 व 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अनवर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री अमित भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

22-ग्राम पंचायत- बिसौली**लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21**

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (₹0 100000.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के **जीएसटी** में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की **जीएसटी** विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 **जीएसटी** विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री अमित भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	03.05.2020	50000.00	सरताज सीमेंट एंड आयरन स्टोर
02	03.05.2020	50000.00	सौनाक्षी सीमेंट एंड आयरन स्टोर

योग-**100000.00**

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती राजकली द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती राजकली व सचिव श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री अमित भटनागर से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.05.2020	3500.00	श्रीमती राजकली
02	26.06.2020	7000.00	श्रीमती राजकली
03	04.09.2020	7000.00	श्रीमती राजकली
04	06.11.2020	7000.00	श्रीमती राजकली

योग-**24500.00**

प्रस्तर-85 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 12500.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंको में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री अमित भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.05.2020	5500.00	श्री विजय कुमार
02	26.06.2020	5500.00	श्री विजय कुमार
03	23.09.2020	1500.00	श्री विजय कुमार

योग- 12500.00

प्रस्तर-86 दिनांक 28.10.2020 को ग्राम पंचायत से रु0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री अमित भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

23-ग्राम पंचायत- चन्दपुरा खुर्द

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-87 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 1000101.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रनवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री अमित भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	24.06.2020	98280.00	जनता ब्रिक वर्क्स
02	24.06.2020	98280.00	जनता ब्रिक वर्क्स
03	24.06.2020	98280.00	जनता ब्रिक वर्क्स
04	24.06.2020	50400.00	जनता ब्रिक वर्क्स
05	24.06.2020	50400.00	जनता ब्रिक वर्क्स
06	24.06.2020	62370.00	बालाजी ट्रेडर्स
07	24.06.2020	36225.00	बालाजी ट्रेडर्स

08	24.06.2020	85890.00	बालाजी ट्रेडर्स
09	24.06.2020	99120.00	बालाजी ट्रेडर्स
10	24.06.2020	49560.00	बालाजी ट्रेडर्स
11	24.06.2020	98496.00	बालाजी ट्रेडर्स
12	14.09.2020	69120.00	बालाजी ट्रेडर्स
13	07.12.2020	103680.00	बालाजी ट्रेडर्स

योग- 1000101.00.00

प्रस्तर-88 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्री रनवीर सिंह द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री रनवीर सिंह व सचिव श्री अमित भटनागर से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	02.11.2020	10400.00	श्री रनवीर सिंह
02	21.12.2020	21000.00	श्री रनवीर सिंह

योग- 31400.00

प्रस्तर-89 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान (रु० 221855.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री रनवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव श्री अमित भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.10.2020	18090.00	श्री रमजनी
02	01.10.2020	18090.00	श्री तेजपाल सिंह
03	01.10.2020	18090.00	श्री विनेश
04	14.09.2020	9045.00	श्री इकबाल
05	02.11.2020	18090.00	श्री इकबाल
06	02.11.2020	18090.00	श्री नसीम
07	14.09.2020	18090.00	श्री प्रताप सिंह
08	02.11.2020	18090.00	श्री प्रताप सिंह
09	13.09.2020	18000.00	श्री असलम
10	13.09.2020	16000.00	श्री अनिल
11	14.09.2020	16000.00	श्री जयलाल
12	14.09.2020	18090.00	श्री नसीम
13	14.09.2020	18090.00	श्री रईस

योग- 221855.00

24-ग्राम पंचायत- मधुपुरी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-90 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु० 2027484.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के

दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रकली देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री अमित भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	23.09.2020	104215.00	भगवानदास सीमेंट स्टोर
02	03.10.2020	98031.00	भगवानदास सीमेंट स्टोर
03	03.10.2020	116143.00	भगवानदास सीमेंट स्टोर
04	19.10.2020	172568.00	भगवानदास सीमेंट स्टोर
05	19.10.2020	118614.00	भगवानदास सीमेंट स्टोर
06	07.12.2020	145370.00	भगवानदास सीमेंट स्टोर
07	14.12.2020	211200.00	भगवानदास सीमेंट स्टोर
08	21.12.2020	119545.00	भगवानदास सीमेंट स्टोर
09	25.12.2020	83781.00	भगवानदास सीमेंट स्टोर
10	25.12.2020	98924.00	भगवानदास सीमेंट स्टोर
11	25.12.2020	7368.00	भगवानदास सीमेंट स्टोर
12	25.12.2020	250832.00	भगवानदास सीमेंट स्टोर
13	25.12.2020	186517.00	भगवानदास सीमेंट स्टोर
14	03.10.2020	19800.00	विनेश पाईप स्टोर
15	08.10.2020	32400.00	विनेश पाईप स्टोर
16	25.12.2020	27200.00	विनेश पाईप स्टोर
17	25.12.2020	52412.00	विनेश पाईप स्टोर
18	25.12.2020	76715.00	विनेश पाईप स्टोर
19	07.12.2020	62400.00	नेशनल ब्रिक वर्क्स
20	25.12.2020	40449.00	नेशनल ब्रिक वर्क्स
21	02.04.2020	3000.00	कुमार इन्फोटेक

योग- 2027484.00

प्रस्तर-91 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रकली देवी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रकली देवी व सचिव श्री अमित भटनागर से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण

01	23.09.2020	10500.00	श्रीमती चन्द्रकली देवी
02	25.12.2020	21000.00	श्रीमती चन्द्रकली देवी
03	25.12.2020	31495.00	श्रीमती चन्द्रकली देवी
04	03.04.2020	28000.00	श्रीमती चन्द्रकली देवी

योग- 90995.00

प्रस्तर-92 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 404310.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 5945.00) उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रकली देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री अमित भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	08.10.2020	20000.00	श्री सुखवीर सिंह
02	26.10.2020	19200.00	श्री सुखवीर सिंह
03	02.11.2020	22800.00	श्री सुखवीर सिंह
04	21.12.2020	16000.00	श्री सुखवीर सिंह
05	08.10.2020	19600.00	श्री अंकुश सागर
06	26.10.2020	16000.00	श्री अंकुश सागर
07	02.11.2020	20000.00	श्री अंकुश सागर
08	21.12.2020	16000.00	श्री अंकुश सागर
09	08.10.2020	10050.00	श्री मुनेश
10	26.10.2020	18090.00	श्री मुनेश
11	02.11.2020	24522.00	श्री मुनेश
12	09.11.2020	10050.00	श्री मुनेश
13	21.12.2020	8040.00	श्री मुनेश
14	08.10.2020	10050.00	श्री किशनपाल
15	02.11.2020	20100.00	श्री किशनपाल
16	02.11.2020	18090.00	श्री किशनपाल
17	09.11.2020	10050.00	श्री किशनपाल
18	21.12.2020	8040.00	श्री किशनपाल
19	08.10.2020	10050.00	श्री प्रेम सिंह
20	02.11.2020	17286.00	श्री प्रेम सिंह
21	02.11.2020	20100.00	श्री प्रेम सिंह
22	21.12.2020	8040.00	श्री प्रेम सिंह
23	25.12.2020	9648.00	श्री प्रेम सिंह
24	25.12.2020	4849.00	श्री प्रेम सिंह
25	25.12.2020	11055.00	श्री प्रेम सिंह
26	13.10.2020	5000.00	श्री मिसरयार खां
27	14.10.2020	31600.00	श्री सुल्तान खां

योग- 404310.00

प्रस्तर-93 ग्राम पंचायत में जागरण प्रकाशन लि0 व हिंदुस्तान मिडिया को भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रकली देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री अमित भटनागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	08.10.2020	3583.00	जागरण प्रकाशन लि0
02	08.10.2020	3785.00	हिंदुस्तान मिडिया

योग- 7368.00

जनपद का नाम- रामपुर वि०ख०- मिलक

मण्डल का नाम- मुरादाबाद

25-ग्राम पंचायत- चकरपुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-94 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु० 2064142.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूरन देई एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री पवन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	19.06.2020	35000.00	एफ० जेड० ब्रिक वर्क्स
02	20.06.2020	90720.00	एफ० जेड० ब्रिक वर्क्स
03	20.06.2020	90720.00	एफ० जेड० ब्रिक वर्क्स
04	20.06.2020	90720.00	एफ० जेड० ब्रिक वर्क्स
05	08.09.2020	58275.00	एफ० जेड० ब्रिक वर्क्स
06	26.09.2020	21840.00	एफ० जेड० ब्रिक वर्क्स
07	21.10.2020	15120.00	एफ० जेड० ब्रिक वर्क्स
08	06.11.2020	12133.00	एफ० जेड० ब्रिक वर्क्स
09	13.11.2020	17430.00	एफ० जेड० ब्रिक वर्क्स
10	03.12.2020	60480.00	एफ० जेड० ब्रिक वर्क्स
11	03.12.2020	60480.00	एफ० जेड० ब्रिक वर्क्स
12	03.12.2020	16065.00	एफ० जेड० ब्रिक वर्क्स
13	23.12.2020	41454.00	एफ० जेड० ब्रिक वर्क्स
14	19.06.2020	40000.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
15	20.06.2020	99120.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
16	20.06.2020	98977.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
17	20.06.2020	69120.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
18	22.06.2020	34560.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर

19	22.06.2020	82135.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
20	22.06.2020	90195.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
21	22.06.2020	58941.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
22	08.09.2020	33996.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
23	26.09.2020	33285.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
24	26.09.2020	27806.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
25	21.10.2020	17995.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
26	23.10.2020	38248.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
27	06.11.2020	12928.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
28	13.11.2020	9676.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
29	03.12.2020	62705.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
30	23.12.2020	19947.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
31	23.12.2020	45273.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
32	23.12.2020	92556.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
33	23.12.2020	43478.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
34	23.12.2020	22350.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
35	24.12.2020	32715.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
36	08.09.2020	15699.00	ए0 आई0 इन्टर प्राईजेज
37	21.10.2020	18328.00	ए0 आई0 इन्टर प्राईजेज
38	23.10.2020	5184.00	ए0 आई0 इन्टर प्राईजेज
39	06.11.2020	11521.00	ए0 आई0 इन्टर प्राईजेज
40	13.11.2020	4143.00	ए0 आई0 इन्टर प्राईजेज
41	13.11.2020	6519.00	ए0 आई0 इन्टर प्राईजेज
42	03.12.2020	39648.00	ए0 आई0 इन्टर प्राईजेज
43	18.12.2020	11022.00	ए0 आई0 इन्टर प्राईजेज
44	13.11.2020	48315.00	आयशा टाईल्स
45	18.12.2020	17710.00	आयशा टाईल्स
46	16.12.2020	35489.00	सूर्याश कंस्ट्रक्शन
47	22.06.2020	69121.00	प्रिया इन्टर प्राईजेज
48	24.09.2020	20000.00	सईद अहमद कांटेक्टर
49	01.02.2020	45000.00	आयशा टाईल्स
50	01.02.2020	40000.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर

योग- 2064142.00

प्रस्तर-95 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रु0 51700.00 ग्राम प्रधान श्रीमती पूरन देई द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती पूरन देई व सचिव श्री पवन सागर से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	11.04.2020	10000.00	श्रीमती पूरन देई
02	30.06.2020	7000.00	श्रीमती पूरन देई
03	16.10.2020	21000.00	श्रीमती पूरन देई
04	24.12.2020	10200.00	श्रीमती पूरन देई
05	24.12.2020	3500.00	श्रीमती पूरन देई

योग- 51700.00

प्रस्तर-96 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु० 638263.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंको में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूरन देई एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री पवन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	19.06.2020	10000.00	श्री फईम अली
02	20.06.2020	50000.00	श्री फईम अली
03	22.06.2020	57471.00	श्री फईम अली
04	08.09.2020	9600.00	श्री फईम अली
05	26.09.2020	8160.00	श्री फईम अली
06	21.10.2020	8428.00	श्री फईम अली
07	23.10.2020	4800.00	श्री फईम अली
08	06.11.2020	5055.00	श्री फईम अली
09	13.11.2020	5760.00	श्री फईम अली
10	03.12.2020	50000.00	श्री फईम अली
11	23.12.2020	47500.00	श्री फईम अली
12	24.12.2020	10330.00	श्री फईम अली
13	19.06.2020	10000.00	श्री नहीम
14	20.06.2020	50000.00	श्री नहीम
15	22.06.2020	50000.00	श्री नहीम
16	08.09.2020	8100.00	श्री नहीम
17	26.09.2020	7200.00	श्री नहीम
18	16.10.2020	7670.00	श्री नहीम
19	16.10.2020	7670.00	श्री नहीम
20	23.10.2020	2950.00	श्री नहीम
21	13.11.2020	3540.00	श्री नहीम
22	03.12.2020	50000.00	श्री नहीम
23	19.06.2020	5000.00	श्री अन्नो
24	16.10.2020	7670.00	श्री अन्नो
25	13.11.2020	2655.00	श्री अन्नो
26	03.12.2020	50000.00	श्री अन्नो
27	24.04.2020	5000.00	श्री प्रदीप कुमार
28	20.06.2020	4000.00	श्री प्रदीप कुमार
29	08.09.2020	1500.00	श्री प्रदीप कुमार

30	26.09.2020	1440.00	श्री प्रदीप कुमार
31	16.10.2020	1475.00	श्री प्रदीप कुमार
32	20.10.2020	10300.00	श्री प्रदीप कुमार
33	21.10.2020	1180.00	श्री प्रदीप कुमार
34	23.10.2020	1180.00	श्री प्रदीप कुमार
35	06.11.2020	1000.00	श्री प्रदीप कुमार
36	06.11.2020	5200.00	श्री प्रदीप कुमार
37	13.11.2020	480.00	श्री प्रदीप कुमार
38	13.11.2020	1180.00	श्री प्रदीप कुमार
39	03.12.2020	1475.00	श्री प्रदीप कुमार
40	23.12.2020	2500.00	श्री प्रदीप कुमार
41	16.10.2020	3540.00	श्री वाहिद
42	23.10.2020	2950.00	श्री वाहिद
43	13.11.2020	3540.00	श्री वाहिद
44	21.11.2020	10250.00	श्री शिवानन्द
45	24.12.2020	15000.00	श्री बृजमोहन
46	23.12.2020	15834.00	श्री फईम अली
47	03.03.2021	4800.00	श्री फईम अली
48	03.03.2021	4800.00	श्री नईम
49	03.03.2021	4800.00	श्री अन्नो
50	03.03.2021	5280.00	श्री वाहिद

योग- 638263.00

प्रस्तर-97 दिनांक 24.10.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के बत एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूरन देई एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री पवन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

26-ग्राम पंचायत- हरजीपुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-98 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (₹0 586845.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के **जीएसटी** में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की **जीएसटी** विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 **जीएसटी** विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ठाकुर दास एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री पवन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.04.2020	30067.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
02	04.04.2020	15019.00	एफ० जेड० ब्रिक वर्क्स

03	08.09.2020	47355.00	एफ0 जेड0 ब्रिक वर्क्स
04	04.04.2020	58805.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
05	04.04.2020	78956.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
06	08.09.2020	33996.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
07	16.12.2020	11672.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
08	08.09.2020	15699.00	ए0 आई0 इम्प्टरप्राईजेज
09	28.09.2020	20000.00	सईद अहमद कांट्रेक्टर
10	10.12.2020	57862.00	सईद अहमद कांट्रेक्टर
11	16.12.2020	39125.00	आयशा टाईल्स
12	26.11.2020	13038.00	सूर्यशकंसट्रक्शन कम्पनी
13	16.06.2020	21500.00	एफ0 जेड0 ब्रिक वर्क्स
14	02.02.2021	27300.00	एफ0 जेड0 ब्रिक वर्क्स
15	08.09.2020	18000.00	अतरसिंह सीमेन्ट स्टोर
16	16.06.2020	30000.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर
17	02.02.2021	68451.00	कौशिक सीमेन्ट स्टोर

योग- 586845.00

प्रस्तर-99 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रु0 87500.00 ग्राम प्रधान श्री ठाकुरदास द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री ठाकुर दास व सचिव श्री पवन सागर से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.04.2020	5000.00	श्री ठाकुरदास
02	24.04.2020	10000.00	श्री ठाकुरदास
03	15.07.2020	10500.00	श्री ठाकुरदास
04	29.09.2020	7000.00	श्री ठाकुरदास
05	29.09.2020	21000.00	श्री ठाकुरदास
06	25.12.2020	15000.00	श्री ठाकुरदास
07	25.12.2020	7000.00	श्री ठाकुरदास
08	08.10.2020	6000.00	श्री ठाकुरदास
09	17.12.2020	6000.00	श्री ठाकुरदास

योग- 87500.00

प्रस्तर-100 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 231285.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा

अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ठाकुर दास एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री पवन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.04.2020	1180.00	श्री प्रदीप कुमार
02	24.04.2020	5000.00	श्री प्रदीप कुमार
03	08.06.2020	2000.00	श्री प्रदीप कुमार
04	08.09.2020	1500.00	श्री प्रदीप कुमार
05	05.11.2020	5200.00	श्री प्रदीप कुमार
06	16.12.2020	1200.00	श्री प्रदीप कुमार
07	25.12.2020	10000.00	श्री प्रदीप कुमार
08	04.04.2020	7670.00	श्री फईम अली
09	08.09.2020	9600.00	श्री फईम अली
10	16.12.2020	5280.00	श्री फईम अली
11	04.04.2020	3540.00	श्री फरियाद
12	08.09.2020	8100.00	श्री फरियाद
13	16.12.2020	3245.00	श्री फरियाद
14	04.04.2020	7670.00	श्रीमती अन्नो बेगम
15	16.12.2020	1770.00	श्रीमती अन्नो बेगम
16	21.11.2020	10250.00	श्री शिवानन्द
17	25.12.2020	10000.00	श्री बृजमोहन
18	25.12.2020	2000.00	श्री बृजमोहन
19	04.04.2020	8640.00	श्री राजेन्द्र
20	25.12.2020	10000.00	श्री राजेन्द्र
21	05.10.2020	10000.00	श्री राजेन्द्र
22	08.10.2020	6000.00	श्री राजेन्द्र
23	17.12.2020	6000.00	श्री राजेन्द्र
24	16.06.2020	5000.00	श्री जिबराईल
25	15.09.2020	20000.00	श्री रवि कुमार
26	23.09.2020	11500.00	श्री फैजान खां
27	04.04.2020	12480.00	श्री रामस्वरूप
28	05.10.2020	16000.00	श्री रामस्वरूप
29	04.04.2020	7670.00	श्री भूपराम
30	17.12.2020	6000.00	श्री भूपराम
31	03.03.2021	9120.00	श्री फईम
32	04.04.2020	7670.00	श्री जय प्रकाश

योग- 231285.00

प्रस्तर-101 दिनांक 24.10.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के बत एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ठाकुर दास एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री पवन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

27-ग्राम पंचायत- मौ० नगर नानकार

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-102 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 689132.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नन्ही देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री पवन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	03.11.2020	54825.00	अनु टाईल्स
02	03.11.2020	52050.00	अनु टाईल्स
03	16.12.2020	60930.00	अनु टाईल्स
04	25.04.2020	28770.00	अतरसिंह सीमेन्ट स्टोर
05	25.04.2020	9377.00	अतरसिंह सीमेन्ट स्टोर
06	11.09.2020	33996.00	अतरसिंह सीमेन्ट स्टोर
07	08.10.2020	48930.00	अतरसिंह सीमेन्ट स्टोर
08	03.11.2020	25110.00	अतरसिंह सीमेन्ट स्टोर
09	16.12.2020	24571.00	अतरसिंह सीमेन्ट स्टोर
10	17.12.2020	16937.00	अतरसिंह सीमेन्ट स्टोर
11	17.12.2020	44137.00	अतरसिंह सीमेन्ट स्टोर
12	11.09.2020	15699.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
13	03.11.2020	25110.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
14	17.12.2021	29400.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
15	11.09.2020	7000.00	साजिम एग्रीकल्चर वर्क्स
16	11.09.2020	7000.00	साजिम एग्रीकल्चर वर्क्स
17	08.10.2021	20895.00	साजिम एग्रीकल्चर वर्क्स
18	11.09.2020	58275.00	न्यू शर्मा ब्रिक इण्डस्ट्रीज
19	08.10.2020	28350.00	न्यू शर्मा ब्रिक इण्डस्ट्रीज
20	16.12.2020	5533.00	न्यू शर्मा ब्रिक इण्डस्ट्रीज
21	09.06.2020	7000.00	सूर्याश कंसट्रक्शन कम्पनी
22	28.09.2020	55722.00	सूर्याश कंसट्रक्शन कम्पनी
23	24.12.2020	17500.00	पटेल ग्रुप
24	25.04.2021	5498.00	कमाल ब्रिक इण्डस्ट्रीज
25	25.04.2020	6517.00	कमाल ब्रिक इण्डस्ट्रीज

योग- 689132.00

प्रस्तर-103 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रु0 52000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नन्ही देवी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खेतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है

जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती नन्ही देवी व सचिव श्री पवन सागर से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	30.06.2020	14000.00	श्रीमती नन्ही देवी
02	08.10.2020	21000.00	श्रीमती नन्ही देवी
03	24.12.2020	10000.00	श्रीमती नन्ही देवी
04	24.12.2020	7000.00	श्रीमती नन्ही देवी

योग- 52000.00

प्रस्तर-104 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु० 170505.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नन्ही देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री पवन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	08.04.2020	5000.00	श्री प्रदीप कुमार
02	09.06.2020	5000.00	श्री प्रदीप कुमार
03	11.09.2020	3000.00	श्री प्रदीप कुमार
04	08.10.2020	550.00	श्री प्रदीप कुमार
05	15.10.2020	5000.00	श्री प्रदीप कुमार
06	03.11.2020	4980.00	श्री प्रदीप कुमार
07	17.12.2020	1500.00	श्री प्रदीप कुमार
08	25.04.2020	5760.00	श्री हरप्रसाद
09	08.10.2020	9600.00	श्री हरप्रसाद
10	17.12.2020	7670.00	श्री हरप्रसाद
11	11.09.2020	9600.00	श्री सलीम
12	08.10.2020	9600.00	श्री सलीम अहमद
13	17.12.2020	12480.00	श्री सलीम अहमद
14	24.12.2020	7670.00	श्री सलीम अहमद
15	25.04.2020	8555.00	श्री सोमपाल
16	25.04.2020	3540.00	श्री सोमपाल
17	11.09.2020	9600.00	श्री सोमपाल
18	17.12.2020	7670.00	श्री सोमपाल
19	17.12.2020	6490.00	श्री राकेश कुमार
20	17.12.2020	12480.00	श्री अब्बास अली
21	24.12.2020	7670.00	श्री अब्बास अली
22	17.12.2020	7670.00	श्री गेंदन लाल
23	17.12.2020	7670.00	श्री आकाश गंगवार
24	21.11.2020	10250.00	श्री शिवानन्द
25	24.12.2020	1500.00	श्री बृजमोहन

योग- 170505.00

प्रस्तर-105 दिनांक 24.10.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के बत एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नन्ही देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री पवन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

28-ग्राम पंचायत- परम

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-106 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से ईट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (₹0 1553265.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जयवीर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री सब्बान अली से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	27.07.2020	73080.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
02	27.07.2020	73000.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
03	27.07.2020	36480.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
04	27.07.2020	19845.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
05	27.07.2020	21735.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
06	27.07.2020	24500.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
07	27.07.2020	25500.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
08	27.07.2020	36686.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
09	15.08.2020	27051.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
10	19.08.2020	35600.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
11	19.08.2020	19643.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
12	19.08.2020	10350.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
13	22.09.2020	51004.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
14	22.09.2021	57360.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
15	19.10.2020	23105.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
16	19.10.2020	13249.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
17	19.10.2020	6855.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
18	19.10.2020	21918.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
19	23.10.2020	8849.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
20	08.11.2020	74598.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
21	08.11.2020	60890.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
22	04.12.2020	10920.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
23	04.12.2020	5460.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
24	05.12.2021	73184.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
25	05.12.2020	30956.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज

26	15.12.2020	19840.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
27	15.12.2020	36288.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
28	15.12.2020	33927.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
29	15.12.2020	7948.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
30	15.12.2020	17801.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
31	17.12.2020	45822.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
32	18.12.2020	13478.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
33	24.12.2020	35000.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
34	24.12.2020	42702.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
35	24.12.2020	10713.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
36	24.12.2020	18928.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
37	06.11.2021	80000.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
38	17.12.2020	100000.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
39	17.12.2020	100000.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज
40	24.12.2020	149000.00	ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज

योग- 1553265.00

प्रस्तर-107 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से ईट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 2358408.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जयवीर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री सब्बान अली से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.12.2020	30438.00	शिखर इण्टरप्राईजेज
02	12.10.2020	31608.00	शिखर इण्टरप्राईजेज
03	15.08.2020	32932.00	गाँधी ब्रिक फिल्ड
04	19.08.2020	63673.00	गाँधी ब्रिक फिल्ड
05	14.09.2020	58275.00	गाँधी ब्रिक फिल्ड
06	24.12.2020	17603.00	गाँधी ब्रिक फिल्ड
07	24.12.2020	4549.00	गाँधी ब्रिक फिल्ड
08	04.12.2020	29400.00	गाँधी ब्रिक फिल्ड
09	04.12.2020	17430.00	गाँधी ब्रिक फिल्ड
10	18.12.2020	21678.00	गाँधी ब्रिक फिल्ड
11	15.08.2020	25038.00	राजू एंड कम्पनी
12	12.10.2020	19824.00	राजू एंड कम्पनी
13	19.10.2020	37209.00	राजू एंड कम्पनी
14	23.10.2021	10053.00	राजू एंड कम्पनी
15	04.12.2020	18139.00	राजू एंड कम्पनी
16	18.12.2020	25149.00	राजू एंड कम्पनी
17	24.12.2020	64089.00	राजू एंड कम्पनी

18	24.12.2020	48991.00	राजू एंड कम्पनी
19	06.12.2020	11611.00	मालादेवी ट्रेडर्स
20	06.12.2020	16638.00	मालादेवी ट्रेडर्स
21	24.12.2020	6490.00	मालादेवी ट्रेडर्स
22	24.12.2020	17582.00	मालादेवी ट्रेडर्स
23	08.08.2020	3050.00	तयलोस फार्मास्युटिकल्स
24	12.10.2021	59262.00	देव ट्रेडर्स
25	19.10.2020	75249.00	देव ट्रेडर्स
26	15.12.2020	8120.00	देव ट्रेडर्स
27	15.08.2020	15557.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
28	19.08.2020	81680.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
29	19.08.2020	11848.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
30	14.09.2020	49695.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
31	22.09.2020	4956.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
32	22.09.2020	5393.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
33	15.10.2020	47058.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
34	23.11.2020	20895.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
35	15.12.2020	34674.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
36	15.12.2020	69238.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
37	15.12.2020	29220.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
38	15.12.2020	23264.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
39	15.12.2020	52527.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
40	24.12.2020	25835.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
41	24.12.2020	75432.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
42	15.08.2020	30240.00	खलील ब्रिक फिल्ड
43	19.10.2020	8974.00	खलील ब्रिक फिल्ड
44	23.11.2020	31353.00	खलील ब्रिक फिल्ड
45	23.11.2020	24000.00	खलील ब्रिक फिल्ड
46	15.08.2020	20538.00	नेहा सीमेन्ट स्टोर
47	19.08.2020	16142.00	नेहा सीमेन्ट स्टोर
48	23.11.2020	10713.00	नेहा सीमेन्ट स्टोर
49	24.12.2020	9200.00	नेहा सीमेन्ट स्टोर
50	15.08.2020	49570.00	श्रीराम ब्रिक वर्क्स
51	19.08.2020	17287.00	श्रीराम ब्रिक वर्क्स
52	22.09.2020	54642.00	श्रीराम ब्रिक वर्क्स
53	26.05.2020	4820.00	सेंटर
54	15.08.2021	6640.00	सेंटर
55	15.12.2020	13014.00	इंडस्ट्री
56	15.12.2020	9369.00	इंडस्ट्री
57	15.12.2020	2609.00	इंडस्ट्री
58	15.12.2020	13558.00	इंडस्ट्री
59	17.12.2020	54380.00	शक्ति इण्टरप्राईजेज
60	31.05.2020	140030.00	सईद अहमद कांटेक्टर
61	31.05.2020	35860.00	सईद अहमद कांटेक्टर
62	19.08.2020	35690.00	सईद अहमद कांटेक्टर
63	19.08.2020	35880.00	सईद अहमद कांटेक्टर
64	19.08.2020	35900.00	सईद अहमद कांटेक्टर

65	19.08.2020	35500.00	सईद अहमद कांटेक्टर
66	21.10.2020	58010.00	सईद अहमद कांटेक्टर
67	19.08.2020	30565.00	ओम कांटेक्टर
68	19.08.2020	8848.00	ओम कांटेक्टर
69	26.06.2020	24800.00	ट्रान्सफर अज्ञात
70	26.06.2020	24800.00	ट्रान्सफर अज्ञात
71	26.06.2020	65104.00	ट्रान्सफर अज्ञात
72	30.06.2020	45360.00	इण्डिया ब्रिक फिल्ड
73	30.06.2020	45360.00	गाँधी ब्रिक फिल्ड
74	07.07.2020	10000.00	गंगवार बिल्डिंग मटेरियल
75	06.10.2020	48300.00	भगवती सीमेन्ट स्टोर

योग- 2358408.00

प्रस्तर-108 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रू0 78797.00 ग्राम प्रधान श्री जयवीर द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री जयवीर व सचिव श्री सब्बान अली से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	21.07.2020	4900.00	श्री जयवीर
02	02.08.2020	28000.00	श्री जयवीर
03	07.09.2020	17500.00	श्री जयवीर
04	15.12.2020	7932.00	श्री जयवीर
05	15.12.2020	7249.00	श्री जयवीर
06	15.12.2020	7310.00	श्री जयवीर
07	15.12.2020	3496.00	श्री जयवीर
08	24.12.2020	2410.00	श्री जयवीर

योग- 78797.00

प्रस्तर-109 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 971846.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जयवीर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री सब्बान अली से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.07.2020	4900.00	श्री भूरा
02	29.10.2020	70000.00	श्री नासिर अली

03	27.07.2020	3500.00	श्री प्रदीप कुमार
04	02.08.2020	1180.00	श्री प्रदीप कुमार
05	15.08.2020	1000.00	श्री प्रदीप कुमार
06	19.08.2020	5400.00	श्री प्रदीप कुमार
07	19.08.2020	1475.00	श्री प्रदीप कुमार
08	26.08.2020	12500.00	श्री प्रदीप कुमार
09	26.08.2020	12700.00	श्री प्रदीप कुमार
10	14.09.2020	1000.00	श्री प्रदीप कुमार
11	19.10.2020	2360.00	श्री प्रदीप कुमार
12	21.10.2020	538.00	श्री प्रदीप कुमार
13	23.11.2020	2000.00	श्री प्रदीप कुमार
14	04.12.2020	1000.00	श्री प्रदीप कुमार
15	15.12.2020	1180.00	श्री प्रदीप कुमार
16	15.12.2020	2980.00	श्री प्रदीप कुमार
17	24.12.2020	5000.00	श्री प्रदीप कुमार
18	04.12.2020	5015.00	श्री इकबाल
19	24.12.2020	3360.00	श्री इकबाल
20	27.07.2020	5000.00	श्री जितेन्द्र कुमार
21	15.08.2020	7500.00	श्री जितेन्द्र कुमार
22	15.08.2020	9145.00	श्री जितेन्द्र कुमार
23	19.08.2020	9440.00	श्री जितेन्द्र कुमार
24	19.08.2020	5015.00	श्री जितेन्द्र कुमार
25	19.10.2020	4720.00	श्री जितेन्द्र कुमार
26	27.10.2020	6490.00	श्री जितेन्द्र कुमार
27	23.11.2020	3540.00	श्री जितेन्द्र कुमार
28	04.12.2020	4720.00	श्री जितेन्द्र कुमार
29	04.12.2020	5015.00	श्री जितेन्द्र कुमार
30	15.12.2020	6195.00	श्री जितेन्द्र कुमार
31	15.12.2020	4160.00	श्री जितेन्द्र कुमार
32	15.12.2020	7080.00	श्री जितेन्द्र कुमार ट्रेडर्स
33	18.12.2020	12685.00	श्री जितेन्द्र कुमार
34	24.12.2020	6490.00	श्री जितेन्द्र कुमार
35	27.07.2020	5015.00	श्री जागन लाल
36	27.07.2020	5015.00	श्री जागन लाल
37	15.08.2020	6240.00	श्री जागन लाल
38	15.08.2020	2600.00	श्री जागन लाल
39	19.08.2020	8160.00	श्री जागन लाल
40	19.08.2020	5310.00	श्री जागन लाल
41	19.08.2020	1475.00	श्री जागन लाल
42	07.09.2020	8500.00	श्री जागन लाल
43	19.10.2020	5015.00	श्री जागन लाल
44	19.10.2020	8850.00	श्री जागन लाल
45	27.10.2020	6785.00	श्री जागन लाल
46	28.10.2020	5000.00	श्री जागन लाल
47	29.09.2020	10030.00	श्री जागन लाल
48	06.11.2020	2000.00	श्री जागन लाल
49	04.12.2020	1685.00	श्री जागन लाल

50	04.12.2020	8160.00	श्री जागन लाल
51	15.12.2020	10080.00	श्री जागन लाल
52	15.12.2020	4560.00	श्री जागन लाल
53	18.12.2020	10560.00	श्री जागन लाल
54	24.12.2020	9600.00	श्री जागन लाल
55	24.12.2020	7200.00	श्री जागन लाल
56	15.08.2020	4080.00	श्री दान सिंह
57	15.08.2020	960.00	श्री दान सिंह
58	14.09.2020	9600.00	श्री दान सिंह
59	22.09.2020	14400.00	श्री दान सिंह
60	19.10.2020	11520.00	श्री दान सिंह
61	27.10.2020	6785.00	श्री दान सिंह
62	04.12.2020	8160.00	श्री दान सिंह
63	15.12.2020	11520.00	श्री दान सिंह
64	15.12.2020	8160.00	श्री दान सिंह
65	15.12.2020	9120.00	श्री दान सिंह
66	15.12.2020	8160.00	श्री दान सिंह
67	24.12.2020	3618.00	श्री दान सिंह
68	24.12.2020	2316.00	श्री दान सिंह
69	15.08.2020	5015.00	श्री विजेन्द्रपाल
70	15.08.2020	6440.00	श्री विजेन्द्रपाल
71	15.08.2020	5760.00	श्री विजेन्द्रपाल
72	19.08.2020	8160.00	श्री विजेन्द्रपाल
73	14.09.2020	9600.00	श्री विजेन्द्रपाल
74	22.09.2020	2936.00	श्री विजेन्द्रपाल
75	18.10.2020	5015.00	श्री विजेन्द्रपाल
76	19.10.2020	8850.00	श्री विजेन्द्रपाल
77	27.10.2020	8640.00	श्री विजेन्द्रपाल
78	27.10.2020	6785.00	श्री विजेन्द्रपाल
79	23.11.2020	4800.00	श्री विजेन्द्रपाल
80	04.12.2020	5015.00	श्री विजेन्द्रपाल
81	04.12.2020	5015.00	श्री विजेन्द्रपाल
82	15.12.2020	10030.00	श्री विजेन्द्रपाल
83	15.12.2020	10030.00	श्री विजेन्द्रपाल
84	15.12.2020	7080.00	श्री विजेन्द्रपाल
85	18.12.2020	5280.00	श्री विजेन्द्रपाल
86	24.12.2020	10030.00	श्री विजेन्द्रपाल
87	24.12.2020	12480.00	श्री विजेन्द्रपाल
88	24.12.2020	8260.00	श्री विजेन्द्रपाल
89	24.12.2020	9600.00	श्री विजेन्द्रपाल
90	26.05.2020	6790.00	श्री डालचन्द
91	04.12.2020	5015.00	श्री डालचन्द
92	24.12.2020	15635.00	श्री डालचन्द
93	24.12.2020	9735.00	श्री डालचन्द
94	14.09.2020	9600.00	श्री लाला राम
95	22.09.2020	14400.00	श्री लाला राम
96	27.05.2020	7650.00	श्री रामबहादुर

97	15.08.2020	2070.00	श्री रामबहादुर
98	15.08.2020	6490.00	श्री रामबहादुर
99	19.08.2020	7375.00	श्री रामबहादुर
100	22.09.2020	5900.00	श्री रामबहादुर
101	19.10.2020	9600.00	श्री रामबहादुर
102	15.08.2020	6440.00	श्री हरनाम सिंह
103	15.08.2020	5760.00	श्री हरनाम सिंह
104	19.08.2020	7375.00	श्री हरनाम सिंह
105	27.10.2020	6785.00	श्री हरनाम सिंह
106	18.12.2020	7616.00	श्री हरनाम सिंह
107	15.08.2020	6490.00	श्री संत कुमार
108	19.10.2020	8850.00	श्री संत कुमार
109	26.05.2020	8850.00	श्री सुनील कुमार
110	27.05.2020	1255.00	श्री सुनील कुमार
111	15.08.2020	1440.00	श्री सुनील कुमार
112	19.10.2020	2950.00	श्री सुनील कुमार
113	26.05.2020	4350.00	श्रीमती परवीन
114	15.08.2020	6200.00	श्रीमती परवीन
115	19.10.2020	9600.00	श्री हरनाम सिंह
116	27.10.2020	6785.00	श्री हरनाम सिंह
117	15.12.2020	10030.00	श्री हरनाम सिंह
118	15.12.2020	7882.00	श्री हरनाम सिंह
119	15.12.2020	12480.00	श्री हरनाम सिंह
120	15.12.2020	5900.00	श्री नवाब अली
121	19.12.2020	13570.00	श्री संजीव
122	27.05.2020	7650.00	श्री तस्लीम
123	22.09.2020	5900.00	श्री तस्लीम
124	22.09.2021	5900.00	श्री कमालजीत
125	22.09.2020	7080.00	श्री फारूख अहमद
126	24.12.2020	4800.00	श्री राजवंत
127	27.05.2020	7650.00	श्री देवेश कुमार
128	24.12.2020	10080.00	श्री देवेश कुमार
129	24.12.2020	12000.00	श्री देवेश कुमार
130	24.12.2020	8850.00	श्री रामपाल
131	24.12.2020	1950.00	श्री आदर्श कुमार
132	26.05.2020	3200.00	श्री दिनेश सैनी
133	27.05.2020	2250.00	श्री दिनेश सैनी
134	26.05.2020	6275.00	श्री अर्विन्द
135	27.05.2020	7650.00	श्री भानूप्रताप
136	27.05.2020	10200.00	श्री अंकुश
137	27.05.2020	10200.00	श्री हरीश

योग- **971846.00**

प्रस्तर-110 दिनांक 09.10.2020 को ग्राम पंचायत से रु0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बर-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के बत एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के

खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जयवीर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री सब्बान अली से किया जाना अपेक्षित है।

29-ग्राम पंचायत- अकौंदा

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-111 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 1719605.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के **जीएसटी** में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की **जीएसटी** विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 **जीएसटी** विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गंगाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कमल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.05.2020	5000.00	एस0 के0 ट्रेडर्स
02	15.06.2020	15000.00	एस0 के0 ट्रेडर्स
03	04.07.2020	25000.00	एस0 के0 ट्रेडर्स
04	01.07.2020	8720.00	भुल्लन शाह बाबा ब्रिक वर्क्स
05	01.07.2020	8200.00	भुल्लन शाह बाबा ब्रिक वर्क्स
06	11.07.2020	100000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
07	20.05.2020	50000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
08	03.06.2020	140000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
09	04.06.2020	103680.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
10	04.06.2020	150000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
11	07.06.2020	50000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
12	12.06.2020	40000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
13	30.06.2020	13640.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
14	01.07.2020	1880.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
15	03.07.2020	62475.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
16	28.11.2020	17500.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
17	29.11.2020	22500.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
18	05.12.2020	100000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
19	05.12.2020	60480.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
20	14.12.2020	100000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
21	14.12.2020	60480.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
22	04.06.2020	75000.00	न्यू भारत ब्रिक वर्क्स
23	05.06.2020	25000.00	न्यू भारत ब्रिक वर्क्स
24	07.06.2020	40000.00	न्यू भारत ब्रिक वर्क्स
25	15.06.2020	75000.00	न्यू भारत ब्रिक वर्क्स
26	29.11.2020	19600.00	न्यू भारत ब्रिक वर्क्स
27	05.12.2020	12000.00	न्यू भारत ब्रिक वर्क्स
28	21.10.2020	20000.00	हिंदुस्तान सैनेट्री हाउस
29	05.12.2020	10500.00	हिंदुस्तान सैनेट्री हाउस

30	25.11.2020	6720.00	शाह टाइम्स
31	26.04.2020	5000.00	बालाजी ट्रेडर्स
32	26.09.2020	50000.00	खालसा सीमेन्ट स्टोर एंड ट्रेडिंग कम्पनी
33	31.08.2020	2000.00	कुमार इन्फोटेक
34	11.11.2020	10230.00	जी0 ए0 ट्रेडर्स
35	12.06.2020	20000.00	गोयल ट्रेडर्स
36	31.05.2020	45000.00	कमल इलेक्ट्रिकल कम्पनी
37	30.06.2021	155000.00	कमल इलेक्ट्रिकल कम्पनी

योग- 1719605.00

प्रस्तर-112 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रु0 90670.00 ग्राम प्रधान श्री गंगाराम द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री गंगाराम व सचिव श्री कमल सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	28.06.2020	10500.00	श्री गंगाराम
02	10.09.2020	14000.00	श्री गंगाराम
03	28.09.2020	7000.00	श्री गंगाराम
04	28.09.2020	7000.00	श्री गंगाराम
05	11.11.2020	10200.00	श्री गंगाराम
06	11.11.2020	9800.00	श्री गंगाराम
07	27.11.2020	7670.00	श्री गंगाराम
08	05.12.2020	12000.00	श्री गंगाराम
09	14.12.2020	12500.00	श्री गंगाराम

योग- 90670.00

प्रस्तर-113 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 497824.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गंगाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कमल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.05.2020	11320.00	श्री मोहित कुमार
02	04.06.2020	5000.00	श्री मोहित कुमार
03	26.06.2020	8000.00	श्री मोहित कुमार

04	26.06.2020	5900.00	श्री अनुज
05	30.06.2020	20278.00	श्री अनुज
06	30.06.2020	5900.00	श्री अनुज
07	01.07.2020	7080.00	श्री अनुज
08	03.07.2020	7080.00	श्री अनुज
09	27.11.2020	1440.00	श्री अनुज
10	05.12.2020	12000.00	श्री अनुज
11	25.12.2020	6195.00	श्री अनुज
12	01.07.2020	7080.00	श्री मनोज कुमार
13	03.06.2020	5000.00	श्री मनोज कुमार
14	26.06.2021	5900.00	श्री मनोज कुमार
15	30.06.2020	5900.00	श्री मनोज कुमार
16	03.07.2020	7080.00	श्री मनोज कुमार
17	05.12.2020	12000.00	श्री मनोज कुमार
18	25.12.2020	10080.00	श्री मनोज कुमार
19	01.07.2020	7080.00	श्री छोटेलाल
20	01.07.2020	2950.00	श्री छोटेलाल
21	03.07.2020	7080.00	श्री छोटेलाल
22	17.06.2020	11840.00	श्री गुरद्वीप सिंह
23	01.07.2020	3520.00	श्री गुरद्वीप सिंह
24	03.06.2021	4800.00	श्री इल्यास
25	17.06.2020	10080.00	श्री इल्यास
26	03.06.2020	2950.00	श्री राशिद अली
27	17.06.2020	7080.00	श्री राशिद अली
28	03.06.2020	2950.00	श्री शाजिद अली
29	03.06.2020	2950.00	श्री इकरार हुसैन
30	17.06.2020	7080.00	श्री इकरार हुसैन
31	03.06.2020	2950.00	श्री नदीम अहमद
32	05.06.2020	10080.00	श्री बब्लू
33	10.06.2020	10080.00	श्री बब्लू
34	30.06.2020	4800.00	श्री बब्लू
35	03.07.2020	5000.00	श्री बब्लू
36	21.05.2020	4800.00	श्री वीर सिंह
37	15.06.2020	4800.00	श्री वीर सिंह
38	12.07.2020	4800.00	श्री वीर सिंह
39	06.09.2020	2701.00	श्री वीर सिंह
40	13.10.2020	4800.00	श्री वीर सिंह
41	04.11.2020	4800.00	श्री वीर सिंह
42	15.06.2020	4800.00	श्री बादाम सिंह
43	06.09.2020	2065.00	श्री बादाम सिंह
44	13.10.2020	2950.00	श्री बादाम सिंह
45	04.11.2020	2950.00	श्री बादाम सिंह
46	15.06.2020	2950.00	श्री जीराज सागर
47	06.09.2020	2065.00	श्री जीराज सागर
48	13.10.2020	2950.00	श्री जीराज सागर
49	04.11.2020	2950.00	श्री जीराज सागर
50	05.06.2020	10080.00	श्री जतिन कुमार

51	05.06.2020	10080.00	श्री जतिन कुमार
52	26.06.2020	10080.00	श्री जतिन कुमार
53	30.06.2020	9120.00	श्री जतिन कुमार
54	31.05.2020	4800.00	श्री शारिक
55	05.06.2020	10080.00	श्री शारिक
56	10.06.2020	10080.00	श्री शारिक
57	06.10.2020	7200.00	श्री फिरासत
58	05.12.2020	7080.00	श्री फिरासत
59	25.12.2020	10080.00	श्री फिरासत
60	11.11.2020	4425.00	श्री गुलाम मौ0
61	27.11.2020	7670.00	श्री गुलाम मौ0
62	05.12.2020	7080.00	श्री गुलाम मौ0
63	25.12.2020	6195.00	श्री गुलाम मौ0
64	11.11.2020	4425.00	श्री समीम
65	27.11.2020	7670.00	श्री समीम
66	05.12.2020	7080.00	श्री समीम
67	06.09.2020	2950.00	श्री राजवीर सिंह
68	15.06.2020	2950.00	श्री राम औतार
69	06.09.2020	2065.00	श्री राम औतार
70	06.10.2020	7200.00	श्री अहमद अली
71	15.06.2020	5000.00	श्री सोमपाल
72	21.05.2020	6000.00	श्री रवि कुमार
73	26.06.2020	10000.00	श्री रवि कुमार
74	25.04.2020	1000.00	श्री आदर्श कुमार
75	25.04.2020	3500.00	श्री कृष्णा
76	29.04.2020	4000.00	श्री कृष्णा
77	28.10.2020	10100.00	श्री कृष्णा
78	26.06.2020	2950.00	श्री राजीव कुमार
79	28.09.2020	10000.00	श्री राम बाबू गुप्ता

योग- 497824.00

प्रस्तर-114 दिनांक 25.10.2020 को ग्राम पंचायत से रु0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के बल एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गंगाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री कमल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

30-ग्राम पंचायत- गंगापुर कदीम

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-115 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से ईट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 810190.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त

एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मोबिना बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री पवन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	05.05.2020	25200.00	ए० आई० इण्टरप्राईजेज
02	25.07.2020	9236.00	ए० आई० इण्टरप्राईजेज
03	25.07.2020	12871.00	ए० आई० इण्टरप्राईजेज
04	25.07.2020	28334.00	ए० आई० इण्टरप्राईजेज
05	25.07.2020	7165.00	ए० आई० इण्टरप्राईजेज
06	12.11.2020	14946.00	ए० आई० इण्टरप्राईजेज
07	12.11.2020	18396.00	ए० आई० इण्टरप्राईजेज
08	30.11.2020	79471.00	ए० आई० इण्टरप्राईजेज
09	30.11.2020	20044.00	ए० आई० इण्टरप्राईजेज
10	02.12.2020	44751.00	ए० आई० इण्टरप्राईजेज
11	07.12.2020	18371.00	ए० आई० इण्टरप्राईजेज
12	07.12.2020	10000.00	शानू पंट एंड पेस्टीसाइट
स्टोर			
13	12.11.2020	75720.00	अनु टाइल्स स्टोर
14	12.11.2020	70250.00	अनु टाइल्स स्टोर
15	07.12.2020	83933.00	अनु टाइल्स स्टोर
16	26.06.2020	48360.00	बिर्क सुवमरसेवल्स
17	07.12.2020	9500.00	बिर्क सुवमरसेवल्स
18	07.12.2020	9500.00	बिर्क सुवमरसेवल्स
19	07.12.2020	37000.00	बिर्क सुवमरसेवल्स
20	07.12.2020	10500.00	बिर्क सुवमरसेवल्स
21	24.09.2020	20000.00	सईद अहमद कांटेक्टर
22	25.07.2020	34706.00	राम सीमेन्ट स्टोर
23	25.07.2020	332.00	काबुल ब्रिक इण्डस्ट्रीज
24	25.07.2020	553.00	काबुल ब्रिक इण्डस्ट्रीज
25	26.06.2020	20200.00	सैफी ट्रेडर्स
26	30.11.2020	80115.00	ताज ईट उद्योग
27	17.06.2020	20736.00	प्रिया इण्टरप्राईजेज

योग- 810190.00

प्रस्तर-116 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रू० 35000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती मोबिना बेगम द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती मोबिना व सचिव श्री पवन सागर से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	26.06.2020	7000.00	श्रीमती मोबीना बेगम
02	12.11.2020	24500.00	श्रीमती मोबीना बेगम
03	02.12.2020	3500.00	श्रीमती मोबीना बेगम

योग- 35000.00

प्रस्तर-117 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु० 291590.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंको में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती मोबिना व सचिव श्री पवन सागर से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	25.07.2020	442500	श्री पूरनलाल
02	25.07.2020	1920.00	श्री पूरनलाल
03	25.07.2020	1580.00	श्री पूरनलाल
04	25.07.2020	1184.00	श्री पूरनलाल
05	25.07.2020	3835.00	श्री पूरनलाल
06	30.11.2020	7200.00	श्री पूरनलाल
07	02.12.2020	1242.00	श्री पूरनलाल
08	07.12.2020	9600.00	श्री पूरनलाल
09	12.12.2020	40113.00	श्री पूरनलाल
10	24.04.2020	5000.00	श्री प्रदीप कुमार
11	17.06.2020	2000.00	श्री प्रदीप कुमार
12	18.10.2020	10300.00	श्री प्रदीप कुमार
13	03.11.2020	4980.00	श्री प्रदीप कुमार
14	02.12.2020	2260.00	श्री प्रदीप कुमार
15	07.12.2020	2000.00	श्री प्रदीप कुमार
16	07.12.2020	5310.00	श्री प्रदीप कुमार
17	12.12.2020	8555.00	श्री प्रदीप कुमार
18	07.12.2020	5900.00	श्री महन्दी हसन
19	12.12.2020	8555.00	श्री महन्दी हसन
20	07.12.2020	9600.00	श्री मिन्हाज अहमद
21	12.12.2020	8555.00	श्री मिन्हाज अहमद
22	25.07.2020	2880.00	श्री शानू
23	25.07.2020	1440.00	श्री शानू
24	25.07.2020	1121.00	श्री शानू
25	25.07.2020	5015.00	श्री शानू
26	07.12.2020	9600.00	श्री शानू
27	12.12.2020	8555.00	श्री शानू
28	25.07.2020	4500.00	श्री इकरामुद्दीन
29	30.11.2020	7200.00	श्री इकरामुद्दीन
30	07.12.2020	5900.00	श्री इकरामुद्दीन
31	12.12.2020	8555.00	श्री इकरामुद्दीन
32	30.11.2020	7200.00	श्री इन्तेजार

33	07.12.2020	5900.00	श्री इन्तेजार
34	12.12.2020	2360.00	श्री इन्तेजार
35	24.12.2020	40000.00	श्री इन्तेजार
36	21.11.2020	10250.00	श्री शिवानन्द
37	24.12.2020	20000.00	श्री बृजमोहन
38	24.12.2020	7000.00	श्री बृजमोहन

योग- 291590.00

प्रस्तर-118 दिनांक 24.10.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के बत एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मोबिना वेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री पवन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

31-ग्राम पंचायत- जनुनगर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-119 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से ईट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (₹0 1318168.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ति देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री पवन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	28.11.2020	21800.00	अनूप ट्रेडर्स
02	04.12.2020	36189.00	अनूप ट्रेडर्स
03	04.12.2020	35059.00	अनूप ट्रेडर्स
04	17.06.2020	57960.00	गुप्ता ब्रिक इण्डस्ट्रीज
05	17.06.2020	61740.00	गुप्ता ब्रिक इण्डस्ट्रीज
06	17.06.2020	54545.00	गुप्ता ब्रिक इण्डस्ट्रीज
07	17.06.2020	29925.00	गुप्ता ब्रिक इण्डस्ट्रीज
08	19.08.2020	91727.00	गुप्ता ब्रिक इण्डस्ट्रीज
09	19.08.2020	5975.00	गुप्ता ब्रिक इण्डस्ट्रीज
10	06.10.2020	58275.00	गुप्ता ब्रिक इण्डस्ट्रीज
11	22.10.2020	10151.00	गुप्ता ब्रिक
इण्डस्ट्रीज			
12	22.10.2020	21840.00	गुप्ता ब्रिक इण्डस्ट्रीज
13	17.06.2020	86966.00	एस0 वी0 एम0 ट्रेडर्स
14	17.06.2020	26535.00	एस0 वी0 एम0 ट्रेडर्स
15	19.08.2020	11097.00	एस0 वी0 एम0 ट्रेडर्स

16	06.10.2020	49695.00	एस0 वी0 एम0 ट्रेडर्स
17	22.10.2020	7846.00	एस0 वी0 एम0 ट्रेडर्स
18	22.10.2020	21931.00	एस0 वी0 एम0 ट्रेडर्स
19	23.10.2020	21258.00	एस0 वी0 एम0 ट्रेडर्स
20	28.11.2020	38228.00	एस0 वी0 एम0 ट्रेडर्स
21	28.11.2020	13930.00	एस0 वी0 एम0 ट्रेडर्स
22	24.12.2020	82215.00	एस0 वी0 एम0 ट्रेडर्स
23	06.10.2020	17412.00	साजिम एग्रीकल्चर वर्कस
24	28.11.2020	8000.00	साजिम एग्रीकल्चर वर्कस
25	19.08.2020	70214.00	ए0 आई0 इण्टर प्राईजेज
26	06.10.2020	14868.00	ए0 आई0 इण्टर प्राईजेज
27	22.10.2020	9676.00	ए0 आई0 इण्टर प्राईजेज
28	28.11.2020	13185.00	ए0 आई0 इण्टर प्राईजेज
29	30.11.2020	68341.00	सईद अहमद कांटेक्टर
30	30.11.2020	61824.00	सईद अहमद कांटेक्टर
31	17.06.2020	44672.00	प्रिया इण्टरप्राईजेज
32	02.04.2020	7000.00	सूर्याश कंस ट्रेक्शन
33	24.12.2020	98216.00	कौशिक सीमेंट स्टोर
34	28.11.2020	31093.00	अनु टाईल्स स्टोर
35	28.11.2020	28780.00	अनु टाईल्स स्टोर

योग- 1318168.00

प्रस्तर-120 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रू0 69500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ती देवी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ती देवी व सचिव श्री पवन सागर से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	24.04.2020	35000.00	श्रीमती कान्ती देवी
02	28.11.2020	24500.00	श्रीमती कान्ती देवी
03	28.11.2020	10000.00	श्रीमती कान्ती देवी

योग- 69500.00

प्रस्तर-121 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रू0 299480.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा

अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ति देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री पवन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	17.06.2020	2000.00	श्री प्रदीप कुमार
02	06.10.2020	2000.00	श्री प्रदीप कुमार
03	11.10.2020	1000.00	श्री प्रदीप कुमार
04	11.10.2020	5000.00	श्री प्रदीप कुमार
05	04.11.2020	5200.00	श्री प्रदीप कुमार
06	28.11.2020	1500.00	श्री प्रदीप कुमार
07	24.12.2020	8085.00	श्री प्रदीप कुमार
08	24.12.2020	10000.00	श्री प्रदीप कुमार
09	24.12.2020	4500.00	श्री प्रदीप कुमार
10	06.10.2020	7200.00	श्री विक्की
11	11.10.2020	11520.00	श्री विक्की
12	11.10.2020	19760.00	श्री विक्की
13	22.10.2020	7670.00	श्री विक्की
14	22.10.2020	7200.00	श्री विक्की
15	28.11.2020	5760.00	श्री विक्की
16	28.11.2020	5760.00	श्री विक्की
17	06.10.2020	7200.00	श्री चन्द्रपाल सिंह
18	11.10.2020	19760.00	श्री चन्द्रपाल सिंह
19	22.10.2020	2065.00	श्री चन्द्रपाल सिंह
20	28.11.2020	3540.00	श्री चन्द्रपाल सिंह
21	28.11.2020	3540.00	श्री चन्द्रपाल सिंह
22	06.10.2020	7200.00	श्री मुकेश कुमार
23	11.10.2020	12160.00	श्री मुकेश कुमार
24	22.10.2020	11520.00	श्री मुकेश कुमार
25	22.10.2020	7200.00	श्री मुकेश कुमार
26	28.11.2020	3540.00	श्री मुकेश कुमार
27	28.11.2020	3540.00	श्री मुकेश कुमार
28	11.10.2020	7670.00	श्री फरियाद
29	11.10.2020	15340.00	श्री फरियाद
30	11.10.2020	7670.00	श्री जितेन्द्र कुमार
31	11.10.2020	15340.00	श्री जितेन्द्र कुमार
32	28.11.2020	3540.00	श्री जितेन्द्र कुमार
33	28.11.2020	2360.00	श्री जितेन्द्र कुमार
34	11.10.2020	2655.00	श्री मौ० इस्लाम
35	11.10.2020	15340.00	श्री मौ० इस्लाम
36	02.04.2020	5000.00	श्री नाजिम शाह
37	02.04.2020	5000.00	श्री नावेद अली
38	11.10.2020	15340.00	श्री जमील अहमद
39	11.10.2020	8555.00	श्री दिनेश कुमार
40	21.11.2020	10250.00	श्री शिवानन्द

योग- 299480.00

प्रस्तर-122 दिनांक 24.10.2020 को ग्राम पंचायत से रु० 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के

दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ति देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री पवन सागर से किया जाना अपेक्षित है।

32-ग्राम पंचायत- पीपलसाना

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-123 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से ईट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 498029.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश रानी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री विनोद कुमार सक्सेना से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	28.04.2020	10500.00	नेहा सीमेंट स्टोर
02	01.06.2020	11600.00	नेहा सीमेंट स्टोर
03	12.06.2020	14600.00	नेहा सीमेंट स्टोर
04	15.08.2020	5400.00	नेहा सीमेंट स्टोर
05	15.07.2020	17000.00	सूर्याश कंसट्रक्शन कम्पनी
06	01.09.2020	13680.00	सूर्याश कंसट्रक्शन कम्पनी
07	19.10.2020	54800.00	सूर्याश कंसट्रक्शन कम्पनी
08	06.11.2020	15000.00	सूर्याश कंसट्रक्शन कम्पनी
09	08.06.2020	10565.00	सय्यद अहमद कांटेक्टर
10	28.04.2020	81000.00	शिव सीमेंट स्टोर
11	12.06.2020	45000.00	शिव सीमेंट स्टोर
12	16.06.2020	32000.00	शिव सीमेंट स्टोर
13	16.06.2020	165000.00	मालादेवी ट्रेडर्स
14	16.10.2020	7700.00	गुरु ट्रेडर्स
15	27.10.2020	3785.00	हिंदुस्तान मिडिया
16	19.10.2020	10399.00	खालसा सीमेंट स्टोर

योग- 498029.00

प्रस्तर-124 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रु0 31500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश रानी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क

तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश रानी व सचिव श्री विनोद कुमार सक्सेना से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.06.2020	7000.00	श्रीमती कमलेश रानी
02	15.08.2020	10500.00	श्रीमती कमलेश रानी
03	15.08.2020	3500.00	श्रीमती कमलेश रानी
04	03.11.2020	10500.00	श्रीमती कमलेश रानी

योग- 31500.00

प्रस्तर-125 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु० 202580.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंमें भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश रानी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री विनोद कुमार सक्सेना से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	28.04.2020	5900.00	श्री महावीर प्रसाद
02	29.04.2020	1000.00	श्री महावीर प्रसाद
03	01.06.2020	1800.00	श्री महावीर प्रसाद
04	01.06.2020	7200.00	श्री महावीर प्रसाद
05	08.06.2020	3000.00	श्री महावीर प्रसाद
06	12.06.2020	6000.00	श्री महावीर प्रसाद
07	15.08.2020	5500.00	श्री महावीर प्रसाद
08	19.10.2020	1590.00	श्री महावीर प्रसाद
09	03.12.2020	1900.00	श्री महावीर प्रसाद
10	28.04.2020	2000.00	श्री प्रमोद
11	01.06.2020	2000.00	श्री प्रमोद
12	12.06.2020	5300.00	श्री प्रमोद
13	22.07.2020	14000.00	श्री प्रमोद
14	10.11.2020	7500.00	श्री प्रमोद
15	19.11.2020	2700.00	श्री प्रमोद
16	12.01.2020	4900.00	श्री प्रमोद
17	01.06.2020	7200.00	श्री महेन्द्र सिंह
18	12.06.2020	12000.00	श्री महेन्द्र सिंह
19	16.06.2020	7670.00	श्री महेन्द्र सिंह
20	01.06.2020	5900.00	श्री कृष्णपाल
21	12.06.2020	12000.00	श्री कृष्णपाल
22	01.06.2020	5900.00	श्री हरिओम
23	12.06.2020	7375.00	श्री हरिओम
24	01.06.2020	8850.00	श्री मानसिंह
25	12.06.2020	7375.00	श्री मानसिंह
26	01.06.2020	7375.00	श्री धर्म सिंह

27	12.06.2020	7375.00	श्री धर्म सिंह
28	16.06.2020	11040.00	श्री लेखराज
29	16.06.2020	10560.00	श्री रामेश्वर
30	16.06.2020	12000.00	श्री अमित
31	16.06.2020	7670.00	श्री पिंटू

योग- 202580.00

33-ग्राम पंचायत- पशुपुरा

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-126 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से ईट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 1057160.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री करन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	05.07.2020	89470.00	रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
02	30.08.2020	50106.00	रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
03	20.09.2020	1758.00	रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
04	20.09.2020	2992.00	रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
05	12.10.2020	13650.00	रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
06	17.10.2020	32760.00	रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
07	01.12.2020	69720.00	रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
08	22.12.2020	29166.00	रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
09	17.10.2020	24192.00	लक्ष्मी बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
10	01.12.2020	89830.00	लक्ष्मी बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
11	18.12.2020	19000.00	लक्ष्मी बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
12	22.12.2020	42200.00	लक्ष्मी बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
13	22.12.2020	30574.00	लक्ष्मी बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
14	07.12.2021	15000.00	मालादेवी ट्रेडर्स
15	07.12.2020	45000.00	मालादेवी ट्रेडर्स
16	22.12.2020	11085.00	मालादेवी ट्रेडर्स
17	05.07.2020	65062.00	नैना सीमेन्ट स्टोर
18	30.08.2020	29879.00	नैना सीमेन्ट स्टोर
19	30.08.2020	63349.00	नैना सीमेन्ट स्टोर
20	20.09.2020	3895.00	नैना सीमेन्ट स्टोर
21	20.09.2020	5672.00	नैना सीमेन्ट स्टोर
22	01.12.2020	15500.00	नैना सीमेन्ट स्टोर
23	05.12.2020	9971.00	नैना सीमेन्ट स्टोर
24	05.07.2020	21173.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
25	30.08.2020	27224.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स

26	15.09.2020	6000.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
27	12.10.2020	10030.00	श्री सीताराम ट्रेडर्स
28	08.06.2020	20000.00	सईद अहमद कांटेटर
29	08.06.2020	11000.00	सईद अहमद कांटेटर
30	17.06.2020	18000.00	सईद अहमद कांटेटर
31	20.09.2020	53393.00	सईद अहमद कांटेटर
32	20.09.2020	59496.00	सईद अहमद कांटेटर
33	17.10.2020	14970.00	सईद अहमद कांटेटर
34	17.10.2020	5043.00	सईद अहमद कांटेटर
35	12.12.2020	35000.00	सईद अहमद कांटेटर
36	11.12.2020	6000.00	प्रिंस इण्टरप्राईजेज
37	12.12.2020	10000.00	प्रिंस इण्टरप्राईजेज

योग- 1057160.00

प्रस्तर-127 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रु0 56138.00 ग्राम प्रधान 8 करन सिंह द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री करन सिंह व सचिव दिनेश गौतम से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	05.07.2020	21000.00	श्री करन सिंह
02	30.08.2020	3138.00	श्री करन सिंह
03	15.09.2020	1000.00	श्री करन सिंह
04	25.09.2020	21000.00	श्री करन सिंह
05	05.12.2020	10000.00	श्री करन सिंह

योग- 56138.00

प्रस्तर-128 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 67160.00) ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार के नाम से निम्नांकित दिनांकों से आहरित किया गया है। निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (वाउचर) कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम श्री करन सिंह व सचिव दिनेश गौतम से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.12.2020	12000.00	श्री दिनेश कुमार

02	01.12.2020	13440.00	श्री दिनेश कुमार
03	04.12.2020	6720.00	श्री दिनेश कुमार
04	05.12.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
05	08.12.2020	10000.00	श्री दिनेश कुमार
06	22.12.2020	20000.00	श्री दिनेश कुमार

योग- 67160.00

प्रस्तर-129 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 205949.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंको में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धि प्रमाणक मस्टर रोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री करन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.12.2020	1000.00	प्रमोद कुमार
02	22.12.2020	2000.00	प्रमोद कुमार
03	05.07.2020	7080.00	श्री छोटे लाल
04	30.08.2020	10080.00	श्री छोटे लाल
05	20.09.2020	570.00	श्री छोटे लाल
06	20.09.2020	885.00	श्री छोटे लाल
07	06.10.2020	4610.00	श्री छोटे लाल
08	01.12.2020	6720.00	श्री छोटे लाल
09	12.12.2020	1995.00	श्री छोटे लाल
10	18.12.2020	6720.00	श्री छोटे लाल
11	12.10.2020	4275.00	श्री छोटे लाल
12	17.10.2020	4800.00	श्री छोटे लाल
13	05.07.2020	7080.00	श्री जय सिंह
14	30.08.2020	5310.00	श्री जय सिंह
15	20.09.2020	570.00	श्री जय सिंह
16	20.09.2020	885.00	श्री जय सिंह
17	12.10.2020	4275.00	श्री जय सिंह
18	01.12.2020	1680.00	श्री जय सिंह
19	11.12.2020	4800.00	श्री जय सिंह
20	18.12.2020	5600.00	श्री जय सिंह
21	05.07.2020	7080.00	श्री सूरज पाल
22	30.08.2020	9600.00	श्री सूरज पाल
23	20.09.2020	1914.00	श्री सूरज पाल
24	20.09.2020	2400.00	श्री सूरज पाल
25	06.10.2020	7225.00	श्री सूरज पाल
26	12.10.2020	7200.00	श्री सूरज पाल
27	17.10.2020	4800.00	श्री सूरज पाल

28	01.12.2020	6720.00	श्री सूरज पाल
29	12.12.2020	1995.00	श्री सूरज पाल
30	18.12.2020	6720.00	श्री सूरज पाल
31	05.07.2020	15600.00	श्री जय प्रकाश
32	17.10.2020	6400.00	श्री जय प्रकाश
33	12.12.2020	2800.00	श्री जय प्रकाश
34	05.07.2020	7080.00	श्री बाबू राम
35	05.07.2020	15600.00	श्री संदीप
36	30.08.2020	5310.00	श्री संदीप
37	12.12.2020	4950.00	श्री रविकांत
38	22.12.2020	1000.00	श्री प्रशांत सागर
39	30.08.2020	5310.00	श्री राजीब कुमार
40	30.08.2020	5310.00	श्री सुख लाल
योग-		<u>205949.00</u>	

34-ग्राम पंचायत- सैन्डोली

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-130 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से ईट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 406139.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के **जीएसटी** में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की **जीएसटी** विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 **जीएसटी** विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री महेश तिवारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.06.2020	10000.00	श्री साई सैनेट्री स्टोर
02	01.07.2020	23800.00	श्री साई सैनेट्री स्टोर
03	17.12.2020	20000.00	श्री साई सैनेट्री स्टोर
04	20.12.2020	11268.00	श्री साई सैनेट्री स्टोर
05	21.12.2020	18022.00	श्री साई सैनेट्री स्टोर
06	05.12.2020	6000.00	प्रिंस इण्टरप्राइजेज
07	07.07.2020	3000.00	कुमार इंफोटेक
08	12.11.2020	10000.00	सईद अहमद कांटेक्टर
09	20.12.2020	15700.00	सईद अहमद कांटेक्टर
10	27.04.2020	35974.00	कौशिक सीमेंट स्टोर
11	17.12.2020	44224.00	कौशिक सीमेंट स्टोर
12	20.12.2020	8722.00	कौशिक सीमेंट स्टोर
13	05.02.2020	26000.00	कौशिक सीमेंट स्टोर
14	27.04.2021	3029.00	चाँद ब्रिक फिल्ड
15	17.12.2020	30450.00	चाँद ब्रिक फिल्ड
16	01.02.2020	30240.00	ट्रान्सफर
17	04.03.2020	29000.00	सुनडरी फण्ड स्स्टीस

18	17.12.2020	22000.00	अशना इण्टरप्राईजेज
19	18.11.2020	21950.00	सुपर सकलेनी अलेक्ट्रिकल
20	26.11.2020	12000.00	आर0 बी0 इण्टरप्राईजेज
21	26.11.2020	6000.00	आर0 बी0 इण्टरप्राईजेज
22	04.02.2020	18760.00	जे0 के0 इण्टरप्राईजेज

योग- 406139.00

प्रस्तर-131 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रु0 129750.00 ग्राम प्रधान श्री महेश तिवारी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खेतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री महेश तिवारी व सचिव श्री दिनेश गौतम से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	03.04.2020	3500.00	श्री महेश तिवारी
02	09.04.2020	10000.00	श्री महेश तिवारी
03	13.04.2020	3500.00	श्री महेश तिवारी
04	14.04.2020	8000.00	श्री महेश तिवारी
05	22.04.2020	5000.00	श्री महेश तिवारी
06	27.04.2020	2150.00	श्री महेश तिवारी
07	01.05.2020	3500.00	श्री महेश तिवारी
08	09.05.2020	5000.00	श्री महेश तिवारी
09	28.05.2020	5000.00	श्री महेश तिवारी
10	01.07.2020	7000.00	श्री महेश तिवारी
11	07.07.2020	1000.00	श्री महेश तिवारी
12	13.07.2020	5000.00	श्री महेश तिवारी
13	03.08.2020	3500.00	श्री महेश तिवारी
14	03.09.2020	5000.00	श्री महेश तिवारी
15	22.09.2020	3500.00	श्री महेश तिवारी
16	30.09.2020	4800.00	श्री महेश तिवारी
17	30.09.2020	3500.00	श्री महेश तिवारी
18	17.10.2020	5000.00	श्री महेश तिवारी
19	26.10.2020	4800.00	श्री महेश तिवारी
20	03.11.2020	3500.00	श्री महेश तिवारी
21	12.11.2020	5000.00	श्री महेश तिवारी
22	05.12.2020	3500.00	श्री महेश तिवारी
23	05.12.2020	5000.00	श्री महेश तिवारी
24	20.12.2020	5000.00	श्री महेश तिवारी
25	20.12.2020	10000.00	श्री महेश तिवारी

योग- 129750.00

प्रस्तर-132 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 84650.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा श्री दिनेश कुमार के नाम से आहरित किया गया है। निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक(बाउचर) कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया गया है। जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल है। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री महेश तिवारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	09.04.2020	2000.00	श्री दिनेश कुमार
02	14.04.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
03	30.04.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
04	18.06.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
05	25.06.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
06	01.07.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
07	07.07.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
08	03.08.2020	4850.00	श्री दिनेश कुमार
09	07.08.2020	2000.00	श्री दिनेश कुमार
10	06.08.2020	2000.00	श्री दिनेश कुमार
11	03.09.2020	20000.00	श्री दिनेश कुमार
12	03.09.2020	3000.00	श्री दिनेश कुमार
13	22.09.2020	4800.00	श्री दिनेश कुमार
14	02.10.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
15	17.10.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
16	05.11.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
17	12.11.2020	10000.00	श्री दिनेश कुमार
18	15.11.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
19	20.12.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
20	20.12.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार

योग- 84650.00

प्रस्तर-133 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 109215.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंको भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री महेश तिवारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	03.04.2020	3000.00	श्री प्रमोद कुमार
02	09.04.2020	2000.00	श्री प्रमोद कुमार

03	14.04.2020	2000.00	श्री प्रमोद कुमार
04	16.04.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
05	28.05.2020	1200.00	श्री प्रमोद कुमार
06	18.06.2020	2000.00	श्री प्रमोद कुमार
07	06.08.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
08	03.09.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
09	17.09.2020	500.00	श्री प्रमोद कुमार
10	23.10.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
11	15.11.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
12	05.12.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
13	17.12.2020	5280.00	श्री प्रमोद कुमार
14	01.06.2020	4000.00	श्री वीरसिंह
15	25.06.2020	3990.00	श्री वीरसिंह
16	01.07.2020	2280.00	श्री वीरसिंह
17	20.12.2020	2800.00	श्री वीरसिंह
18	27.04.2020	5600.00	श्री जगतपाल
19	01.07.2020	3200.00	श्री जगतपाल
20	11.08.2020	1995.00	श्री जगतपाल
21	12.11.2020	2800.00	श्री जगतपाल
22	26.11.2020	2800.00	श्री जगतपाल
23	20.12.2020	2800.00	श्री जगतपाल
24	20.12.2020	2800.00	श्री जगतपाल
25	27.04.2020	3990.00	श्री होरीलाल
26	01.07.2020	2280.00	श्री होरीलाल
27	11.08.2020	1995.00	श्री होरीलाल
28	12.11.2020	2800.00	श्री होरीलाल
29	26.11.2020	1995.00	श्री होरीलाल
30	20.12.2020	1995.00	श्री होरीलाल
31	01.07.2020	2280.00	श्री मोहित
32	12.11.2020	1995.00	श्रीमती शीलादेवी
33	20.12.2020	1995.00	श्रीमती शीलादेवी
34	28.05.2020	5600.00	श्री प्रशांत सागर
35	03.08.2020	1140.00	श्री प्रशांत सागर
36	17.09.2020	1000.00	श्री प्रशांत सागर
37	05.12.2020	1000.00	श्री प्रशांत सागर
38	17.12.2020	1000.00	श्री प्रशांत सागर
39	12.11.2020	11995.00	श्री संजीव कुमार
40	20.12.2020	1995.00	श्री संजीव कुमार
41	17.12.2020	5000.00	श्री रविकांत
42	27.04.2020	1425.00	श्री राहुल तिवारी
43	20.12.2020	1995.00	श्री राहुल तिवारी
44	20.12.2020	5000.00	श्री चंकीपाण्डे
45	20.12.2020	1995.00	श्री प्रेम किशोर
46	21.12.2020	1200.00	श्री विकास शर्मा
47	22.08.2020	500.00	श्री दिनेश सैनी

योग-

109215.00

35-ग्राम पंचायत- आगापुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-134 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 767529.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के **जीएसटी** में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की **जीएसटी** विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 **जीएसटी** विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बीना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.04.2020	15000.00	कुमार सीमेंट स्टोर
02	01.04.2020	20000.00	कुमार सीमेंट स्टोर
03	01.04.2020	20000.00	कुमार सीमेंट स्टोर
04	16.04.2020	28200.00	कुमार सीमेंट स्टोर
05	19.04.2020	23500.00	कुमार सीमेंट स्टोर
06	21.04.2020	27250.00	कुमार सीमेंट स्टोर
07	03.09.2020	71000.00	देव ट्रेडर्स
08	01.07.2020	14000.00	सयद अहमद
कांटेक्टर			
09	01.07.2020	14600.00	सयद अहमद
कांटेक्टर			
10	01.07.2020	14600.00	सयद अहमद
कांटेक्टर			
11	25.09.2020	20000.00	सयद अहमद
कांटेक्टर			
12	04.06.2020	34950.00	जनता सीमेंट
स्टोर			
13	04.06.2020	5882.00	जनता सीमेंट स्टोर
14	04.06.2020	2732.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
इंडस्ट्रीज			
15	04.06.2020	2180.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
इंडस्ट्रीज			
16	16.10.2020	31500.00	न्यू रामस्वरूप
ब्रिक इंडस्ट्रीज			
17	25.09.2020	31500.00	न्यू रामस्वरूप
ब्रिक इंडस्ट्रीज			
18	06.11.2020	22000.00	आशना
इण्टरप्राइजेज			
19	12.11.2020	54703.00	सपना सीमेंट स्टोर
20	25.09.2020	56594.00	सपना सीमेंट स्टोर
21	14.10.2020	25000.00	कमल इलेक्ट्रीकल
कम्पनी			

22	16.11.2020	21800.00	सुपर	सक्लेनी
इलेक्ट्रीकल				
23	21.10.2020	15000.00	श्री साई	सैनेट्री
स्टोर				
24	21.10.2021	15000.00	श्री साई	सैनेट्री
स्टोर				
25	26.10.2020	15000.00	श्री साई	सैनेट्री
स्टोर				
26	28.05.2020	40123.00	अली ट्रेडर्स	
27	28.05.2020	45153.00	अली ट्रेडर्स	
28	28.11.2020	16500.00	मालादेवी	देवी
ट्रेडर्स				
29	28.11.2020	63762.00	मालादेवी	देवी
ट्रेडर्स				

योग- 767529.00

प्रस्तर-135 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रु0 76449.00 ग्राम प्रधान श्रीमती वीना देवी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती वीना देवी व सचिव श्री दिनेश गौतम से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.05.2020	3500.00	श्रीमती वीना देवी
02	04.06.2020	5599.00	श्रीमती वीना देवी
03	04.06.2020	5492.00	श्रीमती वीना देवी
04	04.11.2020	3500.00	श्रीमती वीना देवी
05	09.04.2020	10000.00	श्रीमती वीना देवी
06	12.11.2020	5000.00	श्रीमती वीना देवी
07	13.04.2020	10500.00	श्रीमती वीना देवी
08	23.07.2020	5000.00	श्रीमती वीना देवी
09	28.05.2020	1300.00	श्रीमती वीना देवी
10	28.05.2020	6178.00	श्रीमती वीना देवी
11	02.10.2020	17500.00	श्रीमती वीना देवी
12	28.11.2020	2880.00	श्रीमती वीना देवी

योग- 76449.00

प्रस्तर-136 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 128160.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा श्री दिनेश कुमार के नाम से आहरित किया गया है। निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक(बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया

गया है। जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल है। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बीना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.05.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
02	03.09.2020	20000.00	श्री दिनेश कुमार
03	04.11.2020	2800.00	श्री दिनेश कुमार
04	04.11.2020	5280.00	श्री दिनेश कुमार
05	06.08.2020	7000.00	श्री दिनेश कुमार
06	09.04.2020	2000.00	श्री दिनेश कुमार
07	09.07.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
08	12.11.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
09	12.12.2020	30090.00	श्री दिनेश कुमार
10	14.12.2020	9000.00	श्री दिनेश कुमार
11	16.04.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
12	16.10.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
13	16.10.2020	1995.00	श्री दिनेश कुमार
14	16.11.2021	5000.00	श्री दिनेश कुमार
15	16.11.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
16	18.06.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
17	19.04.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
18	25.09.2020	1995.00	श्री दिनेश कुमार
19	28.05.2020	5600.00	श्री दिनेश कुमार
20	28.11.2020	2800.00	श्री दिनेश कुमार
21	29.06.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
22	06.12.2020	5600.00	श्री दिनेश कुमार
योग		<u>128160.00</u>	

प्रस्तर-137 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु० 211600.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बीना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	03.06.2020	5600.00	श्री राहुल सागर
02	04.06.2020	4400.00	श्री राहुल सागर
03	04.06.2020	4400.00	श्री अजीत
04	03.06.2020	5600.00	श्री अजीत
05	03.06.2020	1600.00	श्री भुबनेश
06	04.06.2020	4400.00	श्री भुबनेश

07	04.06.2020	3135.00	श्री सुशील कुमार
08	03.06.2020	3990.00	श्री सुशील कुमार
09	28.05.2020	3990.00	श्री सुशील कुमार
10	28.05.2020	3990.00	श्री प्रदीप कुमार
11	03.06.2020	3990.00	श्रीमती सुनीता देवी
12	04.06.2020	3135.00	श्रीमती सुनीता देवी
13	28.05.2020	3990.00	श्रीमती सुनीता देवी
14	28.05.2021	3705.00	श्रीमती सुनीता देवी
15	03.06.2020	1710.00	श्री सुखदेव
16	04.06.2020	3135.00	श्री सुखदेव
17	03.06.2020	9500.00	श्री प्रमोद कुमार
18	03.09.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
19	06.08.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
20	09.04.2020	2000.00	श्री प्रमोद कुमार
21	12.11.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
22	12.12.2020	960.00	श्री प्रमोद कुमार
23	16.04.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
24	16.07.2020	3000.00	श्री प्रमोद कुमार
25	18.06.2020	2000.00	श्री प्रमोद कुमार
26	25.09.2020	970.00	श्री प्रमोद कुमार
27	28.05.2020	5600.00	श्री प्रमोद कुमार
28	28.05.2020	1300.00	श्री प्रमोद कुमार
29	04.06.2020	3135.00	श्रीमती विमला
30	04.11.2020	1995.00	श्री दयाराम
31	06.12.2020	2000.00	श्री दयाराम
32	04.11.2020	1995.00	श्रीमती बबीता
33	04.11.2020	2800.00	श्री विजेन्द्र कुमार
34	06.12.2020	5600.00	श्री विजेन्द्र कुमार
35	12.11.2020	2800.00	श्री विजेन्द्र कुमार
36	12.11.2020	2800.00	श्री विजेन्द्र कुमार
37	16.10.2020	2800.00	श्री विजेन्द्र कुमार
38	25.09.2020	2800.00	श्री विजेन्द्र कुमार
39	06.08.2020	1000.00	श्री प्रशान्त सागर
40	06.12.2020	5600.00	श्री प्रशान्त सागर
41	12.11.2020	1000.00	श्री प्रशान्त सागर
42	22.04.2020	5600.00	श्री प्रशान्त सागर
43	12.12.2020	960.00	श्री प्रशान्त सागर
44	25.09.2020	970.00	श्री प्रशान्त सागर
45	06.12.2020	5600.00	श्री विकास शर्मा
46	09.07.2020	5000.00	श्री विकास शर्मा
47	09.07.2020	5000.00	श्री विकास शर्मा
48	09.07.2020	5000.00	श्री विकास शर्मा
49	08.09.2020	4800.00	श्री नसीर अहमद
50	22.07.2020	4800.00	श्री नसीर अहमद
51	27.10.2020	1995.00	श्री नसीर अहमद
52	08.09.2020	3990.00	श्री खलील
53	27.10.2020	2880.00	श्री खलील

54	29.07.2020	4800.00	श्री खलील
55	12.11.2020	2800.00	श्री सुरेश कुमार
56	12.11.2020	2800.00	श्री राजीव कुमार
57	28.05.2020	5600.00	श्री राजीव कुमार
58	12.11.2020	3990.00	श्री वीरेन्द्र कुमार
59	12.12.2020	1995.00	श्री वीरेन्द्र कुमार
60	28.11.2020	2800.00	श्री वीरेन्द्र कुमार
61	12.11.2020	1995.00	श्री राम किशोर
62	28.05.2020	5600.00	श्री राम किशोर
63	12.12.2020	1995.00	श्री विकास बाबू
64	22.08.2020	500.00	श्री दिनेश सैनी
65	28.05.2020	3705.00	श्री गौरव

योग 211600.00

प्रस्तर-138 ग्राम पंचायत में जागरण प्रकाशन लि० को भुगतानित धनराशि (रु० 2500.00) ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा का भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये भुगतान से सम्बन्धी प्रमाणक ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के बत एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बीना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-139 दिनांक 23.10.2020 को ग्राम पंचायत से रु० 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के बत एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बीना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

36-ग्राम पंचायत- खाता चिंतामन

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-140 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईट/सीमेन्ट व अन्यमटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि की गयी है, (681930.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के **जीएसटी** में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की **जीएसटी** विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 **जीएसटी** विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूलवती राठौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	27.04.2020	58800.00	गंगवार सीमेंट स्टोर

02	27.04.2020	83300.00	गंगवार सीमेंट स्टोर
03	15.08.2020	36341.00	गंगवार सीमेंट स्टोर
04	27.10.2020	30500.00	गंगवार सीमेंट स्टोर
05	04.11.2020	2026.00	गंगवार सीमेंट स्टोर
06	21.12.2020	53612.00	गंगवार सीमेंट स्टोर
07	27.04.2020	6050.00	चाँद ब्रिक फिल्ड
08	27.04.2020	2692.00	चाँद ब्रिक फिल्ड
09	26.10.2020	22092.00	चाँद ब्रिक फिल्ड
10	27.10.2020	42600.00	चाँद ब्रिक फिल्ड
11	04.11.2020	3650.00	चाँद ब्रिक फिल्ड
12	21.12.2020	46830.00	चाँद ब्रिक फिल्ड
13	15.08.2020	41802.00	सईद अहमद कांटेक्टर
14	05.11.2020	8000.00	सईद अहमद कांटेक्टर
15	05.11.2020	54000.00	सईद अहमद कांटेक्टर
16	15.08.2020	47642.00	अनु टाइल्स स्टोर
17	27.10.2020	60650.00	अनु टाइल्स स्टोर
18	27.10.2020	1030.00	अनु टाइल्स स्टोर
19	16.11.2020	15100.00	अनु टाइल्स स्टोर
20	15.08.2020	8073.00	आर0 बी0 इन्टरप्राइजेज
21	27.10.2020	13300.00	आर0 बी0 इन्टर प्राइजेज
22	18.11.2020	21840.00	सुपर सक्लैनी इलेक्ट्रीकल
23	18.11.2020	22000.00	अशना इन्टरप्राइजेज

योग- 681930.00

प्रस्तर-141 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रु0 90953.00 ग्राम प्रधान श्रीमती फूलवती राठौर द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती फूलवती राठौर व सचिव दिनेश गौतम से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	09.04.2020	10000.00	श्रीमती फूलवती राठौर
02	13.04.2020	3500.00	श्रीमती फूलवती राठौर
03	27.04.2020	3150.00	श्रीमती फूलवती राठौर
04	27.04.2020	6853.00	श्रीमती फूलवती राठौर
05	01.05.2020	3500.00	श्रीमती फूलवती राठौर
06	07.07.2020	10000.00	श्रीमती फूलवती राठौर
07	05.08.2020	10500.00	श्रीमती फूलवती राठौर
08	03.09.2020	3500.00	श्रीमती फूलवती राठौर
09	26.10.2020	4800.00	श्रीमती फूलवती राठौर
10	27.10.2020	500.00	श्रीमती फूलवती राठौर

11	27.10.2020	2650.00	श्रीमती फूलवती राठौर
12	15.11.2020	10000.00	श्रीमती फूलवती राठौर
13	16.11.2020	7000.00	श्रीमती फूलवती राठौर
14	17.12.2020	15000.00	श्रीमती फूलवती राठौर
		योग-	<u>90953.00</u>

प्रस्तर-142 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 118060.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा श्री दिनेश कुमार के नाम से आहरित किया गया है। निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक(बाउचर) कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया गया है। जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल है। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूलवती राठौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	09.04.2020	2000.00	श्री दिनेश कुमार
02	16.04.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
03	27.04.2020	3990.00	श्री दिनेश कुमार
04	27.04.2020	3990.00	श्री दिनेश कुमार
05	01.05.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
06	30.06.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
07	07.07.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
08	05.08.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
09	07.08.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
10	15.08.2020	15000.00	श्री दिनेश कुमार
11	03.09.2020	20000.00	श्री दिनेश कुमार
12	09.09.2020	4950.00	श्री दिनेश कुमार
13	17.09.2020	4850.00	श्री दिनेश कुमार
14	17.10.2021	5000.00	श्री दिनेश कुमार
15	26.10.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
16	27.10.2020	12000.00	श्री दिनेश कुमार
17	05.11.2020	5280.00	श्री दिनेश कुमार
18	15.11.2020	6000.00	श्री दिनेश कुमार
19	17.12.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
20	21.12.2020	7000.00	श्री दिनेश कुमार

योग **118060.00**

प्रस्तर-143 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 180732.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में

आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूलवती राठौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	09.04.2020	2000.00	श्री प्रमोद कुमार
02	16.04.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
03	27.04.2020	1082.00	श्री प्रमोद कुमार
04	02.06.2020	1200.00	श्री प्रमोद कुमार
05	30.06.2020	2000.00	श्री प्रमोद कुमार
06	07.07.2020	3000.00	श्री प्रमोद कुमार
07	05.08.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
08	15.08.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
09	03.09.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
10	16.09.2020	500.00	श्री प्रमोद कुमार
11	23.10.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
12	27.10.2020	11000.00	श्री प्रमोद कुमार
13	27.10.2020	1552.00	श्री प्रमोद कुमार
14	04.11.2020	15300.00	श्री प्रमोद कुमार
15	15.11.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
16	20.12.2020	1920.00	श्री प्रमोद कुमार
17	17.12.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
18	05.08.2020	1000.00	श्री विकास शर्मा
19	27.04.2020	2800.00	श्री तुलाराम
20	27.04.2020	2800.00	श्री तुलाराम
21	09.09.2020	9600.00	श्री तुलाराम
22	16.09.2020	7000.00	श्री तुलाराम
23	27.10.2020	4800.00	श्री तुलाराम
24	20.12.2020	5600.00	श्री तुलाराम
25	09.09.2020	2850.00	श्री सईद अहमद
26	09.09.2020	2850.00	श्री अकुब शाह
27	09.09.2020	2850.00	श्री रियासत
28	09.09.2020	2850.00	श्री तस्लीम शाह
29	09.09.2020	1995.00	श्री रमेश
30	16.09.2020	2850.00	श्री रमेश
31	27.10.2020	2412.00	श्री रमेश
32	27.04.2020	1995.00	श्री मदनलाल
33	27.04.2020	3990.00	श्री मदनलाल
34	09.09.2020	1995.00	श्री मदनलाल
35	16.09.2020	2850.00	श्री मदनलाल
36	27.10.2020	2412.00	श्री मदनलाल
37	09.09.2020	1995.00	श्री भोले राम
38	16.09.2020	2850.00	श्री भोले राम
39	27.10.2020	2412.00	श्री भोले राम
40	09.09.2020	1995.00	श्रीमती लक्ष्मी
41	16.09.2020	2850.00	श्रीमती लक्ष्मी

42	27.10.2020	2412.00	श्रीमती लक्ष्मी
43	27.04.2020	3990.00	श्रीमती रीना
44	27.04.2020	3990.00	श्रीमती रीना
45	16.09.2020	2850.00	श्रीमती रीना
46	16.09.2020	2850.00	श्रीमती अखतरिया
47	20.12.2020	3990.00	श्रीमती अखतरिया
48	09.09.2020	1995.00	श्री दुर्गाप्रसाद
49	16.09.2020	4800.00	श्री दुर्गाप्रसाद
50	27.04.2020	5600.00	श्री वीरवहादुर
51	27.04.2020	5600.00	श्री वीरवहादुर
52	27.10.2020	4400.00	श्री अमीर अहमद
53	05.08.2020	1000.00	श्री प्रशांत सागर
54	16.09.2020	1000.00	श्री प्रशांत सागर
55	17.12.2020	1000.00	श्री प्रशांत सागर
56	27.04.2020	5600.00	श्री प्रशांत सागर
57	17.12.2020	5000.00	श्री रविकांत
58	22.08.2020	500.00	श्री दिनेश सैनी
योग		<u>180732.00</u>	

प्रस्तर-144 दिनांक 23.10.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के बत एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूलवती राठौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-145 दिनांक 23.10.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2500.00 का भुगतान जागरण प्रकाशन लि० को भुगतानित को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूलवती राठौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

37-ग्राम पंचायत- तिराह

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-146 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (₹0 1002564.00) की गयी है जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के **जीएसटी** में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की **जीएसटी** विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 **जीएसटी** विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत

राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जीवेन्द्र कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	02.04.2020	167800.00	गंगवार सीमेंट स्टोर
02	03.04.2020	169600.00	गंगवार सीमेंट स्टोर
03	22.05.2020	4000.00	गंगवार सीमेंट स्टोर
04	22.05.2020	12900.00	गंगवार सीमेंट स्टोर
05	22.05.2020	21800.00	गंगवार सीमेंट स्टोर
06	22.05.2020	19000.00	गंगवार सीमेंट स्टोर
07	24.06.2020	5000.00	गंगवार सीमेंट स्टोर
08	24.06.2020	27796.00	गंगवार सीमेंट स्टोर
09	24.06.2020	5333.00	गंगवार सीमेंट स्टोर
10	07.12.2020	59326.00	गंगवार सीमेंट स्टोर
11	21.12.2020	44224.00	गंगवार सीमेंट स्टोर
12	02.04.2020	11450.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
13	02.04.2020	15099.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
14	22.05.2021	21105.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
15	22.05.2021	9500.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
16	22.05.2021	2000.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
17	24.06.2020	750.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
18	24.06.2020	12000.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
19	24.06.2020	7700.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
20	07.12.2020	24264.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
21	21.12.2020	30450.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
22	22.09.2020	25000.00	सुपर सक्लैनी इलेक्ट्रीकल
23	17.09.2020	25000.00	सुपर सक्लैनी इलेक्ट्रीकल
24	14.11.2021	21740.00	सुपर सक्लैनी इलेक्ट्रीकल
25	14.12.2021	40000.00	देव ट्रेडर्स
26	24.06.2021	32550.00	सईद अहमद कांट्रेक्टर
27	24.06.2020	32550.00	सईद अहमद कांट्रेक्टर
28	24.06.2020	60000.00	मालादेवी ट्रेडर्स
29	24.06.2020	56450.00	मालादेवी ट्रेडर्स
30	24.06.2021	38177.00	मालादेवी ट्रेडर्स

योग- 1002564.00

प्रस्तर-147 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रु० 78829.00 ग्राम प्रधान श्री जीवेन्द्र कुमार द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की

धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री जीवेन्द्र कुमार सिंह व सचिव दिनेश गौतम से ब्याज सिंह वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	02.04.2020	4450.00	श्री जीवेन्द्र कुमार
02	02.04.2020	4400.00	श्री जीवेन्द्र कुमार
03	09.04.2020	10000.00	श्री जीवेन्द्र कुमार
04	13.04.2020	10500.00	श्री जीवेन्द्र कुमार
05	22.04.2020	5000.00	श्री जीवेन्द्र कुमार
06	01.05.2020	3500.00	श्री जीवेन्द्र कुमार
07	09.05.2020	5000.00	श्री जीवेन्द्र कुमार
08	24.06.2020	1900.00	श्री जीवेन्द्र कुमार
09	24.06.2020	566.00	श्री जीवेन्द्र कुमार
10	06.08.2020	10500.00	श्री जीवेन्द्र कुमार
11	03.09.2020	3500.00	श्री जीवेन्द्र कुमार
12	02.10.2020	3500.00	श्री जीवेन्द्र कुमार
13	05.11.2020	3500.00	श्री जीवेन्द्र कुमार
14	07.12.2020	9480.00	श्री जीवेन्द्र कुमार
15	07.12.2020	3033.00	श्री जीवेन्द्र कुमार

योग- 78829.00

प्रस्तर-148 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु० 127565.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा श्री दिनेश कुमार के नाम से आहरित किया गया है। निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक(बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया गया है। जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल है। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जीवेन्द्र कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	02.04.2020	2000.00	श्री दिनेश कुमार
02	02.04.2020	2565.00	श्री दिनेश कुमार
03	09.04.2020	2000.00	श्री दिनेश कुमार
04	16.04.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
05	01.05.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
06	22.05.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
07	22.05.2020	5600.00	श्री दिनेश कुमार
08	22.05.2020	5600.00	श्री दिनेश कुमार
09	22.05.2020	8000.00	श्री दिनेश कुमार
10	22.05.2020	5600.00	श्री दिनेश कुमार
11	18.06.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
12	24.06.2020	5600.00	श्री दिनेश कुमार
13	24.06.2020	5600.00	श्री दिनेश कुमार
14	29.06.2021	1000.00	श्री दिनेश कुमार

15	06.08.2020	7000.00	श्री दिनेश कुमार
16	22.08.2020	3000.00	श्री दिनेश कुमार
17	02.09.2020	20000.00	श्री दिनेश कुमार
18	02.10.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
19	17.10.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
20	23.10.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
21	05.11.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
22	14.11.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
23	14.11.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
24	07.12.2021	12000.00	श्री दिनेश कुमार
25	21.12.2020	8000.00	श्री दिनेश कुमार

योग

127565.00

प्रस्तर-149 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 224238.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जीवेन्द्र कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	02.04.2020	3000.00	श्री प्रमोद कुमार
02	09.04.2020	2000.00	श्री प्रमोद कुमार
03	16.04.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
04	22.05.2020	1140.00	श्री प्रमोद कुमार
05	22.05.2020	5600.00	श्री प्रमोद कुमार
06	18.06.2020	2000.00	श्री प्रमोद कुमार
07	24.06.2020	3000.00	श्री प्रमोद कुमार
08	06.08.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
09	17.09.2020	500.00	श्री प्रमोद कुमार
10	22.09.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
11	22.09.2020	500.00	श्री प्रमोद कुमार
12	23.10.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
13	14.11.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
14	21.12.2020	1920.00	श्री प्रमोद कुमार
15	02.04.2020	5600.00	श्री विजेन्द्र कुमार
16	02.04.2020	5600.00	श्री विजेन्द्र कुमार
17	22.05.2020	2800.00	श्री विजेन्द्र कुमार
18	22.05.2020	5600.00	श्री विजेन्द्र कुमार
19	24.06.2020	2800.00	श्री विजेन्द्र कुमार
20	24.06.2020	5600.00	श्री विजेन्द्र कुमार
21	02.04.2020	2850.00	श्री भगवानदास
22	22.05.2020	1995.00	श्री भगवानदास
23	22.05.2020	3990.00	श्री भगवानदास
24	22.05.2020	3990.00	श्री भगवानदास
25	24.06.2020	3990.00	श्री भगवानदास

26	24.06.2020	1995.00	श्री भगवानदास
27	02.04.2020	5600.00	श्री ओमपाल
28	22.05.2020	1995.00	श्री ओमपाल
29	22.05.2020	3990.00	श्री ओमपाल
30	22.05.2020	3990.00	श्री ओमपाल
31	24.06.2020	3990.00	श्री ओमपाल
32	24.06.2020	3990.00	श्री ओमपाल
33	02.04.2020	3990.00	श्री नरेश कुमार
34	02.04.2020	3990.00	श्री नरेश कुमार
35	22.05.2020	3990.00	श्री नरेश कुमार
36	22.05.2020	3990.00	श्री नरेश कुमार
37	24.06.2020	1995.00	श्री नरेश कुमार
38	02.04.2020	3990.00	श्री विपिन कुमार
39	02.04.2020	3990.00	श्री विपिन कुमार
40	22.05.2020	3990.00	श्री विपिन कुमार
41	24.06.2020	5600.00	श्री प्रशांत सागर
42	06.08.2020	1000.00	श्री प्रशांत सागर
43	17.09.2020	1000.00	श्री प्रशांत सागर
44	21.12.2020	960.00	श्री प्रशांत सागर
45	02.04.2020	3990.00	श्री राजपाल
46	02.04.2020	3990.00	श्री राजपाल
47	22.05.2020	3990.00	श्री राजपाल
48	12.12.2020	4950.00	श्री रविकांत
49	22.08.2020	500.00	श्री दिनेश सैनी
50	24.06.2020	2800.00	श्री लाल
51	02.04.2020	5600.00	श्री कैदार सिंह
52	02.04.2020	5600.00	श्री कैदार सिंह
53	02.04.2020	5600.00	श्री सोमपाल
54	02.04.2020	3990.00	श्री सोमपाल
55	02.04.2020	5600.00	श्री धीरसिंह
56	02.04.2020	3990.00	श्री धीरसिंह
57	02.04.2020	3990.00	श्री सचिन कुमार
58	02.04.2020	3990.00	श्री सचिन कुमार
59	02.04.2020	3990.00	श्री छत्रपाल
60	02.04.2020	3990.00	श्री छत्रपाल
61	02.04.2020	11568.00	श्री कपिल कुमार
62	02.04.2020	7000.00	श्री कपिल कुमार
63	02.04.2020	3990.00	श्री फूलचन्द

योग

224238.00

प्रस्तर-150 दिनांक 23.10.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के बत एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित

वसूली ग्राम प्रधान श्री जीवेन्द्र कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-151 दिनांक 23.10.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2500.00 का भुगतान जागरण प्रकाशन लि० को भुगतानित को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जीवेन्द्र कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

38-ग्राम पंचायत- देवरी बुजुर्ग

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-152 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्म से ईट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (₹0 428638.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामरतन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.04.2020	20000.00	हिंदुस्तान सैनेट्री हाउस
02	04.04.2020	20000.00	हिंदुस्तान सैनेट्री हाउस
03	21.10.2020	25000.00	हिंदुस्तान सैनेट्री हाउस
04	18.11.2020	25000.00	हिंदुस्तान सैनेट्री हाउस
05	10.12.2020	39473.00	हिंदुस्तान सैनेट्री हाउस
06	10.12.2020	39473.00	हिंदुस्तान सैनेट्री हाउस
07	26.11.2020	28252.00	नैना सीमेन्ट स्टोर
08	04.12.2020	35252.00	नैना सीमेन्ट स्टोर
09	10.12.2020	3082.00	नैना सीमेन्ट स्टोर
10	10.12.2020	3082.00	नैना सीमेन्ट स्टोर
11	28.09.2020	31500.00	रामस्वरूप ब्रिक इंडस्ट्रीज
12	10.12.2020	540.00	रामस्वरूप ब्रिक इंडस्ट्रीज
13	10.12.2020	540.00	रामस्वरूप ब्रिक इंडस्ट्रीज
14	14.10.2020	25000.00	कमल इलेक्ट्रीकल कम्पनी
15	18.11.2020	21850.00	सुपर सक्लैनी इलेक्ट्रीकल्स
16	26.05.2020	34000.00	श्री साताराम ट्रेडर्स
17	30.09.2020	56594.00	सपनी सीमेन्ट स्टोर
18	28.09.2020	20000.00	सईद अहमद कांटेक्टर

योग- 428638.00

प्रस्तर-153 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित ₹0 85900.00 ग्राम प्रधान श्री राम रतन द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत

अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री रामरतन व सचिव श्री दिनेश गौतम से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.04.2020	5000.00	श्री राम रतन
02	04.04.2020	5000.00	श्री राम रतन
03	09.04.2020	10000.00	श्री राम रतन
04	13.04.2020	7000.00	श्री राम रतन
05	01.05.2020	3500.00	श्री राम रतन
06	09.05.2020	11800.00	श्री राम रतन
07	02.09.2020	5000.00	श्री राम रतन
08	02.09.2020	14000.00	श्री राम रतन
09	18.09.2020	2400.00	श्री राम रतन
10	18.09.2020	2600.00	श्री राम रतन
11	27.10.2020	4800.00	श्री राम रतन
12	10.11.2020	7000.00	श्री राम रतन
13	04.12.2020	4800.00	श्री राम रतन
14	10.12.2020	3000.00	श्री राम रतन

योग- 85900.00

प्रस्तर-154 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु० 99960.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा श्री दिनेश कुमार के नाम से आहरित किया गया है। निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक(बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया गया है। जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल है। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामरतन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	09.04.2020	2000.00	श्री दिनेश कुमार
02	16.04.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
03	01.05.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
04	26.05.2020	5600.00	श्री दिनेश कुमार
05	18.06.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार
06	29.06.2020	1000.00	श्री दिनेश कुमार

07	02.09.2020	3000.00	श्री दिनेश कुमार
08	02.09.2020	30000.00	श्री दिनेश कुमार
09	17.09.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
10	28.09.2020	960.00	श्री दिनेश कुमार
11	17.10.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
12	10.11.2020	5000.00	श्री दिनेश कुमार
13	12.11.2020	10000.00	श्री दिनेश कुमार
14	15.11.2021	1000.00	श्री दिनेश कुमार
15	04.12.2020	10000.00	श्री दिनेश कुमार
16	10.12.2020	4800.00	श्री दिनेश कुमार
17	10.12.2020	4800.00	श्री दिनेश कुमार
18	14.12.2020	4800.00	श्री दिनेश कुमार

योग 99960.00

प्रस्तर-155 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 114377.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामरतन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	09.04.2020	2000.00	श्री प्रमोद कुमार
02	16.04.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
03	21.04.2020	3990.00	श्री प्रमोद कुमार
04	26.05.2020	5600.00	श्री प्रमोद कुमार
05	28.05.2020	1200.00	श्री प्रमोद कुमार
06	18.06.2020	2000.00	श्री प्रमोद कुमार
07	16.07.2020	3000.00	श्री प्रमोद कुमार
08	06.08.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
09	02.09.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
10	03.09.2020	2300.00	श्री प्रमोद कुमार
11	17.09.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
12	28.09.2020	960.00	श्री प्रमोद कुमार
13	23.10.2020	960.00	श्री प्रमोद कुमार
14	28.10.2020	8000.00	श्री प्रमोद कुमार
15	28.10.2020	8000.00	श्री प्रमोद कुमार
16	10.11.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
17	23.11.2020	6000.00	श्री प्रमोद कुमार
18	14.12.2020	1000.00	श्री प्रमोद कुमार
19	21.04.2020	5600.00	श्री प्रेमपाल
20	04.12.2020	2800.00	श्री प्रेमपाल
21	10.12.2020	3990.00	श्री प्रेमपाल
22	10.12.2020	3990.00	श्री प्रेमपाल
23	21.04.2020	4800.00	श्री लाखन सिंह
24	04.12.2020	4800.00	श्री लाखन सिंह

25	10.12.2020	5600.00	श्री लाखन सिंह
26	10.12.2020	5600.00	श्री लाखन सिंह
27	04.12.2020	1000.00	श्री प्रशांत सागर
28	10.12.2020	3990.00	श्री लालाराम
29	10.12.2020	3990.00	श्री लालाराम
30	21.04.2020	4800.00	श्री राजेश कुमार
31	12.11.2020	1407.00	श्री राजेश कुमार
32	14.12.2020	2000.00	श्री रविकांत
33	14.12.2020	3000.00	श्री रविकांत
34	21.04.2020	6500.00	श्री मानसिंह
35	22.08.2020	500.00	श्री दिनेश सैनी
योग		114377.00	

प्रस्तर-156 दिनांक 23.10.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के बत एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामरतन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-157 दिनांक 23.10.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2500.00 का भुगतान जागरण प्रकाशन लि0 को भुगतानित को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामरतन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री दिनेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- मिलक
39-ग्राम पंचायत- धमौरा

मण्डल का नाम- मुरादाबाद
लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-158 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मों से ईट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (₹0 1560085.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सूपिया खानम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मनोज कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	02.09.2020	40000.00	देव ट्रेडर्स
02	24.12.2020	33000.00	देव ट्रेडर्स
03	05.12.2020	29000.00	गौरव इलेक्ट्रिकल

04	07.11.2020	30000.00	एम0ए0 कंसट्रैक्शन
05	07.11.2020	100000.00	एम0ए0 कंसट्रैक्शन
06	07.11.2020	66925.00	एम0ए0 कंसट्रैक्शन
07	07.11.2020	45050.00	एम0ए0 कंसट्रैक्शन
08	09.11.2020	41615.00	एम0ए0 कंसट्रैक्शन
09	09.09.2020	63900.00	वर्कस
10	16.09.2020	60000.00	वर्कस
11	10.12.2020	33020.00	वर्कस
12	24.12.2020	50000.00	वर्कस
13	29.08.2020	39320.00	स्टोर
14	22.09.2020	60000.00	स्टोर
15	14.10.2020	50000.00	स्टोर
16	09.11.2020	18000.00	स्टोर
17	10.12.2020	174680.00	स्टोर
18	10.12.2020	121345.00	स्टोर
19	10.12.2020	63205.00	स्टोर
20	25.12.2020	145481.00	स्टोर
21	17.04.2020	2436.00	आयशा टाइल्स
22	17.04.2020	36206.00	आयशा टाइल्स
23	12.10.2020	56000.00	आयशा टाइल्स
24	24.12.2020	43402.00	आयशा टाइल्स
25	17.04.2020	10000.00	साई कृपा इण्टरप्राईजेज
26	17.04.2020	33000.00	साई कृपा इण्टरप्राईजेज
27	18.04.2020	36800.00	साई कृपा इण्टरप्राईजेज
28	20.06.2020	16000.00	साई कृपा इण्टरप्राईजेज
29	20.06.2020	35000.00	साई कृपा इण्टरप्राईजेज
30	18.04.2020	23000.00	इण्टरप्राईजेज
31	21.12.2020	3700.00	इण्टरप्राईजेज

योग- 1560085.00

प्रस्तर-159 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रू0 70445.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सूफिया खानम द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सूफिया खानम व सचिव श्री मनोज कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	07.10.2020	24000.00	श्रीमती सूफिया खानम
02	14.10.2020	21000.00	श्रीमती सूफिया खानम
03	05.12.2020	16000.00	श्रीमती सूफिया खानम
04	10.12.2020	5825.00	श्रीमती सूफिया खानम

योग-

70445.00

प्रस्तर-160 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 751765.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सूफिया खानम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मनोज कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.05.2020	5000.00	श्री भुवनेश
02	05.10.2020	5000.00	श्री भुवनेश
03	06.10.2020	4000.00	श्री भुवनेश
04	15.04.2020	5000.00	श्री फैसल खां
05	17.04.2020	21828.00	श्री फैसल खां
06	17.04.2020	21828.00	श्री फैसल खां
07	01.05.2020	21828.00	श्री फैसल खां
08	29.07.2020	22000.00	श्री फैसल खां
09	29.08.2020	26115.00	श्री फैसल खां
10	09.09.2020	23100.00	श्री फैसल खां
11	05.10.2020	16000.00	श्री फैसल खां
12	06.10.2020	11000.00	श्री फैसल खां
13	09.11.2020	13080.00	श्री फैसल खां
14	10.12.2020	10000.00	श्री फैसल खां
15	10.12.2020	8500.00	श्री फैसल खां
16	10.12.2020	7000.00	श्री फैसल खां
17	25.12.2020	24000.00	श्री फैसल खां
18	15.04.2020	590.00	श्री नरेश कुमार
19	15.04.2020	5500.00	श्री नरेश कुमार
20	15.04.2020	4500.00	श्री नरेश कुमार
21	17.04.2020	5605.00	श्री नरेश कुमार
22	23.05.2020	7000.00	श्री नरेश कुमार
23	23.05.2020	2000.00	श्री नरेश कुमार
24	29.08.2020	13140.00	श्री नरेश कुमार
25	02.09.2020	2000.00	श्री नरेश कुमार
26	02.09.2020	1000.00	श्री नरेश कुमार
27	09.09.2020	20885.00	श्री प्रशांत सागर
28	22.09.2020	600.00	श्री नरेश कुमार
29	12.11.2020	1000.00	श्री नरेश कुमार
30	10.12.2020	3900.00	श्री नरेश कुमार
31	10.12.2020	4800.00	श्री नरेश कुमार
32	21.12.2020	300.00	श्री नरेश कुमार
33	21.12.2020	300.00	श्री नरेश कुमार
34	25.12.2020	8640.00	श्री नरेश कुमार

35	29.07.2020	1000.00 श्री नरेश कुमार
36	10.11.2020	4000.00 श्री हरि सिंह
37	05.12.2020	15000.00 श्री हरि सिंह
38	21.12.2020	2000.00 श्री हरि सिंह
39	24.12.2020	33120.00 श्री हरि सिंह
40	24.12.2020	6716.00 श्री हरि सिंह
41	06.10.2020	7000.00 श्री फहद हाशमी
42	10.12.2020	6000.00 श्री फहद हाशमी
43	10.12.2020	4800.00 श्री फहद हाशमी
44	10.12.2020	2100.00 श्री फहद हाशमी
45	29.08.2020	2950.00 श्री जियौल्लाह खां
46	29.08.2020	2655.00 श्री जियौल्लाह खां
47	06.10.2020	7000.00 श्री जियौल्लाह खां
48	10.12.2020	6000.00 श्री जियौल्लाह खां
49	10.12.2020	4800.00 श्री जियौल्लाह खां
50	23.05.2020	5000.00 श्री जुहैब खां
51	24.09.2020	5000.00 श्री जुहैब खां
52	06.10.2020	7000.00 श्री जुहैब खां
53	09.11.2020	31380.00 श्री जुहैब खां
54	12.11.2020	5000.00 श्री जुहैब खां
55	10.12.2020	6000.00 श्री जुहैब खां
56	10.12.2020	4800.00 श्री जुहैब खां
57	10.12.2020	4200.00 श्री जुहैब खां
58	24.12.2020	33120.00 श्री जुहैब खां
59	29.08.2020	4800.00 श्री शानू खां
60	29.08.2020	3840.00 श्री शानू खां
61	10.12.2020	10000.00 श्री शानू खां
62	10.12.2020	8000.00 श्री शानू खां
63	10.12.2020	4200.00 श्री शानू खां
64	25.12.2020	8640.00 श्री शानू खां
65	29.08.2020	2950.00 श्री अनवर फरहद
66	29.08.2020	2655.00 श्री अनवर फरहद
67	10.12.2020	6000.00 श्री अनवर फरहद
68	10.12.2020	4800.00 श्री अनवर फरहद
69	23.05.2020	5000.00 श्री सुरेश
70	24.09.2020	6000.00 श्री सुरेश
71	12.11.2020	5000.00 श्री सुरेश
72	23.05.2020	5000.00 श्री शिब्बू
73	24.09.2020	5000.00 श्री शिब्बू
74	12.11.2020	5000.00 श्री शिब्बू
75	23.05.2020	5000.00 श्री संजय
76	24.09.2020	5000.00 श्री संजय
77	12.11.2020	5000.00 श्री संजय
78	23.05.2020	12000.00 श्री चाँद बाबू
79	29.07.2020	15000.00 श्री चाँद बाबू
80	24.09.2020	6000.00 श्री चाँद बाबू
81	12.11.2020	7000.00 श्री चाँद बाबू
82	12.11.2020	7000.00 श्री चाँद बाबू
83	23.05.2020	5000.00 श्री कोमल

84	24.09.2020	5000.00 श्री कोमल
85	12.11.2020	5000.00 श्री कोमल
86	21.12.2020	1000.00 श्री ओमकार पेंटर
87	21.12.2020	3200.00 श्री जयपाल
88	23.05.2020	5000.00 श्री राकेश
89	24.09.2020	6000.00 श्री सतार
90	29.07.2020	15000.00 श्री सतार
91	26.10.2020	6000.00 श्रीमती कमलेश
92	31.08.2020	18000.00 बैंक ऑफ बड़ौदा
योग		<u>751765.00</u>

प्रस्तर-161 दिनांक 09.11.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सूफिया खानम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मनोज कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

40-ग्राम पंचायत- बृजपुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-162 आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मों से ईट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (₹0 1215500.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के **जीएसटी** में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की **जीएसटी** विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 **जीएसटी** विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जय सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मनोज कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	05.12.2020	33300.00	सुपर स्कलैनी इलेक्ट्रिकल्स
02	14.10.2020	60000.00	बिष्णु सीमेन्ट स्टोर
03	21.12.2020	300000.00	बिष्णु सीमेन्ट स्टोर
04	19.12.2020	3700.00	शाह टाईम्स इन्टरप्राइजेज
05	21.12.2020	300000.00	चाँद ब्रिक फिल्ड
06	21.12.2020	50000.00	अलीना मिशन एंड एग्री
टूल्स			
07	22.12.2020	300000.00	गुप्ता सीमेंट स्टोर
08	24.12.2020	48000.00	गुप्ता सीमेंट स्टोर
09	22.12.2020	60000.00	देव ट्रेडर्स
10	22.12.2020	51500.00	देव ट्रेडर्स
11	22.12.2020	9000.00	देव ट्रेडर्स

योग-

1215500.00

प्रस्तर-163 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रु0 112375.00 ग्राम प्रधान श्री जयसिंह यादव द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्री जय सिंह व सचिव श्री मनोज कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	15.04.2020	38500.00	श्री जयसिंह यादव
02	18.04.2020	7650.00	श्री जयसिंह यादव
03	18.04.2020	16225.00	श्री जयसिंह यादव
04	21.12.2020	50000.00	श्री जयसिंह यादव

योग-

112375.00

प्रस्तर-164 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि (रु0 98295.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जय सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मनोज कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	15.04.2020	3500.00	श्री नरेश कुमार
02	15.04.2020	2000.00	श्री नरेश कुमार
03	15.04.2020	590.00	श्री नरेश कुमार
04	18.04.2020	10560.00	श्री नरेश कुमार
05	22.05.2020	590.00	श्री नरेश कुमार
06	22.05.2020	1000.00	श्री नरेश कुमार
07	25.06.2020	6000.00	श्री नरेश कुमार
08	03.09.2020	2000.00	श्री नरेश कुमार
09	14.10.2020	500.00	श्री नरेश कुमार
10	01.11.2020	290.00	श्री नरेश कुमार
11	05.12.2020	680.00	श्री नरेश कुमार
12	19.12.2020	300.00	श्री नरेश कुमार
13	21.12.2020	2000.00	श्री नरेश कुमार
14	22.12.2020	500.00	श्री नरेश कुमार
15	11.11.2020	4000.00	श्री हरि सिंह
16	05.12.2020	5000.00	श्री हरि सिंह

17	19.12.2020	2000.00	श्री हरि सिंह
18	18.04.2020	16225.00	श्री दयाराम
19	21.12.2020	30000.00	श्री दयाराम
20	18.04.2020	10560.00	श्री हरीश कुमार

योग 98295.00

प्रस्तर-165 दिनांक 01.11.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के बत एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जय सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मनोज कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

41-ग्राम पंचायत- दुगनपुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-166 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मों से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (₹0 541213.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सागर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मनोज कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.10.2020	47000.00	देव ट्रेडर्स
02	03.09.2020	25125.00	नन्हे राम सीमेन्ट स्टोर
03	15.04.2020	10000.00	बिष्णु सीमेन्ट स्टोर
04	15.09.2020	60000.00	बिष्णु सीमेन्ट स्टोर
05	09.11.2020	20000.00	बिष्णु सीमेन्ट स्टोर
06	24.12.2020	40000.00	बिष्णु सीमेन्ट स्टोर
07	15.04.2020	17998.00	साई कृपा इन्टरप्राइजेज
08	18.04.2020	30430.00	साई कृपा इन्टरप्राइजेज
09	22.05.2020	69200.00	साई कृपा इन्टरप्राइजेज
10	26.10.2020	32000.00	कंसट्रक्शन
11	15.04.2020	95760.00	संगम ब्रिक फिल्ड
12	15.09.2020	50000.00	संगम ब्रिक फिल्ड
13	24.12.2020	40000.00	संगम ब्रिक फिल्ड
14	21.12.2020	3700.00	शाह टाईम्स इन्टरप्राइजेज

योग- 541213.00

प्रस्तर-167 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित ₹0 66500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सागर द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में

मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सागर व सचिव श्री मनोज कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	03.09.2020	10500.00	श्रीमती सागर
02	16.04.2020	38500.00	श्रीमती सागर
03	24.12.2020	17500.00	श्रीमती सागर

योग- 66500.00

प्रस्तर-168 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि (रु० 320743.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंको भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सागर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मनोज कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.05.2020	5006.00	श्री रामवीर
02	01.10.2020	16000.00	श्री रामवीर
03	24.12.2020	10000.00	श्री रामवीर
04	15.04.2020	10560.00	श्री हौशियार सिंह
05	01.05.2020	20000.00	श्री हौशियार सिंह
06	16.10.2020	10000.00	श्री हौशियार सिंह
07	09.11.2020	7500.00	श्री हौशियार सिंह
08	24.12.2020	33120.00	श्री हौशियार सिंह
09	15.04.2020	10800.00	श्री नरेश
10	15.04.2020	5500.00	श्री नरेश
11	15.04.2020	590.00	श्री नरेश
12	16.04.2020	5605.00	श्री नरेश
13	22.05.2020	2000.00	श्री नरेश
14	22.06.2020	9700.00	श्री नरेश
15	03.09.2020	2000.00	श्री नरेश
16	15.09.2020	5000.00	श्री नरेश
17	01.10.2020	700.00	श्री नरेश
18	01.11.2020	290.00	श्री नरेश
19	09.11.2020	10000.00	श्री नरेश
20	21.12.2020	300.00	श्री नरेश
21	24.12.2020	30000.00	श्री नरेश
22	15.04.2020	11040.00	श्री हरि सिंह
23	16.10.2020	10000.00	श्री हरि सिंह
24	09.11.2020	7500.00	श्री हरि सिंह

25	21.12.2020	2000.00	श्री हरि सिंह
26	24.12.2020	12725.00	श्री हरि सिंह
27	24.12.2020	15942.00	श्री हरि सिंह
28	15.04.2020	6785.00	श्री हरिओम
29	15.04.2020	5605.00	श्री पूर्णप्रसाद
30	15.04.2020	6785.00	श्री भुवनेश
31	23.05.2020	33120.00	श्री भुवनेश
32	15.04.2020	6785.00	श्री सुन्दर लाल
33	15.04.2020	6785.00	श्री पवेश बाबू
34	21.12.2020	1000.00	श्री ओमकार

योग 320743.00

प्रस्तर-169 दिनांक 01.11.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के बल एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सागर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मनोज कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- मिलक

मण्डल का नाम- मुरादाबाद

42-ग्राम पंचायत- पैगम्बरपुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-170 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मों से ईट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (₹0 672415.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मनोज कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	02.09.2020	6460.00	एफ0जेड0 ब्रिक वर्क्स
02	07.11.2020	49000.00	एफ0जेड0 ब्रिक वर्क्स
03	15.12.2020	17250.00	एफ0जेड0 ब्रिक वर्क्स
04	04.11.2020	50000.00	आकाश आयरन स्टोर
05	15.12.2020	62250.00	आकाश आयरन स्टोर
06	04.11.2020	50000.00	बिष्णु सीमेन्ट स्टोर
07	05.12.2020	43000.00	बिष्णु सीमेन्ट स्टोर
08	15.12.2020	43070.00	बिष्णु सीमेन्ट स्टोर
09	05.12.2020	39000.00	श्री साई सेनैट्री स्टोर
10	23.06.2020	107200.00	आयशा टाईल्स

11	15.12.2020	101950.00	आयशा टाईल्स
12	21.12.2020	3700.00	इन्टरप्राईजेज
13	29.09.2020	28535.00	गुप्ता सीमेन्ट स्टोर
14	30.09.2020	71000.00	देव ट्रेडर्स

योग- 672415.00

प्रस्तर-171 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रू0 108790.00 ग्राम प्रधान श्रीमती शांति द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ति व सचिव श्री मनोज कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	02.09.2020	22590.00	श्रीमती शांति
02	02.09.2020	7000.00	श्रीमती शांति
03	06.12.2020	10500.00	श्रीमती शांति
04	15.04.2020	7500.00	श्रीमती शांति
05	15.12.2020	40000.00	श्रीमती शांति
06	20.06.2020	3500.00	श्रीमती शांति
07	22.06.2020	17700.00	श्रीमती शांति

योग- 108790.00

प्रस्तर-172 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि (रू0 108699.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मनोज कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	15.04.2020	3500.00	श्री नरेश कुमार
02	15.04.2020	590.00	श्री नरेश कुमार
03	15.04.2020	2000.00	श्री नरेश कुमार
04	20.06.2020	8000.00	श्री नरेश कुमार
05	22.06.2020	7965.00	श्री नरेश कुमार
06	23.06.2020	7240.00	श्री नरेश कुमार
07	23.06.2020	1000.00	श्री नरेश कुमार
08	02.09.2020	2000.00	श्री नरेश कुमार
09	30.09.2020	717.00	श्री नरेश कुमार

10	15.10.2020	500.00	श्री नरेश कुमार
11	15.10.2020	800.00	श्री नरेश कुमार
12	01.11.2020	290.00	श्री नरेश कुमार
13	04.11.2020	1000.00	श्री नरेश कुमार
14	05.12.2020	1297.00	श्री नरेश कुमार
15	21.12.2020	300.00	श्री नरेश कुमार
16	11.11.2020	4000.00	श्री हरि सिंह
17	21.12.2020	2000.00	श्री हरि सिंह
18	15.10.2020	7000.00	श्री हरीश
19	20.06.2020	11000.00	श्री वसीम खां
20	22.06.2020	8850.00	श्री वसीम खां
21	21.12.2020	1000.00	श्री ओमकार पेंटर
22	22.06.2020	14400.00	श्री तेजपाल
23	22.06.2020	14400.00	श्री तेजपाल
24	22.06.2020	8850.00	श्री आरिफ

योग 108699.00

प्रस्तर-173 दिनांक 01.11.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के बत एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मनोज कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

43-ग्राम पंचायत- ऐंचोरा

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-174 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मों से ईट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (₹0 696740.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है। वसूली की त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.12.2020	42000.00	जी० ए० ट्रेडर्स
02	10.06.2020	35000.00	मालादेवी ट्रेडर्स
03	15.07.2020	35000.00	मालादेवी ट्रेडर्स
04	09.11.2020	12000.00	मालादेवी ट्रेडर्स
05	09.11.2020	8500.00	मालादेवी ट्रेडर्स
06	04.12.2020	15000.00	मालादेवी ट्रेडर्स
07	20.12.2020	15000.00	मालादेवी ट्रेडर्स

08	18.04.2020	25000.00	के0के0 सीमेन्ट स्टोर
09	18.06.2020	20000.00	के0के0 सीमेन्ट स्टोर
10	15.07.2020	10000.00	के0के0 सीमेन्ट स्टोर
11	24.09.2020	25000.00	के0के0 सीमेन्ट स्टोर
12	05.10.2020	25000.00	के0के0 सीमेन्ट स्टोर
13	19.10.2020	25000.00	के0के0 सीमेन्ट स्टोर
14	31.10.2020	25000.00	के0के0 सीमेन्ट स्टोर
15	20.12.2020	20000.00	के0के0 सीमेन्ट स्टोर
16	08.12.2020	17500.00	नेहा सीमेन्ट स्टोर
17	18.04.2020	30240.00	सरस्वति ब्रिक वर्क्स
18	24.09.2020	27000.00	सरस्वति ब्रिक वर्क्स
19	16.10.2020	54000.00	सरस्वति ब्रिक वर्क्स
20	17.11.2020	17500.00	पटेल गुप
21	31.10.2020	27000.00	हिना ब्रिक वर्क्स
22	23.11.2020	27000.00	हिना ब्रिक वर्क्स
23	20.12.2020	15000.00	हिना ब्रिक वर्क्स
24	24.09.2020	50000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
25	20.12.2020	50000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
26	24.09.2020	20000.00	बी0के0 कंसट्रक्शन
27	30.11.2020	24000.00	बी0के0 कंसट्रक्शन

योग- 696740.00

प्रस्तर-175 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रु0 7000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी व सचिव श्री बादाम सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	24.11.2020	7000.00	श्रीमती सावित्री देवी

योग- 7000.00

प्रस्तर-176 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि (रु0 200610.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण

01	02.11.2020	12000.00	श्री गुरदास
02	26.11.2020	9600.00	श्री गुरदास
03	24.09.2020	19200.00	श्री नर्मेश
04	05.10.2020	9600.00	श्री नर्मेश
05	04.11.2020	19200.00	श्री नर्मेश
06	26.11.2020	9600.00	श्री नर्मेश
07	18.04.2020	5000.00	श्री कृष्णपाल
08	05.10.2020	4760.00	श्री कृष्णपाल
09	19.10.2020	9600.00	श्री कृष्णपाल
10	04.12.2020	9600.00	श्री कृष्णपाल
11	17.09.2020	2500.00	श्री दिनेश सैनी
12	18.04.2020	5000.00	श्री दुर्गा प्रसाद
13	18.06.2020	20000.00	श्री दुर्गा प्रसाद
14	18.04.2020	10000.00	श्री छोटेलाल
15	18.04.2020	10000.00	श्री छोटेलाल
16	24.11.2020	3750.00	श्री एस0 टेम्स
17	24.09.2020	19200.00	श्री ओमकार
18	20.11.2020	12000.00	श्री ओमकार
19	24.11.2020	10000.00	श्रीमती कुसुम देवी
योग		<u>200610.00</u>	

44-ग्राम पंचायत- जिवाई कदीम

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-177 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मों से ईंट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 1282968.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	20.04.2020	30000.00	ओम सीमेंट स्टोर
02	31.07.2020	50000.00	ओम सीमेंट स्टोर
03	22.09.2020	67372.00	ओम सीमेंट स्टोर
04	05.10.2020	49695.00	ओम सीमेंट स्टोर
05	02.12.2020	25000.00	ओम सीमेंट स्टोर
06	02.12.2020	80000.00	ओम सीमेंट स्टोर
07	10.12.2020	54000.00	ओम सीमेंट स्टोर
08	20.12.2020	32500.00	ओम सीमेंट स्टोर
09	30.09.2020	30000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
10	02.12.2020	25000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
11	03.12.2020	15000.00	दिव्या शक्ति इन्टर प्राईजेज

12	06.09.2020	27000.00	हिना ब्रिक वर्क्स
13	31.10.2020	27000.00	हिना ब्रिक वर्क्स
14	24.12.2020	34000.00	हिना ब्रिक वर्क्स
15	24.12.2020	26000.00	हिना ब्रिक वर्क्स
16	06.09.2020	22000.00	वी0के0 कंस्ट्रक्शन
17	07.11.2020	25000.00	वी0के0 कंस्ट्रक्शन
18	08.12.2020	36500.00	देव ट्रेडर्स
19	10.06.2020	40000.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
20	21.06.2020	64425.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
21	21.06.2020	84685.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
22	21.06.2020	28791.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
23	09.07.2020	35000.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
24	12.10.2020	54000.00	सरस्वति ब्रिक वर्क्स
25	24.12.2020	50000.00	सरस्वति ब्रिक वर्क्स
26	14.08.2020	40000.00	अनु टाइल्स स्टोर
27	18.11.2020	17500.00	अनु टाइल्स स्टोर
28	20.12.2020	15000.00	पटेल गुप
29	31.10.2020	17500.00	नेहा सीमेन्ट स्टोर
30	15.05.2020	50000.00	गणेश जी ब्रिक इण्डस्ट्रीज
31	11.09.2020	40000.00	गणेश जी ब्रिक इण्डस्ट्रीज
32	19.05.2020	50000.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
33	14.09.2020	40000.00	ओम सीमेंट स्टोर

योग- 1282968.00

प्रस्तर-178 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रु0 325100.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व सचिव श्री बादाम सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	20.04.2020	25000.00	श्रीमती सुनीता देवी
02	10.06.2020	19680.00	श्रीमती सुनीता देवी
03	21.06.2020	43320.00	श्रीमती सुनीता देवी
04	09.07.2020	28000.00	श्रीमती सुनीता देवी
05	31.07.2020	10000.00	श्रीमती सुनीता देवी
06	06.09.2020	9600.00	श्रीमती सुनीता देवी
07	22.09.2020	7000.00	श्रीमती सुनीता देवी
08	05.10.2020	19200.00	श्रीमती सुनीता देवी
09	28.10.2020	17500.00	श्रीमती सुनीता देवी
10	09.11.2020	19200.00	श्रीमती सुनीता देवी

11	04.12.2020	28800.00	श्रीमती सुनीता देवी
12	10.12.2020	19200.00	श्रीमती सुनीता देवी
13	20.12.2020	19200.00	श्रीमती सुनीता देवी
14	24.12.2020	38400.00	श्रीमती सुनीता देवी
15	24.12.2020	21000.00	श्रीमती सुनीता देवी

योग- 325100.00

प्रस्तर-179 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि (रु0 142000.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंको में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	03.11.2020	4800.00	श्री जसपाल सिंह
02	06.09.2020	9600.00	श्री तुलसीदास
03	31.10.2020	9600.00	श्री खरख सिंह
04	09.11.2020	5000.00	श्री खरख सिंह
05	10.12.2020	6000.00	श्री ओमकार सरन
06	22.09.2020	20000.00	श्री रामगोपाल
07	24.12.2020	9000.00	श्रीमती कुसुम देवी
08	10.09.2020	6000.00	श्री चन्द्रसेन
09	15.05.2020	6000.00	श्रीमती गुरमीत कौर
10	05.06.2020	6000.00	श्री नेमपाल
11	05.06.2020	6000.00	श्री धमवीर सिंह
12	23.06.2020	6000.00	श्रीमती बुद्धा कौर
13	01.07.2020	6000.00	श्री बीजीएल
14	23.09.2020	6000.00	श्री बीजीएल
15	18.12.2020	6000.00	श्री बीजीएल
16	10.09.2020	6000.00	श्री ब्रह्म प्रसाद
17	16.09.2020	6000.00	श्रीमती जसमीत कौर
18	18.09.2020	6000.00	श्री रामबहादुर
19	10.12.2020	6000.00	श्री रामभरोसे
20	22.12.2020	6000.00	श्री भोले शंकर

योग 142000.00

प्रस्तर-180 दिनांक 31.10.2020 को ग्राम पंचायत से रु0 4990.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

45-ग्राम पंचायत- पुरैना**लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21**

प्रस्तर-181 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मों से ईट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 884190.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नाजमा बी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	05.10.2020	75000.00	जय श्री बालाजी इन्टर प्रॉजेज
02	02.11.2020	32500.00	जय श्री बालाजी इन्टर प्रॉजेज
03	03.12.2020	55000.00	श्री बालाजी सीमेंट स्टोर
04	20.12.2020	54700.00	श्री बालाजी सीमेंट स्टोर
05	03.12.2020	25000.00	हिना ब्रिक बर्क्स
06	12.08.2020	25000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
07	04.09.2020	50000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
08	17.09.2020	50000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
09	27.09.2020	52500.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
10	10.10.2020	84500.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
11	27.09.2020	50000.00	श्री साईं होम मटेरियलस
12	07.11.2020	54000.00	श्री साईं होम मटेरियलस
13	20.12.2020	34500.00	श्री साईं होम मटेरियलस
14	07.11.2020	25850.00	वी०के० कंस्ट्रक्शन
15	24.11.2020	28000.00	वी०के० कंस्ट्रक्शन
16	27.11.2020	17000.00	वी०के० कंस्ट्रक्शन
17	12.08.2020	25000.00	निशा इलेक्ट्रीकल्स
18	13.06.2020	30000.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
19	30.06.2020	51000.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
20	30.06.2020	28000.00	जे०पी० इण्टरप्राइजेज
21	30.06.2020	22640.00	जे०पी० इण्टरप्राइजेज
22	20.12.2020	14000.00	जे०पी० इण्टरप्राइजेज

योग-**884190.00**

प्रस्तर-182 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रु0 46000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नाजमा बी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क

तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती नाजमा बी व सचिव श्री बादाम सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	13.06.2020	25000.00	श्रीमती नाजमा बी
02	24.11.2020	7000.00	श्रीमती नाजमा बी
03	24.11.2020	14000.00	श्रीमती नाजमा बी

योग- 46000.00

प्रस्तर-183 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि (रु० 184600.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नाजमा बी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	04.09.2020	9600.00	श्री मौ० आजम
02	17.09.2020	9600.00	श्री मौ० आजम
03	27.09.2020	19200.00	श्री मौ० आजम
04	03.11.2020	19200.00	श्री मौ० आजम
05	03.12.2020	19200.00	श्री मौ० आजम
06	04.09.2020	9600.00	श्री निसार अली
07	17.09.2020	9600.00	श्री निसार अली
08	04.09.2020	9600.00	श्री मुस्ताक हुसैन
09	04.09.2020	2400.00	श्री प्रदीप कुमार
10	04.09.2020	3360.00	श्री गुंजन
11	12.10.2020	19200.00	श्री जफर खां
12	19.10.2020	16240.00	श्री राकेश
13	21.11.2020	19200.00	श्री राकेश
14	26.11.2020	9000.00	श्रीमती कुसुम देवी
15	27.11.2020	9600.00	श्री गुरदास

योग 184600.00

प्रस्तर-184 दिनांक 20.12.2020 को ग्राम पंचायत से रु० 3790.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नाजमा बी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

46-ग्राम पंचायत- अताईनगर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-185 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मों से ईट/सीमेन्ट व अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु० 521811.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा

परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	02.05.2020	32500.00	देव ट्रेडर्स
02	07.09.2020	25000.00	देव ट्रेडर्स
03	05.08.2020	50000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
04	17.09.2020	45000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
05	05.10.2020	31500.00	जी०ए० ट्रेडर्स
06	23.02.2020	31500.00	जी०ए० ट्रेडर्स
07	13.06.2020	4000.00	खान ब्रिक वर्क्स
08	30.05.2020	35000.00	श्री बालाजी सीमेन्ट स्टोर
09	13.06.2020	16711.00	श्री बालाजी सीमेन्ट स्टोर
10	17.11.2020	67800.00	श्री बालाजी सीमेन्ट स्टोर
11	22.12.2020	24500.00	वी०के० कंस्ट्रक्शन
12	24.09.2020	27000.00	हिना ब्रिक वर्क्स
13	23.11.2020	27000.00	हिना ब्रिक वर्क्स
14	20.12.2020	50000.00	सरस्वति ब्रिक वर्क्स
15	23.02.2020	54300.00	प्रतिभा ट्रेडर्स

योग- 521811.00

प्रस्तर-186 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रु० 88921.00 ग्राम प्रधान श्रीमती मीना द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती मीना व सचिव श्री बादाम सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	20.04.2020	20000.00	श्रीमती मीना
02	13.06.2020	6931.00	श्रीमती मीना
03	14.08.2020	10500.00	श्रीमती मीना
04	24.09.2020	28800.00	श्रीमती मीना
05	15.10.2020	7000.00	श्रीमती मीना
06	26.10.2020	15690.00	श्रीमती मीना

योग-

88921.00

प्रस्तर-187 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि (रु0 74000.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंको में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	24.09.2020	9600.00	श्री निसार अली
02	12.10.2020	19200.00	श्री निसार अली
03	30.05.2020	6000.00	श्री फईम
04	03.03.2020	19200.00	बी0ओ0बी0 को ट्रान्सफर
05	05.08.2020	20000.00	श्री रोमगोपाल
योग		74000.00	

47-ग्राम पंचायत- क्रमचा

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-188 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु0 2675788.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा रानी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	06.04.2020	115000.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
02	23.04.2020	20000.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
03	09.06.2020	23846.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
04	11.06.2020	25000.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
05	13.06.2020	25000.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
06	09.07.2020	34500.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
07	09.06.2020	41317.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
08	24.12.2020	32000.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
09	15.11.2020	54800.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
10	04.06.2020	50000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
11	01.06.2020	50000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
12	11.06.2020	50000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
13	06.10.2020	76680.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
14	06.10.2020	26945.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
15	10.10.2020	85000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर

16	10.10.2020	54500.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
17	12.10.2020	55400.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
18	30.10.2020	50000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
19	07.11.2020	75500.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
20	27.11.2020	24500.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
21	02.12.2020	95800.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
22	28.09.2020	12000.00	प्रतिभा ट्रेडर्स
23	07.11.2020	54000.00	प्रतिभा ट्रेडर्स
24	24.12.2020	132000.00	प्रतिभा ट्रेडर्स
25	19.10.2020	25000.00	वी0के0 कंस्ट्रक्शन
26	28.10.2020	17500.00	वी0के0 कंस्ट्रक्शन
27	07.11.2020	24500.00	वी0के0 कंस्ट्रक्शन
28	26.11.2020	17000.00	वी0के0 कंस्ट्रक्शन
29	24.12.2020	70000.00	वी0के0 कंस्ट्रक्शन
30	11.06.2020	50000.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
31	09.07.2020	50000.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
32	08.12.2020	35000.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
33	10.12.2020	45000.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
34	22.12.2020	25000.00	ओम सीमेन्ट स्टोर
35	10.10.2020	54000.00	हिना ब्रिक बर्क्स
36	30.11.2020	50000.00	अमन ब्रिक फिल्ड
37	16.12.2020	75500.00	अमन ब्रिक फिल्ड
38	24.12.2020	66000.00	अमन ब्रिक फिल्ड
39	18.12.2020	54000.00	सरस्वति ब्रिक फिल्ड
40	01.06.2020	10000.00	कुनाल ब्रिक फिल्ड
41	18.09.2020	40000.00	खलील ब्रिक फिल्ड
42	19.10.2020	20000.00	जे0पी0 इन्टरप्राइजेज
43	22.12.2020	21500.00	देव ट्रेडर्स
44	30.11.2020	17500.00	पटेल ग्रुप
45	30.11.2020	25000.00	अमन सीमेन्ट स्टोर
46	04.12.2020	28000.00	सईद अहमद ककांट्रेक्सन
47	10.10.2020	84000.00	सईद अहमद ककांट्रेक्सन
48	29.05.2020	40000.00	नेहा सीमेंट स्टोर
49	15.06.2020	50000.00	नेहा सीमेंट स्टोर
50	30.06.2020	30000.00	नेहा सीमेंट स्टोर
51	20.07.2020	10000.00	नेहा सीमेंट स्टोर
52	28.07.2020	20000.00	नेहा सीमेंट स्टोर
53	04.08.2020	10000.00	नेहा सीमेंट स्टोर
54	10.09.2020	20000.00	नेहा सीमेंट स्टोर
55	17.09.2020	24000.00	नेहा सीमेंट स्टोर
56	28.09.2020	18000.00	नेहा सीमेंट स्टोर
57	01.10.2020	12000.00	नेहा सीमेंट स्टोर
58	07.10.2020	8000.00	नेहा सीमेंट स्टोर
59	31.10.2020	18000.00	नेहा सीमेंट स्टोर
60	13.11.2020	48000.00	नेहा सीमेंट स्टोर
61	17.12.2020	52500.00	नेहा सीमेंट स्टोर
62	24.12.2020	80000.00	नेहा सीमेंट स्टोर

63	24.12.2020	50000.00	नेहा सीमेंट स्टोर
64	01.06.2020	5000.00	आलम बिल्डिंग मैटेरियल्स
65	07.09.2020	12000.00	आलम बिल्डिंग मैटेरियल्स

योग- 2675788.00

प्रस्तर-189 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रु0 476370.00 ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा रानी व सचिव श्री बादाम सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	06.04.2020	25000.00	श्रीमती रेखा
02	20.04.2020	30000.00	श्रीमती रेखा
03	09.06.2020	3360.00	श्रीमती रेखा
04	09.06.2020	8160.00	श्रीमती रेखा
05	13.06.2020	25000.00	श्रीमती रेखा
06	09.07.2020	28000.00	श्रीमती रेखा
07	31.07.2020	10000.00	श्रीमती रेखा
08	10.10.2020	19200.00	श्रीमती रेखा
09	10.10.2020	19200.00	श्रीमती रेखा
10	19.10.2020	38400.00	श्रीमती रेखा
11	30.10.2020	17500.00	श्रीमती रेखा
12	04.11.2020	28000.00	श्रीमती रेखा
13	07.11.2020	19200.00	श्रीमती रेखा
14	15.11.2020	19200.00	श्रीमती रेखा
15	30.11.2020	12000.00	श्रीमती रेखा
16	30.11.2020	28800.00	श्रीमती रेखा
17	04.12.2020	28800.00	श्रीमती रेखा
18	10.12.2020	28000.00	श्रीमती रेखा
19	16.12.2020	32550.00	श्रीमती रेखा
20	22.12.2020	56000.00	श्रीमती रेखा

योग- 476370.00

प्रस्तर-190 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 132120.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा

अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा रानी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	31.10.2020	9600.00	श्री गुरदास
02	03.11.2020	12000.00	श्री गुरदास
03	16.12.2020	9600.00	श्री गुरदास
04	06.11.2020	9600.00	श्रीमती कुसमा देवी
05	16.12.2020	4800.00	श्रीमती कुसमा देवी
06	09.06.2020	4760.00	श्री गुंजन
07	09.06.2020	4760.00	श्री राकेश बाबू
08	16.12.2020	4800.00	श्री राजाराम
09	22.12.2020	19200.00	श्री रामगोपाल
10	30.05.2020	5000.00	श्री परमानन्द
11	01.06.2020	5000.00	श्री अमन पाण्डेय
12	08.06.2020	5000.00	श्री जानकी प्रसाद
13	03.07.2020	9000.00	श्री जानकी प्रसाद
14	08.06.2020	5000.00	श्री देवीदास
15	08.06.2020	5000.00	श्री सत्यपाल
16	08.06.2020	5000.00	श्री राजेन्द्र प्रसाद
17	15.06.2020	5000.00	श्री नरेश पाल
18	03.07.2020	5000.00	श्रीमती नन्ही
19	21.07.2020	4000.00	श्रीमती शिवदेई

योग- 132120.00

प्रस्तर-191 ग्राम पंचायत में अमर उजाला लि० को भुगतानित धनराशि रु० 9780.00 ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये भुगतान से सम्बन्धि प्रमाणक ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के बत एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा रानी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	31.10.2020	4990.00	अमर उजाला लि०
02	22.12.2020	4790.00	अमर उजाला लि०

योग- 9780.00

48-ग्राम पंचायत- लोहापट्टी भागीरथ

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-192 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रु० 724400.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा

प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.09.2020	27000.00	न्यू राम स्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
02	19.10.2020	20000.00	न्यू राम स्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
03	21.06.2020	25000.00	प्रतिभा ट्रेडर्स
04	01.09.2020	25000.00	प्रतिभा ट्रेडर्स
05	15.09.2020	54500.00	प्रतिभा ट्रेडर्स
06	21.10.2020	20000.00	प्रतिभा ट्रेडर्स
07	03.11.2020	25000.00	प्रतिभा ट्रेडर्स
08	22.12.2020	75000.00	प्रतिभा ट्रेडर्स
09	06.04.2020	70000.00	सईद अहमद कांटेक्टर
10	20.04.2020	35000.00	सईद अहमद कांटेक्टर
11	07.11.2020	45000.00	जय श्री बालाजी इन्टर प्राईजेज
12	23.11.2020	35000.00	जय श्री बालाजी इन्टर प्राईजेज
13	09.10.2020	17500.00	दिव्या शक्ति इन्टर प्राईजेज
14	12.10.2020	54000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर
15	17.11.2020	24000.00	वी०के० कंसट्रक्शन
16	30.11.2020	28500.00	वी०के० कंसट्रक्शन
17	15.12.2020	57400.00	वी०के० कंसट्रक्शन
18	17.11.2020	24000.00	जे०पी० इन्टरप्राईजेज
19	17.11.2020	12500.00	सक्लैनी ट्रेडर्स
20	20.04.2020	10000.00	प्रिया इन्टरप्राईजेज
21	21.06.2020	10000.00	प्रिया इन्टरप्राईजेज
22	21.10.2020	20000.00	खलील ब्रिक फिल्ड
23	26.10.2020	10000.00	डी०पी० अक्षय उर्जा शाप

योग- 724400.00

प्रस्तर-193 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित रु० 64600.00 ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी व सचिव श्री बादाम सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.09.2020	20000.00	श्रीमती राधा देवी
02	15.09.2020	21000.00	श्रीमती राधा देवी
03	07.11.2020	14000.00	श्रीमती राधा देवी
04	18.12.2020	9600.00	श्रीमती राधा देवी

योग-**64600.00**

प्रस्तर-194 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु0 250270.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनोंकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	20.04.2020	5000.00	श्री अमर मणि
02	03.06.2020	10080.00	श्री अमर मणि
03	21.06.2020	9800.00	श्री अमर मणि
04	15.09.2020	10000.00	श्री अमर मणि
05	04.12.2020	9600.00	श्री अमर मणि
06	20.04.2020	5000.00	श्री पारस मणि
07	03.06.2020	9600.00	श्री पारस मणि
08	09.10.2020	9600.00	श्री पारस मणि
09	19.10.2020	9600.00	श्री पारस मणि
10	15.11.2020	9600.00	श्री पारस मणि
11	04.12.2020	9600.00	श्री पारस मणि
12	06.04.2020	15000.00	श्री मौ० आजम
13	03.06.2020	6195.00	श्री मौ० आजम
14	15.09.2020	9600.00	श्री मौ० आजम
15	06.04.2020	15000.00	श्री निसार अली
16	03.06.2020	6195.00	श्री निसार अली
17	15.09.2020	9600.00	श्री निसार अली
18	05.11.2020	12000.00	श्री गुरदास
19	14.12.2020	9600.00	श्री गुरदास
20	15.09.2020	9600.00	श्री सुबराती
21	19.10.2020	19200.00	श्री सुबराती
22	26.10.2020	12000.00	श्री सुबराती
23	14.12.2020	19200.00	श्री सुबराती
24	15.09.2020	9600.00	श्री सलामत अली

योग-**250270.00**

प्रस्तर-195 दिनांक 09.10.2020 को ग्राम पंचायत से रु0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अथः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-196 दिनांक 23.11.2020 को ग्राम पंचायत से ₹0 3750.00 का भुगतान हिन्दुस्तान मीडिया बैंडरेस लि0 को भुगतानित को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विरपीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

49-ग्राम पंचायत- कमोरा

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-197 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग फर्म से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (₹0 782260.00) की गयी है, जो व्यय प्रमाणक को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के **जीएसटी** में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की **जीएसटी** विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-2 **जीएसटी** विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शाइना बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	13.06.2020	25000.00	भारत ट्रेडर्स एंड डेवलपमेंट इन्टरप्राइजेज
02	28.07.2020	18000.00	भारत ट्रेडर्स एंड डेवलपमेंट इन्टरप्राइजेज
03	28.07.2020	45200.00	भारत ट्रेडर्स एंड डेवलपमेंट इन्टरप्राइजेज
04	10.09.2020	50000.00	भारत ट्रेडर्स एंड डेवलपमेंट इन्टरप्राइजेज
05	26.10.2020	35800.00	भारत ट्रेडर्स एंड डेवलपमेंट इन्टरप्राइजेज
06	18.11.2020	25000.00	भारत ट्रेडर्स एंड डेवलपमेंट इन्टरप्राइजेज
07	13.06.2020	20000.00	प्रिया इन्टरप्राइजेज
08	10.12.2020	15000.00	दिव्य शक्ति इन्टरप्राइजेज
09	10.12.2020	75800.00	ड्रेम ट्रेडर्स
10	18.12.2020	75737.00	ड्रेम ट्रेडर्स
11	23.12.2020	109550.00	ड्रेम ट्रेडर्स
12	23.12.2020	95173.00	ड्रेम ट्रेडर्स
13	16.07.2020	10500.00	रूपाली ट्रेडर्स
14	28.07.2020	45000.00	रूपाली ट्रेडर्स
15	22.12.2020	21500.00	वी0के0 कन्सट्रक्शन
16	23.12.2020	25000.00	वी0के0 कन्सट्रक्शन
17	23.12.2020	15000.00	वी0के0 कन्सट्रक्शन
18	23.12.2020	25000.00	वी0के0 कन्सट्रक्शन
19	28.09.2020	50000.00	प्रिंस सीमेन्ट स्टोर

योग-

782260.00

प्रस्तर-198 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित ₹0 255450.00 ग्राम प्रधान श्रीमती शाइना बेगम द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत

अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खोतों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया है जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल हैं। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती शाइना बेगम व सचिव श्री बादाम सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	13.06.2020	24650.00	श्रीमती शाइना बेगम
02	28.07.2020	28000.00	श्रीमती शाइना बेगम
03	10.09.2020	19200.00	श्रीमती शाइना बेगम
04	09.10.2020	19200.00	श्रीमती शाइना बेगम
05	03.11.2020	17500.00	श्रीमती शाइना बेगम
06	03.11.2020	25200.00	श्रीमती शाइना बेगम
07	18.11.2020	19200.00	श्रीमती शाइना बेगम
08	18.12.2020	32500.00	श्रीमती शाइना बेगम
09	23.12.2020	21000.00	श्रीमती शाइना बेगम
10	23.12.2020	28000.00	श्रीमती शाइना बेगम
11	23.12.2020	21000.00	श्रीमती शाइना बेगम

योग- 255450.00

प्रस्तर-199 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित (रु० 9000.00) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा श्रीमती कुसुम के नाम से निम्नांकित दिनों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टरोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शाइना बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	10.12.2020	9000.00	श्रीमती कुसुम

योग- 9000.00

प्रस्तर-200 दिनांक 09.10.2020 को ग्राम पंचायत से रु० 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शाइना बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री बादाम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

जनपद का नाम- रामपुर वि०ख०- चमरौआ
50-ग्राम पंचायत- सनैय्या सुख

मण्डल का नाम- मुरादाबाद
लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-201 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट के खाता संख्या-5850100016218 के अनुसार ₹0 942144.00 एवं केन्द्रीय वित्त के बैंक स्टेटमेंट के खाता संख्या 5850100033732 के अनुसार ₹0 497469.00 का भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल ₹0 1439613.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये एवं किस कार्य के लिए किये गए से सम्बन्धी बाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, वर्क फाईल, एम0बी बुक, कैश बुक, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने/पत्राचार के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। इस प्रकार समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि ₹0 1439613.00 को व्याज के साथ सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अफरोज जहां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्ण सेवक सक्सेना व श्री संजीव तोमर से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार

मण्डल का नाम- मुरादाबाद

51-ग्राम पंचायत- धनुपुरा

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपतियाँ-

प्रस्तर-202 ग्राम पंचायत धनुपुरा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) स्वार से अभिलेख उपलब्ध कराने हुए दिनांक 28/07/2021, 19/08/2021, 26/08/2021, 18/09/2021 तथा दिनांक 25/10/2021 को लिखित रूप से सूचित किया गया तथा दूरभाष एवं मौखिक रूप से अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बार-बार कहा गया, किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि योजनाओं में व्यय धनराशि ₹0 1819922.00 (रुपये अट्ठारह लाख उन्नीस हजार नौ सौ बाईस मात्र), प्रिया साफ्ट के अनुसार, के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियों आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रहा। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है। तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। उक्त को व्याज के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती तबस्सुम और गा0पं0अधि0 श्री अतर सिंह व मो0 तबरेज से बराबर-बराबर भाग में वसूली की कार्यवाही जानी अपेक्षित है।

52-ग्राम पंचायत- सिकन्दाबाद

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपतियाँ-

प्रस्तर-203 ग्राम पंचायत सिकन्दाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) स्वार से अभिलेख उपलब्ध कराने हुए दिनांक 28/07/2021, 19/08/2021, 26/08/2021, 18/09/2021 तथा दिनांक 25/10/2021 को लिखित रूप से सूचित किया गया तथा दूरभाष एवं मौखिक रूप से अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बार-बार कहा गया, किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि योजनाओं में व्यय धनराशि ₹0 2980327.00 (रुपये उन्तीस लाख अस्सी हजार तीन सौ सत्ताईस मात्र), प्रिया साफ्ट के अनुसार, के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियों आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रहा। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है। तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और

अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। उक्त को व्याज के साथ ग्राम प्रधान श्री मोहब्बे अली और ग्रा०पं०अधि० श्री अतर सिंह से बराबर-बराबर भाग में वसूली की कार्यवाही जानी अपेक्षित है।

53-ग्राम पंचायत- हमीरपुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-204 ग्राम पंचायत हमीरपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) स्वार से अभिलेख उपलब्ध कराने हुत दिनांक 28/07/2021, 19/08/2021, 26/08/2021, 18/09/2021 तथा दिनांक 25/10/2021 को लिखित रूप से सूचित किया गया तथा दूरभाष एवं मौखिक रूप से अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बार-बार कहा गया, किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि योजनाओं में व्यय धनराशि रु० **1595668.00** (रुपये पन्द्रह लाख पिच्चयान्वे हजार छः सौ अड़सठ मात्र), प्रिया साफ्ट के अनुसार, के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियों आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रहा। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है। तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। उक्त को व्याज के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश और ग्रा०पं०अधि० श्री वेद प्रकाश शर्मा से बराबर-बराबर भाग में वसूली की जानी अपेक्षित है।

54-ग्राम पंचायत- भगवन्तनगर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-205 ग्राम पंचायत भगवन्तनगर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) स्वार से अभिलेख उपलब्ध कराने हुत दिनांक 28/07/2021, 19/08/2021, 26/08/2021, 18/09/2021 तथा दिनांक 25/10/2021 को लिखित रूप से सूचित किया गया तथा दूरभाष एवं मौखिक रूप से अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बार-बार कहा गया, किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि योजनाओं में व्यय धनराशि रु० **1817733.00** (रुपये अट्ठारह लाख सत्तराह हजार सात सौ तैंतीस मात्र), प्रिया साफ्ट के अनुसार, के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियों आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रहा। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है। तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। उक्त को व्याज के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती महेन्द्र कौर और ग्रा०पं०अधि० श्री सतीश कुमार से बराबर-बराबर भाग में वसूली की जानी अपेक्षित है।

55-ग्राम पंचायत- माटखेड़ा

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-206 ग्राम पंचायत माटखेड़ा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) स्वार से अभिलेख उपलब्ध कराने हुत दिनांक 28/07/2021, 19/08/2021, 26/08/2021, 18/09/2021 तथा दिनांक 25/10/2021 को लिखित रूप से सूचित किया गया तथा दूरभाष एवं मौखिक रूप से अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बार-बार कहा गया, किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि योजनाओं में व्यय धनराशि रु० **1909979.00** (रुपये उन्नीस लाख नौ हजार नौ सौ उन्नयासी मात्र), प्रिया साफ्ट के अनुसार, के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियों आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रहा। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है। तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। उक्त को व्याज के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी

देवी और ग्रा0पं0अधि0 श्री सतीश कुमार से बराबर-बराबर भाग में वसूली की कार्यवाही जानी अपेक्षित है।

56-ग्राम पंचायत- सरकड़ी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-207 ग्राम पंचायत सरकड़ी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) स्वार से अभिलेख उपलब्ध कराने हुए दिनांक 28/07/2021, 19/08/2021, 26/08/2021, 18/09/2021 तथा दिनांक 25/10/2021 को लिखित रूप से सूचित किया गया तथा दूरभाष एवं मौखिक रूप से अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बार-बार कहा गया, किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि योजनाओं में व्यय धनराशि ₹0 1175178.00 (रुपये ग्याराह लाख पचहत्तर हजार एक सौ अट्ठहत्तर मात्र), प्रिया साफ्ट के अनुसार, के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियों आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रहा। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है। तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। उक्त को व्याज के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती सिसकीन जहां और ग्रा0पं0अधि0 श्री अमित हयन्की व मो0 मोहसिन से बराबर-बराबर भाग में वसूली की जानी अपेक्षित है।

57-ग्राम पंचायत- डिलारी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-208 ग्राम पंचायत में तत्कालीन सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक ग्राम पंचायत के राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त खाते से कुल आहरण ₹0 506241.00 किया गया है। परन्तु उक्त आहरण के सापेक्ष निम्न व्यय प्रमाणक और सपोर्टिंग वाउचर आदि अप्राप्त रहे, जैसे व्यय प्रमाणक, खनन से सम्बन्धित एम0एम0 11 प्रपत्र, कार्य योजना व एस्टीमेट, आहरण व व्यय की पुष्टि में ग्राम पंचायत / ग्राम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव, एम0बी0, कैश बुक, तनकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, नियोजन एवं विकास समिति व निर्माण कार्य समिति कि रिपोर्ट कि कार्य संतोषजनक है या नहीं, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सेक्टर प्रभारी की जांच रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों की जांच रिपोर्ट, क्रय एवं उपभोग का स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं होती है जो अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के धारा 27 के अनुसार तत्कालीन सचिव(ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी कुल आहरण धनराशि ₹0 506241.00 ग्राम प्रधान श्रीमती आमना बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगतपाल सिंह से व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

58-ग्राम पंचायत- शादीनगर नि0 हजीरा

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-209 ग्राम पंचायत में तत्कालीन सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक ग्राम पंचायत के राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त खाते से कुल आहरण ₹0 767980.00 किया गया है। परन्तु उक्त आहरण के सापेक्ष निम्न व्यय प्रमाणक और सपोर्टिंग वाउचर आदि अप्राप्त रहे, जैसे व्यय प्रमाणक, खनन से सम्बन्धित एम0एम0 11 प्रपत्र, कार्य योजना व एस्टीमेट, आहरण व व्यय की पुष्टि में ग्राम पंचायत / ग्राम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव, एम0बी0, कैश बुक, तनकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, नियोजन एवं विकास समिति व निर्माण कार्य समिति कि रिपोर्ट कि कार्य संतोषजनक है या नहीं, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सेक्टर प्रभारी की जांच रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों की जांच रिपोर्ट, क्रय एवं उपभोग का स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं होती है जो अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के धारा 27 के अनुसार तत्कालीन सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी कुल आहरण

धनराशि ₹0 767980.00 ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगतपाल सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

59-ग्राम पंचायत- बमना

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-210 ग्राम पंचायत में तत्कालीन सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक ग्राम पंचायत के राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त खाते से कुल आहरण ₹0 1266932.00 किया गया है। परन्तु उक्त आहरण के सापेक्ष निम्न व्यय प्रमाणक और सपोर्टिंग वाउचर आदि अप्राप्त रहे, जैसे व्यय प्रमाणक, खनन से सम्बन्धित एम0एम0 11 प्रपत्र, कार्य योजना व एस्टीमेट, आहरण व व्यय की पुष्टि में ग्राम पंचायत / ग्राम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव, एम0बी0, कैश बुक, तनकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, नियोजन एवं विकास समिति व निर्माण कार्य समिति कि रिपोर्ट कि कार्य संतोषजनक है या नहीं, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सेक्टर प्रभारी की जांच रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों की जांच रिपोर्ट, क्रय एवं उपभोग का स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं होती है जो अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के धारा 27 के अनुसार तत्कालीन सचिव(ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी कुल आहरण धनराशि ₹0 1266932.00 ग्राम प्रधान श्री अखतर अली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगतपाल सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

60-ग्राम पंचायत- गज्जपुरा

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-211 ग्राम पंचायत में तत्कालीन सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक ग्राम पंचायत के राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त खाते से कुल आहरण ₹0 748540.00 किया गया है। परन्तु उक्त आहरण के सापेक्ष निम्न व्यय प्रमाणक और सपोर्टिंग वाउचर आदि अप्राप्त रहे, जैसे व्यय प्रमाणक, खनन से सम्बन्धित एम0एम0 11 प्रपत्र, कार्य योजना व एस्टीमेट, आहरण व व्यय की पुष्टि में ग्राम पंचायत / ग्राम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव, एम0बी0, कैश बुक, तनकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, नियोजन एवं विकास समिति व निर्माण कार्य समिति कि रिपोर्ट कि कार्य संतोषजनक है या नहीं, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सेक्टर प्रभारी की जांच रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों की जांच रिपोर्ट, क्रय एवं उपभोग का स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं होती है जो अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के धारा 27 के अनुसार तत्कालीन सचिव(ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी कुल आहरण धनराशि ₹0 748540.00 ग्राम प्रधान श्री कुलविन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगतपाल सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

61-ग्राम पंचायत- मुस्तफाबाद खुर्द

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-212 ग्राम पंचायत में तत्कालीन सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक ग्राम पंचायत के राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त खाते से कुल आहरण ₹0 348131.00 किया गया है। परन्तु उक्त आहरण के सापेक्ष निम्न व्यय प्रमाणक और सपोर्टिंग वाउचर आदि अप्राप्त रहे, जैसे व्यय प्रमाणक, खनन से सम्बन्धित एम0एम0 11 प्रपत्र, कार्य योजना व एस्टीमेट, आहरण व व्यय की पुष्टि में ग्राम पंचायत / ग्राम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव, एम0बी0, कैश बुक, तनकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, नियोजन एवं विकास समिति व निर्माण कार्य समिति कि रिपोर्ट कि कार्य संतोषजनक है या नहीं, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सेक्टर प्रभारी की जांच रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों की जांच रिपोर्ट, क्रय एवं उपभोग का स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं होती है जो अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के धारा 27 के अनुसार तत्कालीन सचिव(ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी कुल आहरण

धनराशि रु0 348131.00 ग्राम प्रधान श्रीमती छोटी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगतपाल सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

62-ग्राम पंचायत- भोट बक्काल

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-213 ग्राम पंचायत में तत्कालीन सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक ग्राम पंचायत के राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त खाते से कुल आहरण रु0 3008777.00 किया गया है। परन्तु उक्त आहरण के सापेक्ष निम्न व्यय प्रमाणक और सपोर्टिंग वाउचर आदि अप्राप्त रहे, जैसे व्यय प्रमाणक, खनन से सम्बन्धित एम0एम0 11 प्रपत्र, कार्य योजना व एस्टीमेट, आहरण व व्यय की पुष्टि में ग्राम पंचायत / ग्राम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव, एम0बी0, कैश बुक, तनकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, नियोजन एवं विकास समिति व निर्माण कार्य समिति कि रिपोर्ट कि कार्य संतोषजनक है या नहीं, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सेक्टर प्रभारी की जांच रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों की जांच रिपोर्ट, क्रय एवं उपभोग का स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं होती है जो अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के धारा 27 के अनुसार तत्कालीन सचिव(ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी कुल आहरण धनराशि रु0 3008777.00 ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री सौरभ सैनी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

63-ग्राम पंचायत- धनौरी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-214 ग्राम पंचायत में तत्कालीन सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक ग्राम पंचायत के राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त खाते से कुल आहरण रु0 2226774.00 किया गया है। परन्तु उक्त आहरण के सापेक्ष निम्न व्यय प्रमाणक और सपोर्टिंग वाउचर आदि अप्राप्त रहे, जैसे व्यय प्रमाणक, खनन से सम्बन्धित एम0एम0 11 प्रपत्र, कार्य योजना व एस्टीमेट, आहरण व व्यय की पुष्टि में ग्राम पंचायत / ग्राम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव, एम0बी0, कैश बुक, तनकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, नियोजन एवं विकास समिति व निर्माण कार्य समिति कि रिपोर्ट कि कार्य संतोषजनक है या नहीं, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सेक्टर प्रभारी की जांच रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों की जांच रिपोर्ट, क्रय एवं उपभोग का स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं होती है जो अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के धारा 27 के अनुसार तत्कालीन सचिव(ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी कुल आहरण धनराशि रु0 2226774.00 ग्राम प्रधान श्री मो0 असलम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री जगरूप सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद- सम्भल

प्रस्तर-1 ग्राम पंचायत- गनूपुरा वर्ष 2020-21

विकासखण्ड- जुनावई

ग्राम पंचायत वर्ष 2020-21 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रूपया- 1887799.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर/पत्रावली नहीं पाए जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति शांति/प्रशासक श्री कुलदीप कुमार सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री अक्षय कुमार से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1887799.00

प्रस्तर-2 ग्राम पंचायत- गढ़ी बिचौला वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- जुनावई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत वर्ष 2020-21 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रूपया- 1090481.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर/पत्रावली नहीं पाए जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति सोमवती/प्रशासक श्री कुलदीप कुमार सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री अक्षय कुमार से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1090481.00

प्रस्तर-13 ग्राम पंचायत- कादराबाद वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- जुनावई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत वर्ष 2020-21 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रूपया- 2360230.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर/पत्रावली नहीं पाए जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति मोहरकली/प्रशासक श्री कुलदीप कुमार सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री कोनाल सिंह से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2360230.00

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत- दुवारीकला वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- जुनावई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत वर्ष 2020-21 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रूपया- 2355287.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर/पत्रावली नहीं पाए जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति शकुंतला/प्रशासक श्री कुलदीप कुमार सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री कोनाल सिंह से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2355287.00

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत- हरगोविंदपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- जुनावई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत वर्ष 2020-21 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रूपया- 1222620.00 खर्च किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर/पत्रावली नहीं पाए जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण की गयी मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति गीता/प्रशासक श्री कुलदीप कुमार सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री कोनाल सिंह से की जानी अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1222620.00

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत- अर्जुनपुर जूना वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बहजोई जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 1318525.80 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के

सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 1318525.80 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति इन्द्रवती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मौ0 आबिद से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1318525.80**

प्रस्तर-17 ग्राम पंचायत- कुंवरपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बहजोई जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 758083.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 758083.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति लोंग श्री एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री इमरान से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 758083.00**

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत- अलावलपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बनियाखेड़ा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 1327239.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 1327239.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति ओमवती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिग्विजय सिंह से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1327239.00**

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत- मौलागढ़ वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बनियाखेड़ा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 10560227.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट,

वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 10560227.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति मधु एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मौ0 असलम से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 10560227.00**

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत- कैथल वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बनियाखेड़ा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 8085358.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 8085358.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति भूरी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मौ0 असलम से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 8085358.00**

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत- खबरिया हुलासनगर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बनियाखेड़ा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 1251934.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 1251934.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा

किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सतेन्द्र से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1251934.00**

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत- करेली वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- बनियाखेड़ा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 1511095.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 1511095.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री बाबूराम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नीरज सिंह से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1511095.00**

प्रस्तर-23 ग्राम पंचायत- मौअज्जमपुर उर्फ विशनपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- सम्भल जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत मौअज्जमपुर उर्फ विशनपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रूपया- 932589.00 धनराशि का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 932589.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति पूनम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सतीश चन्द्रा से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 932589.00

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायत- मढ़ावली रसूलपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- सम्भल जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत मढ़ावली रसूलपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रूपया- 1596991.00 धनराशि का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1596991.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री मुरारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सतीश चन्द्रा से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1596991.00

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत- धुधावली वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- सम्भल जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत धुधावली में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रूपया- 987441.00 धनराशि का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 987441.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति अफसरी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सतीश चन्द्रा से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 987441.00

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत- कुरकावली वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- सम्भल जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत कुरकावली में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रूपया- 1996175.00 धनराशि का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1996175.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री अख्तर हुसैन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुभाष से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1996175.00

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत- चन्द्रावली वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- सम्भल जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत कुरकावली में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल रूपया- 1317774.00 धनराशि का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1317774.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री नवकेश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुभाष से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1317774.00

प्रस्तर-28 ग्राम पंचायत- आलिया कल्याणपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- सम्भल जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत आलिया कल्याणपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल रूपया- 704767.00 धनराशि का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 704767.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री अमरपाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुभाष से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 704767.00

प्रस्तर-29 ग्राम पंचायत- हिसामपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- सम्भल जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत हिसामपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल रूपया- 927172.00 धनराशि का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन

करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 927172.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति अनीसा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश कुमार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 927172.00

प्रस्तर-30 ग्राम पंचायत- भारतल सिरसी वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- सम्भल जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत भारतल सिरसी में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रूपया- 1069457.00 धनराशि का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1069457.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति ऊषा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश कुमार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1069457.00

प्रस्तर-31 ग्राम पंचायत- सदीरनपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- सम्भल जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत सदीरनपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रूपया- 1634823.00 धनराशि का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1634823.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति रूकशाना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सतीश चन्द्रा से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1634823.00

प्रस्तर-32 ग्राम पंचायत- मेहुआ हसनगंज वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- गुन्नौर जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत मेहुआ हसनगंज में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल रूपया- 3124548.00 धनराशि का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 3124548.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति हरमाया देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नवनीत यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 3124548.00

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायत- बहलोलपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- गुन्नौर जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत बहलोलपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल रूपया- 2423202.00 धनराशि का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2423202.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति सीमा कुमारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नवनीत यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2423202.00

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायत- जयरामनगर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- गुन्नौर जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत जयरामनगर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल रूपया- 2487430.00 धनराशि का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन

करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2487430.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री वीर सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री महेश कुमार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2487430.00

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत- पवारी वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- गुन्नौर जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत पवारी में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रूपया- 1615976.00 धनराशि का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1615976.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति नेमवती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कमल सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1615976.00

प्रस्तर-36 ग्राम पंचायत- सिंघोली कल्लू वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 1121204.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 1121204.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति लज्जा वती एवं सम्बन्धित प्रधान प्रशासक श्री कुलदीप सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरी शंकर एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1121204.00**

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायत- कहरौला गर्वी वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 1166802.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवर्न का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 1166802.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति क्रांति एवं सम्बन्धित प्रधान प्रशासक श्री कुलदीप सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरी शंकर एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1166802.00

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत- बेहटा करन वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 746683.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवर्न का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 746683.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री सेवाराम एवं सम्बन्धित प्रधान प्रशासक श्री कुलदीप सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरी शंकर एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 746683.00

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत- जमालपुर डाडा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 960794.40 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम

प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 960794.40 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति कमलेश एवं सम्बन्धित प्रधान प्रशासक श्री कुलदीप सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरी शंकर एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 960794.40

प्रस्तर-40 ग्राम पंचायत- भीकमपुर जागीर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 696586.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 696586.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति संदेही देवी एवं सम्बन्धित प्रधान प्रशासक श्री कुलदीप सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरी सिंह एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 696586.00

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत- ब्यौरा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 2475889.61 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 2475889.61 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री विंध्याराम एवं सम्बन्धित प्रधान प्रशासक श्री कुलदीप सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरी शंकर एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2475889.61

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत- केसरपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 1064132.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 1064132.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री संदीप एवं सम्बन्धित प्रधान प्रशासक श्री कुलदीप सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरी शंकर एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1064132.00

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत- करकौरा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 1102387.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 1102387.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति ओमवती एवं सम्बन्धित प्रधान प्रशासक श्री कुलदीप सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरी सिंह एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1102387.00

प्रस्तर-44 ग्राम पंचायत- न्यौरा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 973607.04 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 973607.04 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति श्रद्धा देवी एवं सम्बन्धित प्रधान प्रशासक श्री कुलदीप सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरी सिंह एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 973607.04

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायत- हरफरी वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 948832.70 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 948832.70 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति ऊषा किरन एवं सम्बन्धित प्रधान प्रशासक श्री कुलदीप सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरी सिंह एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 948832.70

प्रस्तर-46 ग्राम पंचायत- केवलपुर तिपेड़ा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 1868545.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा

सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 1868545.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति नीरेश कुमारी एवं सम्बन्धित प्रधान प्रशासक श्री कुलदीप सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरी सिंह एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1868545.00**

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत- बसंतपुर डाडा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 2197822.20 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 2197822.20 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति चन्द्रावती एवं सम्बन्धित प्रधान प्रशासक श्री कुलदीप सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरी सिंह एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2197822.20

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत- डुण्डाखुर्द वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 1348896.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 1348896.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति कुसुम एवं सम्बन्धित प्रधान प्रशासक श्री कुलदीप सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरी शंकर एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1348896.00

प्रस्तर-49 ग्राम पंचायत- चन्दनगला वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान की कैशबुक के अनुसार रूपया- 1881268.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, पंचायत भवन निर्माण, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क

आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का है। साथ ही इसी के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवर्नर का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया- 1881268.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री रामवीर एवं सम्बन्धित प्रधान प्रशासक श्री कुलदीप सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरी शंकर एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1881268.00

प्रस्तर-50 ग्राम पंचायत- बिचपुरी वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- पर्वसा जनपद- सम्भल।

वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री हरपाल के द्वारा ग्राम निधि से रूपया- 952281.00 खर्च किया गया। किन्तु लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्य फाईल प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे किये गये व्यय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। बिना कार्य फाईल बनाये ग्राम निधि से धन आहरित करना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री हरपाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरव कुमार से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 952281.00

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत- साकिन शोभापुर खालसा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- पर्वसा जनपद- सम्भल।

वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमति कश्मीरी देवी के द्वारा ग्राम निधि से रूपया- 948893.00 खर्च किया गया। किन्तु लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्य फाईल प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे किये गये व्यय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। बिना कार्य फाईल बनाये ग्राम निधि से धन आहरित करना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री कश्मीरी देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरव कुमार से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 948893.00

प्रस्तर-52 ग्राम पंचायत- सकरपुर तारनपुर वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- पर्वसा जनपद- सम्भल।

वर्क आई डी 15056424 द्वारा दिनांक 24.03.2020 को प्राथमिक विद्यालय तारनपुर में शौचालय निर्माण के नाम पर रूपया- 148117.00 आहरित किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्य फाईल एवं बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना फाईल के प्राथमिक विद्यालय तारनपुर में शौचालय निर्माण के नाम पर उक्त धनराशि आहरित करके ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति कमला एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश उपाध्याय से की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 148117.00

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायत- सौधन मोहम्मदपुर वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- पर्वसा जनपद- सम्भल।

वर्क आई डी 15010843 द्वारा हैण्डपम्प रिबोर के नाम पर दिनांक 27.06.2019 को रूपया- 237175.00, वर्क आई डी 15010842 द्वारा हैण्डपम्प रिबोर के नाम पर दिनांक 28.06.2019 को रूपया- 227868.00 एवं वर्क आई डी 15010947 द्वारा दिनांक 05.10.2019 को रूपया- 62832.00 व दिनांक 24.02.2020 को रूपया- 71459.00 (कुल योग रूपया- 648541.00) आहरित किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान हैण्डपम्प रिबोर से सम्बन्धित कोई भी फाईल एवं बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना फाईल के हैण्डपम्प रिबोर के नाम पर उक्त कुल धनराशि आहरित करके ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपहरण किया

गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति किताब श्री एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश उपाध्याय से की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 648541.00**

प्रस्तर-54 ग्राम पंचायत- भैतकरन वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत पर सफाई कार्य पर दिनांक 14.03.2020 पर रुपया- 13600.00 का भुगतान किया गया है। ग्राम पंचायत पर प्रशासनिक व्यय पर रुपया- 34971.00, पुलिया निर्माण पर रुपया- 37770.00 का व्यय, वर्ष दौरान ग्राम प्रधान को मानदेय रुपया- 42000.00 का भुगतान, ग्राम पंचायत पर गढ़वा निर्माण पर रुपया- 58488.00 एवं जाल निर्माण पर रुपया- 52753.00 का व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान उक्त दर्शित व्यय की गयी कुल धनराशि रुपया- 239582.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/मस्टरोल/पत्रावली, एम0बी0, स्टीमेट, कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं पंचायत लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से एक बराबर अनुपात में की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित कुल धनराशि रुपया- 239582.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरी शंकर से की जानी अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 239582.00

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायत- डुप्टा कलां वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत से रुपया- 142370.00 की धनराशि आहरित की गई। परन्तु लेखा परीक्षा निर्धारित तिथि पर निम्न प्रकार निर्माण पत्रावली एवं उससे संबंधित वाउचर प्रस्तुत नहीं कराए गए-

1. सी0सी0 रोड से ईश्वर सिंह के घर तक सी0सी0 निर्माण- 54230.00
2. प्रशासनिक व्यय की पत्रावली अप्राप्त- 88140.00

योग- 142370.00

पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं पंचायत लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से एक बराबर अनुपात में की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित कुल धनराशि रुपया- 142370.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति विमला देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमति मीना कुमारी से की जानी अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 142370.00

प्रस्तर-56 ग्राम पंचायत- केवलपुर टिपेरा वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत से रुपया- 170544.00 की धनराशि आहरित की गई। परन्तु लेखा परीक्षा दौरान यह पाया गया कि

निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या- आरजीएसए/197-2019-4/379/2015-लखनऊ, दिनांक 02 मई 2019 के द्वारा प्रस्तर-2 में स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी 06 हैण्डपम्प रिबोर को एक आई0डी0 बनाकर रूपया- 170544.00 का कार्य कराया गया है। जिसको गम्भीर अनियमितताओं में वर्गीकृत किया जाता है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति नीरेश कुमारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री वीर सिंह के विरुद्ध विभागीय नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

कुल धनराशि- 170544.00

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायत- कहरौला गर्वी वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत से रूपया- 1745020.00 की धनराशि आहरित की गई। परन्तु लेखा परीक्षा निर्धारित तिथि पर निर्माण पत्रावली एवं उससे संबंधित वाउचर प्रस्तुत नहीं कराए गए।

पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं पंचायत लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से एक बराबर अनुपात में की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित धनराशि रूपया- 1745020.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति कान्ती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरी शंकर से की जानी अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1745020.00

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत- जमालपुर डाण्डा वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत से रूपया- 1377996.00 की धनराशि (बैंक कटौती रूपया 70.80 काटकर) आहरित की गई। परन्तु लेखा परीक्षा निर्धारित तिथि पर निर्माण पत्रावली एवं उससे संबंधित वाउचर प्रस्तुत नहीं कराए गए।

पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं पंचायत लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से एक बराबर अनुपात में की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित धनराशि रूपया- 1377996.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति कमलेश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरी शंकर से की जानी अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1377996.00

प्रस्तर-59 ग्राम पंचायत- न्यौरा वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

दिनांक 10.08.2019 को प्रधान को मानदेय रूपया- 70000.00 का दिया गया है परन्तु पुष्टि में भुगतान प्राप्तकर्ता की रसीद लेखा परीक्षा में नहीं पायी गयी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माण कराया गया। जिसमें से चतुर्थ राज वित्त आयोग से दिनांक 07.01.2020 को रूपया- 112996.00 का भुगतान सतीश ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स को किया गया है। परन्तु पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया।

पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं पंचायत लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से एक बराबर अनुपात में की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित उक्त कुल धनराशि रूपया- 182996.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति शारदा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री वीर सिंह से की जानी अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 182996.00

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायत- मोलनपुर टाण्डा वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

लेखा परीक्षा दौरान सफाई कार्य पर दिनांक 17.05.2019 को व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसका भुगतान कैशबुक के अनुसार 14वें वित्त आयोग से रूपया- 36750.00 किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के लिसम 256(1) के अनुसार व ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध कराए। इसी अध्याय के खण्ड 8-क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से एक बराबर अनुपात में की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आहरित उक्त धनराशि रूपया- 36750.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री हर्बल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमति मीना कुमारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-61 लेखा परीक्षा दौरान यह पाया गया कि निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या- आरजीएसए/197-2019-4/379/2015-लखनऊ, दिनांक 02 मई 2019 के द्वारा प्रस्तर-1 में स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी इण्टरलॉकिंग, सी0सी0 रोड को तोड़कर एक आई0डी0 बनाकर ही कार्य कराया जा रहा है। निर्देशों के उपरान्त विपरीत कार्य कराना गम्भीर अनियमितताओं के अन्तर्गत आता है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री हर्बल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमति मीना कुमारी के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जिसका भुगतान कैशबुक के अनुसार 14वें वित्त आयोग से 686768.00 निम्न प्रकार किया गया है-

1. उच्च प्राथमिक विद्यालय में सी0सी0 निर्माण कार्य पर व्यय-	190017.00
2. उच्च प्राथमिक विद्यालय में सी0सी0 निर्माण कार्य पर व्यय-	191752.00
3. उच्च प्राथमिक विद्यालय में सी0सी0 निर्माण कार्य पर व्यय-	194999.00
4. उच्च प्राथमिक विद्यालय में सी0सी0 निर्माण कार्य पर व्यय-	110000.00
योग-	686768.00

कुल धनराशि- 723518.00

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायत- हरफरी वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत से रूपया- 322151.00 की धनराशि आहरित की गई। परन्तु लेखा परीक्षा निर्धारित तिथि पर निम्न प्रकार निर्माण पत्रावली एवं उससे संबंधित वाउचर प्रस्तुत नहीं कराए गए-

1. पान सिंह के मकान से राम सिंह के मकान तक सी0सी0 निर्माण पर व्यय (14एफएस)- 168386.00

2. राम सिंह के मकान से नत्थू के मकान तक सी0सी0 निर्माण पर व्यय (14 एफएस)- 153765.00
योग- 322151.00

पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं पंचायत लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित कुल धनराशि रूपया- 322151.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति ऊषा किरन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री वीर सिंह से की जानी अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 322151.00

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायत- जिजौडा डाण्डा वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत से रूपया- 538814.00 की धनराशि आहरित की गई। जिसमें से 14 भुगतान किये गये परन्तु लेखा परीक्षा निर्धारित तिथि पर निर्माण पत्रावली, एम0बी0, स्टीमेट एवं उससे सम्बन्धित वाउचर प्रस्तुत नहीं कराए गए। निम्न पत्रावली एवं उससे संबंधित वाउचर जॉच में अनुपलब्ध रहे-

1. प्राथमिक विद्यालय में वाउंड्री वाल निर्माण कार्य- 245995.00
2. प्राथमिक विद्यालय में वाउंड्री वाल निर्माण कार्य- 245730.00
3. हैण्डपम्प रिबोर- 47089.00

योग- 538814.00

उपरोक्त दोनों (1 एवं 2) पत्रावली से ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य को तोड़कर दो पत्रावली में कराया गया है जिससे कि जिला पंचायतराज अधिकारी की स्वीकृति से बचाया जा सके। ऐसे में उपरोक्त दोनों कार्य निदेशक पंचायतीराज उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या- आरजीएसए/197-2019-4/379/2015-लखनऊ, दिनांक 02 मई 2019 के प्रस्तर-1 के विपरीत है।

पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं पंचायत लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित कुल धनराशि रूपया- 538814.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति पारूल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री वीर सिंह से की जानी अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 538814.00

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत- आर्थल वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

लेखा परीक्षा दौरान अंत्येष्टि स्थल पर भुगतान की गई धनराशि रूपया- 510191.00 रहीं। जिसमें से रूपया- 395020.00 का भुगतान मजदूरी पर किया गया। राज्य सरकार अधिनियम लेबर सेस नियमावली के तहत 1 प्रतिशत लेबर सेस 3950.00 नहीं काटा गया। इसी प्रकार वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी जी0एस0टी0 एक्ट 2017 के निर्देश 65/39/2018-डीडीआर, दिनांक 14.09.2018 के द्वारा धनराशि रूपया-

115171.00 सामग्री पर व्यय किया गया। जिसका 2.06 प्रतिशत जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 रूपया- 2373.00 नहीं काटा गया। उक्त कुल धनराशि रूपया- 6323.00 की गम्भीर अनियमिता पायी गयी है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री घमण्डी सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अजीत कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए। उच्च अधिकारियों का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

कुल धनराशि- 6323.00

प्रस्तर-65 ग्राम पंचायत- हिरैनी वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत से रूपया- 448618.00 की धनराशि आहरित की गई। परन्तु लेखा परीक्षा निर्धारित तिथि पर निम्न प्रकार निर्माण पत्रावली एवं उससे संबंधित वाउचर प्रस्तुत नहीं कराए गए-

1. सफाई कार्य पर व्यय-	42020.00
2. मानदेय प्रधान (17-18)-	42000.00
3. मानदेय प्रधान (18-19)-	42000.00
4. सी0सी0 रोड से छोटे केघर तक इंटरलॉकिंग कार्य-	132580.00
5. महिंद्र के घर से मास्टर जसवंत के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य-	190018.00

योग- 448618.00

पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं पंचायत लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित कुल धनराशि रूपया- 448618.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री विशेष यादव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री फारूख अली से की जानी अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-66 निम्न पत्रावली अनुसार कराए गए कार्यों के मस्टरोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए-

1. भल्लू के घर से बादशाह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य-	30880.00
2. गजेन्द्र के घर से भल्लू के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य-	30620.00
3. महेन्द्र के घर से चरण सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य-	25650.00
4. विशंबर के घर से गजेन्द्र के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य-	30880.00
5. चरन सिंह के घर से कल्याण के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य-	20960.00
6. मनोहर के घर से राम रहीम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य-	32440.00
7. साई के घर से नरेश जी के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य-	17450.00
8. मनवीर के घर से जमुना सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य-	23780.00
9. वीरपाल के घर से चन्द्रपाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य-	29960.00
10. चन्द्रपाल के घर से ऋषिपाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य-	27200.00
11. भीमसेन के घर से महाराज के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य-	32210.00

योग- 302030.00

कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार संबंधित प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा 11 कार्य पर रूपया- 302030.00 की धनराशि मजदूरी के भुगतान पर व्यय की गई है।

पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं पंचायत लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित कुल धनराशि रूपया- 302030.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री विशेष यादव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री फारूख अली से की जानी अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 750648.00

प्रस्तर-67 ग्राम पंचायत- सिधौला चेत सिंह वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत से रूपया- 94092.00 की धनराशि आहरित की गई। परन्तु लेखा परीक्षा दौरान यह पाया गया कि निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या- आरजीएसए/197-2019-4/379/2015-लखनऊ, दिनांक 02 मई 2019 के द्वारा प्रस्तर-2 में स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी 03 हैण्डपम्प रिबोर को एक आई0डी0 बनाकर रूपया- 94092.00 का कार्य कराया गया है। जिसको गम्भीर अनियमितताओं में वर्गीकृत किया जाता है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री त्रिवेणी सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार शर्मा के विरुद्ध विभागीय नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

कुल धनराशि- 94092.00

प्रस्तर-68 ग्राम पंचायत- सिडौरा वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत से रूपया- 3357112.00 की धनराशि आहरित की गई। परन्तु लेखा परीक्षा निर्धारित तिथि पर निर्माण पत्रावली एवं उससे संबंधित वाउचर प्रस्तुत नहीं कराए गए।

पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं पंचायत लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित धनराशि रूपया- 3357112.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति पारूल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजवीर/फारूख अली से की जानी अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 3357112.00

प्रस्तर-69 ग्राम पंचायत- भीकमपुर जैनी वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से रूपया- 63280.00 की धनराशि निम्न प्रकार आहरित की गई-

13.03.2020	-	36400.00
30.03.2020	-	26880.00
योग-		63280.00

परन्तु लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत में कराए गए सफाई कार्य की पत्रावली अप्राप्त रही जिस पर उक्त धनराशि को व्यय किया गया है।

पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं पंचायत लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से एक समान की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित धनराशि रूपया- 63280.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री तारिफ सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेशपाल सिंह से की जानी अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 63280.00

प्रस्तर-70 ग्राम पंचायत- ब्यौरा वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत से रूपया- 2205194.00 की धनराशि आहरित की गई। परन्तु लेखा परीक्षा निर्धारित तिथि पर निर्माण पत्रावली एवं उससे संबंधित वाउचर प्रस्तुत नहीं कराए गए।

पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं पंचायत लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित धनराशि रूपया- 2205194.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री विध्याराम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरी शंकर से की जानी अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2205194.00

प्रस्तर-71 ग्राम पंचायत- चन्दनगला वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत से रूपया- 2089886.00 की धनराशि आहरित की गई। परन्तु लेखा परीक्षा निर्धारित तिथि पर निर्माण पत्रावली एवं उससे संबंधित वाउचर प्रस्तुत नहीं कराए गए।

पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं पंचायत लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित धनराशि रूपया- 2089886.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री रामवीर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरी शंकर से की जानी अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2089886.00

प्रस्तर-72 ग्राम पंचायत- दुबटा खुर्द वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत से रूपया- 1075664.00 की धनराशि आहरित की गई। परन्तु लेखा परीक्षा निर्धारित तिथि पर निर्माण पत्रावली एवं उससे संबंधित वाउचर प्रस्तुत नहीं कराए गए।

पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं पंचायत लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित धनराशि रूपया- 1075664.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति कुसुम देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरी शंकर से की जानी अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1075664.00

प्रस्तर-73 ग्राम पंचायत- केसरपुर वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- रजपुरा जनपद- सम्भल।

कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत से रूपया- 1745443.00 की धनराशि आहरित की गई। परन्तु लेखा परीक्षा निर्धारित तिथि पर निर्माण पत्रावली एवं उससे संबंधित वाउचर प्रस्तुत नहीं कराए गए।

पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं पंचायत लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित धनराशि रूपया- 1745443.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री संदीप एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरी शंकर से की जानी अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1745443.00

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत- फतेहपुर शरीफनगर वर्ष 2019-20 विकासखण्ड- बहजोई जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत फतेहपुर शरीफनगर में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रूपया- 1449767.00 धनराशि का आहरण/व्यय किया गया है। जिससे सम्बन्धित कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का आदेश, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर/चालान व नियम 210 के अनुसार प्रारूप संख्या 22 पर मजदूरी का मस्टरोल, स्टॉक रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन

करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1449767.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री रोहताश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री इमरान से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1449767.00

प्रस्तर-75 ग्राम पंचायत- नहरौली वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत नहरौली में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रूपया- 1244869.00 व रूपया- 642096.00 कुल धनराशि रूपया- 1886965.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 1886965.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1244869.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति शमीम जहाँ एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शाहिद अली से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 642096.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री शाहिद अली से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1886965.00

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत- सेमली वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत सेमली में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1026391.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1026391.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री चमन सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री महेश सिंह से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1026391.00

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत- हरसिंहपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत हरसिंहपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1358715.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1358715.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति नूरजहाँ एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शाहिद अली से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1358715.00

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत- शाहबाजपुर कलां वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत शाहबाजपुर कलां में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रूपया- 3960499.00 व रूपया- 1545276.00 कुल धनराशि रूपया- 5505775.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 5505775.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 3960499.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति जरीना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सत्यपाल सिंह से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 1545276.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री सत्यपाल सिंह से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 5505775.00

प्रस्तर-79 ग्राम पंचायत- गुमसानी वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत गुमसानी में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रूपया- 4534298.00 व रूपया- 188799.00 कुल धनराशि रूपया- 4723097.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 4723097.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 4534298.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रोनिल अली से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 188799.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री रोनिल अली से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 4723097.00

प्रस्तर-80 ग्राम पंचायत- ऐतमादपुर भटपुरा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत ऐतमादपुर भटपुरा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रूपया- 1021237.00 व रूपया- 873015.00 कुल धनराशि रूपया- 1894252.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 1894252.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1021237.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री जगराम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रंजीत सिंह से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 873015.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री रंजीत सिंह से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1894252.00

प्रस्तर-81 ग्राम पंचायत- शंकरपुर सोत वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत शंकरपुर सोत में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रूपया- 1125869.00 व रूपया- 313487.00 कुल धनराशि रूपया- 1439356.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 1439356.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1125869.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री खालिद अली एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शाहिद अली से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 313487.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री शाहिद अली से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1439356.00

प्रस्तर-82 ग्राम पंचायत- सिरौली वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत सिरौली में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रूपया- 471645.00 व रूपया- 623642.00 कुल धनराशि रूपया- 1095287.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 1095287.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 471645.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति संतोष एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संतरपाल से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 623642.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री संतरपाल से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1095287.00

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत- हरिपुर मिलक वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत हरिपुर मिलक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रूपया- 1043889.00 व रूपया- 263056.00 कुल धनराशि रूपया- 1306945.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 1306945.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1043889.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री कृपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संतरपाल से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 263056.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री संतरपाल से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1306945.00

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत- पेली वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत पेली में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रुपया- 699645.00 व रुपया- 384124.00 कुल धनराशि रुपया- 1083769.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रुपया- 1083769.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रुपया- 699645.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति गायत्री एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सतेन्द्र सिंह से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रुपया- 38124.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री सतेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1083769.00

प्रस्तर-85 ग्राम पंचायत- खैरपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत खैरपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रुपया- 889158.00 व रुपया- 276037.00 कुल धनराशि रुपया- 1165195.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रुपया- 1165195.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रुपया- 889158.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री शहाबुद्दीन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संतरपाल से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रुपया- 276037.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री संतरपाल से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1165195.00**

प्रस्तर-86 ग्राम पंचायत- असरफपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत असरफपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रुपया- 1526844.00 व रुपया- 316912.00 कुल धनराशि रुपया- 1843756.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 1843756.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1526844.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री शकील अहमद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संतरपाल से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 316912.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री संतरपाल से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1843756.00**

प्रस्तर-87 ग्राम पंचायत- अकबरपुर गहरा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत अकबरपुर गहरा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रूपया- 1357540.00 व रूपया- 477819.00 कुल धनराशि रूपया- 1835359.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 1835359.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1357540.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री प्रीतम सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सतेन्द्र सिंह से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 477819.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री सतेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1835359.00**

प्रस्तर-88 ग्राम पंचायत- इकरोटिया वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत इकरोटिया में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रूपया- 1019144.00 व रूपया- 417710.00 कुल धनराशि रूपया- 1436854.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 1436854.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1019144.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति अंजुम रजा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री खड़क सिंह से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 417710.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी

धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री खड़क सिंह से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1436854.00**

प्रस्तर-89 ग्राम पंचायत- शाहपुर डसर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत शाहपुर डसर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रूपया- 3179531.00 व रूपया- 655414.00 कुल धनराशि रूपया- 3834945.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 3834945.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 3179531.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री छिद्दा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक कुमार से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 655414.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक कुमार से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 3834945.00**

प्रस्तर-90 ग्राम पंचायत- असमोली वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत असमोली में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रूपया- 3796378.00 व रूपया- 1586552.00 कुल धनराशि रूपया- 5382930.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 5382930.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 3796378.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री सर्वेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक कुमार से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 1586552.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक कुमार से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 5382930.00**

प्रस्तर-91 ग्राम पंचायत- रतूपुरा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत रतूपुरा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रूपया- 2871799.00 व रूपया- 901004.00 कुल धनराशि रूपया- 3772803.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना,

प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 3772803.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2871799.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति बानो एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक कुमार से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 901004.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक कुमार से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 3772803.00**

प्रस्तर-92 ग्राम पंचायत- अखबन्दपुर काफूरपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत अखबन्दपुर काफूरपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रूपया- 2671158.00 व रूपया- 162075.00 कुल धनराशि रूपया- 2833233.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 2833233.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2671158.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री जसपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सतेन्द्र सिंह से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 162075.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री सतेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 2833233.00**

प्रस्तर-93 ग्राम पंचायत- रवाँबुजुर्ग वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत रवाँबुजुर्ग में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रूपया- 2916059.00 व रूपया- 883440.00 कुल धनराशि रूपया- 3799499.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया-

3799499.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2916059.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति नौसाबा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक कुमार से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 883440.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक कुमार से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 3799499.00 प्रस्तर-94 ग्राम पंचायत- बुकनाला वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।**

ग्राम पंचायत बुकनाला में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रूपया- 5844674.00 व रूपया- 74648.00 कुल धनराशि रूपया- 5919322.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 5919322.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 5844674.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति तनवीर फातमा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश चौधरी से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 74648.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश चौधरी से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 5919322.00**

प्रस्तर-95 ग्राम पंचायत- नंगला नीडर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत नंगला नीडर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रूपया- 660653.00 व रूपया- 206038.00 कुल धनराशि रूपया- 866691.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 866691.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 660653.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति श्यामो देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमति मोनिका से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 206038.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्रीमति मोनिका से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 866691.00**

प्रस्तर-96 ग्राम पंचायत- भावलपुर बांसली वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत भावलपुर बांसली में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 1118231.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1118231.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री ओमचन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश चौधरी से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1118231.00**

प्रस्तर-97 ग्राम पंचायत- मातीपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत मातीपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रूपया- 1892346.00 व रूपया- 726561.00 कुल धनराशि रूपया- 2618907.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 2618907.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1892346.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री वकील एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री महेन्द्र सिंह से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 726561.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री महेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 2618907.00**

प्रस्तर-98 ग्राम पंचायत- हैदरपुर उर्फ हाजीपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत हैदरपुर उर्फ हाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रूपया- 757773.00 व रूपया- 338302.00 कुल धनराशि रूपया- 1096075.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की

वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 1096075.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 757773.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री अनुज त्यागी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रोहित कुमार से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 338302.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री रोहित कुमार से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 1096075.00**

प्रस्तर-99 ग्राम पंचायत- सैदपुर गंगू वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत सैदपुर गंगू में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 721720.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 721720.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति मीनाक्षी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश चौधरी से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 721720.00**

प्रस्तर-100 ग्राम पंचायत- सेवापुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत सेवापुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रूपया- 1798817.00 व रूपया- 208463.00 कुल धनराशि रूपया- 2007280.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 2007280.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1798817.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति रानी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री महेन्द्र सिंह से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 208463.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री महेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 2007280.00**

प्रस्तर-101 ग्राम पंचायत- कमालपुर काफुरपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत कमालपुर काफुरपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रूपया- 1622888.00 व रूपया- 789605.00 कुल धनराशि रूपया- 2412493.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया- 2412493.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 1622888.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति शबनम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रंजीत सिंह से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 789605.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री रंजीत सिंह से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 2412493.00**

प्रस्तर-102 ग्राम पंचायत- दुगावर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत दुगावर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 2052550.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2052550.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति शीतल देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नीरज सिंह से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 2052550.00**

प्रस्तर-103 ग्राम पंचायत- खासपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत खासपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रूपया- 828467.00 व रूपया- 100132.00 कुल धनराशि रूपया- 928599.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में कुल धनराशि रूपया-

928599.00 का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 828467.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री संजीव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमति मोनिका से आधी धनराशि की वसूली एवं धनराशि रूपया- 100132.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रशासक व आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्रीमति मोनिका से किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 928599.00**

प्रस्तर-104 ग्राम पंचायत- चंदबार वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत चंदबार में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 2689115.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 2689115.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री मुकेश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री महेश सिंह से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 2689115.00**

प्रस्तर-105 ग्राम पंचायत- गोंजनी वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत गोंजनी में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 737866.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 737866.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री नौशाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रोहित कुमार से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 737866.00**

प्रस्तर-106 ग्राम पंचायत- सघन मछरिया वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- असमोली जनपद- सम्भल।

ग्राम पंचायत सघन मछरिया में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल धनराशि रूपया- 629119.00 का आहरण किया गया है। जिससे सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव,

कार्य की आई0डी0, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, प्राक्कलन, कोटेशन/टेन्डर, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, मस्टरोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य की एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के प्रावधान के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो समस्त धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में उक्त धनराशि का गवन करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचायी गयी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रूपया- 629119.00 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति बानो एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री महेश सिंह से आधी धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार इन सबके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाहीकी जानी अपेक्षित है। **कुल धनराशि- 629119.00**